VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अगस्त 2024

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी
हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

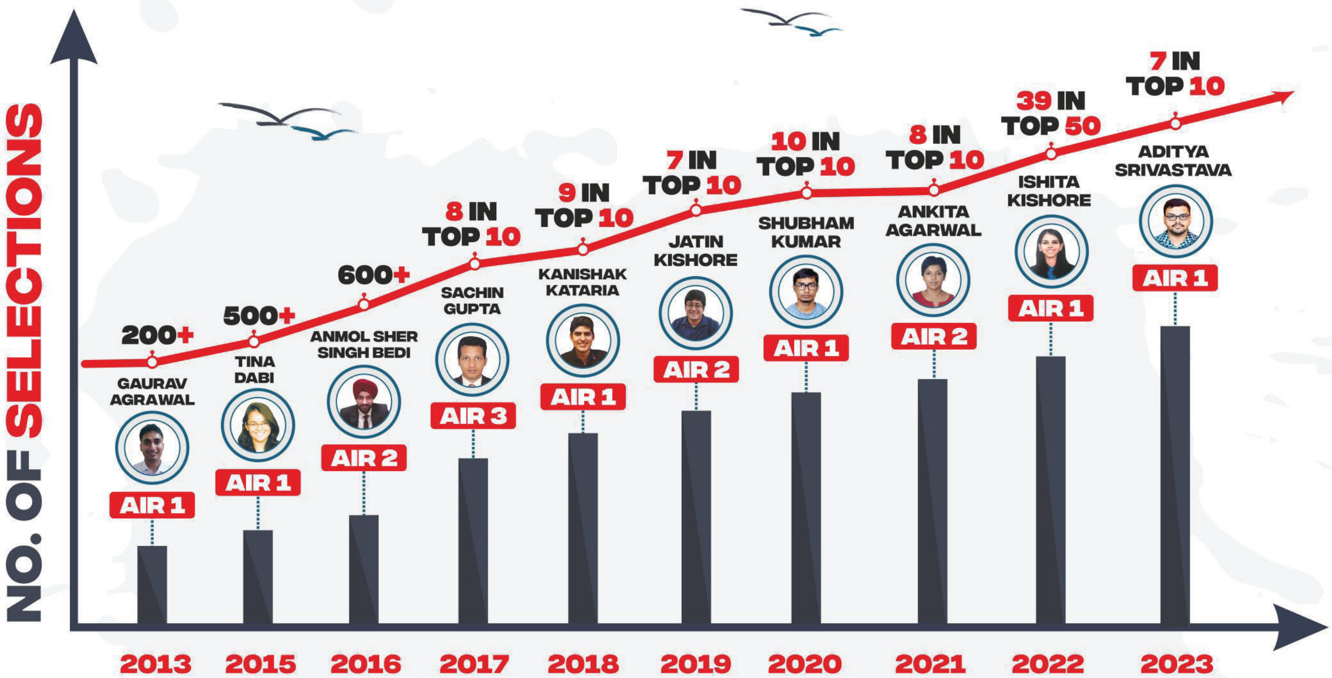

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2025

DELHI: 17 SEPT, 9 AM | 24 SEPT, 1 PM | 30 SEPT, 5 PM
27 AUG, 9 AM | 29 AUG, 1 PM | 31 AUG, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar):
30 AUG, 5:30 PM | 19 JULY, 8:30 AM

AHMEDABAD: 20 AUG | BENGALURU: 23 SEPT | BHOPAL: 5 SEPT | CHANDIGARH: 9 SEPT

HYDERABAD: 11 SEPT | JAIPUR: 18 SEPT | JODHPUR: 11 JULY | LUCKNOW: 5 SEPT | PUNE: 9 SEPT

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025

▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 23 सितंबर, 1 PM | 22 अगस्त, 1 PM | BHOPAL: 23 जुलाई | LUCKNOW: 18 जुलाई | JAIPUR: 5 सितंबर | JODHPUR: 11 जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance) ____ 4
1.1. अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण ____ 4
1.2. केंद्र प्रायोजित योजना ____ 6
1.3. सुशासन में नागरिकों की भागीदारी ____ 9
1.4. सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री ____ 11
1.5. सरोगेट विज्ञापन ____ 14
1.6. समान नागरिक संहिता ____ 17
1.7. विधायी प्रभाव आकलन ____ 18
1.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 21
1.8.1. जिला न्यायालयों में बुनियादी ढांचे की स्थिति ____ 21
1.8.2. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत ____ 22
1.8.3. परिसीमन आयोग ____ 22
1.8.4. बॉयलर विधेयक, 2024 को राज्य सभा में पेश किया गया ____ 23
2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) ____ 25
2.1. भारत और ग्लोबल साउथ ____ 25
2.1.1. ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट ____ 27
2.2. भारत की एक्ट ईस्ट नीति के 10 वर्ष ____ 29
2.2.1. भारत वियतनाम संबंध ____ 32
2.2.2. भारत मलेशिया संबंध ____ 34
2.3. भारत-मध्य एवं पूर्वी यूरोप संबंध ____ 36
2.3.1. भारत-पोलैंड संबंध ____ 38
2.4. भारत-यूक्रेन संबंध ____ 39
2.5. पैरा-डिप्लोमेसी ____ 41
2.6. दक्षिण चीन सागर तनाव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ____ 43
2.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 46
2.7.1. भारतीय अमेरिकी प्रवासी ____ 46
2.7.2. भारत को 'इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF)' की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया 47
2.7.3. सेंट मार्टिन आइलैंड ____ 47
2.7.4. कुर्स्क क्षेत्र ____ 48
2.7.5. शुद्धिपत्र ____ 48
3. अर्थव्यवस्था (Economy) ____ 49
3.1. कृषि क्षेत्रक के लिए नई योजनाएं ____ 49
3.1.1. डिजिटल कृषि मिशन ____ 51
3.1.2. भारत में पशुधन क्षेत्रक ____ 55
3.1.3. भारत में बागवानी क्षेत्रक ____ 57
3.2. नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम ____ 60
3.3. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना ____ 63
3.4. क्रिएटिव इकोनॉमी ____ 66
3.5. मॉडल कौशल ऋण योजना ____ 69
3.6. पारगमन उन्मुख विकास ____ 71
3.7. दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) और इंडेक्सेशन लाभ 75
3.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 77
3.8.1. संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि ____ 77
3.8.2. गैर-प्रशुल्क उपाय ____ 77
3.8.3. डेब्ट-फॉर-डेवलपमेंट स्वैप्स (डेब्ट स्वैप्स) ____ 78
3.8.4. विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा (WTSR), 2023 78
3.8.5. ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स (GET) फॉर यूथ 2024 78
3.8.6. बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 लोक सभा में पेश किया गया ____ 79
3.8.7. RBI ने सहकारी बैंकों के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के "प्रॉविजन" मानदंडों में संशोधन किया ____ 80
3.8.8. फ्रंट रनिंग ____ 81
3.8.9. व्हाइट कैटेगरी सेक्टर्स ____ 81
3.8.10. जलवायु अनुकूल और बायो-फ़ोर्टीफाइड फसलों की किस्में जारी ____ 81
3.8.11. खुला बाजार बिक्री योजना (OMSS) (घरेलू) ____ 82
3.8.12. समुद्री सिवार मूल्य श्रृंखला पर नीति आयोग की रिपोर्ट ____ 82
3.8.13. ग्रेन ATM ____ 83
3.8.14. जन पोषण केंद्र ____ 84
3.8.15. भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ____ 84
3.8.16. QCI सुराज्य रेकग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क ____ 85
3.8.17. भारत में लिथियम भंडार ____ 86
3.8.18. टैंटलम ____ 86
4. सुरक्षा (Security) ____ 88
4.1. भारत के परमाणु सिद्धांत के 25 वर्ष ____ 88
4.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 91
4.2.1. भारत ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट 'RHUMI-1' सफलतापूर्वक लॉन्च किया ____ 91

4.2.2. अस्त्र मार्क 1 मिसाइलें _______ 91
4.2.3. मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल _______ 92
4.2.4. गौरव _______ 92
4.2.5. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास _______ 92
5. पर्यावरण (Environment) _______ 94
5.1. आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 _______ 94
5.1.1 आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण हेतु प्रौद्योगिकी96
5.2. भारत में नवीकरणीय ऊर्जा _______ 99
5.3. समुद्री जल स्तर में वृद्धि _______ 101
5.4. नदी जोड़ो परियोजना _______ 104
5.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां _______ 107
5.5.1. जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना _______ 107
5.5.2. सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक _______ 107
5.5.3. विश्व बैंक ने “शिक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव” रिपोर्ट जारी की _______ 108
5.5.4. जलवायु वित्त कार्रवाई निधि _______ 109
5.5.5. EU नेचर रिस्टोरेशन लॉ _______ 109
5.5.6. एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन _______ 109
5.5.7. रामसर सूची में 3 और भारतीय आर्द्रभूमियां शामिल की गई _______ 110
5.5.8. "द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव्स 2024" रिपोर्ट _______ 111
5.5.9. मीथेनोट्रोफ्स _______ 111
5.5.10. सेरोपेगिया शिवरायियाना _______ 111
5.5.11. नीलकुरिंजी _______ 112
5.5.12. एशियाई आपदा तैयारी केंद्र _______ 112
5.5.13. एकीकृत अग्नि प्रबंधन (IFM) स्वैच्छिक दिशा-निर्देश अपडेट _______ 112
5.5.14. ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (GTTP) के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) लॉन्च की गई _______ 113
5.5.15. पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन फॉर सर्विसेज _______ 114
5.5.16. वायुमंडलीय नदियां _______ 114
5.5.17. हिंद महासागर की तीन संरचनाओं के नाम भारत के प्रस्ताव पर अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया _______ 115
5.5.18. वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की मेंटल परत से चट्टान का सैंपल प्राप्त किया _______ 116
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) _______ 118
6.1. स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा _______ 118
6.2. छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य _______ 120
6.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां _______ 123
6.3.1. यूनेस्को ने 'स्पोर्ट एंड जेंडर इक्वलिटी गेम प्लान' डॉक्यूमेंट जारी किया _______ 123
6.3.2. नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2024123
6.3.3. भारत में किशोर _______ 124
6.3.4. मॉडल फोस्टर केयर दिशा-निर्देश (MFCG), 2024125
6.3.5. बैगलेस डे _______ 126
6.3.6. जुआंग जनजाति के पर्यावास अधिकार _______ 126
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) _ 128
7.1. BioE3 नीति (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) _______ 128
7.2. राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस _______ 130
7.3. फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाइयां _______ 133
7.4. A1 और A2 दूध _______ 135
7.5. निर्देशित ऊर्जा हथियार _______ 137
7.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां _______ 139
7.6.1. इसरो ने भू-अवलोकन (Earth Observation) उपग्रह EOS-08 लॉन्च किया _______ 139
7.6.2. एक्सिओम मिशन 4 _______ 140
7.6.3. लद्दाख मार्स/ लूनर एनालॉग रिसर्च स्टेशन के लिए संभावित स्थल _______ 140
7.6.4. टेक्नोलॉजिकल डोपिंग _______ 141
7.6.5. एंटीमैटर _______ 141
7.6.6. थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर पॉवर स्टेशन _ 142
7.6.7. प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल ‘ISDRA2TNPB’ _ 142
7.6.8. WHO ने एम पॉक्स को PHEIC घोषित किया _ 143
7.6.9. डेंगू _______ 144
7.6.10. सेरो-सर्वेक्षण _______ 144
7.6.11. हेफ्लिक लिमिट _______ 144
7.6.12. बायोसर्फैक्टेंट्स _______ 144
8. संस्कृति (Culture) _______ 146
8.1. हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन _______ 146
8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां _______ 148
8.2.1. वीरता पुरस्कार _______ 148
8.2.2. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार _______ 148
8.2.3. त्रुटि सुधार _______ 148

 ©Vision IAS

9. नीतिशास्त्र (Ethics) ____ 150
9.1. भावनात्मक बुद्धिमत्ता ____ 150
9.2. सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स के समय में सामाजिक प्रभाव और अनुनय ____ 152
10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) ____ 156
10.1. एग्रीश्योर (स्टार्ट-अप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष) योजना ____ 156
10.2. प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम.-कुसुम) ____ 157
11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News) ____ 159
12. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व (Personalities in News) ____ 160

नोट:

प्रिय अभ्यर्थियों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना आर्टिकल्स को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

- विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
- पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे याद रखने के लिए प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए हम मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में स्मार्ट क्विज़ को शामिल करते हैं।
- विषय को आसानी से समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इंफोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।
- सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2025

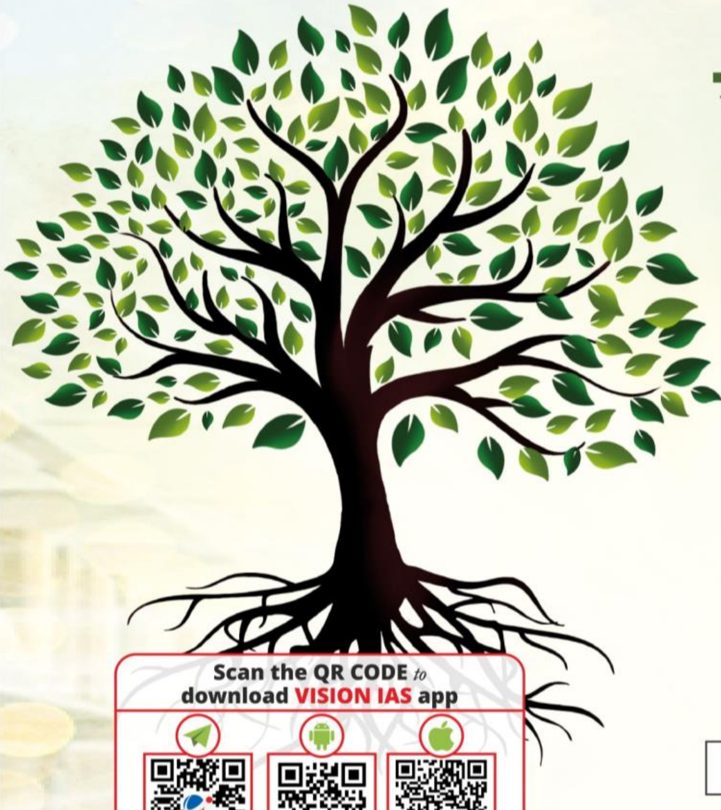

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन

- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

Scan the QR CODE *to* download **VISION IAS** app

DELHI: 23 सितंबर, **1 PM** | **22** अगस्त, **1 PM**

BHOPAL: 23 जुलाई

LUCKNOW: 18 जुलाई

JAIPUR: 5 सितंबर

JODHPUR: 11 जुलाई

CSAT
क्लासेस
2025

ऑफलाइन | ऑनलाइन

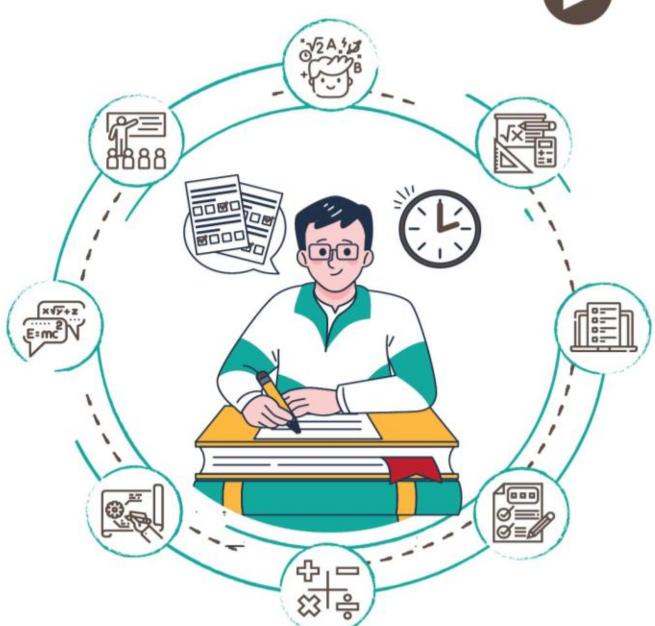

ENGLISH MEDIUM
25 SEPT, 5 PM

हिन्दी माध्यम
25 सितंबर, 5 PM

Scan the QR CODE *to* download **VISION IAS** app

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

1.1. अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण (Sub-Classification of Schedules Castes)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने **पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य वाद (2024)** में निर्णय दिया कि अनुसूचित जातियों का **उप-वर्गीकरण** भारत के संविधान के **अनुच्छेद 14, 15(4) और 16(4)** के तहत **स्वीकार्य** है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, राज्य SC समुदायों के भीतर **अधिक वंचित समूहों को अतिरिक्त कोटा (आरक्षण)** प्रदान करने हेतु अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण कर सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ मुख्य रूप से **निम्नलिखित दो पहलुओं पर विचार कर रही थी:**
  - क्या **आरक्षित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण** की अनुमति दी जानी चाहिए, और
  - **ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य वाद (2005) में दिए गए निर्णय के औचित्य पर।**
- गौरतलब है कि **ई.वी. चिन्नैया मामले** में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संविधान के **अनुच्छेद 341(1)** के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियां **सजातीय समूह के एक ही वर्ग से संबंधित हैं और उन्हें आगे उप-वर्गीकृत नहीं** किया जा सकता।
- इससे पहले, **2014 में दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ई.वी. चिन्नैया वाद (2004) में दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा** था।
  - 2020 में, सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि ई.वी. चिन्नैया मामले में दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। ध्यातव्य है कि इस मामले के तहत कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण पर रोक लगा दी थी।

प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 14**: राज्य, भारत में सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
- **अनुच्छेद 15(4)**: यह अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के किसी वर्ग या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।
- **अनुच्छेद 16(1)**: राज्य, सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या नियोजन/रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगा।
- **अनुच्छेद 16(4)**: यह अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार देता है, जिसका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **अनुच्छेद 341(1)**: भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ जातियों, मूलवंशों या जनजातियों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जातियों के रूप में नामित कर सकता है।
- **अनुच्छेद 341(2)**: संसद कानून बनाकर किसी भी जाति, मूलवंश या जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर सकती है या सूची से हटा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण अनुच्छेद 341(2) का उल्लंघन नहीं** करता है, क्योंकि उप-वर्गीकरण से न तो इस सूची किसी नए अनुसूचित जाति को शामिल किया जाता है और न ही इससे किसी को बाहर किया जाता है।
- **अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण का दायरा:**
  - उप-वर्गीकरण सहित इस तरह की किसी भी **सकारात्मक कार्रवाई** का मुख्य उद्देश्य पिछड़े श्रेणियों के लिए **अवसर की मौलिक समानता** प्रदान करना है।

- ▪ **मौलिक समानता (Substantive equality)** के सिद्धांत के अनुसार, कानून को व्यक्तियों या उनके समूहों की अलग-अलग पृष्ठभूमियों और ऐतिहासिक अन्यायों को ध्यान में रखना चाहिए।
  - राज्य (सरकार) कुछ जातियों के **अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर उप-वर्गीकरण** कर सकता है। हालांकि, राज्य को यह सिद्ध करना होगा कि **किसी जाति/ समूह के पिछड़ेपन के कारण ही उसका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है।**
  - राज्य को **"राज्य की सेवाओं" में कुछ जातियों के उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने के बारे में डेटा एकत्र** करना होगा।
- राज्य अपनी इच्छा या राजनीतिक लाभ के अनुसार कार्य नहीं कर सकता और **उसके निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन** होंगे।
- **राष्ट्रपति** द्वारा **आरक्षण हेतु अनुसूचित जाति समुदायों की जो सूची** तैयार की जाती है, राज्य उसमें मनमाने तरीके से हेरफेर कर अनुसूचित जातियों में विशेष जाति के पक्ष में **100% आरक्षण निर्धारित नहीं** कर सकता।
- संविधान के **अनुच्छेद 341(1) के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियां** अलग-अलग स्तरों पर पिछड़ेपन वाली जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के विजातीय समूह हैं।
- **सरकार द्वारा "क्रीमी लेयर सिद्धांत" को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक विस्तारित** करना चाहिए या नहीं इस पर 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में से चार न्यायाधीशों ने अपनी अलग राय दी।
  - हालांकि, **यह राय सरकार को क्रीमी लेयर अवधारणा को लागू करने के लिए निर्देश नहीं देती है,** क्योंकि यह मुद्दा इस मामले में सीधे तौर पर नहीं उठा था।

शब्दावली को जानें

➤ **क्रीमी लेयर**: इसका उपयोग **पिछड़े वर्ग के उन सदस्यों की पहचान** करने के लिए किया जाता है, जो तुलनात्मक रूप से आर्थिक तौर पर आगे हैं, **आर्थिक रूप से स्थिर हैं और अधिक शिक्षित** हैं। इसलिए, उन्हें OBCs हेतु सरकारी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। वे सरकार द्वारा प्रायोजित **शैक्षिक, रोजगार संबंधी और पेशेवर लाभों के लिए पात्र नहीं** होते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस (1975)
- यह **सुप्रीम कोर्ट का पहला निर्णय है, जिसमें 'क्रीमी लेयर' शब्द का उपयोग किया गया था।** इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने सचेत किया था कि आरक्षण का लाभ पिछड़ी जातियों के संपन्न व्यक्तियों द्वारा उठाया जा सकता है।

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992)
- सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि **सरकार को OBC के तहत 'क्रीमी लेयर' को आरक्षण के लाभों से बाहर रखना चाहिए।**

ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2004)
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राज्य द्वारा **SCs का उप–वर्गीकरण** संविधान के तहत दिए गए **"समानता के अधिकार" और अनुच्छेद 341 व 341(2) का उल्लंघन है।** संविधान का **अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को 'आरक्षण हेतु SC समुदायों की सूची बनाने'** की शक्ति देता है। **अनुच्छेद 341(2)** संसद को कानून द्वारा किसी भी जाति, मूलवंश या जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने या सूची से हटाने का अधिकार प्रदान करता है।

जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता (2018)
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि **क्रीमी लेयर की अवधारणा को अनुच्छेद 341 और 342 पर लागू करना 'आरक्षण हेतु SC समुदायों की सूची' के साथ छेड़छाड़ नहीं** करता है।

अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के पक्ष में तर्क	अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के खिलाफ तर्क
• **मौलिक समानता:** यह **सबसे निम्न स्तर पर रहने वालों को प्राथमिकता देने का दृष्टिकोण** है। इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाया जा सकेगा।	• **एकता और एकजुटता:** इससे अनुसूचित जाति समुदाय में विभाजन हो सकता है, जिससे उनकी सामूहिक आवाज और सौदेबाजी की शक्ति कमजोर हो सकती है।

 ©Vision IAS

• **गवर्नेंस:** उप-वर्गीकरण से विविध और प्रभावी शासन सुनिश्चित होगा।
• **विजातीय समूह (Heterogeneous groups):** अनुसूचित जातियों की श्रेणी के भीतर सबसे वंचित समूहों और उनके संघर्षों तथा उनके साथ अलग-अलग स्तरों पर होने वाले भेदभाव को देखते हुए उनका उप-वर्गीकरण जरूरी है।
• **विधान-मंडलों की विधायी क्षमता: अनुच्छेद 341** राष्ट्रपति को किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में नामित करने का अधिकार देता है। हालांकि, नामित करने के बाद **अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत** निहित मौलिक अधिकारों के आलोक में **अनुच्छेद 246 के तहत राज्य की विधायी क्षमता का इस्तेमाल होने लगता** है।
  ○ **अनुच्छेद 246** संसद और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय-वस्तु से संबंधित है।
	• **अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का उद्देश्य:** आरक्षण ऐतिहासिक अन्याय के लिए क्षतिपूर्ति है, यह आर्थिक कल्याण के लिए नहीं है।
	• **आर्थिक गतिशीलता से जातिगत भेदभाव का कलंक शायद मिट न पाए:** उदाहरण के लिए- **ऑक्सफैम की इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट, 2022** ऋण तक पहुंच में जाति-आधारित भेदभाव को उजागर करती है।
	• **डेटा संबंधी सीमाएं:** कई जातीय समूहों के विश्वसनीय और व्यापक स्तर पर जाति आधारित जनगणना डेटा का अभाव है।
	  ○ **सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC), 2011** को यह कहते हुए सार्वजनिक करने से मना कर दिया गया है कि संपूर्ण डेटासेट त्रुटिपूर्ण है तथा जनगणना अविश्वसनीय है।
	• **दुरुपयोग की संभावना:** राज्यों में सत्ताधारी दलों द्वारा वोट बैंक को बढ़ाने के लिए **"संभावित राजनीतिक फेरबदल"** की आशंका रहेगी।

निष्कर्ष

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, नीति-निर्माताओं के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अनुसूचित जाति समुदाय के प्रतिनिधियों, कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक वैज्ञानिकों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक वार्ता करें। इस संबंध में, सरकार जी. रोहिणी आयोग (OBCs के उप-वर्गीकरण के लिए गठित) की तर्ज पर एक आयोग का गठन कर सकती है। इस आयोग का उद्देश्य ऐसा समाधान खोजना हो सकता है, जो समग्र रूप से अनुसूचित जाति समुदाय की एकता और सामूहिक प्रगति को संरक्षित करते हुए इस समुदाय के भीतर असमानताओं को दूर करे।

1.2. केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme: CSS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, व्यय संबंधी सुधारों के भाग के रूप में **नीति आयोग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) में सुधार की प्रक्रिया** शुरू की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- नीति आयोग के **विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO)**[1] ने भारत सरकार की सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSSs) के मूल्यांकन की प्रक्रिया आरंभ की है। DMEO ने **9 प्रमुख क्षेत्रकों में CSS के मूल्यांकन में सहायता हेतु परामर्शदाता फर्मों को शामिल** करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।
  - **ये 9 क्षेत्रक हैं:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रक; महिला एवं बाल विकास क्षेत्रक; शिक्षा क्षेत्रक; शहरी कायाकल्प व कौशल विकास क्षेत्रक; ग्रामीण विकास क्षेत्रक; पेयजल और स्वच्छता क्षेत्रक; स्वास्थ्य क्षेत्रक; जल संसाधन, पर्यावरण और वन क्षेत्रक; तथा सामाजिक समावेशन, कानून एवं व्यवस्था और न्याय प्रदायगी क्षेत्र।

क्या आप जानते हैं?

"केंद्रीय क्षेत्रक की योजनाएं" सीधे **केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित और वित्त–पोषित** की जाती हैं।

- वर्तमान में, **केंद्रीय क्षेत्रक की 676 योजनाएं** हैं, जिनका **वित्त वर्ष 2024–25 के लिए कुल वित्तीय आवंटन लगभग 15 लाख करोड़ रुपये** है।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSSs) के बारे में

- **परिभाषा:** CSSs ऐसी योजनाएं हैं, जिन्हें **केंद्र और राज्य द्वारा 'संयुक्त रूप से वित्त-पोषित'** किया जाता है। इन्हें संविधान की **राज्य सूची व समवर्ती सूची में आने वाले क्षेत्रकों में राज्यों की सहायता से कार्यान्वित** किया जाता है।
- **विशेषताएं:** CSSs का वर्तमान ढांचा **CSS के युक्तिकरण पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की रिपोर्ट**[2] **(2015)** पर आधारित है।

[1] Development Monitoring and Evaluation Office

[2] Sub-Group of Chief Minsters on Rationalisation of CSSs

- **फोकस:** CSS का फोकस उन योजनाओं पर रहता है, जिन्हें **विज़न 2022** को साकार करने के लिए **राष्ट्रीय विकास एजेंडा** में शामिल किया गया है। इसके तहत केंद्र और राज्यों को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता होती है।
- **वर्तमान स्थिति:** वर्तमान में **75 केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSSs) चल रही हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों** में वर्गीकृत किया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार, मौजूदा समय में केंद्र सरकार अपने **कुल बजटीय व्यय का लगभग 10.4% वर्तमान में चल रही 75 CSSs** पर खर्च करती है।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के प्रकार

कोर योजनाएं	कोर ऑफ द कोर योजनाएं	वैकल्पिक योजनाएं
• ये **योजनाएं राष्ट्रीय विकास एजेंडा (NDA)** में शामिल होती हैं। • **उदाहरण:** हरित क्रांति, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), स्वच्छ भारत मिशन (SBM), आदि।	• इसके तहत **सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक समावेशन** के लिए **6 योजनाएं** शामिल हैं। **राष्ट्रीय विकास एजेंडा (NDA)** के लिए उपलब्ध निधियों में इनका स्थान पहले आता है। • **उदाहरण:** मनरेगा; राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम; अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, दिव्यांग जनों तथा अन्य कमजोर समूहों के विकास के लिए 3 अम्ब्रेला योजनाएं; अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम; आदि।	• राज्यों को यह **चयन करने की स्वतंत्रता** होती है कि वे किस योजना को लागू करना चाहते हैं। इनके लिए केंद्रीय **वित्त मंत्रालय** द्वारा फंड आवंटित किया जाता है। • **उदाहरण:** सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, आदि।

- **वित्त-पोषण:** राज्यों को CSSs के लिए सभी हस्तांतरण **राज्य की संचित निधि** के माध्यम से किए जाते हैं। इसका अर्थ है यह कि धनराशि सीधे राज्य के प्राथमिक सरकारी खाते में जमा की जाती है।
  - 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों और 2017 से योजना व गैर-योजना भेद को समाप्त करने के बाद, CSSs तथा केंद्रीय क्षेत्रक की योजनाएं (CSs)[3] **संघ द्वारा राज्यों को विशेष उद्देश्य हेतु फंड ट्रांसफर का प्राथमिक साधन** बन गई हैं।
- **'कोर' योजनाओं के लिए वित्त-पोषण का ढांचा:**
  - **8 पूर्वोत्तर राज्य और 3 हिमालयी राज्य:** योजना के वित्त-पोषण में केंद्र व राज्यों की हिस्सेदारी **90:10** के अनुपात में तय की गई है ।
  - **अन्य राज्य:** योजना के वित्त-पोषण में केंद्र व राज्यों की हिस्सेदारी **60:40** के अनुपात में तय की गई है।
  - **केंद्र शासित प्रदेश:** जिन केंद्र शासित प्रदेशों में **विधान सभा नहीं** है, वहां **100%** वित्त-पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- **निगरानी:** संघ एवं राज्यों के साथ-साथ **नीति आयोग** को भी CSSs की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है और वह **थर्ड पार्टी मूल्यांकन** की देखरेख भी करता है।

CSS का औचित्य

- **समनुषंगिता या सहायकता का सिद्धांत (Principle of Subsidiarity):** इस सिद्धांत के अनुसार, सभी कार्य शासन के निचले स्तर पर नागरिकों की निकटतम सरकार द्वारा किए जाने चाहिए। उन्हें ऊपरी स्तर पर केवल तभी पूरा किया जाना चाहिए, जब स्थानीय सरकार कार्य करने में असमर्थ हो। इसमें पदानुक्रम पर विशेष बल दिया जाता है।
- **राज्यों में बुनियादी सेवाओं की समानता:** उदाहरण के लिए- स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं की समानता सुनिश्चित करती हैं।
- **मेरिट गुड्स को प्राथमिकता देना:** इससे सब्सिडी वाले आवास या सामाजिक सेवाओं (जिनसे मुख्य रूप से गरीबों की मदद होती है) या स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं जैसी मदों पर सरकारी संसाधनों का खर्च सुनिश्चित होता है।
  - **मेरिट गुड्स:** ऐसी वस्तुएं या सेवाएं जिन्हें सरकार जनहित में आवश्यक मानती है, जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक परिवहन आदि।
- **राज्य के नीति-निदेशक तत्व:** ये सभी स्तरों पर सरकारों का मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही, इनसे कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रयासों के लिए संवैधानिक जिम्मेदारी प्राप्त हुई है, जैसे- **असमानता को दूर करना (अनुच्छेद 38), शिक्षा (अनुच्छेद 45), कमजोर वर्गों का कल्याण (अनुच्छेद 46) तथा लोक स्वास्थ्य (अनुच्छेद 47)।**

[3] Central Sector schemes

CSS के मौजूदा ढांचे से संबंधित समस्याएं/ मुद्दे

- **संसाधन वितरण संबंधी मुद्दे:** वित्त वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान से पता चलता है कि **कुल वित्त-पोषण का 91.14% भाग 15 योजनाओं** को प्राप्त हुआ। यहां तक कि 'अम्ब्रेला' योजनाओं के तहत आने वाली कई उप-योजनाओं को बहुत कम वित्त-पोषण प्राप्त हुआ है।
  - ग्रीन रिवोल्यूशन CSS के तहत **18 अलग-अलग उप-योजनाएं** शामिल हैं। इनमें **वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास एवं जलवायु परिवर्तन**[4] उप-योजना के लिए 180 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि **राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना**[5] के लिए 34 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- **योजनाओं की अधिक संख्या: किसी योजना के अनेक लघु उप-घटक** होने या अधिक संख्या में लघु योजनाओं के कारण **प्रयासों में दोहराव** होता है। इसके चलते संसाधनों का आवंटन भी कम होता है।
- **संघ सूची में सूचीबद्ध मदों के लिए कम राजकोषीय आवंटन**[6]**:** राज्य सूची में सूचीबद्ध मदों पर संघ का व्यय काफी बढ़ गया है, इसलिए संघ सूची में शामिल मदों के लिए राजकोषीय आवंटन में कमी हो गई है।
  - उदाहरण के लिए- राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के अनुसार, रक्षा व्यय 2011-12 के सकल घरेलू उत्पाद के 2% से घटकर 2019-20 में 1.5% हो गया था।
- **'वन साइज फिट्स ऑल' का दृष्टिकोण:** CSS की रूपरेखा केंद्रीय मंत्रालय द्वारा परिभाषित की जाती है। इस वजह से राज्यों के भीतर और राज्यों के बीच मतभेदों का समाधान करना मुश्किल हो जाता है।
- **कुछ राज्यों में योजना संबंधी कम निवेश होना:** केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यों को उसके निर्धारित अनुपात में योगदान करने की आवश्यकता होती है। इसके कारण उन राज्यों में निवेश कम हो जाता है, जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है।
  - इसके अलावा, कम GSDP[7] वाले राज्य श्रम बल, कौशल, तकनीकी विशेषज्ञता में अपर्याप्त क्षमता तथा कमजोर गवर्नेंस के कारण केंद्र की ओर से जारी फंड्स का निश्चित समय में उपयोग करने में असमर्थ होते हैं।
- **बेहतर निगरानी का अभाव:** वर्तमान में, CSSs परिणामों यानी आउटकम्स की बजाय प्रक्रियाओं (क्या और कैसे करना है) पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। यह निगरानी वास्तविक आउटकम्स पर आधारित होने की बजाय इनपुट पर आधारित होती है।

आगे की राह

- **वित्त-पोषण को प्राथमिकता देना:** 15वें वित्त आयोग के अनुसार, उन CSSs और उनके उप-घटकों के लिए धीरे-धीरे वित्त-पोषण बंद करना चाहिए, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है या जिनका बजटीय व्यय बहुत कम है या जो राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुरूप नहीं है।
- **वित्त-पोषण की आरंभिक सीमा:** अरविंद वर्मा समिति ने 2005 में कहा था कि किसी नई CSS को तभी शुरू किया जाना चाहिए, जब वार्षिक व्यय 300 करोड़ रुपये से अधिक हो।
  - मौजूदा लघु योजनाओं के लिए, वित्त-पोषण को सामान्य केंद्रीय सहायता के रूप में राज्यों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
- **मुद्रास्फीति सूचकांक आधारित वित्त-पोषण:** योजनाओं के कुछ घटकों के वित्तीय मानदंडों जैसे मिड डे मील या पी.एम.-पोषण जैसी योजनाओं में खाना पकाने की लागत को थोक मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए और उसे प्रत्येक 2 साल में संशोधित किया जाना चाहिए।
- **बेहतर गवर्नेंस:** 15वें वित्त आयोग के अनुसार:
  - CSSs के वित्त-पोषण के पैटर्न को पारदर्शी तरीके से पहले से तय किया जाना चाहिए और उसे स्थिर रखा जाना चाहिए।
  - वित्तपोषण उन द्विपक्षीय रूप से सहमति प्राप्त 'समझौतों' के आधार पर प्रदान किया जा सकता है जो **विशिष्ट उद्देश्यों** (उदाहरण के लिए, सेवा वितरण परिणामों या विशेष परिणामों) से संबंधित हों, न कि विस्तृत कार्यान्वयन योजनाओं पर आधारित हों।
    - इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए, केंद्र सरकार **डेटा सिस्टम, निगरानी और मूल्यांकन तथा पारदर्शिता को बढ़ाने वाली** पहलों में सहयोग कर सकती है।
  - **निगरानी संबंधी सूचना का प्रवाह नियमित होना चाहिए।** साथ ही, इसमें वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के नियमित विवरणों के अलावा, **आउटपुट व आउटकम संकेतकों पर विश्वसनीय जानकारी** भी शामिल होनी चाहिए।

---

[4] Rainfed Area Development and Climate Change Sub-scheme

[5] National project on Agro-Forestry

[6] Less fiscal space for items in Union List

[7] Gross State Domestic Product / सकल राज्य घरेलू उत्पाद

1.3. सुशासन में नागरिकों की भागीदारी (Citizen Participation Towards Good Governance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

MyGov प्लेटफॉर्म को शुरू हुए 10 साल पूरे हो गए हैं। इस प्लेटफॉर्म को **जुलाई, 2014** में शुरू किया गया था।

MyGov प्लेटफॉर्म के बारे में

- इस प्लेटफॉर्म को 2014 में भारत के प्रधान मंत्री ने शुरू किया था। MyGov वस्तुतः **नागरिकों की भागीदारी हेतु एक प्लेटफॉर्म है, जो नीति निर्माण में नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित** करने के लिए कई सरकारी निकायों/ मंत्रालयों के साथ सहयोग करता है। साथ ही, यह प्लेटफॉर्म जनहित तथा लोक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर **लोगों की राय भी प्राप्त** करता है।
- संक्षेप में, यह **लोगों को सरकार के साथ जुड़ने तथा सुशासन में भागीदारी करने में सक्षम** बनाता है।
- 2014 से, यह **4.72 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं** के साथ एक मजबूत प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुआ है, जिन्हें **MyGov साथी** के रूप में जाना जाता है।
- **MyGov के तहत शुरू किए गए प्रमुख अभियान:**
  - **LiFE[8] अभियान:** यह जन समुदाय को **पर्यावरणीय क्षरण** और **जलवायु परिवर्तन** के प्रभाव से निपटने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही, यह वैश्विक चुनौतियों से निपटने हेतु व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रयासों के व्यापक प्रभाव पर जोर देता है।
  - **स्टे सेफ ऑनलाइन:** यह अभियान **भारत की G-20 समूह की अध्यक्षता के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य **ऑनलाइन जोखिमों, सुरक्षा उपायों और साइबर स्वच्छता के बारे में नागरिकों (विशेष रूप से दिव्यांगजनों) को शिक्षित** करना है, ताकि समग्र साइबर सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।
  - **स्वच्छ भारत सर्वेक्षण:** यह कार्यक्रम इंटरैक्टिव गतिविधियों और सोशल मीडिया जुड़ाव के जरिए, एक स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के निर्माण में सक्रिय लोक भागीदारी को बढ़ावा देता है।
  - **मिलेट्स-सुपरफूड:** इसका उद्देश्य मिलेट्स के पोषण संबंधी लाभों को उजागर करना तथा जीवन-शैली संबंधी बीमारियों को रोकने में उनकी भूमिका को समझना है।

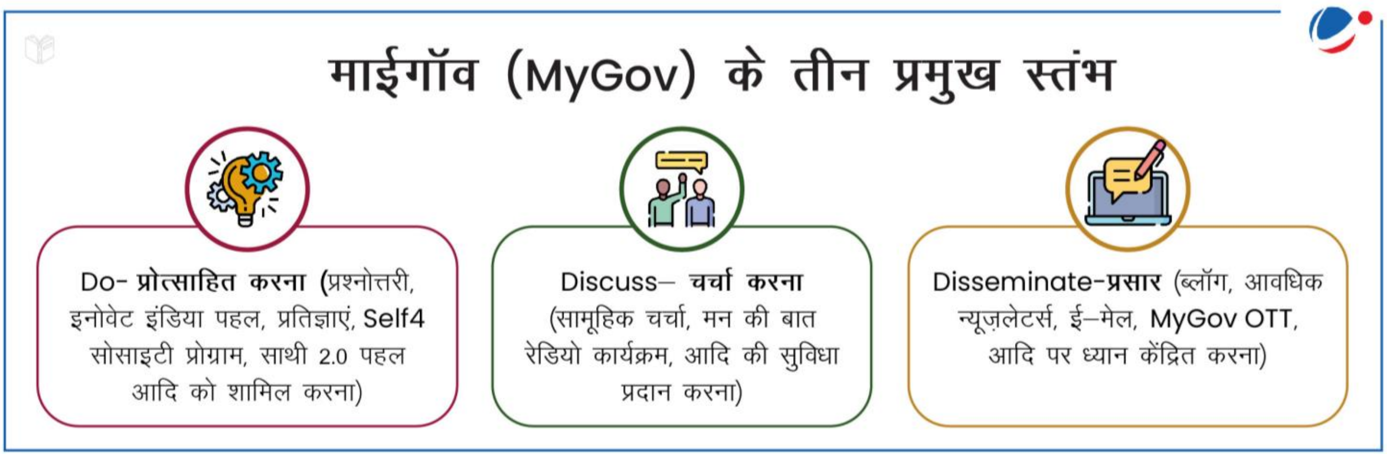

नागरिक भागीदारी सुशासन में कैसे मदद करती है?

- **जवाबदेही और पारदर्शिता:** नागरिक फीडबैक देकर, समास्याओं की रिपोर्टिंग करके और कार्रवाई की मांग करके सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराते हैं। इससे सरकारी निर्णयों में **पारदर्शिता और खुलेपन को बढ़ावा** मिलता है।
  - उदाहरण के लिए- **सूचना का अधिकार (RTI),** नागरिकों को सरकारी अधिकारियों और एजेंसियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने हेतु **जानकारी प्रदान करके उन्हें सशक्त** बनाता है।

---

[8] Lifestyle for Environment/ पर्यावरण के लिए जीवन-शैली

- **सेवा वितरण:** नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी के जरिए **नागरिक यह सुनिश्चित करते हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी ज़रूरतों और हितों को ध्यान में रखा** जाए, जिससे **सार्वजनिक सेवाओं और नीतियों के परिणामों के वितरण में वृद्धि हो।**
    - उदाहरण के लिए- **दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिकों** के मूल्यांकन में सामुदायिक भागीदारी ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार किया है।
- **समावेशिता को बढ़ावा मिलता है:** शासन-व्यवस्था में नागरिकों को शामिल करने से **उनमें अपनेपन की भावना विकसित** होती है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि हाशिए पर रहे समूहों सहित विविध समुदाय सरकार के समक्ष अपना मत प्रकट कर सकते हैं। इससे समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है।
    - उदाहरण के लिए- **MGNREGA, सामाजिक लेखा परीक्षा** आदि गरीबों और हाशिए पर रहे लोगों को प्राथमिकता देने में मदद करती है।
- **विश्वास निर्माण:** कार्यक्रमों में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से **सरकारी संस्थानों में लोगों का विश्वास** बढ़ता है, **लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूती** मिलती है तथा राज्य और समाज के बीच सहयोगपूर्ण संबंधों को बढ़ावा मिलता है।
    - उदाहरण के लिए- **ग्राम सभाएं जमीनी स्तर पर सामुदायिक विश्वास को बढ़ावा** देती हैं।
- **नवाचार:** नागरिक भागीदारी, शासन संरचना को मजबूत करने वाली पहलों में योगदान करने के लिए **नए दृष्टिकोण, नवीन विचार** और **समाधान** दे सकती है।
    - उदाहरण के लिए- मैसूरु स्थित फर्म को पर्यावरण के अनुकूल इंटरलॉक टाइल या पेवर्स बनाने के लिए **प्लास्टिक कचरे का उपयोग करने के उनके अभिनव समाधान हेतु पेटेंट** प्रदान किया गया है। ये टाइल्स सीमेंट से भी अधिक मजबूत हैं।

सुशासन में नागरिक भागीदारी बढ़ाने से जुड़ी चुनौतियां

- **प्रतिबद्धता की कमी:** नीति निर्माण में भागीदारी के लिए **समय और संसाधनों की आवश्यकता** होती है, जो **अक्सर सीमित** होते हैं। इससे नागरिकों की निरंतर भागीदारी बाधित होती है।
- **सीमित भागीदारी:** कई नागरिकों में **सरकारी प्रक्रियाओं, कानूनों और उनके अधिकारों के बारे में आवश्यक ज्ञान एवं समझ की कमी** है, जो उनकी प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती है।
    - इसके अलावा, **जटिल प्रक्रियाएं और लालफीताशाही** नागरिकों के लिए भागीदारी करना मुश्किल बना सकती हैं।
- **प्रशासनिक चुनौतियां:** सरकारों में बड़े पैमाने पर **भागीदारी को प्रबंधित करने की क्षमता की कमी** हो सकती है। उदाहरण के लिए- नागरिकों से प्राप्त फीडबैक को प्रोसेस करने, कार्यक्रम आयोजित करने आदि के लिए प्रबंधन स्तर पर विफलता हो सकती है। इससे नागरिक सहभागिता प्रभावित हो सकती है।
- **सरकार पर विश्वास की कमी: अधूरे वादों, कथित भ्रष्टाचार के मामलों, भाई-भतीजावाद और विकास संबंधी प्राथमिकताओं पर समुदाय के इनपुट पर विचार करने में विफलता** के कारण सरकार में जनता का विश्वास अक्सर कम होता है, जिससे जनता की भागीदारी बाधित होती है।
- **सामाजिक कारक:** सामाजिक-आर्थिक असमानताएं, रूढ़िवादी सांस्कृतिक मानदंड और पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण महिलाओं एवं हाशिए के समूहों को गवर्नेंस में समान रूप से भाग लेने और निर्णय लेने के अवसर नहीं मिल पाते हैं।

सुशासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई पहलें

- **स्वच्छ भारत मिशन:** यह एक जन आंदोलन बन गया है। इसमें नागरिकों ने सफाई व स्वच्छता को बढ़ावा देने और स्वच्छता का संदेश फैलाने में सक्रिय रूप से भाग लिया है।
- **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन:** इसने गंगा नदी को साफ करने और संरक्षित करने के लिए लोगों में जिम्मेदारी एवं जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देने हेतु व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए हैं।
- **डिजिटल इंडिया:** इसका उद्देश्य नागरिकों को अधिक आसानी से सेवाओं का लाभ उठाने; सरकार के साथ सुविधाजनक तरीके से जुड़ने; और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने में सशक्त बनाना तथा नागरिकों के जीवन में सुधार लाना है।
- **73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम:** इन अधिनियमों ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत की है और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की है। साथ ही, स्थानीय शासन में महिलाओं सहित हाशिए पर रहने वाले विविध वर्गों को शामिल किया है।
- **नागरिक चार्टर:** इसका उद्देश्य नागरिकों और प्रशासन के बीच एक सेतु बनाना तथा नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप प्रशासन को सुव्यवस्थित करना है।

आगे की राह

- **सुगमता:** सरकारी डेटा को **व्यवस्थित और सुलभ प्रारूप में जारी** किया जाना चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों तक सरकारी सूचनाओं की आसान पहुंच हो। उदाहरण के लिए- पारदर्शिता बढ़ाने हेतु RTI अधिनियम को मजबूत बनाना।
- **जागरूकता:** स्कूली पाठ्यक्रम में **शासन-व्यवस्था और नागरिक शिक्षा** को शामिल करना चाहिए। नागरिकों को उनके अधिकारों, उनकी भागीदारी के महत्त्व और शासन प्रक्रियाओं में प्रभावी ढंग से भाग लेने के तरीकों के बारे में **शिक्षित करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।**
- **डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म:** डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करना चाहिए और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए। इससे नागरिक सहभागिता बढ़ाने के लिए नागरिकों को जानकारी तक सुगम पहुंच प्राप्त हो सकेगी और वे आसानी से फीडबैक प्रदान कर सकेंगे।
- **समावेशी नीति-निर्माण:** शासन प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए नियमित सार्वजनिक परामर्श, प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर जन-भागीदारी और विविध समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। जैसे- **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में सार्वजनिक जन-भागीदारी घटक को मजबूत** करना आदि।
- **शिकायत निवारण:** शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत और सुव्यवस्थित करना चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि **शासन प्रणाली में विश्वास बनाने के लिए नागरिक शिकायतों का तुरंत समाधान** किया जाए। इसके अलावा, नीतियों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए फीडबैक प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।

1.4. सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री (Lateral Entry in Civil Services)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार में सचिव और संयुक्त सचिव के **45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिये भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा जारी विज्ञापन को वापस** ले लिया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- लेटरल एंट्री के लिए जारी किए गए विज्ञापन को आलोचनाओं के कारण वापस ले लिया गया है। इस आलोचना का कारण यह है कि ऐसी भर्ती में **अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के उम्मीदवारों के लिए कोई आरक्षण नहीं** होता है।
- **नवंबर, 2018 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा UPSC को लिखे गए पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि-**
  - इन पदों को भरने की वर्तमान व्यवस्था को **प्रतिनियुक्ति** के रूप में माना जा सकता है, जहां **SCs/ STs/ OBCs के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करना अनिवार्य नहीं** है।
  - हालांकि, **यदि यथोचित योग्य SCs/ STs/ OBCs उम्मीदवार पात्र हैं,** तो उन पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही, समग्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए **समान स्थिति वाले मामलों में ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता** दी जानी चाहिए।

लेटरल एंट्री में आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है?

- सार्वजनिक नौकरियों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण को **"13-पॉइंट रोस्टर"** के माध्यम से लागू किया जाता है।
- इस फॉर्मूले के अनुसार, **3 रिक्तियों की तक की भर्ती पर कोई आरक्षण लागू नहीं होता है।**
- भर्ती के लिए जारी हालिया विज्ञापन में, UPSC ने 45 रिक्तियों का विज्ञापन जारी किया था।
  - यदि इन रिक्तियों को **एक ही समूह** के रूप में माना जाता है, तो **13-पॉइंट रोस्टर के अनुसार, 6 रिक्तियां SC उम्मीदवारों के लिए, 3 रिक्तियां ST उम्मीदवारों के लिए, 12 रिक्तियां OBC उम्मीदवारों के लिए तथा 4 रिक्तियां EWS श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित** होंगी।
  - लेकिन, चूंकि **ये रिक्तियां प्रत्येक विभाग के लिए अलग-अलग विज्ञापित** की गई हैं, इसलिए ये सभी प्रभावी रूप से एकल-पद की रिक्तियां हैं और इस कारण इन पर **आरक्षण लागू नहीं** होता है।
    - **एकल-पद कैडर में आरक्षण लागू नहीं** होता है। चूंकि, लेटरल एंट्री के तहत भरा जाने वाला प्रत्येक पद एकल-पद है, इसलिए आरक्षण लागू नहीं होता है।
    - **अखिलेश कुमार सिंह बनाम राम दवन एवं अन्य वाद (2015)** में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि एकल-पद कैडर में आरक्षण **100% आरक्षण के बराबर होगा और इसलिए यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(4) का उल्लंघन** करता है।

लेटरल एंट्री के बारे में

- इसके माध्यम से सरकारी मंत्रालयों/ विभागों में **मध्य और वरिष्ठ स्तर के पदों** पर नियुक्ति के लिए पारंपरिक सरकारी सेवा संवर्गों के बाहर से व्यक्तियों की भर्ती की जाती है।
- यह उस **पारंपरिक भर्ती प्रक्रिया** से अलग है, जिसमें UPSC द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से **योग्यता** के आधार पर पदों को भरा जाता है।
- यह **सलाहकारी भूमिकाओं के लिए निजी क्षेत्रक के पेशेवरों की नियुक्ति करने से अलग** है।
    - उदाहरण के लिए- **भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार** की नियुक्ति, जो आमतौर पर एक प्रमुख अर्थशास्त्री होता है।
- यह **3 से 5 साल तक की अवधि के लिए की गई संविदात्मक भर्ती** है, जिसमें प्रदर्शन के आधार पर कार्यकाल का विस्तार किया जा सकता है।
- **ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम** जैसे देशों में डायरेक्ट एंट्री (परीक्षा के माध्यम से) और लेटरल एंट्री, दोनों तरीकों को अपनाया गया है।

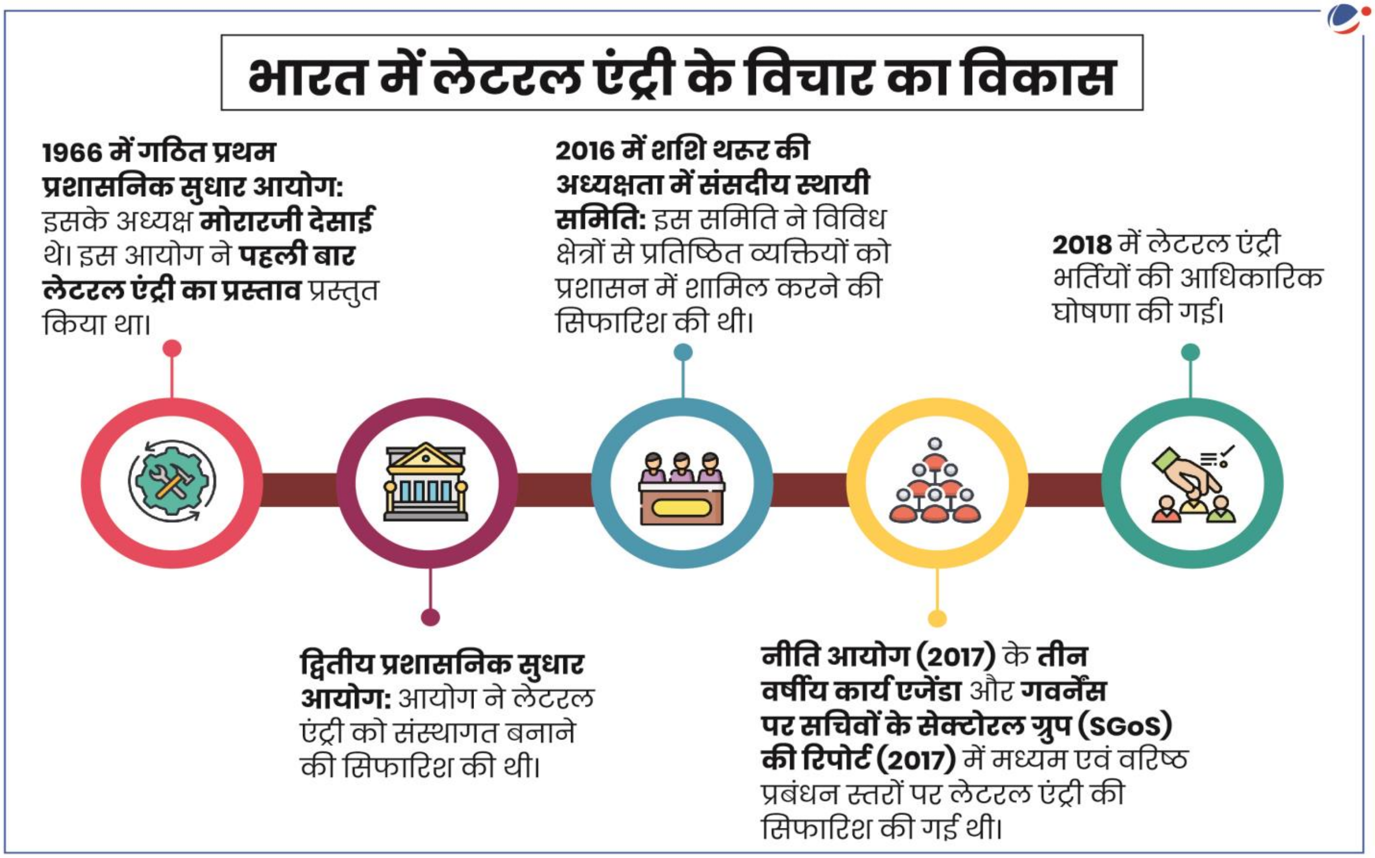

लेटरल एंट्री प्रणाली के लाभ

- **अधिकारियों की कमी को दूर करना:** DoPT की 2023-24 की अनुदान मांगों पर जारी रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के स्तर पर केवल **442 IAS अधिकारी काम** कर रहे हैं, जबकि इनकी **आवश्यक संख्या 1,469 है।**
    - **बसवान समिति (2016)** ने भी अधिकारियों की कमी को देखते हुए लेटरल एंट्री का समर्थन किया था।
- **कार्यकुशलता और प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि:** नीति आयोग के अनुसार, लेटरल एंट्री **"स्थापित करियर आधारित नौकरशाही में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है।"**
- **विशिष्ट विषयों के विशेषज्ञों को शामिल करना:** अर्थशास्त्र, वित्त, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टोकरेंसी जैसी तकनीकों में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को काम पर रखने से सार्वजनिक नीतियों में एक नया दृष्टिकोण आ सकता है।
- **विभागीय आवश्यकताओं को पूरा करना:** कुछ मंत्रालयों/ विभागों को नागर विमानन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर निजी क्षेत्रक के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

लेटरल एंट्री से जुड़े मुद्दे

- **अल्पकालिक फोकस:** 3 से 5 साल के लिए नियुक्तियां अल्पकालिक नीतिगत लक्ष्यों को जन्म दे सकती हैं, जिनमें दीर्घकालिक विज़न का अभाव होता है।
- **संवैधानिक प्रावधानों के साथ टकराव:** आरक्षण की नीति के दायरे से बाहर होने वाली भर्ती **सामाजिक न्याय और समानता** के उद्देश्य को प्रभावित करती है।
- **हितों का टकराव:** निजी क्षेत्रक के व्यक्ति लाभ के लिए सरकारी निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। इससे **"रिवोल्विंग डोर" गवर्नेंस** के जोखिम को बढ़ावा मिल सकता है।
    - **रिवोल्विंग डोर गवर्नेंस** का आशय है लोक अधिकारियों का सार्वजनिक सेवा के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लॉबिंग की भूमिका निभाना, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा गया है।
- **जवाबदेही से जुड़ी चिंताएं:** निजी क्षेत्रक से नियुक्त अधिकारियों को उनके छोटे कार्यकाल के कारण जवाबदेह ठहराना मुश्किल होगा।
- **जमीनी स्तर के अनुभव की कमी:** प्रशासनिक नियमों के लिए विविध अनुभवों की आवश्यकता होती है, न कि केवल विशिष्ट कौशल की। साथ ही, उनके लिए स्थानीय गतिशीलता को समझना भी महत्वपूर्ण होता है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** चयन प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप से भाई-भतीजावाद और पक्षपात की संभावना उत्पन्न हो सकती है।

आगे की राह

निम्नलिखित कदमों को अपनाते हुए लेटरल एंट्री की प्रक्रिया में सुधार करके रिक्तियों की कमी को दूर किया जा सकता है। साथ ही, इससे अधिकारियों की क्षमता और योग्यता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।

- **लोक प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना:** यह सिविल सेवा से जुड़ने के आकांक्षी लोगों का एक बड़ा समूह तैयार कर सकता है। साथ ही, यह सेवारत नौकरशाहों को देश की अर्थव्यवस्था व अलग-अलग क्षेत्रकों से संबंधित विशेषज्ञता हासिल करने तथा बेहतर प्रबंधकीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है।
- **निजी क्षेत्रक में प्रतिनियुक्ति:** निजी क्षेत्रक में IAS और IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से डोमेन आधारित विशेषज्ञता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सकती है।
- **प्रत्येक विभाग के लिए लक्ष्य निर्धारण और ट्रैकिंग को संस्थागत बनाना:** प्रत्येक मंत्रालय और सरकारी एजेंसी को स्पष्ट समय-सीमा के साथ परिणाम-आधारित लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।
    - अधिकारियों की भूमिका में एकरूपता लाने के लिए, क्षमता निर्माण आयोग और मिशन कर्मयोगी का उपयोग करके मिड-करियर ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं।
- **सिविल सेवाओं में करियर प्रबंधन को बढ़ावा देना:** सिविल सेवकों को **शुरुआती वर्षों में विविध क्षेत्रकों में ज्ञान प्राप्त** करने तथा उसके बाद उनकी रुचियों वाले विशिष्ट डोमेन में विशेषज्ञता प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
    - इसके अलावा, उनकी रुचि के क्षेत्र में उनके द्वारा अधिक विशेषज्ञता हासिल करने के लिए उन्हें **अध्ययन अवकाश** भी प्रदान किया जाना चाहिए।
- **दो-स्तरीय प्रवेश प्रक्रिया:** पूर्व RBI गवर्नर डी. सुब्बाराव ने IAS में दो-स्तरीय प्रवेश प्रक्रिया की सिफारिश की थी, पहले सामान्य रूप से 25-30 वर्ष की आयु वर्ग के लिए और उसके बाद लेटरल एंट्री के जरिए 37-42 वर्ष के आयु वर्ग के लिए।
    - इस तरह की मध्य-स्तरीय भर्ती से विविध क्षेत्रकों से विशेषज्ञों को सिविल सेवाओं में शामिल किया जा सकता है।

1.5. सरोगेट विज्ञापन (Surrogate Advertisements)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने **भारतीय खेल प्राधिकरण और BCCI** से आग्रह किया है कि **वे खिलाड़ियों को तंबाकू या शराब के सरोगेट उत्पादों का विज्ञापन करने से रोकें।**

अन्य संबंधित तथ्य

- इसके अलावा, मंत्रालय ने **निम्नलिखित उपायों की सूची भी जारी की है:**
  - तंबाकू के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए खिलाड़ियों द्वारा एक औपचारिक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करना,
  - BCCI द्वारा आयोजित या भागीदारी वाले **स्टेडियमों या कार्यक्रमों में इन उत्पादों का प्रचार/ विज्ञापन नहीं** करना,
  - **BCCI के दायरे में आने वाले खिलाड़ियों** को तंबाकू और संबंधित उत्पादों के सरोगेट प्रचार/ विज्ञापन से दूर रहने के निर्देश जारी करना।
- मंत्रालय ने BCCI के **खेल आयोजनों** (जैसे- IPL) में अन्य मशहूर हस्तियों द्वारा **ऐसे सरोगेट विज्ञापनों की अनुमति नहीं देने का भी अनुरोध** किया है।

सरोगेट विज्ञापनों के बारे में

- सरोगेट विज्ञापन एक ऐसी विज्ञापन रणनीति है जिसमें किसी **प्रतिबंधित उत्पाद** (जैसे- तंबाकू या शराब) को सीधे विज्ञापित करने के बजाय, उसी **कंपनी के किसी अन्य उत्पाद का विज्ञापन** किया जाता है। यह एक तरह से प्रतिबंधित उत्पाद को बढ़ावा देने का एक छुपा हुआ तरीका है। सरोगेट विज्ञापन का कारण यह है कि ऐसे उत्पादों के विज्ञापन **कानून द्वारा प्रतिबंधित या निषिद्ध** होते हैं।
- इसमें **गलत विवरण, झूठा आश्वासन, भ्रामक निहित प्रतिनिधित्व, जानबूझकर आवश्यक जानकारी को छिपाना** आदि तरीके शामिल होते हैं। इससे **अनुचित व्यापार व्यवहार** को बढ़ावा मिलता है।
- **लोकप्रिय खेल आयोजनों** में ये विज्ञापन **ब्रांड्स को रिकॉल वैल्यू हासिल** करने में मदद करते हैं। इससे प्रतिबंधित उत्पादों की **बिक्री बढ़** जाती है।
  - उदाहरण के लिए- **IPL 2024** के दौरान प्रचारित कुल विज्ञापनों में **पान मसाला उत्पादों** से संबंधित विज्ञापनों की हिस्सेदारी 16% थी।
- ब्रांड ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए **मशहूर हस्तियों, लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले स्थानों और दृश्यों** को शामिल करने जैसे तरीके अपनाते हैं।
  - उदाहरण के लिए- शराब कंपनियां म्यूजिक CDs का विज्ञापन करती हैं या पान मसाला कंपनियां **सिल्वर कोटेड इलायची, सुपारी के प्रचार** के जरिए सरोगेट विज्ञापन करती हैं।

सरोगेट विज्ञापनों से संबंधित कानूनी फ्रेमवर्क

- **केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995; केबल टेलीविजन नियम, 1994;** तथा **सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003** के तहत शराब, तंबाकू एवं सिगरेट उत्पादों का विज्ञापनों के जरिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 'भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के अनुमोदन की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश, 2022'** जारी करके पहली बार **सरोगेट विज्ञापनों को परिभाषित** किया था।
- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में 'भ्रामक विज्ञापनों'** को ऐसे विज्ञापन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो उत्पादों का गलत तरीके से वर्णन करते हैं; या ऐसे उत्पाद या सेवा के उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं।
- **भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI)[9] संहिता** के तहत प्रतिबंधित वस्तुओं से जुड़े ब्रांड का किसी अप्रतिबंधित वस्तु के विज्ञापन के लिए उपयोग करने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते यह **'जेन्युइन ब्रांड एक्सटेंशन'** होना चाहिए।
  - जेन्युइन ब्रांड एक्सटेंशन की प्रामाणिकता का आकलन उत्पादन और बिक्री के आंकड़ों के साथ विज्ञापन अभियानों के बीच सहसंबंध स्थापित करके किया जा सकता है।

---

[9] Advertising Standards Council of India

©Vision IAS

सरोगेट विज्ञापनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

टीवी टुडे नेटवर्क बनाम भारत संघ (2021): टीवी टुडे नेटवर्क पर **शराब की बोतल जैसे दिखने वाले क्लब सोडा** के विज्ञापन को सरोगेट विज्ञापन माना गया। इसके बाद टीवी टुडे नेटवर्क को शराब ब्रांड नामों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों के लिए माफी स्क्रॉल प्रसारित करने का निर्देश दिया गया था।

यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड बनाम मुंबई ग्राहक पंचायत (2006): कंपनी को भ्रामक विज्ञापनों या दावों और शराब के सरोगेट विज्ञापन का दोषी पाया गया और कोर्ट ने कंपनी को अपने सरोगेट विज्ञापन बंद करने का आदेश दिया। कंपनी को सुधारात्मक विज्ञापन देना पड़ा, जिसमें उसने अपनी गलती स्वीकार की और उपभोक्ताओं से माफी मांगी।

सरोगेट विज्ञापन के निहितार्थ

- **उपभोक्ताओं के संबंध में:**
  - **उपभोक्ता अधिकारों को कमजोर करना:** सरोगेट विज्ञापन के परिणामस्वरूप **अनुचित व्यापार व्यवहार होता है तथा उपभोक्ताओं के सूचना और पसंद के अधिकार का उल्लंघन** होता है।
  - **जागरूकतापूर्ण निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करना:** विज्ञापन **आकांक्षापूर्ण कंटेंट** के जरिए सपनों को बेचने के लिए बनाए जाते हैं। यह कंटेंट उत्पाद से जुड़ा होता है। ये **युवाओं और निर्धन वर्गों को सर्वाधिक गुमराह** करते हैं।
- **लोक स्वास्थ्य के संबंध में:**
  - **लोक स्वास्थ्य के लिए खतरा: तंबाकू और शराब उत्पादों को उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बनाने** से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे विशेष रूप से **युवाओं में इसकी लत** लग सकती है।
  - ICMR के एक अध्ययन में पाया गया कि **ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप, 2023 में कुल विज्ञापनों में से 41.3% स्मोकलेस तंबाकू ब्रांड्स के सरोगेट विज्ञापन थे।**
- **कंपनियों के संबंध में:**
  - **लाभप्रदता बनाम प्रभावकारिता:** सरोगेट विज्ञापन प्रतिबंधित उत्पादों की **ब्रांड दृश्यता और बिक्री को बढ़ावा** देते हैं। इससे **अनुचित व्यापार प्रथाओं के और इन उत्पादों के अधिक उपयोग** को बढ़ावा मिलता है।
    - 2019 के एक सर्वेक्षण में दावा किया गया था कि **70% से अधिक उपभोक्ता सरोगेट विज्ञापनों से प्रभावित** हुए थे।
  - **डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, BCCI और राज्य संघों** के खेल टूर्नामेंट्स के दौरान सरोगेट विज्ञापनों से इनके राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए- ब्रांड, 10 सेकंड के विज्ञापन स्पॉट के लिए 60 लाख रुपये का भुगतान करते हैं।
- **नैतिक निहितार्थ:**
  - **पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी:** इससे ब्रांड्स को विज्ञापनों के जरिए निषिद्ध उत्पादों के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए **कानूनी खामियों का फायदा उठाने** में मदद मिलती है।
  - **सामाजिक प्रभाव और नज थ्योरी: 'आउट ऑफ साइट-आउट ऑफ माइंड' मार्केटिंग रणनीति** का उपयोग उपभोक्ताओं को तम्बाकू या शराब उत्पादों का सेवन करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए- **सेलिब्रिटी द्वारा किए गए विज्ञापन।**
    - **नज थ्योरी (Nudge theory):** नज थ्योरी एक व्यावहारिक अर्थशास्त्र संबंधी अवधारणा है। इसका उद्देश्य विकल्पों को प्रस्तुत करने के तरीके में सूक्ष्म परिवर्तन के माध्यम से लोगों के निर्णयों और व्यवहारों को प्रभावित करना है।

सरोगेट विज्ञापनों के विनियमन में मौजूद समस्याएं

- **कानूनों में मौजूद खामियां:** कानूनों में मौजूद अस्पष्ट परिभाषाओं व शर्तों के कारण कानून अक्सर **सरोगेट विज्ञापनों के प्रचार को रोकने में विफल** हो जाते हैं।
  - कानूनों का **अप्रभावी कार्यान्वयन और कार्रवाई योग्य जवाबदेही की कमी** मौजूद है। इससे ब्रांड्स को कानूनों के उल्लंघन का अवसर मिल जाता है।

- **अनैतिक व्यवहार:** कंपनियों द्वारा बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अनैतिक व्यवहार अपनाए जाते हैं या वे अपने उत्पादों की कीमतों में कमी कर देती हैं। इससे लोग ऐसे उत्पादों का अधिक उपयोग करने लगते हैं।
- **कठोर दंड का अभाव:** दंड के रूप में आमतौर पर **सुधारों के साथ विज्ञापन प्रकाशित करने** के लिए कहा जाता है और प्राय: **आनुपातिक दंड का अभाव** होता है।
- **नौकरियों और राजस्व का नुकसान:** सिन गुड्स (जैसे- शराब और तंबाकू) के उत्पादन पर उच्च कर/ उपकर लगाया जाता है, जिससे राज्य के राजस्व में इनका महत्वपूर्ण रूप से योगदान होता है। साथ ही, इससे रोजगार सृजन भी होता है।

आगे की राह

- सरकारी हितधारकों और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) के बीच **हितधारक परामर्श बैठक में उठाए जा सकने वाले निम्नलिखित कदमों पर प्रकाश डाला गया है:**
  - ब्रांड एक्सटेंशन और विज्ञापित किए जा रहे प्रतिबंधित उत्पाद या सेवा के बीच स्पष्ट अंतर सुनिश्चित करना चाहिए;
  - विज्ञापन में प्रतिबंधित उत्पाद का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संदर्भ नहीं होना चाहिए;
  - विज्ञापन की प्रस्तुति में प्रतिबंधित उत्पाद से सादृश्यता नहीं होनी चाहिए;
  - विज्ञापन में अन्य उत्पादों का विज्ञापन करते समय प्रतिबंधित उत्पादों के प्रचार के लिए विशिष्ट स्थितियों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए आदि।
- **मौजूदा विनियमनों को मजबूत करना और खामियों को दूर करना चाहिए:**
  - **COTPA और ASCI के तहत स्पष्टीकरण:** सरोगेट विज्ञापन पर प्रतिबंध को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और इसे सभी मीडिया, आयोजनों और खेल प्रयोजनों तक पहुंचना चाहिए।
  - **डिजिटल मीडिया विनियमन:** डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को विनियमनों के दायरे में लाया जा सकता है। हालांकि, शुरुआती तौर पर खेलों से संबंधित सट्टेबाजी, स्वास्थ्य-केंद्रित सप्लीमेंट्स और जिम से संबंधित उत्पादों पर फोकस किया जा सकता है।
- **जवाबदेही सुनिश्चित करना:** दंड की मात्रा बढ़ानी चाहिए और जुर्माना लगाकर मीडिया निगमों को उत्तरदायी बनाना चाहिए तथा जिम्मेदार विज्ञापन प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए।
- **विनियामक अंतर्दृष्टि:** समय-समय पर ऑडिट, रियल टाइम सतर्कता और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना चाहिए।
- **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC)** अभियानों के माध्यम से लोक जागरूकता एवं शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष

विशेष रूप से नए युग की तकनीक के इस दौर में **विज्ञापनों का उपभोक्ताओं के मन पर गहरा प्रभाव** पड़ता है। इसलिए, स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए **उनके दावों की वैधता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण** है।

1.6. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में **समान नागरिक संहिता** के पक्ष में समर्थन व्यक्त किया और वर्तमान धार्मिक (साम्प्रदायिक) नागरिक संहिता के स्थान पर एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया।

समान नागरिक संहिता (UCC) के बारे में

- **परिभाषा:** UCC पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए **एक समान कानून** लागू करने का प्रावधान करती है।
  - यह समान कानून **सभी धार्मिक समुदायों** के विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान रूप से लागू होगा।
- **वर्तमान स्थिति:**
  - वर्तमान में, अलग-अलग धर्मों के **भारतीय नागरिक उपर्युक्त मामलों में अपने धर्म के संबंधित** व्यक्तिगत कानूनों (Personal laws) से शासित होते हैं। भारत में **प्रत्येक धर्म अपने विशेष कानूनों का पालन** करता है।
  - वर्तमान में, **गोवा** भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां एक प्रकार का UCC पहले से ही लागू है। वहां **पुर्तगाली नागरिक संहिता[10], 1867** लागू है। ज्ञातव्य है कि **उत्तराखंड ने इसी वर्ष (2024) UCC को अपनाया है।**
  - भारत के **21वें विधि आयोग (2018)** ने कहा था कि इस समय **UCC का निर्माण आवश्यक या वांछनीय नहीं** है। हालांकि, **प्रत्येक धर्म के पारिवारिक कानूनों में सुधार किए जाने चाहिए, ताकि उन्हें लैंगिक रूप से न्यायसंगत** बनाया जा सके।

भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) की आवश्यकता क्यों है?

- **संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करना:** संविधान के **भाग IV के तहत अनुच्छेद 44** के अनुसार **राज्य भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास** करेगा।
  - इससे **लैंगिक न्याय, राष्ट्रीय एकता और संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानून के समक्ष समानता** को भी बढ़ावा मिलेगा।
  - UCC के लागू होने से **पंथनिरपेक्ष राष्ट्र के सिद्धांतों को बनाए रखा** जा सकेगा। यहां पंथनिरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य एक ऐसे राष्ट्र से है, जहां धार्मिक मान्यताएं नागरिक मामलों पर लागू नहीं होती हैं।
- **आधुनिक समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना:** ऐसे कानून व प्रथाएं जो धर्म के आधार पर देश को विभाजित करते हैं या समाज की प्रगति में बाधक बनते हैं, उन्हें समाप्त करना आवश्यक है।
  - उदाहरण के लिए- मुस्लिम पर्सनल लॉ {मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम}, 1937 के तहत **बहुविवाह** वैध है, लेकिन यह महिलाओं के खिलाफ है और इसलिए इसे समाप्त किया जाना चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करना:** संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अभिसमय सहित कई मानवाधिकार सम्मेलनों और प्रोटोकॉल्स में भारत की सदस्यता को उचित ठहराने के लिए UCC जरूरी है।
- **कानूनों का सरलीकरण:** धार्मिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिए बिना व्यक्तिगत मामलों में एक मानक प्रक्रिया विवादों के **त्वरित और अधिक कुशल समाधान** को सुनिश्चित करेगी।
- **आधुनिक समय के अनुकूल होना:** UCC को लागू करने से **आधुनिक सिद्धांतों** को अपनाया जा सकेगा। साथ ही, यह **सुनिश्चित किया जा सकेगा कि मौजूदा कानून नई सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप हों।** इससे **समावेशिता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता** को बढ़ावा मिलेगा।

समान नागरिक संहिता (UCC) पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

- **अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम वाद (1985):** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने **लैंगिक न्याय और व्यक्तिगत कानूनों में समानता** की आवश्यकता पर जोर दिया।
- **सरला मुद्गल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य वाद (1995):** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। इस विचार को **लिली थॉमस मामले (2000)** में भी दोहराया गया था, जिसमें कोर्ट ने व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की दिशा में एक समान दृष्टिकोण अपनाया था।

---

[10] Portuguese Civil Code of 1867

- **शायरा बानो बनाम भारत संघ वाद (2017):** इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक़-ए-बिद्दत (शरियत अधिनियम, 1937 के तहत त्वरित और अपरिवर्तनीय तलाक) को एक मनमानी प्रथा मानते हुए इसे असंवैधानिक घोषित किया था।

UCC को लागू करने से जुड़े मुद्दे

- **विविधता के खिलाफ:** व्यक्तिगत कानून जीवन के तरीके के रूप में गहराई से जुड़े हुए हैं और UCC को लागू करने से देश के **विविध समुदायों की सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान कमजोर** हो सकती है। इससे **धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन** हो सकता है। ध्यातव्य है कि **धार्मिक स्वतंत्रता** से जुड़े प्रावधान संविधान के **अनुच्छेद 25** में उल्लिखित हैं।
- **आम सहमति का अभाव:** यदि सभी समुदायों की सहमति और समझौते के बिना UCC को लागू किया जाता है, तो इससे सामाजिक अशांति उत्पन्न हो सकती है।
- **सहकारी संघवाद के खिलाफ:** कई विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि UCC राज्यों की विधायी क्षमता में हस्तक्षेप कर सकती है। इससे सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन हो सकता है।

भारत में UCC को लागू करने की दिशा में आगे की राह

- **आम सहमति बनाना:** UCC के संदर्भ में सरकार को धार्मिक नेताओं एवं सामुदायिक प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों के साथ तर्कपूर्ण वार्ता करनी चाहिए।
- **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव विश्लेषण:** संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए और विशेषकर हाशिए पर रहने वाले व कमजोर समुदायों के लिए प्रावधान करने चाहिए।
- **शिक्षा और जागरूकता:** लोगों में प्रगतिशील और व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए, ताकि वे UCC की भावना को समझ सकें।
- **सभी व्यक्तिगत कानूनों का संहिताकरण:** कानूनों को संहिताबद्ध करके सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित करना चाहिए, जो निष्पक्षता को बढ़ावा दे सके।

1.7. विधायी प्रभाव आकलन (Legislative Impact Assessment: LIA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट को **महाराष्ट्र मलिन बस्ती क्षेत्र अधिनियम**[11] का परफॉर्मेंस ऑडिट करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर भी बल दिया है कि **किसी कानून के कार्यान्वयन की समीक्षा और आकलन करना 'विधि के शासन' का अभिन्न अंग है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- न्यायालय ने यह निर्देश **अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़ी कई प्रणालीगत समस्याओं** के मद्देनजर जारी किया है। इन समस्याओं में मलिन बस्ती क्षेत्रों के रूप में भूमि की पहचान की जटिल प्रक्रियाएं; मलिन बस्ती के विस्थापित निवासियों हेतु आवास के प्रावधान संबंधी कमियां इत्यादि शामिल हैं।
- कोर्ट ने यह भी कहा कि **कार्यपालिका की संवैधानिक जिम्मेदारी केवल कानूनों को लागू करने की ही नहीं होती, बल्कि उनकी निगरानी करना भी उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी होती है।**
- कोर्ट का व्यापक सांविधिक ऑडिट के लिए निर्देश, लागू किए गए कानूनों की प्रभावशीलता और आउटकम का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रणालीगत एप्रोच के रूप में **विधायी प्रभाव आकलन (LIA)** की आवश्यकता को उजागर करता है। सरल शब्दों में, सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यापक सांविधिक ऑडिट का आदेश दिया है, जिसमें विधायी प्रभाव आकलन (LIA) को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में शामिल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बनाए गए कानून समाज के लिए लाभकारी और संविधान के अनुरूप हों।

---
[11] Maharashtra Slum Areas Act

विधायी प्रभाव आकलन (LIA) क्या है?

- विधायी प्रभाव आकलन (LIA) को **विनियामकीय प्रभाव आकलन**[12] भी कहा जाता है। यह एक **प्रणालीगत विधि** है। इसका उपयोग **प्रस्तावित और मौजूदा कानूनों के बहुआयामी (सकारात्मक व नकारात्मक) प्रभाव का विश्लेषण** करने के लिए किया जाता है।
- **विधायी प्रभाव आकलन के आवश्यक प्रमुख घटकों में निम्नलिखित शामिल है:** समस्या की पहचान, विकल्पों की खोज, तुलनात्मक विश्लेषण, हितधारक परामर्श, सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण, प्रभाव आकलन और रिपोर्टिंग।

भारत में LIA का महत्त्व

- **साक्ष्य आधारित नीति निर्माण:** LIA कानूनों को लागू करने से पहले और बाद में उसके प्रभावों के संपूर्ण मूल्यांकन की अनुमति देता है। इससे नीति निर्माता **धारणाओं या राजनीतिक दबावों की बजाय अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पर निर्णय** ले सकते हैं।
  - LIA प्रभावी लागत-लाभ विश्लेषण के माध्यम से **संसाधनों का बेहतर आवंटन करने में मदद** कर सकता है।
- **विधायी गुणवत्ता:** LIA कानूनी विवादों, अस्पष्टताओं और क्रॉस-पर्पस व ओवरलैपिंग कानूनों के अधिनियमन को रोकने में मदद कर सकता है।
  - उदाहरण के लिए- एंटी-ट्रस्ट प्रावधानों के संदर्भ में क्षेत्रक संबंधी विनियामकों (जैसे- TRAI, SEBI आदि) और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के बीच क्षेत्राधिकार का ओवरलैप।
  - LIA कानूनी अस्पष्टताओं को कम करके तथा हितधारक परामर्श और फीडबैक तंत्र को विवादों के समाधान हेतु वैकल्पिक समाधान के रूप में उपयोग करके **न्यायपालिका पर बोझ को कम** कर सकता है। साथ ही, कानूनी चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने में भी मदद कर सकता है।
- **प्रत्यायोजित विधान की समीक्षा:** LIA यह आकलन करने में सहायता कर सकता है कि क्या **कार्यकारी प्राधिकारियों को सौंपी गई शक्तियां उचित व सुपरिभाषित हैं।** साथ ही, जब सौंपी गई प्रत्यायोजित विधान की संसदीय जांच-पड़ताल कम हो गई है, तो उस परिप्रेक्ष्य में क्या सौंपी गई शक्तियों का उपयोग अपेक्षित रूप से किया जा रहा है।
  - इससे प्रत्यायोजित प्राधिकारियों द्वारा **दुराचार (Malfeasance)** (जानबूझकर गलत काम करना), **कदाचार (Misfeasance)** (अनुचित तरीके से वैध कार्य करना) और **कर्तव्य पूरा न करना (Nonfeasance)** (कानून के अनुरूप न होना) के मामलों को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **प्रतिक्रियाशील और जिम्मेदार शासन-व्यवस्था:** LIA मध्यकालिक कार्यप्रणाली सुधार और नीतिगत संशोधनों की सुविधा प्रदान कर सकता है। इससे प्रशासन को अधिक प्रतिक्रियाशील बनाया जा सकता है।
  - विधायी प्रभाव के आवधिक मूल्यांकन से पारदर्शिता बढ़ती है तथा नीति निर्माताओं और कार्यान्वियन एजेंसियों को उनकी नीतियों के परिणामों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का अनुपालन:** LIA यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि नए कानून/ नीतियां विविध अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत भारत के दायित्वों के अनुरूप हों। इसमें मानवाधिकार, व्यापार आदि से संबंधित समझौते भी शामिल हैं।
  - उदाहरण के लिए- 2021 में, **भारत से पण्य निर्यात (MEIS)**[13] **योजना** को विश्व व्यापार संगठन (WTO) मानकों के अनुपालन में कमी के कारण **निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (RoDTEP)**[14] **योजना** द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

भारत में प्रभावी LIA सुनिश्चित करने में क्या चुनौतियां हैं?

- **कानूनी और संस्थागत चुनौतियां:** भारत में LIA के संचालन के लिए औपचारिक और कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्देश नहीं हैं।
  - **मंत्रालयों के बीच प्रभावी समन्वय की कमी:** सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी एवं अलग-अलग ढांचे एवं परिवेश (Silos) में काम करने की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप विखंडित और अपूर्ण मूल्यांकन होते हैं।

---

[12] Regulatory Impact Assessment

[13] Merchandise Exports from India

[14] Remission of Duties or Taxes on Export Products

- **समर्पित संस्थानों का अभाव:** प्रत्येक कानून के प्रभाव विश्लेषण को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित संस्थाओं (जैसे यूनाइटेड किंगडम की बेटर रेगुलेशन एग्जीक्यूटिव) का अभाव है।

- **डेटा की सीमाएं: कानूनों/ नीतियों/ योजनाओं के कार्यान्वयन/ प्रदर्शन पर व्यापक, विश्वसनीय और अंतर्संचालनीय डेटा के अभाव** के कारण विस्तृत आकलन करना कठिन हो जाता है।
    - इसके अलावा, **'सीमित तर्कसंगतता'** की अवधारणा के परिणामस्वरूप कानूनों/ नीतियों के वास्तविक जीवन में कार्यान्वयन/ प्रदर्शन का **सटीक विश्लेषण नहीं हो पता है और त्रुटिपूर्ण भविष्यवाणियां** हो सकती हैं।
        - **'सीमित तर्कसंगतता'** की अवधारणा में यह विचार शामिल है कि मानवीय निर्णय पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं होते हैं तथा जानकारी की कमी, निर्णय लेने में लगने वाले समय की सीमाओं आदि से बंधे होते हैं।

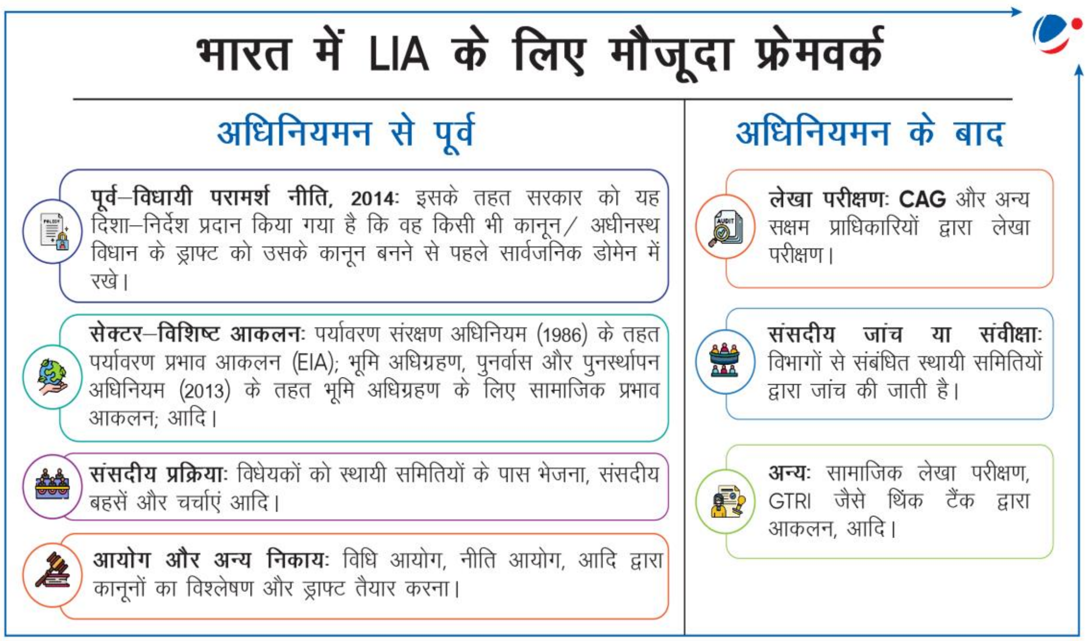

- **नौकरशाही की जड़ता:** वेबरियन नौकरशाही सिद्धांतों पर आधारित **प्रक्रिया-उन्मुख प्रशासनिक संस्कृति** में नई विश्लेषणात्मक पद्धतियों को शुरू करने की तुलना में स्थापित प्रक्रियाओं के अनुपालन को प्राथमिकता दी जाती है।
    - इसके अलावा, **संकीर्ण नौकरशाही प्रणाली** नागरिक समाज, नीतिगत थिंक-टैंक आदि सहित विविध हितधारकों के साथ प्रभावी समन्वय में बाधा डालती है।

भारत में प्रभावी LIA सुनिश्चित करने के उपाय

- **संस्थागत सुधार:** LIA प्रक्रिया की निगरानी और समीक्षा के लिए **विधि एवं न्याय मंत्रालय या नीति आयोग के अंतर्गत** एक यूनाइटेड किंगडम बेटर रेगुलेशन एग्जीक्यूटिव की तर्ज पर **समर्पित एजेंसी या समिति** गठित की जा सकती है।
    - **द्वितीय प्रशासनिक आयोग** के अनुसार विनियामक बनाने वाले प्रत्येक कानून में किसी बाहरी एजेंसी द्वारा समय-समय पर उस कानून के प्रभाव के आकलन का प्रावधान शामिल होना चाहिए।
    - **दामोदरन समिति, 2013** के अनुसार प्रत्येक विनियामक प्राधिकरण, मंत्रालय या विभाग के लिए विनियामक प्रभाव आकलन करने हेतु **विनियमन समीक्षा प्राधिकरण** की स्थापना की जा सकती है। यह विनियमों के लेखन के लिए एक पूर्व शर्त होनी चाहिए।
- **विधायी प्रक्रिया सुधार: संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC)** की सिफारिश के अनुसार विधेयकों को **विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के पास विचार एवं समीक्षा के लिए भेजना अनिवार्य** किया जाना चाहिए।
- **तकनीकी और डेटा आधारित विश्लेषण:** डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके LIA की सटीकता में सुधार किया जा सकता है।
    - डिजिटलीकरण के माध्यम से **सरकारी डेटा संग्रह प्रणाली को मजबूत** करना चाहिए। **नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (NDAP)** जैसी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करके सरकारी डेटा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना चाहिए।
- **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:** विशेषज्ञता प्रदान करके और स्वतंत्र आकलन करके सरकार की क्षमता को बढ़ाने में शैक्षणिक संस्थानों, थिंक-टैंक्स एवं नागरिक समाज के साथ सहयोग करना चाहिए।
    - **उदाहरण के लिए- राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (NIPFP)** जैसे संगठन विशिष्ट LIA संचालित करने के लिए सरकार के मंत्रालयों के साथ साझेदारी कर सकते हैं।

1.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.8.1. जिला न्यायालयों में बुनियादी ढांचे की स्थिति (State of Infrastructure in District Courts)

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने **"इम्पेरिकल स्टडी टू इवेलुएट द डिलीवरी ऑफ जस्टिस थ्रू इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर"** शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

- इसमें मुख्य प्रशासकों, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और सहायक कर्मचारियों के सामने आने वाली अवसंरचना संबंधी समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र

- **बुनियादी अवसंरचना: लगभग 37.7% न्यायिक अधिकारियों/ न्यायाधीशों** ने बताया कि उनके पास कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है।
- **मानव संसाधन:** न्यायपालिका में **न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों की भारी कमी** है। साथ ही, मौजूदा न्यायिक अधिकारी प्रभावी कार्यभार प्रबंधन और मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए आवश्यक **प्रशिक्षण और कौशल विकास की कमी** से जूझ रहे हैं।
- **डिजिटल अवसंरचना: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA)** और **तालुक विधिक सेवा समिति (TLSC)** के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण **नहीं** किया गया है।
    - इसके अलावा, **डिजिटलीकरण प्रक्रिया की तकनीकी जटिलताओं** से निपटने में अधिवक्ताओं की असमर्थता, **ई-कोर्ट मिशन के कारण सहायक कर्मचारियों पर बढ़ता बोझ** जैसी समस्याएं भी मौजूद हैं।
- **जिला न्यायालयों से संबंधित अन्य मुद्दे:** जिला न्यायालय के सभी विभागों के बीच सहयोग और समन्वय का अभाव है। साथ ही, न्यायालयों में सहायक कर्मचारियों की अस्थायी या कैजुअल नियुक्ति के कारण न्यायिक प्रक्रियाओं में आवश्यक सहयोग में कमी आ रही है।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

- **जिला एवं तालुका स्तर पर एक स्वतंत्र IT विभाग की स्थापना** की जानी चाहिए। यह न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस विभाग को **नवीनतम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर** से लैस किया जाना चाहिए। साथ ही, इस विभाग में पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए, जो जिला और तालुका स्तर के न्यायालयों में प्रबंधन और सेवाएं प्रदान कर सकें।
- दायर मामलों को अंत तक **इलेक्ट्रॉनिक** रूप में बनाए रखने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए, ताकि न्यायिक अधिकारियों की दक्षता में वृद्धि हो सके।
- **अलग-अलग न्यायाधीशों** की अध्यक्षता में **पृथक सिविल और आपराधिक न्यायालयों** का गठन किया जाना चाहिए।

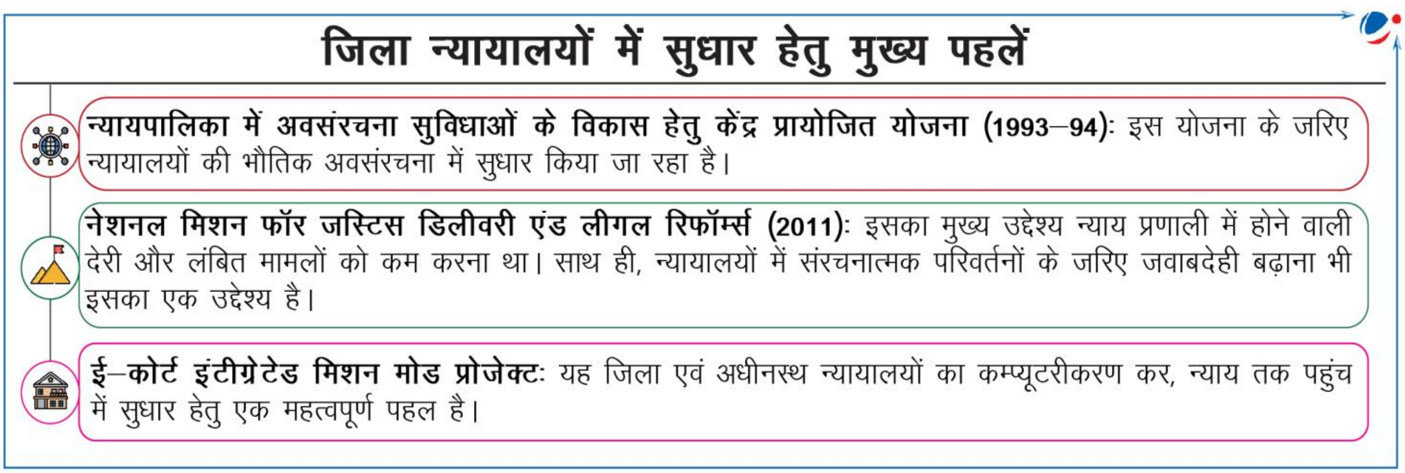

1.8.2. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail Under SC/ST Act)

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर रोक का सख्त प्रावधान तब तक नहीं** लागू होगा, जब तक कि **आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध साबित न हो जाए।**

- अधिनियम की धारा 18 में उपबंध किया गया है कि **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान** इस अधिनियम के तहत अपराध से जुड़े मामलों पर लागू नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के **किसी सदस्य का अपमान करना SC/ ST अधिनियम के तहत तब तक अपराध नहीं है, जब तक कि आरोपी का इरादा जातिगत पहचान के आधार पर अपमान करने का न** हो।
- केवल अस्पृश्यता या जातिगत श्रेष्ठता जैसी **जड़ जमा चुकी सामाजिक कुप्रथाओं के कारण जानबूझकर किया गया अपमान या दी गई धमकी, इस अधिनियम के तहत जातिगत अपमान या धमकी** माना जाएगा/ मानी जाएगी।

अग्रिम जमानत (Anticipatory bail) के बारे में

- यह हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से पहले जमानत पर रिहा करने का निर्देश है, जिसे किसी **गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तारी की आशंका** है।
- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की **धारा 438** में अग्रिम जमानत से संबंधित प्रावधान किया गया है।
- नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद, **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (2023) की धारा 482 में अग्रिम जमानत के लिए प्रासंगिक प्रावधान** शामिल किए गए हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के बारे में

- **उद्देश्य:** SC/ST समुदाय के सदस्यों के खिलाफ अपराधों को रोकना; ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करना तथा पीड़ितों के लिए **राहत और पुनर्वास** का प्रावधान करना।
- **अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर**
  - **आरोपी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य नहीं** होना चाहिए।
  - इस कानून के तहत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को हाथ से मैला उठाने के काम पर लगाना; SC या ST समुदाय की महिलाओं को देवदासी कुप्रथा के नाम पर देवता या मंदिर को समर्पित करना; सार्वजनिक स्थानों पर जाने के प्रथागत अधिकार से वंचित करना जैसे मामलों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
  - इसमें **SC या ST समुदाय को छोड़कर अन्य समुदायों के लोक सेवकों द्वारा अधिनियम के तहत दिए गए कर्तव्यों की उपेक्षा करने पर दंड** का प्रावधान किया गया है।

1.8.3. परिसीमन आयोग (Delimitation Commission)

किशोरचंद्र छगनलाल राठौड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि परिसीमन आयोग के किसी भी आदेश के स्पष्ट रूप से मनमाने होने और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होने पर **संवैधानिक न्यायालयों को उन आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है।**

- इससे पहले **गुजरात हाई कोर्ट** ने परिसीमन कार्य को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने संविधान के **अनुच्छेद 329(a) का संज्ञान लेते हुए कहा था कि यह अनुच्छेद चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप को रोकता है।**

परिसीमन के बारे में

- यह **लोक सभा और विधान सभाओं के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं** तय करने की प्रक्रिया है।
- संविधान के **अनुच्छेद 82** के अनुसार परिसीमन का कार्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से किया जाता है, जिसे संसद कानून के माध्यम से निर्धारित करे।
    - परिसीमन कार्य की जिम्मेदारी उच्च-अधिकार प्राप्त संस्था को सौंपी जाती है। इस संस्था को **परिसीमन आयोग** (Delimitation Commission) या सीमा आयोग कहा जाता है।
        - परिसीमन आयोग का गठन **परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत भारत का राष्ट्रपति** करते हैं।
        - भारत में परिसीमन आयोगों का गठन **4 बार (1952, 1963, 1973 और 2002)** किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक निर्णय

DMK बनाम तमिलनाडु राज्य वादः इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संवैधानिक न्यायालय **चुनावों को सुविधाजनक बनाने के लिए या जब दुर्भावनापूर्ण या मनमाने ढंग से शक्ति के उपयोग का मामला सामने आता है, तब हस्तक्षेप** कर सकता है।

मेघराज कोठारी वादः इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि **चुनाव प्रक्रिया में** केवल **अनावश्यक देरी से बचने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित** किया गया है। यह प्रावधान **परिसीमन आदेश की न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं** लगाता है।

1.8.4. बॉयलर विधेयक, 2024 को राज्य सभा में पेश किया गया (Boilers Bill, 2024 Introduced in Rajya Sabha)

यह विधेयक कानून बनने के बाद **बॉयलर अधिनियम, 1923** की जगह लेगा। बॉयलर अधिनियम, 1923 को बॉयलर के विनियमन से संबंधित सभी तकनीकी पहलुओं में पूरे भारत में एकरूपता लाने के लिए लागू किया गया था।

- इससे पहले, इस कानून में **भारतीय बॉयलर (संशोधन) अधिनियम, 2007** के द्वारा संशोधन किया गया था। इस संशोधन के जरिए **स्वतंत्र थर्ड पार्टी निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण एवं प्रमाणन** की शुरुआत की गई थी।
- **जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023** के अनुरूप **कुछ प्रावधानों में उल्लेखित कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने** के लिए भी इस कानून की समीक्षा की गई है।

बॉयलर विधेयक, 2024 के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर

- इसमें बॉयलर और बॉयलर के उपकरणों की वेल्डिंग के लिए वेल्डर को प्रमाण-पत्र देने वाली **सक्षम अथॉरिटी को परिभाषित** किया गया है। यह अथॉरिटी विनियमों द्वारा निर्धारित तरीकों के आधार पर मान्यता प्राप्त संस्था होगी।
- **मुख्य निरीक्षक से अनुमति लिए बिना** बॉयलर के भीतर या बॉयलर में कोई संरचनात्मक बदलाव करने, जोड़ने या नवीनीकरण करने पर व्यक्ति को दंड दिया जाएगा।
    - दंड के रूप में **दो साल तक की जेल की सजा या एक लाख रुपये तक का जुर्माना,** या दोनों हो सकते हैं।
- **केंद्र सरकार** को इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से **तीन वर्ष** के भीतर बॉयलर अधिनियम, 2024 के प्रावधानों के **कार्यान्वयन में किसी भी कठिनाई को दूर करने का अधिकार** होगा।
- केंद्र सरकार **केंद्रीय बॉयलर बोर्ड** का गठन करेगी। इस बोर्ड को बॉयलर और बॉयलर में लगने वाले उपकरणों के **डिजाइन, निर्माण, स्थापना एवं उपयोग** को विनियमित करने का कार्य सौंपा जाएगा।

बॉयलर विधेयक, 2024 के उद्देश्य

- बॉयलर के निर्माण और उपयोग का विनियमन करना, **बॉयलर में होने वाले विस्फोट के खतरे से जन-धन की सुरक्षा** सुनिश्चित करना आदि।
- **बिना पंजीकरण और बिना प्रमाण-पत्र वाले बॉयलर के उपयोग पर प्रतिबंध** लगाना, दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग अनिवार्य करना तथा बॉयलर के निर्माण, स्थापना और उपयोग के दौरान पंजीकरण व निरीक्षण प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने को बढ़ावा देना।

औद्योगिक बॉयलर का महत्त्व:

- बॉयलर **बड़ी मात्रा में ईंधन के जलने; उच्च तापमान और उच्च दाब सहने; उच्च तापमान ये युक्त भाप से निपटने** आदि से संबंधित है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

न्यूज़ टुडे

"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:

- किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए
- न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है
- टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताएं

- स्रोत: इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, न्यूज़ ऑन ए.आई.आर., इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट जैसे कई स्रोतों से न्यूज को कवर किया जाता है।
- भाग: इसके तहत 4 पेज में दिन-भर की प्रमुख सुर्ख़ियों, अन्य सुर्ख़ियों और सुर्ख़ियों में रहे स्थल एवं व्यक्तित्व को कवर किया जाता है।
- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसके तहत लगभग 200 शब्दों में पूरे दिन की प्रमुख सुर्ख़ियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हालिया घटनाक्रम को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अन्य सुर्ख़ियां और सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इस भाग के तहत सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण टर्म, संरक्षित क्षेत्र और प्रजातियों आदि को लगभग 90 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।

न्यूज़ टुडे वीडियो की मुख्य विशेषताएं

- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसमें दिन की छह सबसे महत्वपूर्ण सुर्ख़ियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज को खोजने में आपना कीमती समय बर्बाद किए बिना मुख्य घटनाक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
- सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इसमें सुर्ख़ियों में रहे एक महत्वपूर्ण स्थल या मशहूर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है।
- स्मरणीय तथ्य: इस भाग में चर्चित विषयों को संक्षेप में कवर किया जाता है, जिससे आपको दुनिया भर के मौजूदा घटनाक्रमों की जानकारी मिलती रहती है।
- प्रश्नोत्तरी: प्रत्येक न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन के अंत में MCQs भी दिए जाते हैं। इसके जरिए हम न्यूज पर आपकी पकड़ का परीक्षण करते हैं। यह इंटरैक्टिव चरण आपकी लर्निंग को ज्ञानवर्धक के साथ-साथ मज़ेदार भी बनाता है। इससे आप घटनाक्रमों से जुड़े तथ्यों आदि को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं।
- रिसोर्सेज: वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में "न्यूज़ टुडे" के PDF का लिंक दिया जाता है। न्यूज़ टुडे का PDF डॉक्यूमेंट, न्यूज टुडे वीडियो के आपके अनुभव को और बेहतर बनाता है। साथ ही, MCQs आधारित प्रश्नोत्तरी आपकी लर्निंग को और मजबूत बनाती है।

रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए

न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बेंगलूरू | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. भारत और ग्लोबल साउथ (India and Global South)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने वर्चुअल प्रारूप में तीसरे **"वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन (VOGSS)[15]"** की मेजबानी की।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने 2023 के जनवरी और नवंबर में भी क्रमश: **पहले व दूसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन** की मेजबानी की थी। ये दोनों शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में ही आयोजित किए गए थे।
- वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन भारत के **वसुधैव कुटुम्बकम** या "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" के दर्शन का **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार** है।

तीसरे VOGSS के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **भागीदारी:** इस शिखर सम्मेलन में **123 देश** वर्चुअल रूप से शामिल हुए थे। सम्मेलन में **चीन और पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं** किया गया था।
- **थीम:** "सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ (An Empowered Global South for a Sustainable Future)"
- सम्मेलन के दौरान भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए एक व्यापक और मानव-केंद्रित **"ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट"** का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह **विकासशील देशों के बढ़ते कर्ज की समस्या से निपटने** पर केंद्रित है।

***नोट:** ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट पर अगले आर्टिकल में विस्तार से चर्चा की गई है।*

- भारत ग्लोबल साउथ के देशों में सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने और उनके साथ प्राकृतिक खेती के अनुभव साझा करने पर काम करेगा।

- भारत **व्यापार संवर्धन गतिविधियों** को बढ़ावा देने के लिए **2.5 मिलियन डॉलर के 'स्पेशल फंड'** की शुरुआत करेगा। साथ ही, व्यापार नीति और व्यापार वार्ताओं हेतु **क्षमता निर्माण के लिए एक मिलियन डॉलर का फंड** आवंटित किया जाएगा।

ग्लोबल साउथ क्या है?

- ग्लोबल साउथ शब्द सामान्यतः **विकासशील, अल्प विकसित या अविकसित देशों** को व्यक्त करता है। ये देश मुख्य रूप से **दक्षिणी गोलार्ध** में अवस्थित हैं। इनमें अधिकतर **अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका** के देश शामिल हैं।

---

[15] Voice of Global South Summit

- ग्लोबल साउथ की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख **ब्रैंट रिपोर्ट, 1980** में किया गया था। इस रिपोर्ट में **उत्तर और दक्षिण** के देशों के बीच उनकी **प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति, सकल घरेलू उत्पाद तथा जीवन स्तर** के आधार पर विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था।

ग्लोबल साउथ द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

- **वैश्विक मंचों पर कम प्रतिनिधित्व:** उदाहरण के लिए- ग्लोबल साउथ के देशों (अफ्रीकी एवं लैटिन अमेरिका क्षेत्र) को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से बाहर रखा गया है। यह उनके कम प्रतिनिधित्व को दर्शाता है।
- **उच्च सार्वजनिक ऋण:** जैसे- यू.एन. ट्रेड एंड डेवलपमेंट (पूर्ववर्ती अंकटाड) की **'ए वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2024'** के अनुसार, विकासशील देशों का सार्वजनिक ऋण विकसित देशों की तुलना में दोगुनी दर से बढ़ रहा है।
- **वैश्विक गवर्नेंस और वित्तीय संस्थाओं की प्रासंगिकता का कम होना:** उदाहरण के लिए- WTO के अपीलीय विवाद निपटान तंत्र का निष्क्रिय होना; विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसी ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में ग्लोबल साउथ के देशों का कम प्रतिनिधित्व आदि।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक सुभेद्य:** विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की **'दक्षिण-पश्चिम प्रशांत में जलवायु की स्थिति[16] 2023'** रिपोर्ट के अनुसार, प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपी देशों का **वैश्विक उत्सर्जन में मात्र 0.02% का योगदान** है। इसके बावजूद **समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण प्रशांत द्वीप समूह के देश सबसे अधिक जोखिमपूर्ण स्थिति** में हैं।
- **मानदंड संबंधी मुद्दों पर ग्लोबल नॉर्थ का अलग दृष्टिकोण:** उदाहरण के लिए- लोकतंत्र, मानवाधिकार, जलवायु गवर्नेंस के लिए एजेंडा आदि की व्याख्या को लेकर ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच आम सहमति का अभाव है।
  - इसके अलावा, **ग्लोबल नॉर्थ के भू-राजनीतिक संघर्ष वैश्विक स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।** साथ ही, तेल की बढ़ती कीमतें, खाद्य पदार्थों के मूल्यों में अस्थिरता जैसी ग्लोबल साउथ की चिंताओं की अनदेखी की जाती है।

भारत के लिए ग्लोबल साउथ का महत्त्व

- **अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव:** ग्लोबल साउथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और उसके आर्थिक परिवर्तन एवं विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है।
- **रणनीतिक विचार:** ग्लोबल साउथ के साथ संबंध भारत की "मल्टीडायरेक्शनल एलाइनमेंट (बहुआयामी संरेखण)" रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
  - यह रणनीति चीन के प्रभाव को कम करने में भी मदद करती है।
- **आर्थिक विकास:** ग्लोबल साउथ के देशों में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। साथ ही, ये भारतीय उत्पादों के निर्यात के लिए एक विशाल बाजार प्रदान करते हैं।

भारत स्वयं को ग्लोबल साउथ के नेतृत्वकर्ता के रूप में कैसे स्थापित कर रहा है?

- **कनेक्टिविटी एवं आर्थिक अंतर-संबंधों को बढ़ावा देना:** भारत ग्लोबल साउथ के देशों में कई क्षेत्रकों में बड़े पैमाने पर अवसंरचना के विकास से लेकर समुदायों को सशक्त करने से संबंधित परियोजनाओं (जैसे- स्वास्थ्य, आवास, पर्यावरण, शिक्षा आदि) को शुरू करके अपनी पैठ मजबूत कर रहा है।
  - साथ ही, साझेदार देशों की आर्थिक चुनौतियों को कम करने और संकटों पर काबू पाने में सहायता करने के लिए वित्तीय, बजटीय एवं मानवीय सहायता प्रदान करता है।
- **क्षमता निर्माण और ग्लोबल साउथ के प्रथम सहायता प्रदाता के रूप में उभरना:** उदाहरण के लिए, भारत-संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल; कोविड-19 के दौरान वैक्सीन मैत्री पहल आदि।
- **वैश्विक जलवायु एजेंडे का नेतृत्व करना:** उदाहरण के लिए- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)[17]; आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)[18]; साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों (CBDR)[19] का समर्थन करना आदि।
- **ग्लोबल साउथ के लिए प्रासंगिक मुद्दों की वकालत करना:** उदाहरण के लिए- अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करना।

---

[16] State of the Climate in the South-West Pacific

[17] International Solar Alliance

[18] Coalition for Disaster Resilience

[19] Common but Differentiated Responsibilities

* **अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार:** जैसे- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का विस्तार करने की मांग।
* **लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर वैकल्पिक तंत्र:** उदाहरण के लिए- पंचशील, गुजराल सिद्धांत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों पर आधारित वैकल्पिक तंत्र।

ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने में भारत के समक्ष मौजूद चुनौतियां

* **अलग-अलग हित:** ग्लोबल साउथ एक विविधतापूर्ण क्षेत्र है। इसमें देशों के अपने अलग-अलग आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हित हैं। इससे एक एकीकृत रुख अपनाना मुश्किल हो जाता है।
* **चीन के साथ प्रतिस्पर्धा:** भारत को विशेष रूप से विकास वित्त, परियोजनाओं के वितरण, अवसंरचना और व्यापार संबंधी विकास योजनाओं में **चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करनी** पड़ रही है। इसके अलावा, **उसके द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेप** का भी सामना करना पड़ रहा है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल, चेक बुक डिप्लोमेसी इसके कुछ उदाहरण हैं।
* **कूटनीतिक चुनौती:** ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस जैसी शक्तियों के साथ रणनीतिक साझेदारी को संतुलित करना कूटनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
    * इसके अलावा, भारत का यह कदम इसकी विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है, क्योंकि वैश्विक पटल पर इसे पारंपरिक गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) सिद्धांतों से भारत के दूर होने के रूप में देखा जा सकता है।
* **सीमित विस्तृत राष्ट्रीय शक्ति:** भारत की सीमित राष्ट्रीय क्षमता और विनिर्माण उद्योग का निम्न स्तर; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सीमित नवाचार तथा श्रम गुणवत्ता का निम्न स्तर, ग्लोबल साउथ की समस्याओं का समाधान करने में चुनौतियां पेश करते हैं।
* **ऊर्जा संक्रमण से जुड़ी समस्या:** भारत को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता के कारण आलोचनाओं और अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए- पश्चिमी देशों ने भारत की तब आलोचना की जब उसने COP-26 में कोयले के उपयोग को "चरणबद्ध तरीके से समाप्त" करने की प्रतिबद्धता का विरोध किया था।

ग्लोबल साउथ के लिए भारत की पहलें

* **सामाजिक प्रभाव कोष (Social Impact Fund):** भारत इस कोष के माध्यम से ग्लोबल साउथ में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को मजबूत करने के लिए 25 मिलियन डॉलर का योगदान देगा।
* **ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमैट फोरम:** इसे शिक्षा और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।
* **अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करना:** अफ्रीकी संघ को भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान स्थायी सदस्य के रूप में G20 में शामिल किया गया था।
* **आरोग्य मैत्री का विज़न:** 'एक विश्व-एक स्वास्थ्य' भारत का स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन है। उदाहरण के लिए- हाल ही में भारत का **पहला विदेशी जन औषधि केंद्र मॉरीशस** में खोला गया है।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे भारत एक संतुलनकारी शक्ति से एक अग्रणी शक्ति में परिवर्तित हो रहा है, इसे ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट करने के लिए अपने "वसुधैव कुटुंबकम" जैसे समृद्ध सांस्कृतिक लोकाचार का लाभ उठाना चाहिए। डिजिटल विभाजन को समाप्त करके; आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे का समर्थन करके और एक समावेशी व न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की वकालत करके, भारत वैश्विक मंचों पर सामूहिक रूप से अपना पक्ष रखने की क्षमता को बढ़ा सकता है।

2.1.1. ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट (Global Development Compact)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के बढ़ते कर्ज की समस्या से निपटने के लिए ग्लोबल साउथ हेतु ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट (GDC) क्या है?

* भारत ने तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल साउथ के लिए एक **व्यापक और मानव-केंद्रित "ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट"** का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट (GDC) की प्रमुख विशेषताएं

- **इसमें चार सिद्धांत शामिल हैं:** विकास के लिए व्यापार; संधारणीय विकास के लिए क्षमता निर्माण; प्रौद्योगिकी साझाकरण; तथा परियोजना विशिष्ट रियायती वित्त एवं अनुदान।
- **ऋण का कोई बोझ नहीं:** यह सुनिश्चित करना कि विकास और बुनियादी ढांचे के वित्त-पोषण से विकासशील देशों पर ऋण/ कर्ज का बोझ न बढ़े।
  - इससे चीन के "ऋण जाल" में फंसने वाले देशों की चिंताओं का भी समाधान होने की उम्मीद है।
- **विकास के वैकल्पिक मार्ग की तलाश करना:** यह आर्थिक संवृद्धि, सामाजिक समावेशन एवं पर्यावरणीय संधारणीयता के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाशने में सहायता करेगा।

विकासशील देशों पर बढ़ते ऋण के लिए उत्तरदायी कारण

- **उधार लेने की उच्च लागत:** विकासशील देश संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में 2 से 4 गुना अधिक तथा जर्मनी की तुलना में 6 से 12 गुना अधिक दरों पर उधार लेते हैं।
- **उच्च सार्वजनिक ऋण:** 2023 में विकासशील देशों का सार्वजनिक ऋण 29 ट्रिलियन डॉलर था। विकासशील देशों का सार्वजनिक ऋण विकसित देशों की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है।
- **सीमित घरेलू संसाधन:** विकासशील देश अक्सर अक्षम या अप्रभावी कर नीतियों और कमजोर कानून व्यवस्था के कारण सीमित घरेलू संसाधन, खराब ऋण प्रबंधन, कम सरकारी राजस्व जैसी समस्याओं से जूझते हैं।
- **राजनीतिक अस्थिरता:** इसके परिणामस्वरूप, नीतिगत अनिश्चितता पैदा होती है तथा निवेशकों का विश्वास कम हो जाता है। साथ ही, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में गिरावट के कारण ब्याज दरें बढ़ जाती हैं और उधार लेने की लागत में बढ़ोतरी होती है।
- **निजी ऋणदाताओं (बॉण्ड धारक, बैंक और अन्य ऋणदाता) पर अत्यधिक निर्भरता:** 2010 के बाद से, निजी ऋणदाताओं द्वारा दिए जाने वाले बाह्य सार्वजनिक ऋण का हिस्सा सभी क्षेत्रों में बढ़ गया है। यह 2022 में विकासशील देशों के कुल बाह्य सार्वजनिक ऋण का 61% था।

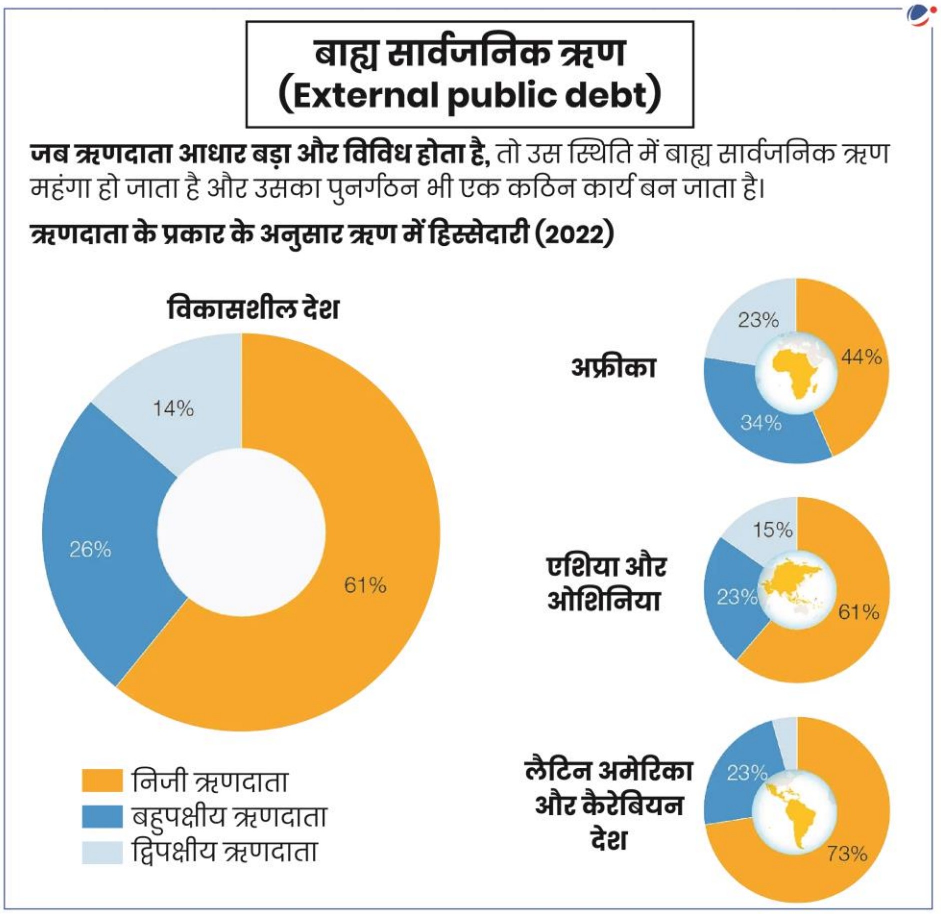

- **नई वैश्विक चुनौतियां:** कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध आदि ने वैश्विक आर्थिक स्थिति पर दबाव को बढ़ा दिया है। इससे ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुई हैं तथा विकासशील देशों की वित्तीय कमजोरियां में बढ़ोतरी हुई है।

अत्यधिक ऋण बोझ के प्रभाव

- **ऋण स्थिरता का मुद्दा:** वर्तमान में, विश्व के लगभग 60% निम्न आय वाले देशों पर ऋण संकट का उच्च जोखिम है या वे पहले से ही इस स्थिति में आ गए हैं।
- **ब्याज का भुगतान करने के लिए अधिक संसाधनों का आवंटन:** 54 विकासशील देश अपने कुल राजस्व के 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सा 'निवल ब्याज भुगतान' पर खर्च करते हैं।

- यह कल्याणकारी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने की सरकार की क्षमता को सीमित करता है। अफ्रीका में, लोग शिक्षा और स्वास्थ्य पर जितना खर्च करते हैं, उससे ज़्यादा पैसा सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च कर देते हैं। औसतन, वे ब्याज पर 70 डॉलर, शिक्षा पर 60 डॉलर और स्वास्थ्य पर 39 डॉलर खर्च करते हैं।

- **जलवायु परिवर्तन शमन में बाधक:** उदाहरण के लिए- वर्तमान में विकासशील देश जलवायु कार्रवाई पहलों (2.1%) की तुलना में अपने ब्याज भुगतान (2.4%) के लिए अपनी GDP का एक बड़ा हिस्सा व्यय कर रहे हैं।
- **निजी ऋणदाताओं पर अत्यधिक निर्भरता:** इससे ऋण पुनर्गठन, विशेष रूप से संकट के दौरान उच्च अस्थिरता की चुनौतियां सामने आती हैं। इसके अलावा, निजी ऋणदाताओं से ऋण लेना बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्रोतों से मिलने वाले रियायती वित्त-पोषण की तुलना में अधिक महंगा है।
- **संप्रभु ऋण संकट और वैश्विक वित्तीय अस्थिरता:** विकासशील देशों में ऋण का उच्च स्तर वैश्विक वित्तीय अस्थिरता को बढ़ाने में योगदान दे सकता है, क्योंकि इससे उधार लेने और पुनर्भुगतान का एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। इससे डिफ़ॉल्ट और आर्थिक संकट का जोखिम बढ़ता है।
  - उदाहरण के लिए- केवल पिछले तीन वर्षों में, 10 विकासशील देशों में 18 सॉवरेन डिफॉल्ट हुए हैं। यह पिछले दो दशकों में दर्ज की गई कुल संख्या से भी अधिक है।

संधारणीय एवं समावेशी ऋण समाधान के लिए यू.एन. ट्रेड एंड डेवलपमेंट (पूर्ववर्ती अंकटाड) की सिफारिशें

- **वैश्विक वित्तीय सुधार:** वैश्विक वित्तीय संरचना में व्यापक सुधार और संप्रभु ऋण पुनर्गठन (Sovereign debt restructuring) के समन्वय एवं मार्गदर्शन के लिए एक वैश्विक ऋण प्राधिकरण की स्थापना करने की आवश्यकता है।
- **रियायती ऋण:** बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय बैंकों की आधार पूंजी में वृद्धि करके उनकी ऋण देने की क्षमता का विस्तार करना चाहिए।
- **वित्त-पोषण में पारदर्शिता:** वित्त-पोषण की शर्तों में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए संसाधन एवं सूचना विषमता को कम करने की जरूरत है।
- **शोषण करने वाले ऋणदाताओं को हतोत्साहित करना:** शोषण करने वाली कर्ज देने की पद्धतियों/ प्रणालियों को हतोत्साहित करने के लिए विधायी उपाय लागू करने की आवश्यकता है।
- **संकट के समय लोचशीलता:** बाहरी संकटों के दौरान आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए ऋण भुगतान पर अस्थायी रोक लगाने के नियमों को लागू करना आवश्यक है।
- **स्वचालित पुनर्गठन (Automatic Restructuring):** स्वचालित पुनर्गठन नियमों को विकसित करना तथा वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल को मजबूत करना चाहिए।

निष्कर्ष

विकासशील देशों के बढ़ते सार्वजनिक ऋण से निपटने के लिए घरेलू पहलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मिलाकर एक व्यापक रणनीति बनाने की आवश्यकता है। इसमें ऋण पुनर्गठन, राजकोषीय समेकन, दीर्घकालिक समाधान के लिए विकास को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां आदि शामिल होने चाहिए।

2.2. भारत की एक्ट ईस्ट नीति के 10 वर्ष (10 Years of India's Act East Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विशेषज्ञों के अनुसार, हाल ही में **भारतीय प्रधान मंत्री की सिंगापुर यात्रा** का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया और अधिक व्यापक रूप से प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भारत के संबंधों को नई गति प्रदान करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 में भारत की **एक्ट ईस्ट नीति का एक दशक** पूरा होने जा रहा है। ज्ञातव्य है कि भारत के प्रधान मंत्री ने **नवंबर, 2014 में म्यांमार में आयोजित 9वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान + भारत शिखर सम्मेलन में 'एक्ट ईस्ट नीति'** की घोषणा की थी।

भारत और पूर्वी एशिया: लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट नीति तक

- **लुक ईस्ट नीति (LEP) की शुरुआत:** शीत युद्ध के बाद भारत ने अपने एक रणनीतिक साझेदार के रूप में सोवियत संघ (USSR) को खो दिया था। इसलिए, **1990 के दशक की शुरुआत में आरंभ की गई LEP** का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके दक्षिण-पूर्व एशियाई सहयोगियों के साथ संबंध स्थापित करना था, ताकि चीन को प्रतिसंतुलित किया जा सके।

- **लुक ईस्ट पॉलिसी और आसियान:** 'लुक ईस्ट' पॉलिसी को प्रभावी बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए, भारत **1992 में आसियान समूह में "सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर (क्षेत्रीय संवाद साझेदार)"** के रूप में शामिल हुआ।
  - **भारत 1995 में "डायलॉग पार्टनर"** बना, **2002 में शिखर सम्मेलन स्तर का साझेदार**[20] बना तथा **2012** में इसने आसियान के साथ **रणनीतिक साझेदारी**[21] स्थापित की।
- **भारत की एक्ट ईस्ट नीति (AEP):** भारत ने **2014 में 'एक्ट ईस्ट' नीति** की शुरुआत की थी। इस नीति की परिकल्पना मूलतः एक **आर्थिक पहल** के रूप में की गई थी, जिसमें बाद में **राजनीतिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक आयाम** जुड़ गए।

रणनीतिक हितों में कन्वर्जेंस या तालमेल

भारत ने इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ **रणनीतिक साझेदारी** स्थापित की है। **भारत और ताइवान** ने अपने अनौपचारिक संबंधों के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

भारत की एक्ट ईस्ट नीति जापान की **फ्री एंड ओपन इंडो–पैसिफिक,** दक्षिण कोरिया की **न्यू सदर्न पॉलिसी** और **इंडो–पैसिफिक पर आसियान आउटलुक** (AOIP) के अनुरूप है।

भारत ने दक्षिण चीन सागर के मोर्चे पर **फिलीपींस के साथ एकजुटता** प्रदर्शित की है।

भारत ने **आसियान एकता** और **हिंद–प्रशांत क्षेत्र में आसियान केंद्रीयता के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता** प्रदर्शित की है।

चीन के आधिपत्य से निपटने के लिए **रणनीतिक और सुरक्षा आर्किटेक्चर का निर्माण** किया गया है, उदाहरण के लिए– भारत **एक खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद–प्रशांत** का समर्थन करता है।

एक्ट ईस्ट नीति (AEP) की प्रभावशीलता

- **पूर्वी एशिया से लेकर हिंद-प्रशांत तक AEP का विस्तार:** लुक ईस्ट नीति पूरी तरह से आसियान पर केंद्रित थी, वहीं एक्ट ईस्ट नीति में भारत ने **अपने रणनीतिक दायरे का विस्तार किया** तथा विस्तारित पड़ोस में आसियान को केंद्र में रखते हुए हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर जोर दिया।
  - उदाहरण के लिए- भारत ने 2019 में **हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI)** शुरू की।
- **बहुपक्षीय और क्षेत्रीय जुड़ाव को मजबूत करना:** भारत **आसियान, बिम्सटेक, एशिया सहयोग वार्ता (ACD)**[22], **हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA)** आदि के साथ गहन साझेदारी स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। उदाहरण के लिए- हाल ही में **बिम्सटेक चार्टर** को अपनाया जाना।

[20] Summit-level Partne

[21] Strategic partnership

- **संस्थागत सहयोग में वृद्धि:** भारत संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगियों **(जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया)** के साथ संस्थागत सहयोग में वृद्धि कर रहा है। उदाहरण के लिए- भारत, अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉसपेरिटी (IPEF), सप्लाई चेन रेसिलिएंस इनिशिएटिव (SCRI) आदि में शामिल हो गया है।
    - **जापान ने पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी परियोजनाओं** के लिए ऋण प्रदान किया है।
- **रक्षा कूटनीति और निर्यात में भारत की सक्रिय भूमिका:**
    - 2022 में, फिलीपींस, **ब्रह्मोस** सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के तट-आधारित एंटी-शिप संस्करण का पहला निर्यात गंतव्य बनकर भारत के साथ एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया।
    - **भारत-वियतनाम मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट:** यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को **एक-दूसरे के सैन्य अड्डों तक पहुंच** सुनिश्चित करने तथा रक्षा सामग्री के **संयुक्त उत्पादन की मात्रा और दायरे को बढ़ाने** के लिए किया गया है।
- **कनेक्टिविटी संबंधी परियोजनाएं शुरू करना:** कलादान मल्टी-मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना (भारत के **मिजोरम को म्यांमार के सित्तवे बंदरगाह** से जोड़ती है); भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग; मेकांग-भारत आर्थिक गलियारा; आदि।
- **भारत की सक्रिय सामाजिक-सांस्कृतिक और विकासात्मक पहुंच:** लोगों के बीच बढ़ते आपसी संबंध (करीब 2 मिलियन प्रवासी समुदाय) तथा प्रधान मंत्री की ब्रुनेई और सिंगापुर यात्रा जैसी महत्वपूर्ण राजकीय यात्राएं इसका प्रमाण हैं।
    - **प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों की ओर विकासात्मक पहुंच:** फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC) की स्थापना और भारत की वैक्सीन मैत्री पहल (जिसके तहत **पापुआ न्यू गिनी** को टीके प्रदान किए गए थे) आदि।

एक्ट ईस्ट एशिया नीति के कार्यान्वयन के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियां

- **अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के विकास में देरी:** कलादान मल्टी-मॉडल परियोजना में देरी के कारण इसका बजट अपनी प्रारंभिक लागत से छह गुना बढ़कर 3,200 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि 2008 में 536 करोड़ रुपये था।
- **बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल और नागरिक अशांति:** वर्तमान नई राजनीतिक स्थिति में भारत-बांग्लादेश कनेक्टिविटी परियोजनाओं के भविष्य को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बन गई है।
- **भारत के पूर्वोत्तर में शरणार्थियों का आगमन:** इससे सीमाओं पर अस्थिरता पैदा हुई है और सीमावर्ती राज्यों में नृजातीय संघर्ष पैदा हुआ है। उदाहरण के लिए- **मणिपुर में कुकी एवं मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष** से उत्पन्न अशांति।
- **हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव:** इससे **बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह** के माध्यम से सामरिक समुद्री व्यापार मार्गों तक भारत की पहुंच प्रभावित हो सकती है।
- **चीन के साथ प्रतिस्पर्धा:** पूर्वी एशिया में चीन का आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव, भारत के लिए इस क्षेत्र में बढ़त हासिल करने में प्रमुख रुकावट है। उदाहरण के लिए- **2023 में, चीन और आसियान के बीच व्यापार 911.7 बिलियन अमरीकी डॉलर** तक पहुंच गया था।

- **आसियान के साथ भारत के व्यापार घाटे में वृद्धि:** वर्ष 2010 में आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA)[23] के लागू होने के बाद से ही भारत को हर साल करीब 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा उठाना पड़ा था। वित्त वर्ष 2023 में भारत का आसियान के साथ लगभग 44 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा रहा था।

आगे की राह

- **व्यापार:** AITIGA में सुधार पर जल्द-से-जल्द वार्ता शुरू करनी चाहिए। साथ ही, आसियान के साथ भारत के बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने के लिए समाधान तलाशने की भी जरूरत है।

---

[22] Asia Cooperation Dialogue

[23] ASEAN-India Trade in Goods Agreement

* **बुनियादी ढांचा:** लंबित अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को जल्द-से-जल्द पूरा करके कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना चाहिए।
* **सुरक्षा सहयोग:** हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
* **सांस्कृतिक कूटनीति:** विशेष रूप से बौद्ध-बहुल देशों के साथ साझा सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाना चाहिए।
* **बहुपक्षीय सहभागिता:** जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान जैसी अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए।

2.2.1. भारत वियतनाम संबंध (India Vietnam Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वियतनाम के **प्रधान मंत्री ने भारत की राजकीय यात्रा की।**

अन्य संबंधित तथ्य

* **यात्रा के मुख्य आउटकम्स पर एक नज़र:**
  * **प्लान ऑफ एक्शन या कार्य योजना (2024-2028):** दोनों देशों ने **2024-2028 की अवधि के दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी को लागू करने के लिए एक कार्य योजना** को अपनाया।
  * **लाइन ऑफ क्रेडिट या ऋण सहायता (Line of Credit):** भारत ने वियतनाम की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए **क्रेडिट लाइन को बढ़ाकर 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर** कर दिया है।
  * **सांस्कृतिक सहयोग:** यूनेस्को विश्व विरासत स्थल **"माई सन"** मंदिर परिसर के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
  * **समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर (MoUs Signed):** रेडियो और टेलीविजन क्षेत्रक में सहयोग तथा **गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर** के विकास के लिए MoUs पर हस्ताक्षर किए गए।
  * **अन्य घोषणाएं:**
    * वियतनाम के **न्हा ट्रांग में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क** का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया।
    * वियतनाम **आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन** (CDRI)[24] में शामिल होगा।

भारत-वियतनाम संबंध

* **पृष्ठभूमि:** भारत ने **फ्रांस से वियतनाम की स्वतंत्रता** का समर्थन किया था। 1960 के दशक में वियतनाम में अमेरिका के हस्तक्षेप पर आपत्ति प्रकट की थी। इसके अलावा, भारत वियतनाम-अमेरिका युद्ध के बाद **1975 में एकीकृत वियतनाम को मान्यता** देने वाले विश्व के पहले देशों में से एक था।
* **रणनीतिक साझेदारी:** दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को **2007 में 'रणनीतिक साझेदारी' और 2016 में 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी'** के स्तर पर ले जाया गया।
  * दोनों देशों के बीच वर्तमान सहयोग **शांति, समृद्धि और लोगों के लिए संयुक्त दृष्टिकोण 2020** द्वारा निर्देशित है।
* **आर्थिक सहयोग:** वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और वियतनाम के बीच **14.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार** हुआ था।
  * वियतनाम भारत का **23वां सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार साझेदार** है और आसियान देशों में **5वां** सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार साझेदार है।
* **रक्षा सहयोग:** दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बहुआयामी स्तर का है। इसमें रक्षा वार्ता, प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास (PASSEX, VINBAX और MILAN), क्षमता निर्माण में सहयोग तथा नौसेना एवं तटरक्षक जहाजों के दौरे शामिल हैं।

---

[24] Coalition for Disaster Resilient Infrastructure

- 2022 में, दोनों देशों ने**"2030 तक भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी पर संयुक्त विज़न वक्तव्य" और पारस्परिक लॉजिस्टिक्स समर्थन** पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
- **आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण में सहभागिता:** वियतनाम के साथ साझेदारी भारत को एक विश्वसनीय, दक्ष एवं लचीली क्षेत्रीय व वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण में भाग लेने में मदद कर सकती है।
  - **यूरोपीय संघ के साथ वियतनाम के मुक्त व्यापार समझौते** ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था में इसकी भूमिका को और बढ़ा दिया है।
- **सांस्कृतिक:** भारत और वियतनाम 2,000 वर्षों से अधिक पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच उनकी साझी बौद्ध विरासत के माध्यम से एक मजबूत संबंध विकसित हुआ है।

भारत के लिए वियतनाम का महत्त्व

- **भू-सामरिक अवस्थिति:** सुरक्षित एवं स्थिर समुद्री व्यापार मार्गों को बनाए रखने के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में वियतनाम की अवस्थिति काफी महत्वपूर्ण है।
- **चीन को प्रतिसंतुलित करना:** भारत लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन के दावे का विरोध करता है, जबकि वियतनाम दक्षिण चीन सागर में **पारसेल और स्प्रैटली द्वीपों** पर चीनी दावों का विरोध करता है।
  - वियतनाम दक्षिण चीन सागर में चीन की एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे मुखर विरोधियों में से एक बना हुआ है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** भारतीय कंपनियों ने दक्षिण चीन सागर में हाइड्रोकार्बन भंडारों से समृद्ध वियतनामी जल क्षेत्रों में तेल और गैस अन्वेषण परियोजनाओं में निवेश किया है।
  - वियतनाम से हाइड्रोकार्बन की निरंतर आपूर्ति से भारत में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
- **एक्ट ईस्ट नीति:** वियतनाम आसियान में भारत का एक प्रमुख भागीदार है तथा भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो-पैसिफिक विज़न में भी एक महत्वपूर्ण साझेदार है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का समर्थन:** वियतनाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन करता है।

भारत-वियतनाम संबंधों में चुनौतियां

- **चीन को प्रतिसंतुलित करना:** चीन के अन्य पड़ोसी देशों की तरह वियतनाम भी चीन की हरकतों से सावधान रहता है। इसके परिणामस्वरूप, वह भारत के साथ सैन्य संबंधों को गहरा करने का अनिच्छुक है।
  - दक्षिण चीन सागर पर चीनी दावे इस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन की खोज के भारत के प्रयासों को खतरे में डाल सकते हैं।
- **दोनों देशों के बीच बहुत कम व्यापार:** भारत-वियतनाम के बीच व्यापार में वृद्धि के बावजूद यह चीन एवं अमेरिका की तुलना में बहुत मामूली स्तर पर है, क्योंकि चीन के साथ वियतनाम का व्यापार लगभग 100 बिलियन डॉलर का है। इसी प्रकार, अमेरिका-वियतनाम के बीच लगभग 142 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है।
- **चीन से ट्रेड रूटिंग:** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में कहा गया है कि मैक्सिको और वियतनाम जैसे देशों के माध्यम से व्यापार में वृद्धि चीनी फर्मों द्वारा अपनी आपूर्ति को इन देशों में री-रूट करने के परिणामस्वरूप हुई है।
- **सैन्य समझौतों में अनिच्छा:** सैन्य उपकरण खरीद के लिए भारत की ऋण सहायता (line of credit) के बावजूद, वियतनाम इसका पूर्ण उपयोग करने में हिचकिचा रहा है। साथ ही, उसने सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल खरीदने में भी अनिच्छा प्रकट की है।
- **सांस्कृतिक अंतर:** दोनों देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक, रीति-रिवाज संबंधी और भाषाई अंतर काफी अधिक है।

वियतनाम के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलें

- **मेकांग-गंगा सहयोग (MGC)[25]:** यह पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन और संचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत तथा पांच आसियान देशों **(कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, और वियतनाम)** की एक पहल है।
- **त्वरित प्रभाव परियोजनाएं (Quick Impact Projects):** इन्हें भारत द्वारा वियतनाम के अलग-अलग प्रांतों में MGC फ्रेमवर्क के तहत संचालित किया जा रहा है।
- भारत वियतनामी नागरिकों को **भारत में प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और शैक्षिक पाठ्यक्रम** प्रदान करता है।
- भारत ने 2023 में अपने स्वदेशी मिसाइल **कार्वेट INS कृपाण** को वियतनाम को सौंपा।

[25] Mekong-Ganga Cooperation

आगे की राह

- **आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना:** संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना, भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना, ई-कॉमर्स को प्रोत्साहित करना, क्षेत्रीय व्यापार संरचना को बेहतर बनाना और पारस्परिक रूप से बड़े बाजरों तक पहुंच प्रदान करना, आदि।
- **कनेक्टिविटी संबंधी कमियों का समाधान करना:** भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को पहले से मौजूद सड़कों से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि थाईलैंड को वियतनाम के **दा नांग बंदरगाह** से जोड़ने वाली सड़क।
- **सांस्कृतिक सहयोग को गहरा करना:** दोनों देशों की जनता के बीच आपसी सहयोग एवं आवाजाही को और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों देशों के बीच काफी सद्भावना है, जिसका लाभ उठाया जा सकता है।
- **समान हितों को साकार करना:** भारत और वियतनाम भौगोलिक दृष्टि से हिंद-प्रशांत क्षेत्र के केंद्र में स्थित हैं।
    - दोनों देश इस रणनीतिक व सामरिक क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाएंगे, जो प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच शक्ति प्रदर्शन और प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा का प्रमुख क्षेत्र बनता जा रहा है।

2.2.2. भारत मलेशिया संबंध (India Malaysia Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मलेशिया के **प्रधान मंत्री ने भारत की राजकीय यात्रा की।**

यात्रा के मुख्य आउटकम्स पर एक नज़र

- **व्यापक रणनीतिक साझेदारी:** दोनों देशों के बीच **2015** में **"एनहैंस्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप"** स्थापित हुई थी, जिसे बाद में **"कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप"** में अपग्रेड किया गया।
- **मलेशिया IBCA में शामिल होगा:** मलेशिया ने **इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA)** में इसके संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया था।
    - IBCA को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अप्रैल, 2023 में भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। **IBCA** का लक्ष्य **सात प्रमुख बड़ी बिग कैट प्रजातियों (बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता) की सुरक्षा व संरक्षण** सुनिश्चित करना है। IBCA को उन **97 देशों** के सहयोग से शुरू किया गया है, जहां पर बिग कैट की ये प्रजातियां पाई जाती हैं।
- **डिजिटल प्रौद्योगिकी सहयोग:** डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और **मलेशिया-भारत डिजिटल परिषद** की शीघ्र बैठक आयोजित करने का समर्थन किया गया।
    - डिजिटल परिषद, दोनों देशों के मध्य **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्टर, डिजिटल B2B (व्यवसाय से व्यवसाय) साझेदारी, डिजिटल क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों** (जैसे- 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग) के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी।
- **भारत-मलेशिया स्टार्ट-अप गठबंधन:** इसके माध्यम से दोनों देशों में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मजबूत किया जाएगा।
- **AITIGA की समीक्षा के लिए समर्थन:** दोनों देशों ने **आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA)** की समीक्षा प्रक्रिया को समर्थन देने और इसमें तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि इसे व्यापार के लिए और अधिक सुविधाजनक एवं लाभकारी बनाया जा सके।

भारत के लिए मलेशिया का महत्त्व

- **भू-राजनीतिक महत्त्व:** दक्षिण चीन सागर में **बोर्नियो द्वीप पर सारावाक राज्य** के पास एक तेल समृद्ध समुद्री क्षेत्र है। मलेशिया इस क्षेत्र में तेल और गैस की खोज की अपनी योजना संचालित कर रहा है। चीन मलेशिया की इस योजना का विरोध कर रहा है और मलेशिया से इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहा है। चीन की इस मांग के खिलाफ **मलेशिया का मजबूत रुख संप्रभुता बनाए रखने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।**
    - मलेशिया का यह रुख एक **स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।**
- **भारत की एक्ट ईस्ट नीति:** मलेशिया आसियान के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ तालमेल बिठाने तथा **आसियान के इंडो-पैसिफिक पर्सपेक्टिव (AOIP) और इंडो-पैसिफिक इनिशिएटिव (IPOI)** का समर्थन करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
- **समुद्री संचार मार्गों (SLOC)[26] को सुरक्षित करना:** मलक्का जलडमरूमध्य के निकट मलेशिया की भौगोलिक अवस्थिति, **हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों और समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) की सुरक्षा में इसके सामरिक महत्त्व को काफी हद तक बढ़ाती** है।

[26] Sea Lines of Communication

- चूंकि मलक्का जलडमरूमध्य **अंडमान सागर** के भी करीब है, इसलिए यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है।

- **अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग:** भारत मलेशिया को एक मजबूत **ग्लोबल साउथ पार्टनर** के रूप में देखता है। मलेशिया ने भारत के नेतृत्व में **वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट (VOGSS) के सभी तीन शिखर सम्मेलनों** में भाग लिया है।
    - हाल ही में, भारत ने **ब्रिक्स समूह** में शामिल होने के मलेशिया के अनुरोध पर उसके साथ काम करने पर भी सहमति व्यक्त की है।

भारत-मलेशिया संबंधों के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** भारत ने **1957 में मलाया संघ (मलेशिया का पूर्ववर्ती नाम) के साथ राजनयिक संबंध** स्थापित किए थे।
- **आर्थिक:** वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच **द्विपक्षीय व्यापार 20.01 बिलियन डॉलर** तक पहुंच गया था। इससे मलेशिया भारत का **16वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** बन गया था। मलेशिया **आसियान समूह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है।
    - प्रमुख पहलों में मलेशिया-भारत व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (MICECA) की संयुक्त समिति की बैठक, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के प्रयास तथा दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग शामिल है।
- **ऑयल पाम कूटनीति:** भारत हर साल **9.7 मिलियन टन** ऑयल पाम आयात करता है। इसमें से केवल **मलेशिया से तीन मिलियन मीट्रिक टन** का आयात किया जाता है।
    - मलेशिया ने **भारत के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन** को अपना समर्थन प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है। इसके अंतर्गत वह भारत को अनुसंधान एवं विकास, गुणवत्ता युक्त बीजों की आपूर्ति एवं साझेदारी युक्त प्रबंधन के अनुभव जैसी सेवाएं प्रदान करेगा।
- **रक्षा सहयोग:** मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग के दायरे में संयुक्त उद्यम, संयुक्त विकास परियोजनाएं, खरीद, लॉजिस्टिक्स और रखरखाव समर्थन एवं प्रशिक्षण शामिल हैं।
    - **मलेशिया-भारत रक्षा सहयोग समिति** (MIDCOM)[27] वार्षिक आधार पर रक्षा सहयोग में प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से बैठक करती है।
    - 2023 में **कुआलालंपुर में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)** के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया।
- **लोगों का आपस में जुड़ाव:** मलेशिया में भारतीय मूल के **दो मिलियन से अधिक** लोग रहते हैं। इस प्रकार, **संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद तीसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय मलेशिया** में रहता है।

भारत-मलेशिया संबंधों में चुनौतियां

- **कमजोर आर्थिक सहयोग:** भारत-मलेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार, मलेशिया-चीन द्विपक्षीय व्यापार (100 बिलियन डॉलर से अधिक) की तुलना में बहुत कम है। **चावल, चीनी और प्याज** पर भारत के निर्यात प्रतिबंधों ने मलेशिया की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित किया है।
- **रक्षा संबंध:** भारत मलेशिया के साथ रक्षा समझौते करने में संघर्ष कर रहा है। 2023 में, मलेशिया ने भारत के तेजस की जगह दक्षिण कोरिया के FA-50 जेट को चुना था, बावजूद इसके कि तेजस रूसी और पश्चिमी लड़ाकू विमानों से अधिक कारगर एवं सस्ता था।
- **राजनीतिक तनाव:** कश्मीर में भारत की कार्रवाई और नागरिकता संशोधन अधिनियम की मलेशिया द्वारा आलोचना से दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ा है।
- **प्रत्यर्पण संबंधी मुद्दा:** मलेशिया ने जाकिर नाइक के लिए 2017 से भारत के प्रत्यर्पण अनुरोधों को बार-बार अस्वीकार किया है, जिससे तनाव पैदा हुआ है।
- **चीन के साथ संबंध:** मलेशिया चीन के साथ शांति की नीति को प्राथमिकता देता है, सार्वजनिक टकराव से बचता है और विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर पर विवेकपूर्ण वार्तालाप पर ध्यान केंद्रित करता है।
    - चीन मलेशिया के साथ मिलकर **मेलाका डीप सी पोर्ट परियोजना** को विकसित कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल क्षेत्र में चीन का आर्थिक प्रभाव बढ़ाना है, बल्कि सिंगापुर के व्यापारिक वर्चस्व को चुनौती देना और मलक्का जलडमरूमध्य पर निर्भरता को कम करना भी है। साथ ही, **क्रा इस्थमस** में एक नहर निकाल कर चीन एक नया समुद्री मार्ग विकसित करना चाहता है ताकि मलक्का जलडमरूमध्य को बायपास किया जा सके।
- **श्रम शोषण:** भारतीय प्रवासी श्रमिकों को मलेशियाई खेतों में उत्पीड़न और शोषण का सामना करना पड़ता है। इससे बंधुआ मजदूरी के बारे में चिंता बढ़ जाती है।

---

[27] Malaysia-India Defence Cooperation Committee

मलेशिया के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलें

- मलेशियाई नागरिकों के लिए **भारत के तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के तहत 100 सीटों का विशेष आवंटन** किया गया है।
- आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए **मलेशिया-भारत व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (MICECA)[28] की संयुक्त समिति की बैठक आयोजित** की जाती है।
- **कुआलालंपुर** में स्थित **नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय सांस्कृतिक केंद्र** भारतीय भाषाओं, नृत्य और योग को बढ़ावा देता है।
- **मलेशिया UPI भुगतान स्वीकार करने वाले** विदेशी बाजारों में से एक है।

भारत-मलेशिया संबंधों को और बेहतर बनाने की दिशा में आगे की राह

- **आर्थिक सहयोग को मजबूत करना:** दोहरे कराधान से बचना, सीमा शुल्क सहयोग, बेहतर हवाई कनेक्टिविटी और एयरलाइन सहयोग जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है।
    - AITIGA की समीक्षा का शीघ्र कोई निष्कर्ष निकालना; मलेशिया में एक मजबूत भारतीय प्रवासी समुदाय; चीन की तुलना में युवा आबादी तथा तेजी से हो रहा डिजिटलीकरण भविष्य में आपसी व्यापार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अच्छे संकेत हैं।
        - भारत के वैश्विक व्यापार में **11% की हिस्सेदारी के साथ आसियान भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारों** में से एक है। AITIGA के अपग्रेडेशन से द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
- **रक्षा सहयोग को मजबूत करना:** रक्षा संबंधों में भू-राजनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए, भारत की विदेश नीतियों और पहुंच को दक्षिण कोरिया की न्यू सदर्न पॉलिसी (NSP) के अनुरूप रक्षा सहयोग को भी गहरा करना चाहिए।
    - हालिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद तथा अन्य पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सूचनाओं एवं सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने पर सहमति व्यक्त की। इससे **आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के बीच गठजोड़ को तोड़ा** जा सकेगा।
- **भारत के नेतृत्व वाली पहलों पर सहयोग:** दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मलेशिया को भारत की वैश्विक पहलों (जैसे- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन) में शामिल किया जा सकता है।
- **सॉफ्ट पावर**
    - **पारंपरिक औषधियां:** दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने साझेदारी को बेहतर बनाने के लिए **मलेशिया में भारत के आयुष मंत्रालय के तहत आयुर्वेद प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (ITRA) द्वारा आयुर्वेद पीठ की स्थापना** पर सहमति प्रकट की है। दोनों पक्षों ने **फार्माकोपिया सहयोग** पर समझौता ज्ञापन को जल्द से जल्द पूरा करने पर भी सहमति जताई है।
    - **सांस्कृतिक कूटनीति:** मलेशिया अपनी बड़ी बौद्ध आबादी के साथ भारत द्वारा पर्यटन को बढ़ाने संबंधी प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए, भारत की **'बौद्ध सर्किट'** पहल, जो बौद्ध पर्यटकों को महात्मा बुद्ध के विरासत स्थलों से जोड़ती है।
        - मलेशिया में **तिरुवल्लुवर भारतीय अध्ययन पीठ** की स्थापना के लिए चर्चा शुरू हो गई है।

2.3. भारत-मध्य एवं पूर्वी यूरोप संबंध (India-Central and Eastern Europe Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने पोलैंड की यात्रा की। प्रधान मंत्री यह यात्रा भारत की विदेश नीति में मध्य एवं पूर्वी यूरोप के महत्त्व को बढ़ाने की दिशा में रणनीतिक बदलाव को इंगित करती है।

भारत और मध्य व पूर्वी यूरोप के बीच संबंधों का महत्त्व

- **सामरिक अवस्थिति:** मध्य एवं पूर्वी यूरोप, यूरोप और एशिया के संगम बिंदु पर स्थित है, जो कि रूस व मध्य-पूर्व (Middle East) के बीच एक सामरिक स्थान है।
    - ये देश यूरोप में भारतीय वस्तुओं के निर्यात के लिए मुख्य द्वार के रूप में कार्य कर सकते हैं।

---

[28] Malaysia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement

- **इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को नियंत्रित करना:** ज्ञातव्य है कि **16+1 पहल** तथा **बेल्ट एंड रोड (BRI) इनिशिएटिव** के माध्यम से यूरोप में किए जा रहे चीनी निवेश को **यूरोपीय संघ बहुत ज्यादा अपने हित में नहीं मान** रहा है। यूरोपीय संघ चीन के इस प्रयास को यूरोपीय संघ के भीतर मतभेद पैदा करने का प्रयास मानता है।
  - **16+1 पहल** चीन द्वारा मध्य एवं पूर्वी यूरोप के **16 देशों के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा** देने के लिए शुरू की गई एक इनिशिएटिव है।
  - यूरोपीय संघ चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव को देखते हुए भारत को एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में देखता है।
- **बहुपक्षवाद में सुधार:** कई पूर्वी यूरोपीय देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के दावे के प्रति स्पष्ट समर्थन व्यक्त किया है।
  - उदाहरण के लिए- **विसेग्राद समूह (V4 देश) अर्थात् चेक गणराज्य, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया** ने भारत की **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) की सदस्यता** के लिए भी समर्थन किया है।
- **वैश्विक शक्ति के रूप में उदय:** भारत स्वयं को एक अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है, जिसका प्रभाव दक्षिण एशियाई पड़ोस से कहीं आगे तक होगा।

मध्य एवं पूर्वी यूरोप तक भारत की पहुंच

- **रणनीतिक संलग्नता:** भारत ने मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय (CEE) देशों के साथ अपने राजनयिक एवं आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाया है।
- **आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:** पोलैंड **मध्य एवं पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक एवं निवेश साझेदार** है। 2023 में दोनों देशों के बीच **6 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार** हुआ था।
- **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)[29] समझौता:** G-20 शिखर सम्मेलन (2023) के दौरान घोषित इस समझौते का उद्देश्य **एशिया, यूरोप और मध्य-पूर्व** को आपस में जोड़ना है।
- **सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध:** भारत मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठा रहा है।
  - पोलैंड में भारतीय इतिहास, साहित्य, दर्शन एवं संस्कृति के अध्ययन की बेहतरीन परंपरा रही है। साथ ही, **योग, गुड (डोबरी) महाराजा कनेक्शन** (महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंहजी) आदि भी मौजूद हैं।
- **भारत-यूरोपीय संघ के बीच मौजूद रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना:** भारत पोलैंड जैसे क्षेत्रीय सदस्य देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। इससे भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी को मजबूती मिल रही है।

- **रणनीतिक स्वायत्तता का प्रदर्शन:** उदाहरण के लिए- भारत के प्रधान मंत्री की हालिया यूक्रेन यात्रा से पता चलता है कि यूक्रेन को लेकर भारत का दृष्टिकोण रूस से प्रभावित नहीं है।

---
[29] India-Middle East-Europe Economic Corridor

पूर्वी यूरोप के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने से संबंधित चिंताएं

- **भारत-रूस संबंध:** पूर्वी यूरोप के संबंध में भारत के पारंपरिक सोवियत संबंधों का परिप्रेक्ष्य वर्तमान भू-राजनीतिक अवसरों को कमजोर करता है।
- **यूरेशिया क्षेत्र की बदलती भू-राजनीति:** उदाहरण के लिए, रूस-यूक्रेन युद्ध।
- **चीन का बढ़ता प्रभाव:** बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी पहलों के साथ यूरेशियाई क्षेत्र में चीन की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक उपस्थिति।
- **परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी:** उदाहरण के लिए, भारत-यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी साझेदारी, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) आदि लंबित हैं।
- **अलग-अलग हितों को प्रबंधित करते हुए स्वायत्तता सुनिश्चित करना:** उदाहरण के लिए- QUAD, SCO, G-7 आदि में संतुलनकारी रुख अपनाना।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे भारत-यूरोपीय संघ के बीच सहयोग बढ़ रहा है, दोनों पक्षों के लिए व्यापक मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना महत्वपूर्ण हो गया है। पूर्वी यूरोप के भू-राजनीतिक महत्त्व को हेल्फोर्ड मैकिंडर ने अपने **हार्टलैंड सिद्धांत** में सही ढंग से पेश किया है। इस सिद्धांत के अनुसार "जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है, वह हार्टलैंड पर नियंत्रण रखता है; जो हार्टलैंड पर शासन करता है, वह वर्ल्ड-आइलैंड पर नियंत्रण रखता है; जो वर्ल्ड-आइलैंड पर शासन करता है, वह विश्व पर नियंत्रण रखता है।

2.3.1. भारत-पोलैंड संबंध (India-Poland Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने पोलैंड की आधिकारिक यात्रा की है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच के संबंधों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि हाल ही में **दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे** हुए हैं।

आधिकारिक यात्रा के अन्य मुख्य परिणामों पर एक नजर

- सीमा-पार से आने वाले कामगारों के हितों की रक्षा के लिए एक **सामाजिक सुरक्षा समझौते** पर सहमति बनी।
- भारत और पोलैंड के बीच **जाम साहब ऑफ नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम** शुरू किया जाएगा।
  - द्वितीय विश्व युद्ध (1942) के दौरान, **महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंहजी ने सोवियत संघ (USSR) से विस्थापित शरणार्थी पोलिश बच्चों को आश्रय देने के लिए जामनगर में एक शिविर की स्थापना** की थी।
- दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए। साथ ही, इसके कार्यान्वयन के लिए **पांच वर्षीय कार्य योजना (2024-2028)** को लागू करने पर भी सहमत हुए।

क्या आप जानते हैं?

> भारत-पोलैंड के बीच 1954 में **राजनयिक संबंध** स्थापित हुए, जिसके परिणामस्वरूप 1957 में वारसॉ में **भारतीय दूतावास** खोला गया।

रणनीतिक साझेदारी के लिए पांच वर्षीय कार्य योजना

- **राजनीतिक वार्ता और सुरक्षा सहयोग:** दोनों पक्ष **विदेश संबंधों के प्रभारी उप-मंत्री के स्तर** पर वार्षिक राजनीतिक वार्ता आयोजित करना सुनिश्चित करेंगे।
  - प्रासंगिक संस्थाओं को सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर नियमित परामर्श आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका उद्देश्य रक्षा उद्योगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना, सैन्य उपकरणों का आधुनिकीकरण करना तथा लंबित मुद्दों का समाधान करना है।
- **व्यापार और निवेश:** आर्थिक सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की बैठकें कम-से-कम **हर पांच साल में दो बार** आयोजित होंगी।

○ दोनों पक्ष **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने और व्यापार निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम** करने पर ध्यान केंद्रित करके आर्थिक सुरक्षा में सहयोग को बढ़ाएंगे।

- **भारत-यूरोपीय संघ सहयोग:** अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा, ताकि-
    - भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश वार्ता को शीघ्र पूरा किया जा सके; तथा
    - भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद को संचालित किया जा सके आदि।
- **आतंकवाद:** 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 प्रतिबंध समिति' द्वारा सूचीबद्ध समूहों से संबद्ध व्यक्तियों को नामित करने में सहयोग किया जाएगा।
- **सहयोग के अन्य क्षेत्र:** साइबर सुरक्षा, चक्रीय अर्थव्यवस्था, अपशिष्ट जल प्रबंधन आदि।

2.4. भारत-यूक्रेन संबंध (India-Ukraine Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर यूक्रेन का दौरा किया। वर्ष 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से यह किसी भारतीय प्रधान मंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा थी।

यात्रा के मुख्य बिंदु

- **संभावना:** दोनों देशों ने अपनी व्यापक साझेदारी को भविष्य में रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड करने पर सहमति व्यक्त की।
- **भीष्म (BHISHM) क्यूब्स:** भारत ने 'आरोग्य मैत्री' परियोजना के तहत यूक्रेन को **"भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री (BHISHM)" क्यूब्स** प्रदान किए।
    - भीष्म क्यूब्स **पोर्टेबल अस्पताल** हैं, जिन्हें आपातकालीन स्थितियों में त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **हस्ताक्षरित समझौते:** कृषि और खाद्य उद्योग, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, भारतीय मानवीय अनुदान सहायता और 2024-2028 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम पर समझौते किए गए।

प्रधान मंत्री की यूक्रेन यात्रा का महत्त्व:

- **यूक्रेन के साथ संबंधों को सुधारना:** भारत के प्रधान मंत्री की कीव यात्रा का उद्देश्य सोवियत संघ के बाद के युग में यूक्रेन के साथ शिथिल पड़ चुके संबंधों को पुनः मजबूती प्रदान करना है।
- **भारत को वैश्विक मध्यस्थ के रूप में स्थापित करना:** भारत स्वयं को एक शांति के प्रस्तावक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, ताकि वह वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख भूमिका निभा सके और दक्षिण एशियाई पड़ोस से परे अपने प्रभाव को बढ़ा सके।
    - इसके अलावा, भारत की शांति-निर्माता की भूमिका केवल यूक्रेन संकट को सुलझाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चीन जैसी अन्य उभरती शक्तियों की तुलना में अपनी वैश्विक विश्वसनीयता को बढ़ाने के बारे में भी है।
- **विदेश नीति में भारत की तटस्थता में बदलाव:** यह सभी देशों से समान दूरी (नॉन-एलाइनमेंट) बनाए रखने से लेकर सभी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लक्ष्य की ओर बदलाव को दर्शाता है।
    - इसके अतिरिक्त, भारत ने यह स्पष्ट किया है कि वह कभी भी तटस्थ नहीं था, बल्कि रूस-यूक्रेन संघर्ष में शांति के पक्ष में था।
- **पश्चिम और रूस के बीच संतुलन बनाने का नाजुक कार्य:** भारत के मल्टी एलाइनमेंट दृष्टिकोण के साथ, यह चल रहे युद्ध के दौरान पश्चिम और रूस के बीच संतुलन बनाने के भारत के नाजुक कार्य को प्रदर्शित करता है।

- **भारत का यूरोप की ओर बड़ा कदम:** इससे पहले, यूरोप के साथ भारत के विदेश संबंध केवल यूरोप के चार बड़े देशों रूस, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन तक ही सीमित रहे हैं। ऐसे में यूरोप की शांति के लिए भारत का प्रयास यूरोप की ओर एक बड़ा कदम है।

रूस-यूक्रेन युद्ध की मध्यस्थता में भारत की भूमिका
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों,** क्षेत्रीय अखंडता और राज्यों की संप्रभुता के प्रति सम्मान को कायम रखने में सहयोग।
- कृषि उत्पादों की निर्बाध और बाधारहित आपूर्ति के महत्त्व को रेखांकित करके **वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।**
- व्यापक स्वीकार्यता वाले बहु-हितधारक परामर्श के साथ **अभिनव समाधानों का विकास।**

भारत के लिए यूक्रेन का महत्त्व

- **रक्षा सहयोग:** भारत के सैन्य हार्डवेयर, जो मुख्यतः रूसी और यूक्रेनी मूल के हैं, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण रखरखाव संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
- **व्यापार और अर्थव्यवस्था:** दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार **2021-22 में 3.386 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंच गया।
  - यूक्रेन से भारत को निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं कृषि वस्तुएं, धातुकर्म उत्पाद, प्लास्टिक और पॉलिमर हैं।
    - युद्ध से पहले, **यूक्रेन भारत के लिए सूरजमुखी के तेल के आयात का एक महत्वपूर्ण स्रोत था।**
  - फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, रसायन, खाद्य उत्पाद आदि यूक्रेन को भारत द्वारा की जाने वाली प्रमुख निर्यात वस्तुएं हैं।
- **युद्ध के बाद पुनर्बहाली एवं पुनर्निर्माण:** दोनों देशों ने यूक्रेन के पुनर्बहाली एवं पुनर्निर्माण में भारतीय कंपनियों की भागीदारी की संभावना तलाशने पर सहमति व्यक्त की है। इससे भारत के तनावपूर्ण श्रम बाजार के लिए बड़े अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है।
- **बहुपक्षवाद को बढ़ावा:** यूक्रेन ने वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता के साथ UNSC में सुधार और उसके विस्तार का समर्थन किया है।

भारत-यूक्रेन संबंधों में चुनौतियां

- **रूस-भारत संबंध:** रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध यूक्रेन का पूरी तरह से समर्थन करने की उसकी क्षमता को जटिल बनाते हैं, जिसमें एक नाजुक राजनयिक संतुलन की आवश्यकता है।
- **व्यापार में गिरावट:** 2022 से शुरू हुए युद्ध के कारण वस्तुओं के द्विपक्षीय व्यापार में महत्वपूर्ण कमी आई है। भारत के निर्यात में 22.8% की गिरावट आई है, जबकि यूक्रेन के निर्यात में 17.3% की कमी आई है।
- **ऐतिहासिक दबाव:** भारत के परमाणु परीक्षण और कश्मीर नीति की यूक्रेन द्वारा की गई आलोचना तथा पाकिस्तान को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति ने भी पूर्ण जुड़ाव में बाधा उत्पन्न की है।

निष्कर्ष

भारत को खुद को एक सक्रिय मध्यस्थ के रूप में स्थापित करना चाहिए, जो संघर्षरत पक्षों को वार्ता की मेज पर लाने के लिए संवाद और शांतिपूर्ण समाधान की लगातार वकालत करता हो। इसके अतिरिक्त, व्यापार संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार, विस्तारित बाजार पहुंच और मानक व प्रमाणन प्रक्रियाओं को समन्वित करना, दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण होगा।

2.5. पैरा-डिप्लोमेसी (Para-Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने **केरल सरकार द्वारा "विदेश मामलों में सहयोग" के प्रभारी सचिव की नियुक्ति के आदेश** की आलोचना की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, **राज्य सरकारों को उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो उनके संवैधानिक क्षेत्राधिकार से बाहर हैं।** यह भी कि विदेशी मामलों में हस्तक्षेप, राज्य द्वारा संघ सूची के विषय पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने जैसा है।
  - गौरतलब है कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत **संघ सूची की एंट्री (प्रविष्टि)-10** में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि **विदेशी मामले और ऐसे सभी मामले जो भारत संघ का किसी अन्य देश के साथ संबंध से जुड़े हैं, उन पर संघ सरकार का विशेषाधिकार होगा।**
- केरल राज्य सरकार के उपर्युक्त कदम ने भारत की विदेश नीति परिदृश्य के एक पहलू की ओर ध्यान आकर्षित किया है, और यह पहलू है; "**अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दिशा देने में उप-राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका**"। इसे **"पैरा-डिप्लोमेसी"** के रूप में जाना जाता है।

पैरा-डिप्लोमेसी के बारे में

- पैरा-डिप्लोमेसी **उप-राष्ट्रीय सरकारों यानी राज्य सरकारों की विदेश नीति क्षमता या अधिकार से संबंधित है।**
  - इसे 'राज्य कूटनीति', 'महाद्वीपीय कूटनीति', 'क्षेत्रीय कूटनीति' और 'उप-राष्ट्रीय कूटनीति' के नाम से भी जाना जाता है।
- **पैरा-डिप्लोमेसी उन उप-राष्ट्रीय या संघीय इकाइयों के वैदेशिक संबंधों के लिए अवसर उपलब्ध कराती है** जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।
  - यह **पारंपरिक राजनयिक संबंधों से भिन्न** है। पारंपरिक राजनयिक संबंध पूरी तरह से संप्रभु राष्ट्र राज्यों के विशेषाधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिन्हें केंद्रीय/संघीय सरकारों द्वारा संचालित किया जाता है।
- **भारत के विदेश मंत्रालय** ने 2014 में **"राज्य प्रभाग (States Division)"** नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय करना है ताकि राज्यों से **निर्यात और उनके यहां पर्यटन को बढ़ावा देने तथा अधिक विदेशी निवेश एवं विशेषज्ञता को आकर्षित करने के प्रयासों में मदद की** जा सके।

पैरा-डिप्लोमेसी की आवश्यकता

भारतीय उपमहाद्वीप की विविधता तथा सांस्कृतिक एवं भौगोलिक अंतर्संबंध को देखते हुए, राज्यों ने सदैव विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- **क्षेत्रीय सबलता:** पैरा-डिप्लोमेसी राज्यों को **अपनी विशिष्ट क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम बनाती** है, ताकि वे अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकें और अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित कर सकें।
  - उदाहरण के लिए- केरल ने खाड़ी देशों के साथ व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए अपने **प्रवासी समुदाय** की मदद ली है।
- **निवेश को आकर्षित करना:** राज्य **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को आकर्षित करने हेतु नीतियां डिज़ाइन कर सकते हैं**। इनमें कुशल श्रम, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता आदि से जुड़ी **अपनी विशिष्टताओं को दर्शाना** और **निवेश के लिए अनुकूल माहौल** तैयार करना शामिल है।
  - उदाहरण के लिए- कई राज्य निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करते हैं। वाइब्रेंट गुजरात, प्रोग्रेसिव पंजाब और वाइब्रेंट गोवा ऐसे ही शिखर सम्मेलन हैं।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** पैरा-डिप्लोमेसी **राज्यों को अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करती है**। इससे पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और शैक्षिक स्तर पर सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
  - उदाहरण के लिए- **तमिलनाडु के श्रीलंका के साथ संबंध नृजातीयता** पर आधारित है जबकि **पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश के साथ संबंध बंगाली संस्कृति पर** आधारित है।
- **राष्ट्रीय विदेश नीति में योगदान:** हालांकि विदेश नीति केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आती है, फिर भी **राज्य राष्ट्रीय हितों के अनुरूप अन्य देशों से मधुर संबंध रखते हुए इस नीति में अपना योगदान दे सकते हैं**। इससे भारत के समग्र कूटनीतिक प्रयासों को समर्थन मिलता है।
  - उदाहरण के लिए- 1996 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की बांग्लादेश यात्रा ने फरक्का बैराज संधि के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त किया।
- **संघवाद को मजबूत करना:** पैरा-डिप्लोमेसी **भारत की संघीय प्रणाली को मजबूत करने में मदद** कर सकती है, क्योंकि इससे **राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर** मिलता है। साथ ही, इससे अधिक विकेंद्रीकृत और उत्तरदायी विदेश नीति को बढ़ावा मिल सकता है।

पैरा-डिप्लोमेसी की आलोचनाएं:

- **संवैधानिक:** भारतीय संविधान में "विदेशी मामले" संघ सूची का विषय है। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्यों की भागीदारी को **केंद्र सरकार की शक्तियों में अनाधिकार प्रवेश के रूप में देखा जा सकता है।**
- **संसाधनों पर बोझ: अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी स्थापित करना और उसे जारी रखना, प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी करना जैसे विषय राज्यों के वित्तीय संसाधनों पर दबाव** डाल सकते हैं।
- **राजनीतिक मतभेद:** राज्य में सत्तारूढ़ किसी अन्य **राजनीतिक दल की प्राथमिकताएं या विचारधाराएं केंद्र सरकार से भिन्न हो सकती हैं।** इससे केंद्र और राज्य के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो सकता है या किसी मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन कम हो सकता है।
  - उदाहरण के लिए- दाभोल परियोजना (महाराष्ट्र) तत्कालीन केंद्र सरकार के सक्रिय समर्थन के बाद ही शुरू हुई थी।
- **केंद्र और राज्यों के अलग-अलग हित:** राज्य सरकारों के **हित राष्ट्रीय विदेश नीति से अलग हो सकते हैं**। इससे निरंतरता कम हो सकती है और संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं।
  - उदाहरण के लिए- पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध के कारण बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल बंटवारा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं।
- **द्विपक्षीय संबंध:** विदेश नीति निर्धारण में राज्य सरकारों के अप्रत्यक्ष प्रभाव से **भारत के द्विपक्षीय संबंधों** के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर भी भारत की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
  - **उदाहरण के लिए-** घरेलू राजनीति के दबाव में आकर भारत ने अपने पड़ोसी मित्र देश श्रीलंका के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक संकल्प के पक्ष में मतदान किया था।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** पैरा-डिप्लोमेसी को बढ़ावा देने से अनजाने में **राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों** जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अथवा पाकिस्तान या चीन से सटे सीमावर्ती राज्यों में।

आगे की राह

- **संस्थागत तंत्र: राज्यों में वाणिज्य दूतावास या वाणिज्य दूतावास कार्यालय कार्यालयों की स्थापना**, या विदेश मंत्रालय (MEA) के अधीन संघीय विदेशी मामले कार्यालयों की स्थापना की जा सकती है। विदेश नीति में राज्यों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अंतर-राज्य परिषद (ISC)[30] जैसे फोरम का भी उपयोग किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिए- ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने साओ पाउलो में नगर पालिकाओं और संघीय राज्यों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए एक अलग प्रशासनिक सेवा स्थापित की है। इसे 'एसेसोरिया डे रिलेकोएस फेडेराटिवस (ARF)' सेवा नाम दिया गया है।

[30] Inter- State Council

- **क्षमता निर्माण: राज्य सरकारों को पर्याप्त संसाधन** आवंटित करना चाहिए तथा **राज्यों के अधिकारियों को** अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कूटनीति और संवाद कौशल पर **प्रशिक्षण** प्रदान करना चाहिए।
- **सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना:** एक प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहिए जिस पर राज्य सरकारें **सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और पैरा-डिप्लोमेसी के सफल मॉडल्स को साझा कर सकें।**
- **नियमित मूल्यांकन: पैरा-डिप्लोमेसी पहलों के प्रभाव का नियमित रूप से मूल्यांकन** करना चाहिए। साथ ही फीडबैक और आउटकम्स के आधार पर नीतियों में सुधार करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए।
- **स्पष्ट दिशा-निर्देश:** विदेश मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित राज्य प्रभाग को उप-राष्ट्रीय कूटनीति को मजबूत करने के लिए **नीति निर्माण और स्पष्ट दिशा-निर्देश विकसित करने में राज्यों को शामिल करना** चाहिए। साथ ही राज्यों के हित और समग्र राष्ट्रीय हितों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास भी करना चाहिए।

पैराडिप्लोमेसी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #59: पैराडिप्लोमेसी: विदेश नीति के विकेन्द्रीकरण के गुण और दोष

2.6. दक्षिण चीन सागर तनाव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (South China Sea Tensions & International Trade)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विवादित दक्षिण चीन सागर में विगत 17 महीनों में चीनी जहाजों के आक्रामक और गैर-पेशेवर व्यवहार की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल ही में, चीन ने मलेशिया से तेल की प्रचुरता वाले सरवाक जलक्षेत्र (Sarawak waters) में सभी गतिविधियां को तुरंत रोकने की मांग की है।
    - गौरतलब है कि सरवाक रीफ क्षेत्र मलेशिया से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है जबकि यह चीन की मुख्य भूमि से लगभग 2,000 किलोमीटर दूर अवस्थित है।

दक्षिण चीन सागर (SCS) के बारे में

भौगोलिक अवस्थिति

- दक्षिण चीन सागर, **पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक हिस्सा** है। यह दक्षिण-पूर्व एशिया के आसपास स्थित है।
- यह चीन के दक्षिण में, वियतनाम के दक्षिण और पूर्व में, फिलीपींस के पश्चिम में और बोर्नियो के उत्तर में अवस्थित है।
- इसमें **200 से अधिक लघु द्वीप, चट्टानें और रीफ्स** मौजूद हैं। इनमें अधिकतर द्वीप निर्जन हैं।

विवाद

- **1992:** चीन पश्चिमी हान राजवंश के समय के अपने ऐतिहासिक अधिकार का हवाला देकर पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है।
- **2016:** परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि चीन की "नाइन-डैश लाइन" दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है।

वैश्विक व्यापार के लिए महत्त्व

- **वैश्विक समुद्री** व्यापार का लगभग एक तिहाई हिस्सा प्रतिवर्ष 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है।
- प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर कारोबार किए जाने वाले **लगभग 40% पेट्रोलियम उत्पाद** इसी समुद्र मार्ग से गुजरते हैं।

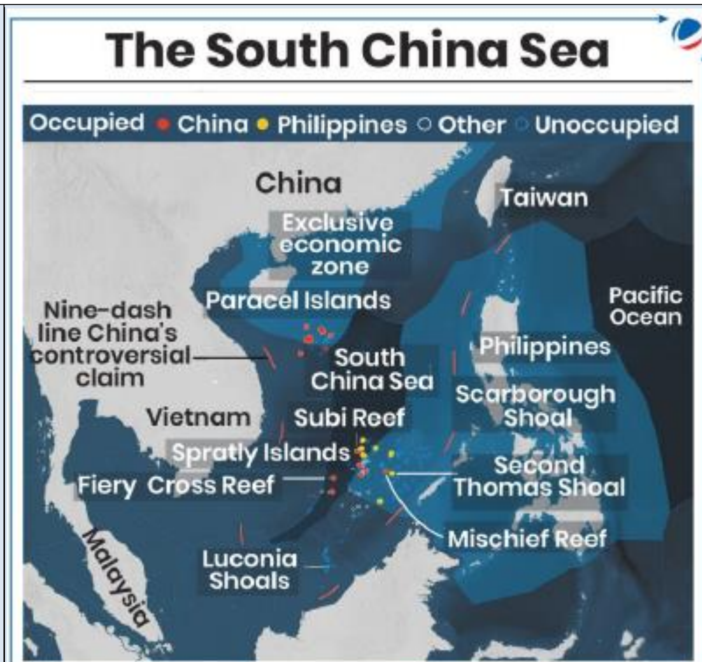

दक्षिण चीन सागर (SCS) में विवाद के कारण

- **प्रादेशिक विवाद:** दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता लगातार बढ़ती जा रही है। इस वजह से इस सागर के द्वीपों पर अपना-अपना दावा करने वाले दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों के साथ चीन का तनाव बढ़ा है।
  - **2013-2015 के बीच:** चीन ने स्प्रैटली द्वीप समूह में अपने कब्जे वाली सात प्रवाल भित्तियों (कोरल रीफ्स) पर लगभग 3,000 एकड़ क्षेत्रफल वाले कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया।
  - चीन ने **दक्षिण चीन सागर के तीन द्वीपों का पूर्ण सैन्यीकरण कर दिया है।**
- **संसाधनों को हासिल करने की प्रतिस्पर्धा:** दक्षिण चीन सागर में लगभग 3.6 बिलियन बैरल पेट्रोलियम एवं अन्य तरल पदार्थ मौजूद हैं। साथ ही, 40.3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस भी होने का अनुमान है। इस जल क्षेत्र के समुद्र नितल पर मौजूद **दुर्लभ-भू तत्व (रेयर अर्थ एलिमेंट्स) के दोहन के लिए भी आस-पास के देशों के बीच प्रतिस्पर्धा** जारी है।
  - दक्षिण चीन सागर की मात्स्यिकी गतिविधियों से प्रतिवर्ष 100 बिलियन डॉलर की आय होती है। यह हिस्सा वैश्विक मात्स्यिकी से प्राप्त कुल आय का लगभग 12 प्रतिशत है।
- **राष्ट्रवाद और घरेलू राजनीति:** दक्षिण चीन सागर विवाद में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक दावेदार देशों में राष्ट्रवाद की बढ़ती भावना है। उदाहरण के लिए- चीन और वियतनाम, दोनों देशों ने दक्षिण चीन सागर में अपने-अपने दावों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रवादी बयानबाजी का सहारा किया है।
  - **इसके अलावा,** फिलीपींस और अमेरिकी रक्षा समझौता के बाद **इस संघर्ष में भागीदार के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रवेश** भी चीन की चिंताओं को बढ़ा रहा है।
- **सामरिक हित:** दक्षिण चीन सागर, प्रशांत महासागर से हिंद महासागर तक पहुंचने का सबसे लघु मार्ग है और यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। यह समुद्री मार्ग पूर्वी एशिया को भारत, पश्चिमी एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता है।

दक्षिण चीन सागर विवाद से वैश्विक व्यापार को खतरा कैसे है?

- **चीन की आक्रामकता:** हाल ही में, चीनी सेना ने इस समुद्री मार्ग में काफी आक्रामक गतिविधियां प्रदर्शित की हैं। इसका एक उदाहरण, फिलिपीनी जहाजों के साथ चीन के जहाजों की टक्कर है। चीन की इस तरह की आक्रामक गतिविधियों से इस क्षेत्र में पूर्ण संघर्ष छिड़ने की आशंका बढ़ गई है।

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** अमेरिका ने बार-बार चेतावनी दी है कि यदि फिलीपींस पर हमला होता है, तो वह दक्षिण चीन सागर सहित अन्य क्षेत्रों में उसकी रक्षा करने के लिए बाध्य है।
- **ताइवान का मुद्दा:** चीन द्वारा लोकतांत्रिक द्वीप (ताइवान) को अपने नियंत्रण में लाने के लिए सैन्य बल का उपयोग करने की धमकी से दक्षिण चीन सागर में तनाव और बढ़ सकता है।
- **चीन-ताइवान संघर्ष के दौरान मलक्का जलडमरूमध्य की संभावित नाकाबंदी:** यदि चीन और ताइवान के बीच संघर्ष होता है, तो मलक्का जलडमरूमध्य की नाकेबंदी से वैश्विक व्यापार गंभीर रूप से बाधित हो सकता है। यह समुद्री मार्ग पर जहाजों की आवाजाही और सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा सकता है।
- **शिपिंग लागत में वृद्धि:** दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव से विश्व में तीसरे वैश्विक समुद्री संकट का मोर्चा खुल सकता है। अन्य दो वैश्विक समुद्री संकट हैं; लाल सागर संकट एवं होर्मुज जलडमरूमध्य संकट। इससे जहाजों के समुद्री मार्ग का बदलाव, वस्तुओं की आवाजाही में देरी, मूल्य में वृद्धि, आपूर्ति में कमी और प्रमुख एशियाई बंदरगाहों के राजस्व में हानि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

भारत और दक्षिण चीन सागर

- **भारत की भागीदारी:** चीन के विरोध करने के बावजूद, भारत ने **लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत** दक्षिण चीन सागर में अपने प्रभाव का विस्तार किया है। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी **दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों पर केंद्रित** है।
- **भारत के लिए सामरिक महत्त्व:**
  - **जलमार्ग:** दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर को मलक्का जलडमरूमध्य के माध्यम से पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है। यह वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है।
  - **व्यापार:** भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। इनमें से लगभग 50 फीसद व्यापार मलक्का जलडमरूमध्य से होता है। इस तरह यह क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  - **ऊर्जा भंडार होना:** दक्षिण चीन सागर में अनुमानित ऊर्जा भंडार भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भंडार भारत की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करके ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।
    - वियतनाम के तट के पास तेल अन्वेषण ब्लॉक 128 जैसे **समुद्री एसेट्स का दोनों देश संयुक्त रूप से अन्वेषण कर रहे हैं।**
- **दक्षिण चीन सागर के प्रति भारत का दृष्टिकोण:** भारत का मानना है कि **समुद्री क्षेत्र जैसे ग्लोबल कॉमन्स यानी साझे संसाधनों का उपयोग सभी के लिए स्वतंत्र, खुला और "समावेशी" होना चाहिए।**
- **भारत की रणनीति:**
  - आसियान देशों के साथ **आर्थिक और सामरिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाना।**
  - **संयुक्त नौसैनिक अभ्यास** और **सैन्य प्रशिक्षण आयोजित करना** तथा **दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में हथियारों की बिक्री करना (जैसे-फिलीपींस को ब्रह्मोस की बिक्री) आदि।**
  - दक्षिण चीन सागर में **अपतटीय ऊर्जा विकास परियोजनाओं में शामिल होना।**
- **नीतिगत पहलें:** एक्ट ईस्ट, नेबरहुड फर्स्ट तथा "क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास[31]" नीतियों के साथ-साथ क्वाड में शामिल होकर रणनीतिक समन्वय सुनिश्चित करना।

आगे की राह

- **राजनयिक सहभागिता:** विवादित पक्षों को सौहार्दपूर्ण और लाभकारी चर्चाओं में भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। जरूरत पड़ने पर निष्पक्ष मध्यस्थों को भी शामिल करना चाहिए।
- **विश्वास-बहाली के उपाय:** दक्षिण चीन सागर विवाद के क्षेत्रीय पक्षकारों के बीच पारदर्शिता, संवाद और आपसी विश्वास को बढ़ाने के लिए नियमों एवं प्रक्रियाओं को लागू करना जरूरी है। ये उपाय सहयोग पर आधारित माहौल के निर्माण को बढ़ावा देने और गलतफहमियों को दूर करने के लिए आवश्यक हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन:** संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS)[32] और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लागू करना एवं इनका पालन करना भी जरूरी है। इससे सभी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के तहत कार्य कर सकेंगे और विवादों को न्यायसंगत ढंग से सुलझा सकेंगे।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** क्षेत्रीय संगठनों और फ्रेमवर्क को मजबूत करना चाहिए, ताकि सहयोग और शांतिपूर्ण तरीके से विवाद-समाधान को प्रोत्साहित किया जा सके।

---

[31] Security and Growth of All in the Region-SAGAR

[32] United Nations Convention on the Law of the Sea

 ©Vision IAS

2.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

2.7.1. भारतीय अमेरिकी प्रवासी (Indian American Diaspora)

बीसीजी और इंडियास्पोरा की रिपोर्ट में अमेरिकी समाज में भारतीय-अमेरिकियों के योगदान को रेखांकित किया गया।

- संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी में **केवल 1.5% हिस्सा होने के बावजूद**, प्रवासी भारतीयों ने अमेरिका के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासी भारतीयों का योगदान:

- **आर्थिक योगदान:** फॉर्च्यून सूची में शामिल 500 कंपनियों में से 16 कंपनियों के CEO भारतीय मूल के हैं।
  - भारतीय मूल के बिजनेस लीडर्स में माइक्रोसॉफ्ट के **सत्य नडेला**, एडोब के **शांतनु नारायण**, गूगल के **सुंदर पिचाई** आदि शामिल हैं।
- **सांस्कृतिक योगदान:** अमेरिका में **दिवाली, होली** जैसे त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इनके अलावा, प्रसिद्ध शेफ **विकास खन्ना** भारतीय व्यंजनों को अमेरिका में लोकप्रिय बना रहे हैं, **दीपक चोपड़ा** भारतीय संस्कृति से जुड़ी वेलनेस प्रैक्टिस को बढ़ावा दे रहे हैं आदि।
- **नवाचार, अनुसंधान और विकास:** अमेरिका में प्रकाशित होने वाले **13% वैज्ञानिक शोध पत्रों के सह-लेखक भारतीय-अमेरिकी** हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिकों में **हर गोविंद खुराना, अभिजीत बनर्जी, मंजुल भार्गव** आदि शामिल हैं।

- **सरकार और लोक सेवाएं:** इनमें भारतीय मूल की पहली महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति **कमला हैरिस,** भारतीय मूल के पहले अमेरिकी गवर्नर **बॉबी जिंदल** आदि का नाम सबसे ऊपर है।

भारत के लिए लाभ:

- **आर्थिक योगदान:** भारत में रेमिटेंस (विप्रेषण) का सबसे बड़ा स्रोत **संयुक्त राज्य अमेरिका** है। 2022-2023 में **भारत को 113 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस** प्राप्त हुआ था। इसमें अकेले अमेरिका से **26 बिलियन डॉलर** का रेमिटेंस प्राप्त हुआ था।
  - वर्ष 2000 से अब तक **अमेरिकी कंपनियों ने भारत में 63 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** किया है।
- **ब्रेन गेन:** लगभग 20% भारतीय यूनिकॉर्न के सह-संस्थापक संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्चतर शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। इनमें **फोनपे के राहुल चारी, ड्रीम11 के हर्ष जैन और भाविन सेठ** आदि शामिल हैं।
- **राजनीतिक योगदान:** कूटनीति और लॉबिंग की वजह से **भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता** संपन्न हुआ था। इसी तरह **गीता गोपीनाथ, रघुराम राजन, सौम्या स्वामीनाथन** जैसे प्रवासी भारतीय वैश्विक संस्थानों से जुड़कर भारत में भी अपना योगदान दे रहे हैं।
- **सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर:** 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार औसतन 10 में से 1 अमेरिकी **योगाभ्यास** करता है। इसी तरह **भारतीय व्यंजनों और आयुर्वेद** के प्रसार से सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हो रही है।
- **भारत-अमेरिका वैज्ञानिक सहयोग:** इसके उदाहरण हैं- **नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (NISAR), इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (iCET)** आदि।

भारतीय डायस्पोरा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए वीकली फोकस #116: विदेशों में भारतीय प्रवासी	

2.7.2. भारत को 'इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF)' की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया (India Elected as Vice-Chair of Ipef's Supply Chain Council)

भारत और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) के 13 अन्य भागीदारों ने **आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित 3 निकाय** स्थापित किए हैं। ये निकाय **IPEF आपूर्ति-श्रृंखला समझौते** के अनुसार स्थापित किए गए हैं। **ये तीन निकाय हैं:**

- **आपूर्ति श्रृंखला परिषद:** यह परिषद **राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक स्वास्थ्य** आदि के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों और वस्तुओं हेतु आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए **लक्षित एवं कार्रवाई-उन्मुख गतिविधियों को बढ़ावा** देगी। भारत को इसी परिषद का **उपाध्यक्ष** चुना गया है।
- **क्राइसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क:** यह तात्कालिक या संभावित व्यवधानों से निपटने के लिए सामूहिक आपातकालीन कार्रवाई हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा।
- **श्रम-अधिकार सलाहकार बोर्ड:** यह बोर्ड सभी क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में श्रम अधिकारों और कार्यबल के विकास को मजबूत करने के लिए **श्रमिकों, नियोक्ताओं एवं सरकारों को एक मंच** पर लाएगा।

आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन (Supply Chain Resilience) के बारे में

- यह आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क में आने वाली **बाधाओं से निपटने और इन बाधाओं की वजह से राजस्व, लागत एवं ग्राहकों पर पड़ने वाले प्रभावों को कम** करने की क्षमता है।
  - आपूर्ति श्रृंखला या सप्लाई चेन वास्तव में **कच्चे माल या उत्पादों की असेंबली से लेकर उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की बिक्री तक** आपस में जुड़ी हुई व्यवस्था है।
- **आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन के समक्ष खतरे:**
  - **भू-राजनीतिक खतरे:** जैसे- रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होना।
  - **आर्थिक खतरे:** जैसे- कोविड महामारी की वजह से मांग और आपूर्ति में व्यवधान आना आदि।
- **आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन के लिए किए गए उपाय**
  - **वैश्विक उपाय:**
    - ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने **"आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल"** शुरू की है।
    - **क्वाड आपूर्ति श्रृंखला पहल** आरंभ की गई है आदि।
  - **भारत की पहलें:**
    - **पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान** बनाया गया है;
    - **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति** जारी की गई है;
    - अलग-अलग क्षेत्रकों के लिए **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना** शुरू की गई है आदि।

2.7.3. सेंट मार्टिन आइलैंड (Saint Martin's Island)

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बांग्लादेश के **सेंट मार्टिन आईलैंड** में सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता था।

सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में:

- यह एक छोटे आकार का **प्रवाल द्वीप (कोरल आइलैंड)** है। यह **बंगाल की खाड़ी** के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है।
  - इसे **'नारिकेल जिंजिरा' यानी नारियल द्वीप, 'दारुचिनी द्वीप'** यानी दालचीनी द्वीप आदि भी कहा जाता है।
- यह द्वीप कभी **टेकनाफ प्रायद्वीप** (Teknaf peninsula) का विस्तार था। बाद में इस प्रायद्वीप के एक हिस्से के जलमग्न होने के कारण यह द्वीप अलग हो गया था।
- **1974 के समझौता** के तहत **म्यांमार ने इस द्वीप पर बांग्लादेश की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया** था।
- **भू-राजनीतिक महत्त्व:** यह बांग्लादेश और म्यांमार के पास स्थित है। यहां से चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है।

2.7.4. कुर्स्क क्षेत्र (Kursk Region)

रूस ने कुर्स्क क्षेत्र में **आपातकाल** की घोषणा की।

कुर्स्क क्षेत्र के बारे में

- यह **पूर्वी यूरोपीय मैदान के मध्य भाग** में स्थित है और इसकी सीमा **यूक्रेन से लगती** है।
- **नीपर (सीम व सेल नदियां) और डॉन नदियों के बेसिन** इस क्षेत्र में ही स्थित हैं।
- यहां मुख्य रूप से **चर्नोजम प्रकार** की मिट्टी पाई जाती है।
- इसमें **लौह अयस्क, फॉस्फोराइट्स, पीट और निर्माण सामग्री** के संभावित भंडार मौजूद हैं।

2.7.5. शुद्धिपत्र (Errata)

- जुलाई, 2024 मासिक समसामयिकी के **आर्टिकल 2.6 "भारत-प्रशांत द्वीपीय देश संबंध"** में, प्रशांत द्वीपीय देशों के इन्फोग्राफ़िक में त्रुटिवश यह दर्शाया गया था कि कर्क रेखा (Tropic of Cancer) ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। सही जानकारी यह है कि **"मकर रेखा (Tropic of Capricorn) ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है"।**

QUIZ ? **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
A.I.T.S
GS PRELIMS TEST SERIES 2024
ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली
30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट
15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट
ENGLISH MEDIUM 2025: 22 SEPTEMBER
हिन्दी माध्यम 2025: 22 सितंबर

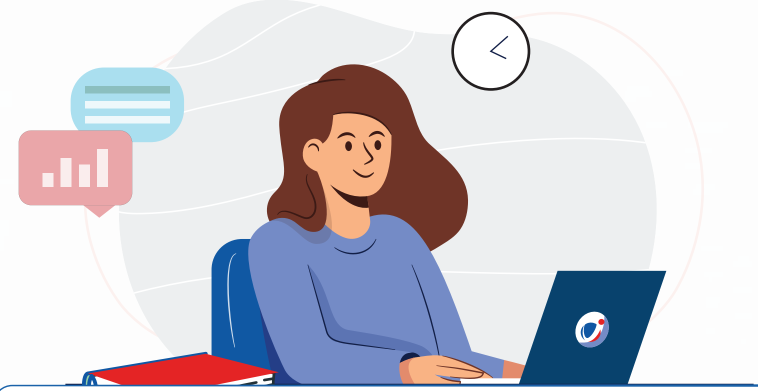

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

CSAT में महारत: UPSC प्रीलिम्स के लिए एक रणनीतिक रोडमैप

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन (GS) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT)। ये दोनों पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करते हैं।

पिछले कुछ सालों में CSAT पेपर के कठिन हो जाने से इसमें 33% का क्वालीफाइंग स्कोर प्राप्त करना भी कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अतः इस पेपर को क्वालीफाइ करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ–साथ CSAT में कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ सामंजस्य बिठाना और GS पेपर के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिस मटेरियल से भी काफी मदद मिलती है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

इंस्टैंट पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग के लिए
QR कोड को स्कैन करें

CSAT की तैयारी के लिए रणनीतिक रोडमैप

शुरुआत में स्व–मूल्यांकन: सर्वप्रथम पिछले वर्ष के CSAT के पेपर को हल करके हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान हो सकेगी और हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी में सुधार कर सकेंगें।

स्टडी प्लान: अधिकतम अंक प्राप्त कर सकने वाले टॉपिक पर फोकस करते हुए एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोतों का चयन कर, एक व्यवस्थित स्टडी प्लान तैयार करें।

रेगुलर प्रैक्टिस एवं पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस: पिछले वर्ष के पेपर एवं मॉक टेस्ट को हल करके तथा उनका विश्लेषण करके हम एग्जाम के पैटर्न एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे परिचित हो सकते हैं। इस अप्रोच से CSAT के व्यापक सिलेबस को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

व्यक्तिगत मेंटरशिप प्राप्त करें: CSAT की बेहतर तैयारी के लिए अपने अनुरूप रणनीति विकसित करने हेतु मेंटर से जुड़ें। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे और साथ ही फोकस्ड एवं संतुलित तैयारी कर पाएंगे।

रीजनिंग: क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड–रिलेशन, कोडिंग–डिकोडिंग एवं सिलोगिज़्म जैसे विभिन्न प्रकार टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास करके अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएं।

एग्जाम के पैटर्न को समझने एवं प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप–बाय–स्टेप अप्रोच को विकासित करने पर ध्यान केंद्रित करें।

गणित एवं बेसिक न्यूमेरेसी: बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन एवं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करें।

तेजी से कैल्कुलेशन करने के लिए शॉर्टकट और मेंटल मैथ टेक्निक का उपयोग करें।

रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन: नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करें। समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ को संक्षेप में लिखने का अभ्यास करें और उसमें निहित मुख्य विचारों का पता लगाएं।

VisionIAS के CSAT क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़कर अपनी CSAT की तैयारी को मजबूत बनाएं। इस कोर्स को अभ्यर्थियों में बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित करने और उनकी प्रॉब्लम–सॉल्विंग क्षमताओं एवं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स की मुख्य विशेषताएं हैं– ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन और रिकॉर्ड की गई कक्षाएं, वन–टू–वन मेंटरिंग सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स के जरिए नियमित प्रैक्टिस। यह आपको CSAT में महारत हासिल करने की राह पर ले जाएगा।

रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

हमारे ऑल इंडिया CSAT टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिसमें शामिल हैं:

- UPSC CSAT के सिलेबस का विस्तार से कवरेज
- वन–टू–वन मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल और इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम
- प्रत्येक टेस्ट पेपर की विस्तार से व्याख्या
- लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन टेस्ट डिस्कशन एवं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस

VisionIAS से जुड़कर सिविल सेवाओं में शामिल होने की अपनी यात्रा शुरू करें, जहां हमारी विशेषज्ञता और सपोर्ट सिस्टम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं।

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. कृषि क्षेत्रक के लिए नई योजनाएं (New Schemes for Agriculture Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार के लिए **सात प्रमुख योजनाओं को मंजूरी** दी। इन योजनाओं हेतु कुल 14,235.3 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

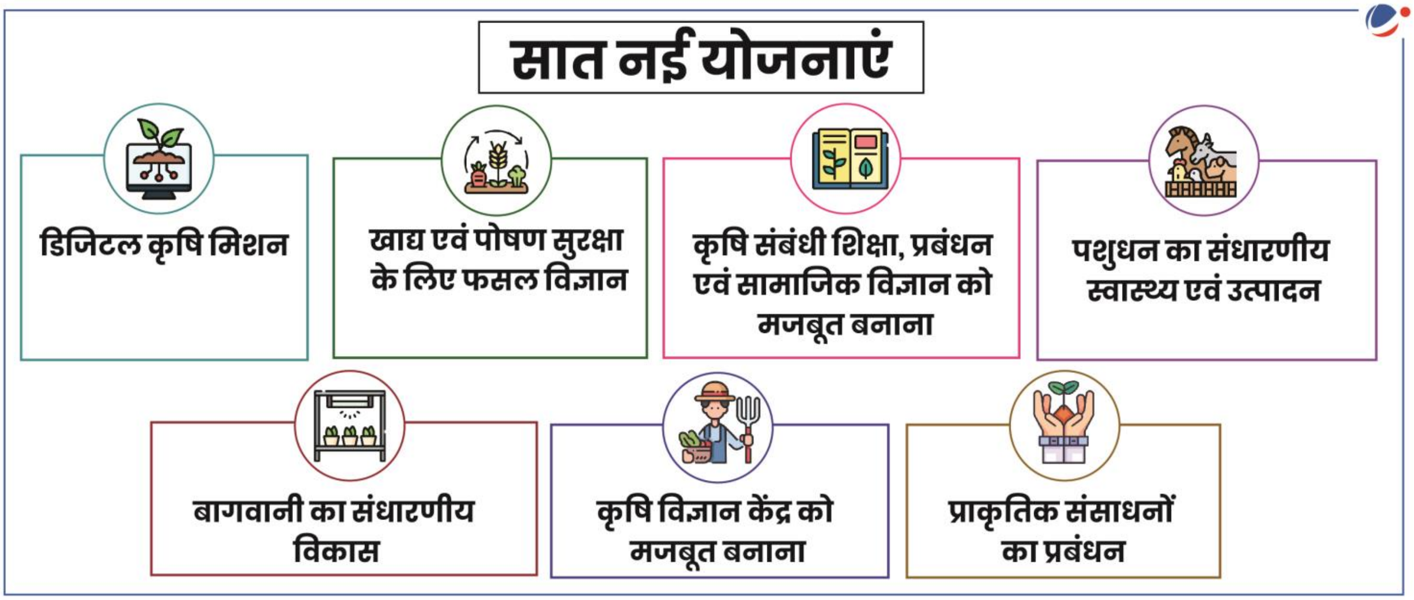

नोट: *डिजिटल कृषि, पशुधन एवं बागवानी क्षेत्रक जैसे विषयों पर आगे के आर्टिकल्स में विस्तार से चर्चा की गई है।*

किसानों के जीवन और आजीविका की वर्तमान स्थिति

- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में कहा गया है कि देश की **65 प्रतिशत आबादी (2021 डेटा) ग्रामीण क्षेत्रों में** रहती है और **47 प्रतिशत आबादी** अपनी आजीविका के लिए **कृषि पर निर्भर** है।
- 2018-19 में भारतीय किसानों की **औसत मासिक आय 10,218 रुपये** थी।

किसानों की आजीविका बढ़ाने में समस्याएं/ बाधाएं

- **तकनीकी समस्याएं:**
    - सरल तरीके से ऋण मिलने में समस्या और कम जागरूकता के कारण **पुरानी एवं अनुपयुक्त तकनीक का उपयोग** किया जा रहा है।
- उदाहरण के लिए- भारत में **केवल 47% कृषि कार्य मशीनीकृत** हैं। यह चीन (60%) और ब्राजील (75%) जैसे अन्य विकासशील देशों की तुलना में काफी कम है।
    - **अनुसंधान और विकास से जुड़ी समस्याएं:** देश में कृषि से जुड़े अनुसंधान **संसाधनों की कमी, कई तरह के कानूनों** और **बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) में अस्पष्टता के कारण** बाधित हैं।
        - भारत अपने **कृषि GDP**[33] का **केवल 0.4% अनुसंधान और विकास कार्यों पर खर्च** करता है। यह अनुपात चीन, ब्राजील और इजरायल जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है।

[33] Gross Domestic Product/ सकल घरेलू उत्पाद

©Vision IAS

- **कृषि ऋण:** संस्थागत ऋण, यानी बैंकों से मिलने वाले ऋण में किसानों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस मामले में काश्तकार किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
- **प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से जुड़ी चिंताएं:** इनमें शामिल हैं- मृदा में ऑर्गेनिक पदार्थों की कमी, उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, पानी की कमी, वर्षा पर निर्भर कृषि के अंतर्गत अधिक क्षेत्र होना, निम्न जल-उपयोग दक्षता, आदि।
- **आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी चिंताएं:**
  - **अपर्याप्त बुनियादी ढांचा:** आपूर्ति श्रृंखला के अलग-अलग चरणों में **30-35% फल और सब्जियां नष्ट** हो जाती हैं। इन चरणों में फसल कटाई, भंडारण, ग्रेडिंग, परिवहन, पैकेजिंग और वितरण शामिल हैं।
  - **निर्यात में बाधाएं:** गैर-प्रशुल्क व्यापार बाधाएं (NTB)[34] जैसी **सेनेटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय** तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के आयात के लिए सख्त दिशा-निर्देश भारत से निर्यात में बाधा डालते हैं।
- **कम उत्पादकता:** उदाहरण के लिए- कृषि एवं खाद्य संगठन (FAO) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में धान की उत्पादकता अभी भी लगभग **2.85 टन प्रति हेक्टेयर** बनी हुई है। यह चीन और ब्राजील की उपज दर क्रमशः 4.7 टन/ हेक्टेयर और 3.6 टन/ हेक्टेयर से कम है।
  - इसके **मुख्य कारण** हैं- कृषि जोत का छोटा आकार यानी छोटे-छोटे टुकड़ों में कृषि भूमि**, समुचित सिंचाई सुविधाओं का न होना,** मृदा क्षरण की समस्या, गुणवत्तापूर्ण इनपुट (उर्वरक) प्राप्त करने में कठिनाई, आदि।
- **अन्य मुद्दे:**
  - **अनियमित जलवायु पैटर्न:** आर्थिक सर्वेक्षण (2018) के अनुमान के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण कृषि क्षेत्रक में **प्रतिवर्ष 9-10 बिलियन डॉलर का नुकसान** होता है।
  - **उपज के बदले कम कीमत प्राप्ति:** खेतों में फसल की कीमतों (FHP)[35] और बाजारों में रिटेल कीमतों के बीच अधिक अंतर देखा जाता है।
    - अच्छी उपज वाले वर्ष में फसल की कीमतें **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से भी नीचे** गिर जाती हैं, जिससे कृषि संकट पैदा होता है।

नई योजनाएं किसानों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने में कैसे मदद करेंगी?

- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:**
  - **डिजिटल कृषि मिशन** के तहत परिशुद्ध खेती (Precision farming) के जरिए संभावित उपज हानि को कम करने में मदद मिलेगी।
    - **डिजिटल भूमि नक्शा (मैप)** कृषि के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने और भूमि उपयोग में सुधार करने में मदद कर सकता है।
    - **मौसम का पूर्वानुमान और जलवायु मॉडलिंग** चरम मौसमी घटनाओं एवं आपदाओं के जोखिमों को कम करने में मदद करता है।
  - **खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान:** यह निम्नलिखित को बढ़ावा देगा:
    - पारंपरिक ब्रीडिंग तकनीकों और आनुवंशिक संशोधन एवं जीन एडिटिंग (जैसे कि CRISPR) जैसी आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी तरीकों से **उच्च उपज देने वाली, रोग प्रतिरोधी और जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों का विकास** संभव होगा।
    - लोगों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी (हिडन हंगर) को दूर करने के लिए **बायो-फोर्टिफिकेशन** का फायदा उठाया जाएगा।
- **कृषि शिक्षा और आउटरीच:**
  - **कृषि संबंधी शिक्षा, प्रबंधन एवं सामाजिक विज्ञान को मजबूत बनाने** से ग्रामीण विकास के सिद्धांतों को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है।
    - यह ग्रामीण अवसंरचना, ऋण सुविधाओं, बाजार पहुंच और सामाजिक सेवाओं में सुधार के लिए **नीति निर्माण और उनके कार्यान्वयन को मजबूत** करेगा।
  - **कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) को मजबूत करने से** किसानों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी उत्पाद (बीज, रोपण सामग्री, बायो-एजेंट और पशुधन) उपलब्ध होंगे तथा किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए फ्रंटलाइन विस्तार गतिविधियों का आयोजन किया जा सकेगा।

[34] Non-tariff trade barriers

[35] Farm Harvest Prices:

- **कृषि उप-क्षेत्रकों पर विशेष ध्यान:** पशुधन और बागवानी क्षेत्रकों के लिए योजनाएं, उच्च उत्पादन क्षमता वाले इन क्षेत्रकों में संधारणीय तरीके से उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करेंगी।
  - उदाहरण के लिए- **पशुधन का संधारणीय स्वास्थ्य एवं उत्पादन** योजना डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास, पशु आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन आदि पर केंद्रित है।

इस संबंध में किए जा सकने वाले अन्य संरचनात्मक उपाय: अशोक दलवई समिति की सिफारिशें

- **बड़े खेत मालिकों को सक्षम बनाना ताकि वे किसान से खेत प्रबंधक बन सकें:** संसाधन उपयोग दक्षता और बेहतर आउटकम प्राप्त करने के लिए कृषि कार्य से जुड़ी सभी संभावित गतिविधियों को आउटसोर्स किया जा सकता है।
  - **पेशेवर सेवा प्रदाताओं** {मूल उपकरण विनिर्माताओं (OEM)[36] सहित} की एक प्रणाली को कीट प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन और फसल प्रबंधन जैसी कृषि सेवाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **कृषि के कार्यों को फिर से परिभाषित करना:** वर्तमान में कृषि को **खाद्य एवं पोषण सुरक्षा** सुनिश्चित करने वाली गतिविधि तक सीमित कर दिया गया है। लेकिन अब कृषि को औद्योगिक गतिविधियों (जैसे- रसायन, निर्माण, ऊर्जा, फाइबर, खाद्य आदि) का समर्थन करने हेतु कच्चे माल का उत्पादन करने वाली एक गतिविधि भी समझा जाना चाहिए।
- **द्वितीयक कृषि को अपनाना:** यह मुख्य उपज (फसल) के अलावा कृषि से उत्पन्न प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मूल्य संवर्धन गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
  - खेत में पैदा होने वाले प्राथमिक उत्पादों (फसल) के अलावा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अधिक मूल्यवान उत्पाद बनाने की प्रक्रिया को **द्वितीयक कृषि** कहते हैं।
- **'फोर्क टू फार्म' अप्रोच को अपनाना: कृषि-लॉजिस्टिक्स (भंडारण और परिवहन), कृषि-प्रसंस्करण** और मार्केटिंग व्यवस्था में सुधार करके किसानों की मौद्रिक आय बढ़ाई जा सकती है।
- **फसल किस्म प्रतिस्थापन अनुपात (VRR)[37] को बढ़ाना:** देश के 128 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीजों की पुरानी किस्मों को चरणबद्ध तरीके से हटाने तथा उनकी जगह हाइब्रिड और उन्नत बीजों की बुआई को बढ़ावा देना चाहिए।
- **जल प्रबंधन:** सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग, भूजल पुनर्भरण और कृषि जलवायु आधारित फसल/ उत्पादन प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए।
- **कृषि क्षेत्रक का विविधीकरण:** अशोक दलवई समिति ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित बदलावों पर जोर देने का सुझाव दिया है:
  - केवल मुख्य अनाज (धान और गेहूं) की बजाय **पोषक-अनाज की खेती;**
  - केवल खाद्यान्न (अनाज + दालें) की बजाय **फल, सब्जियां और फूलों की खेती;**
  - केवल कार्बोहाइड्रेट की बजाय **प्रोटीन युक्त खाद्य उत्पादों (जैसे- दाल) की खेती;**
  - केवल पादप/ वनस्पति आधारित प्रोटीन की बजाय **पादप + जीव/ पशु आधारित प्रोटीन (अंडे, दूध, मांस और मछली)**
  - केवल खेत में फसल पर निर्भरता की बजाय **बागवानी + डेयरी + पशुधन + मत्स्य पालन** को भी अपनाना, आदि।

3.1.1. डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission: DAM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **डिजिटल कृषि मिशन** को मंजूरी दी। इसके लिए कुल 2,817 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

डिजिटल कृषि मिशन (DAM) के बारे में

- यह **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** की संरचना पर आधारित एक अंब्रेला योजना है। इसका उद्देश्य **किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग** करना है।
- यह मिशन कृषि में DPI को लागू करने की **केंद्रीय बजट 2024-25 और 2023-24** की घोषणा के अनुरूप है।

---

[36] Original Equipment Manufacturers

[37] Variety Replacement Ratio

डिजिटल कृषि मिशन की मुख्य विशेषताएं

- **यह 2 आधारभूत पिलर्स पर आधारित है:**
  - **एग्री स्टैक (किसान की पहचान):** यह किसान-केंद्रित DPI है। इसका उद्देश्य किसानों के लिए सेवाओं और योजनाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाना है। **इसके 3 प्रमुख घटक हैं:**
    - **किसानों की रजिस्ट्री:** इसके तहत 'किसान ID' जारी की जाएगी। ये ID कार्ड राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाए जाएंगे। यह आधार नंबर के समान किसानों के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करेगा।
    - **जियो-रेफ़रेंस्ड गाँव के नक्शे:** यह किसान ID को किसानों से संबंधित डेटा से जोड़ेगा। इस तरह के डेटा में भूमि रिकॉर्ड, जनसांख्यिकी, पारिवारिक विवरण, आदि शामिल होंगे।
    - **फसल बुआई रजिस्ट्री:** यह मोबाइल-आधारित ग्राउंड सर्वे है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के माध्यम से किसानों द्वारा प्रत्येक मौसम में बोई गई फसलों का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

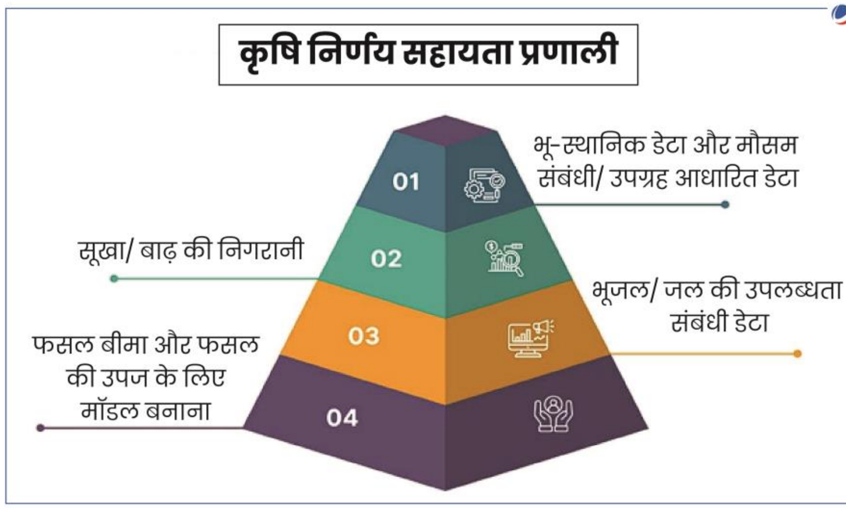

  - **कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (DSS)[38]:** कृषि DSS एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो रिमोट सेंसिंग डेटा (उदाहरण के लिए- उपग्रह आधारित चित्र) को फसल, मृदा, मौसम और जल संसाधनों के डेटाबेस के साथ एकीकृत करता है। यह एकीकरण किसानों को स्पष्ट और विस्तृत भू-स्थानिक जानकारी प्रदान करता है, जिससे वे अधिक सटीक कृषि निर्णय ले सकते हैं।
- **मृदा प्रोफाइल मैपिंग**: लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए 1:10,000 स्केल पर विस्तृत मृदा प्रोफाइल मैपिंग की जाएगी।
  - **डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES)[39]** यह वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए **क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स** के आधार पर **उपज का अनुमान** प्रदान करेगा।
- **मुख्य लक्ष्य:**
  - तीन वर्षों में **11 करोड़ किसानों की डिजिटल पहचान** जनरेट करना (वित्त वर्ष 2024-25 में 6 करोड़, वित्त वर्ष 2025-26 में 3 करोड़ और वित्त वर्ष 2026-27 में 2 करोड़)।
  - **डिजिटल फसल सर्वेक्षण 2 वर्षों में पूरे देश में** शुरू किया जाएगा, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 में 400 जिले और वित्त वर्ष 2025-26 में सभी जिले शामिल होंगे।

डिजिटल कृषि के बारे में:

- किसानों द्वारा कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीक के उपयोग को डिजिटल कृषि कहा जाता है। इससे कृषि कार्य को वैज्ञानिक और डेटा-आधारित बनाकर इसका बेहतर प्रबंधन किया जाता है।

शब्दावली को जानें

- **परिशुद्ध कृषि (Precision Agriculture):** यह एक आधुनिक कृषि तकनीक है, जिसमें उच्च **प्रौद्योगिकी आधारित सेंसर, डेटा विश्लेषण संबंधी उपकरणों और अन्य उन्नत साधनों का उपयोग** करके खेती की जाती है। इसका उद्देश्य फसलों की पैदावार बढ़ाने और कृषि संबंधी निर्णयों को अधिक सटीक व प्रभावी बनाना है।
- **स्मार्ट फार्मिंग:** इसके तहत कृषि उत्पादन में संधारणीयता को बेहतर और इष्टतम बनाने के लिए एडवांस्ड प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाता है और डेटा-संचालित कृषि कार्य किए जाते हैं।

---

[38] Decision Support System

[39] Digital General Crop Estimation Survey

* डिजिटल कृषि एक नवीनतम कृषि पद्धति है, जिसमें **परिशुद्ध कृषि (Precision agriculture)** और **स्मार्ट फार्मिंग** के तरीकों को अपनाया जाता है। यह **फार्म-टू-फोर्क मूल्य श्रृंखला में डिजिटल तकनीकों,** जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके फसल उत्पादन को अधिक कुशल और संधारणीय बनाती है। यह खेत की आंतरिक और बाहरी नेटवर्किंग के माध्यम से डेटा एकत्रित करती है और **वेब-आधारित प्लेटफॉर्म पर उनका विश्लेषण** करती है।
* **कृषि क्षेत्रक में डिजिटल तकनीकों के उदाहरण:**
  * **वर्ष 2019 में भारत में टिड्डियों से निपटने के लिए ड्रोन का उपयोग:** फसल के नुकसान को कम करने हेतु टिड्डियों के खिलाफ रसायनों के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया था।
  * **'एर्गोस' (Ergos) का ग्रेन बैंक मॉडल:** यह मॉडल लघु और सीमांत किसानों को फसल कटाई के बाद की आपूर्ति श्रृंखला संबंधी गतिविधियों, जैसे कि भंडारण, परिवहन एवं बिक्री के लिए प्रभावी समाधान प्रदान करता है।
  * **Yuktix ग्रीनसेंस:** यह कृषि क्षेत्र के लिए एक **ऑफ-ग्रिड रिमोट मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स समाधान** है, जो खेतों में फसल रोग, कीट और सिंचाई का प्रबंधन[40] करने में किसानों की मदद करता है।

डिजिटल कृषि मिशन का महत्त्व

* यह किसानों को **उपलब्ध डेटा और विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेने में सहायता** प्रदान करेगा।
  * उदाहरण के लिए, **DGCES-आधारित डेटा** से **फसल विविधीकरण** और **सिंचाई आवश्यकताओं पर निर्णय** लेने में मदद मिलेगी, जो कृषि को संधारणीय बनाने में सहायता करेगा।
* फसल क्षेत्र और उपज के बारे में सटीक डेटा से **कृषि उत्पादन में दक्षता और पारदर्शिता** बढ़ेगी तथा **फसल बीमा, ऋण वितरण जैसी सरकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन** सुनिश्चित होगा।
* यह फसल नुकसान को कम करेगा और किसानों की आय में वृद्धि करेगा।
  * उदाहरण के लिए- आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान का सटीक आकलन करने और बीमा क्लेम की पुष्टि के लिए **क्रॉप मैपिंग** और **फसल की निगरानी** की जा सकेगी।
* इस मिशन से लगभग **2.5 लाख प्रशिक्षित स्थानीय युवाओं और कृषि सखियों को रोजगार के अवसर** प्राप्त होंगे। इस प्रकार डिजिटल कृषि मिशन से **कृषि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद** है।
* इसके चलते किसानों तक कृषि संबंधी सेवाओं को बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकेगा।
  * **डेटा एनालिटिक्स, AI और रिमोट सेंसिंग** जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से कई लाभ प्राप्त होंगे, जैसे- **सरकारी योजनाओं और फसल ऋण तक बेहतर पहुंच, रियल टाइम में कृषि संबंधी सलाह,** आदि।
  * कृषि संबंधी सेवाओं और लाभों को प्राप्त करने के लिए **डिजिटल तरीके से सत्यापन** किया जा सकेगा; कागजी कार्रवाई को कम किया जा सकेगा; और सरकारी कार्यालयों का बार-बार दौरा करने से निजात मिलेगी।
* फसल के लिए योजना बनाने, फसल स्वास्थ्य, कीट प्रबंधन और सिंचाई के लिए **बेहतर मूल्य श्रृंखला एवं सलाहकार सेवाएं** किसानों को बेहतर उत्पादन और मुनाफा प्राप्त करने में मदद करेंगी।

प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन में चुनौतियां

* **कृषि भूमि का विखंडन:** भारत में **औसत भूमि जोत का आकार 1.08 हेक्टेयर** है। ऐसे में लघु आकार के खेतों में **मौजूदा तकनीकों का उपयोग मुश्किल** हो जाता है क्योंकि ये तकनीक बड़े खेतों के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं।
* **शुरुआत में अधिक लागत:** डिजिटल कृषि के लिए आवश्यक **कंप्यूटिंग, भंडारण और प्रसंस्करण क्षमता की जरूरत** होती है। शुरू में ही उच्च लागत के कारण इनका उपयोग सीमित हो जाता है।
* **पर्याप्त शोध का अभाव:** भारत में कृषि क्षेत्र में तकनीकों के उपयोग और उनके प्रभाव तथा उनसे मिलने वाले लाभों पर डेटा की कमी है।
* **पर्याप्त अवसंरचना की कमी:** ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना का विकास कम है जो कृषि के डिजिटलीकरण में बाधा बन सकती है। उदाहरण के लिए- **सभी तक इंटरनेट की पहुंच का अभाव।**

---

[40] अर्थात् DPI प्रबंधन (Disease, pest, and irrigation/ रोग, कीट और सिंचाई

* **डिजिटल साक्षरता का अभाव:** यह स्थिति डिजिटल तकनीकों को अपनाने में बाधा डालती है क्योंकि किसानों का प्रायः नई तकनीकों पर बहुत कम भरोसा रहता है। यह स्थिति आधुनिक उपकरणों पर आधारित प्रभावी रख-रखाव और शिकायत निवारण में भी बाधा डालती है।
* **भाषा संबंधी बाधाएं:** उपलब्ध तकनीकों में अलग-अलग स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल नहीं होने से इनके उपयोग में बाधा आती है।

डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए पहलें

* **इंडिया डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम (IDEA) फ्रेमवर्क:** इसका उद्देश्य किसानों का एकीकृत डेटाबेस बनाना है ताकि कृषि-केंद्रित नवीन समाधान विकसित किए जा सकें।
* **कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP-A):** इसका उद्देश्य किसानों को खेती से संबंधित आवश्यक जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराना है।
* **बाजार आधारित उपाय:** जैसे कि राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (eNAM), एगमार्कनेट, आदि।
* **भूमि का नक्शा बनाने के लिए ड्रोन:** स्वामित्व योजना के तहत इसका उपयोग किया गया; **सेंसर आधारित स्मार्ट कृषि (SENSAGRI)** कार्यक्रम, आदि।
* **"AI पर राष्ट्रीय रणनीति"** कृषि को प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों में से एक के रूप में मान्यता देती है (नीति आयोग)।
* **किसानों की सहायता हेतु विभिन्न ऐप्लिकेशन:** प्रधान मंत्री-किसान मोबाइल ऐप, किसान सुविधा ऐप, बागवानी विकास के लिए HORTNET परियोजना, आदि।

निष्कर्ष

डिजिटल कृषि के लाभों को प्राप्त करने के लिए **तकनीकों की वहनीयता, पहुंच, इस्तेमाल में आसानी, आसान रख-रखाव, समय पर शिकायत निवारण, अनुसंधान और विकास का मजबूत परिवेश, उचित नीतिगत समर्थन** आदि उपायों पर ध्यान देना सर्वोपरि है। डिजिटल कृषि मिशन उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक सही कदम है।

अन्य संबंधित सुर्ख़ियां

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म **"कृषि-निर्णय सहायता प्रणाली (Krishi-DSS)"** का शुभारंभ किया। यह फसल की स्थिति, मौसम के पैटर्न, जल संसाधनों और मृदा स्वास्थ्य पर रियल टाइम आधार पर जानकारी प्रदान करेगा।

* इसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इसमें **RISAT-1A** और अंतरिक्ष विभाग के **भू-पर्यवेक्षण डेटा एवं अभिलेखीय प्रणाली के विज़ुअलाइज़ेशन (VEDAS)**[41] का उपयोग किया गया है।

कृषि क्षेत्रक में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग:

* **रिमोट सेंसिंग और इमेजरी:** कीटों और बीमारियों का शीघ्र पता लगाने, भूमि उपयोग मैपिंग, आदि में उपयोग।
* **ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS):** परिशुद्ध खेती, पशुधन ट्रैकिंग आदि में उपयोग।
* **संचार प्रौद्योगिकी:** रियल टाइम आधार पर डेटा के प्रसार में उपयोग।
* **मौसम पूर्वानुमान और क्लाइमेट मॉडलिंग:** अग्रिम चेतावनी प्रणाली, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी, आदि में उपयोग।

कृषि क्षेत्रक में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए की गई अन्य पहलें:

* **अंतरिक्ष, कृषि-मौसम विज्ञान और भूमि आधारित अवलोकन (FASAL)[42] परियोजना** का उपयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।
* **भू-सूचना विज्ञान का उपयोग करके बागवानी मूल्यांकन और प्रबंधन परियोजना पर समन्वित कार्यक्रम (CHAMAN/ चमन)[43]** शुरू किया गया है।
* उपज संबंधी अनुमान में सुधार के लिए **'किसान' (C[K]rop Insurance using Space technology And geoiNformatics)[44] पहल** शुरू की गई है। इस पहल का नाम **"अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भू-सूचना का उपयोग करके फसल बीमा" (किसान/ KISAN)** है।

---

[41] Visualization of Earth observation Data and Archival System

[42] Forecasting Agricultural Output using Space, Agro-meteorology and Land based Observations

[43] Coordinated programme on Horticulture Assessment and Management using geoiNformatics

[44] KISAN

3.1.2. भारत में पशुधन क्षेत्रक (Livestock Sector in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन योजना**[45] को मंजूरी दी। इसके लिए कुल **1,702 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित** किया गया है। इस योजना का उद्देश्य पशुधन और डेयरी क्षेत्रकों से किसानों की आय बढ़ाना है।

शब्दावली को जानें

- **संधारणीय पशुधन उत्पादन** का अर्थ है- पशुओं को इस तरह से पालना कि इससे पर्यावरण को कम-से-कम नुकसान पहुँचे और साथ ही खाद्य उत्पादन भी होता रहे।

अन्य संबंधित तथ्य

- **योजना में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु-चिकित्सा से संबंधित शिक्षा;
  - डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास;
  - पशु आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन, उत्पादन और सुधार;
  - पशु पोषण और जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का उत्पादन व विकास।

भारत में पशुधन क्षेत्रक की स्थिति

- विश्व में पशुधन की सबसे अधिक संख्या भारत में है।
- भारत **भैंस के मांस का सबसे बड़ा उत्पादक** और **बकरी के मांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** है।

भारत में पशुधन क्षेत्रक का महत्त्व

- **सकल घरेलू उत्पाद में योगदान:** 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर कृषि और संबद्ध क्षेत्रक के GVA[46] में पशुधन क्षेत्रक का योगदान 30.19% और कुल GVA में इसका योगदान 5.73% था।
- **रोजगार सृजन:** पशुपालन भारत में **70% से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिए** आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। इनमें बड़ा अनुपात लघु और सीमांत किसानों एवं भूमिहीन मजदूर परिवारों का है।
- **कृषि-गतिविधियों के साथ अंतर्संबंध:** पशुधन क्षेत्रक खाद जैसे ऑर्गेनिक इनपुट के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, कृषि अपशिष्ट का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है।
- **खाद्य और पोषण सुरक्षा:** दूध, मांस और अंडे जैसे उत्पादों में **प्रचुर मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व** होते हैं, जो कुपोषण से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर बच्चों और महिलाओं में।
  - भारत **दूध उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान** पर है। **विश्व में दूध उत्पादन में भारत 23% का योगदान** देता है।

भारत में पशुधन क्षेत्रक से जुड़ी समस्याएं

- **स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा संबंधी समस्याएं:**
  - **पशु रोगों के कारण उच्च आर्थिक नुकसान:** जैसे- रक्तस्रावी सैप्टिसीमिया, खुरपका और मुंहपका रोग[47], ब्रुसेलोसिस रोग, आदि।
    - इसके अलावा, **जानवरों से मनुष्यों में जूनोटिक रोग** भी फैल सकते हैं, जैसा कि हाल ही में कोविड-19, इबोला और एवियन इन्फ्लूएंजा जैसी महामारियों के प्रकोप से स्पष्ट होता है।
  - **अवसंरचना और मानव संसाधन की कमी:** भारत में मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 60 से भी कम है। इस वजह से भारत में आवश्यक संख्या में पशु-चिकित्सक या वेटनरी डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं।
  - **एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की चुनौती:** पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। **पोल्ट्री क्षेत्र में पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं का सबसे अधिक उपयोग** होता है।

---

[45] Sustainable livestock health and production scheme

[46] Gross Value Added/ सकल मूल्यवर्धित

[47] Foot and Mouth Disease

- **आर्थिक चिंताएं**:
    - **कम उत्पादकता:** इसकी वजहें हैं- **पर्याप्त पोषण नहीं मिलना, पशुधन प्रबंधन की ख़राब व्यवस्था** और स्थानीय पशु नस्लों की कम आनुवंशिक क्षमता।
        - साल 2019-20 के दौरान भारत में मवेशियों की औसत वार्षिक उत्पादकता 1,777 किलोग्राम प्रति पशु रही, जबकि वैश्विक औसत 2,699 किलोग्राम प्रति पशु था।
    - **असंगठित क्षेत्र के रूप में मौजूद:** कुल **मांस उत्पादन का लगभग 50 फीसदी हिस्सा** अपंजीकृत और अस्थायी बूचड़खानों से आता है।
    - **मार्केटिंग और लेन-देन की उच्च लागत:** यह पशुधन उत्पादों की **बिक्री मूल्य का लगभग 15-20%** है।
    - **कम बीमा कवर प्राप्त होना:** केवल **15.47% पशुधन** बीमा कवर के तहत आते हैं।
    - **चारे की कमी:** भारत में केवल 5% कृषि योग्य भूमि पर चारा उत्पादन होता है, जबकि **वैश्विक पशुधन आबादी का 11% हिस्सा भारत** में है। पशुओं की विशाल संख्या की वजह से भूमि, जल और अन्य संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है।
- **विस्तार सेवाओं पर अधिक ध्यान नहीं देना:** पशुधन क्षेत्रक के लिए अलग से विस्तार कार्यक्रम[48] नहीं है। पशुधन से जुड़ी अधिकांश सेवाएं पशु स्वास्थ्य से संबंधित हैं और ये "पशुधन विस्तार सेवाओं' से संबंधित नहीं हैं।
- **ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन:** भारत में पशुधन से होने वाला **एंटरिक (जुगाली करने वाले पशुओं से) मीथेन उत्सर्जन,** वैश्विक एंटरिक मीथेन उत्सर्जन में 15.1% का योगदान देता है।

भारत के पशुधन क्षेत्रक के लिए प्रमुख पहलें

- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन:** इसका उद्देश्य सेलेक्टिव ब्रीडिंग और आनुवंशिक सुधार के माध्यम से देशी नस्ल के मवेशियों के विकास और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है।
- **राष्ट्रीय पशुधन मिशन:** इसका उद्देश्य पशुधन उत्पादन प्रणालियों में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार कर पशुधन क्षेत्रक के सभी हितधारकों का क्षमता निर्माण करना है।
- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC):** इसका लाभ पशुधन क्षेत्रक से जुड़े किसानों को भी दिया जा रहा है। इसके अलावा, **पशु स्वास्थ्य अवसंरचना विकास निधि** की स्थापना की गई है।
- **डेयरी विकास कार्यक्रम:** राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)[49] और **डेयरी उद्यमिता विकास योजना** (DEDS)[50] जैसी योजनाओं का उद्देश्य डेयरी क्षेत्रक का आधुनिकीकरण करना और इसमें उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
- **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम:** इसमें शामिल हैं-
    - **खुरपका और मुंहपका रोग तथा ब्रुसेलोसिस रोगों से निपटने** के लिए **राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP)[51];** तथा
    - रोग निगरानी और नैदानिक सेवाओं को मजबूत करने के लिए **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना।**

आगे की राह

- **राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली (NADRS)[52]** को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसमें पशु रोग प्रकोप की रियल टाइम रिपोर्टिंग के लिए अवसंरचनाओं का विकास और डिजिटलीकरण शामिल हैं।
- दूरदराज के क्षेत्रों के लिए **मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएं** शुरू की जानी चाहिए। इससे किसानों के घर तक पशु प्राथमिक चिकित्सा, कृत्रिम पशु गर्भाधान, डीवॉर्मिंग और टीकाकरण जैसी सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी।
    - केंद्र सरकार के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग तथा राज्य पशुपालन और डेयरी विभागों में कर्मचारियों की संख्या और प्रशिक्षण आवश्यकताओं की समीक्षा करने के लिए एक **राष्ट्रीय कार्य समूह** की स्थापना की जानी चाहिए।

---

[48] Livestock extension program

[49] National Programme for Dairy Development

[50] Dairy Entrepreneurship Development Scheme

[51] National Animal Disease Control Programme

[52] National Animal Disease Reporting System

- फसलों की खेती, पशुपालन और अन्य कृषि गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए **पशुधन आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS)**[53] को बढ़ावा देना चाहिए। इससे संसाधनों का समुचित उपयोग किया जा सकेगा, उत्पादकता बढ़ाई जा सकेगी और संधारणीयता सुनिश्चित की जा सकेगी।
- **बाजारों तक आसान पहुंच** सुनिश्चित करना, दक्ष मूल्य श्रृंखला स्थापित करना तथा मार्केटिंग और सूचना प्रसार के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को बढ़ावा देना चाहिए।
- पशुधन क्षेत्रक में **बीमा कवरेज बढ़ाना** चाहिए ताकि पशुधन रखने वालों के ऊपर से जोखिम को बीमा कंपनियों पर स्थानांतरित किया जा सके।
- **भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग-अलग नीतियां** तैयार करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए- **वर्षा सिंचित क्षेत्रों** में नीति का मुख्य जोर **पशुपालन या पशुधन आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली पर** होना चाहिए।

3.1.3. भारत में बागवानी क्षेत्रक (Horticulture Sector in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **'संधारणीय बागवानी विकास"** के लिए एक योजना को मंजूरी दी। इसके लिए कुल **1129.3 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित** किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस योजना का उद्देश्य **बागवानी क्षेत्रक से किसानों की आय बढ़ाना** है। इस योजना में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण-कटिबंधीय और समशीतोष्ण बागवानी फसलें;
  - जड़, कंद, बल्बोस और शुष्क फसलें;
  - सब्जी, फूलों की खेती और मशरूम की फसलें;
  - रोपण, मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधे।
- हाल ही में सरकार ने बागवानी क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)**[54] के तहत **'स्वच्छ पौध कार्यक्रम (CPP)'** को भी मंजूरी दी। इसके लिए 1,766 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

स्वच्छ पौध कार्यक्रम (Clean Plant Programme: CPP) के बारे में

- **उद्देश्य:** संधारणीय और पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धति को बढ़ावा देना तथा आयातित रोपण सामग्री पर निर्भरता कम करना।
  - यह **मिशन लाइफ/LiFE और वन हेल्थ पहल** के साथ तालमेल बिठाते हुए भारत के बागवानी क्षेत्रक को बढ़ावा देगा।

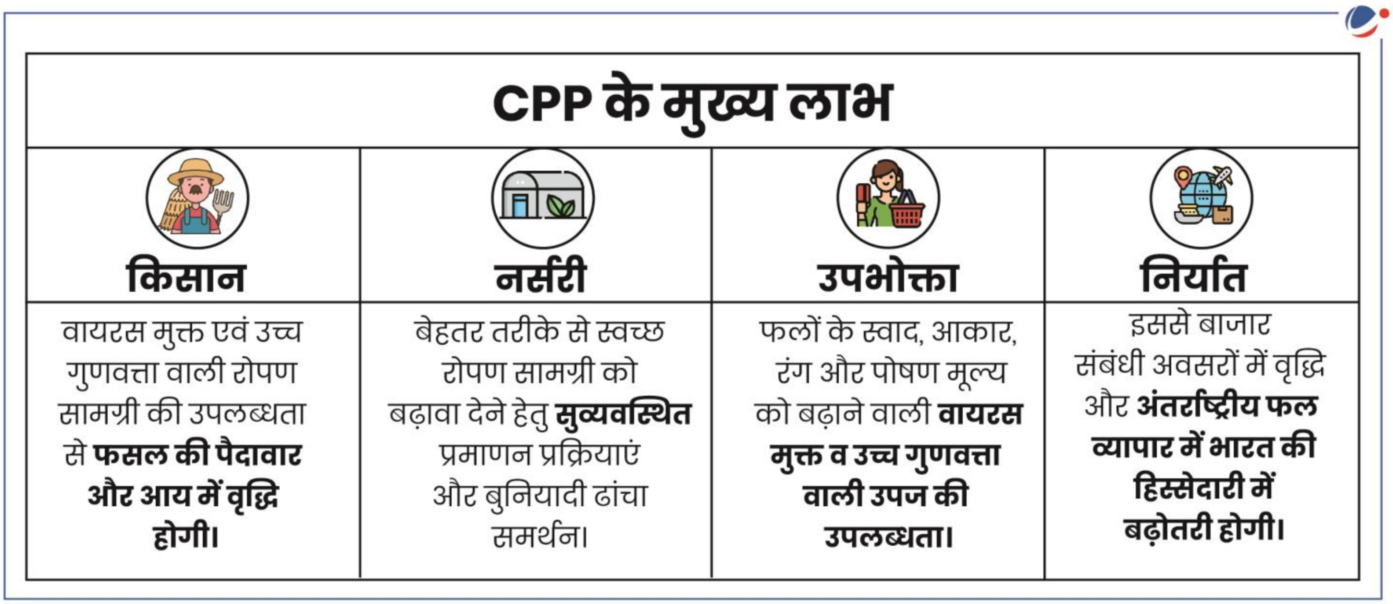

---

[53] Integrated farming system

[54] Integrated Development of Horticulture

- **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड।**
- **तीन मुख्य घटक:**
    - एडवांस्ड डायग्नोस्टिक चिकित्सा और ऊतक संवर्धन प्रयोगशालाओं से लैस 9 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक **स्वच्छ पौध केंद्र (CPCs)**[55] की स्थापना।
    - **सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क,** जो बीज अधिनियम, 1966 के तहत विनियामकीय फ्रेमवर्क द्वारा समर्थित होगा।
    - अवसंरचना विकास के लिए **बड़े पैमाने पर नर्सरियों की स्थापना के लिए सहायता।**

बागवानी क्षेत्रक के बारे में

- बागवानी क्षेत्रक एक विशाल और विविध क्षेत्रक है, जिसमें **फलों, सब्जियों, फूलों और सजावटी पौधों** की **खेती, उत्पादन, प्रसंस्करण और मार्केटिंग** का काम होता है।
- **बागवानी के प्रमुख प्रकार:**
    - **पोमोलॉजी/ Pomology** {फलों की खेती, और इसमें **विटीकल्चर/ Viticulture (अंगूर की खेती)** भी शामिल है};
    - **ओलेरीकल्चर/ Olericulture** (सब्जियों की खेती);
    - **फ्लोरीकल्चर/ Floriculture** (फूलों और सजावटी पौधों की खेती);
    - **अरबोरिकल्चर/ Arboriculture** (पेड़ों और झाड़ियों को उगाना)।

भारत के बागवानी क्षेत्रक की स्थिति

- **उत्पादन:** भारत में बागवानी एक प्रमुख कृषि गतिविधि है। देश में **कुल कृषि क्षेत्र के 13.1% भाग पर बागवानी** की जाती है और **2022-23 में इसका उत्पादन 355.48 मिलियन टन** रहा।
    - भारत के कुल बागवानी उत्पादन में **फलों और सब्जियों का योगदान लगभग 90%** है।
- **कृषि GVA में बागवानी क्षेत्रक का योगदान 33% है।**
- **विश्व में स्थिति:** फलों और सब्जियों के उत्पादन के मामले में चीन के बाद **भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है।**
    - कृषि एवं खाद्य संगठन (FAO) की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सब्जियों में **प्याज, अदरक और भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक** है जबकि **आलू, फूलगोभी, बैंगन, कैबेज (पत्तागोभी) के उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर** है।
    - फलों के मामले में, भारत **केले, आम और पपीते के उत्पादन में पहले स्थान पर** है।
- **निर्यात:** भारत **सब्जियों के निर्यात** के मामले में विश्व में **14वें** और **फलों के निर्यात** मामले में विश्व में **23वें स्थान** पर है।

भारत के लिए बागवानी क्षेत्रक का महत्त्व

सनराइज क्षेत्रक	**खाद्य एवं पोषण सुरक्षा**	**भारत में संभावनाएं**
निम्नलिखित की संभावना: • किसानों की आय दोगुनी करना • रोजगार सृजन • **विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि** • **ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाना**	• फल और सब्जियां भारतीयों के आहार में विटामिन, खनिज आदि के प्रमुख स्रोत हैं।	• अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियां • प्रचुर श्रमबल • अपेक्षाकृत कम उत्पादन लागत • खाद्यान्न की तुलना में **उच्च उत्पादकता (2.23 टन/ हेक्टेयर के मुकाबले 12.49 टन/ हेक्टेयर)**

---

[55] Clean Plant Centers

बागवानी क्षेत्रक के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (2014):** यह बागवानी क्षेत्रक के समग्र विकास के लिए **केंद्र प्रायोजित योजना** है। इसकी **2 उप-योजनाएं हैं:**
  - **राष्ट्रीय बागवानी मिशन (2005-06):** इसका उद्देश्य **बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम** के तहत क्लस्टर एप्रोच के माध्यम से फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करके बागवानी क्षेत्रक का समग्र विकास करना है।
  - **पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन।**
- केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने **100 निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर्स** के लिए **18,000 करोड़ रुपये** आवंटित करने की घोषणा की है।
- **जियोइन्फोर्मेटिक्स का उपयोग करते हुए बागवानी आकलन और प्रबंधन पर समन्वित कार्यक्रम (CHAMAN) अर्थात् चमन कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य बागवानी फसलों के तहत शामिल क्षेत्र और उत्पादन के आकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धति विकसित करना और उनका उपयोग करना है।
- **पूंजी निवेश सब्सिडी योजना:** इसका उद्देश्य कोल्ड स्टोरेज/ बागवानी उत्पादों के भंडारण सुविधाओं का निर्माण/ विस्तार/ आधुनिकीकरण करना है।
- **व्यावसायिक खेती:** 2022-23 के दौरान 44 विभिन्न फसलों की 347 नई किस्में या बेहतर किस्में (हाइब्रिड) तैयार की गईं। इनमें से बागवानी फसलों की 99 किस्मों को व्यावसायिक खेती के लिए अधिसूचित किया गया।

बागवानी क्षेत्रक से जुड़ी मुख्य चुनौतियां

- **निर्यात में कम हिस्सेदारी:** वैश्विक बागवानी बाजार में **भारत की हिस्सेदारी केवल 1%** है।
  - भारत से निर्यात होने वाले बागवानी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने के लिए सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों नामक गैर-प्रशुल्क व्यापार बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये उपाय खाद्य सुरक्षा, पौधों के स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित होते हैं। कई देशों में ये नियम इतने सख्त होते हैं कि भारतीय उत्पाद इनका पालन नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारा निर्यात प्रभावित होता है।
    - उदाहरण के लिए- कृषि उत्पादों में कीटनाशक अवशेषों[56] के मौजूद होने कारण यूरोपीय संघ जैसे बड़े बाजारों में भारतीय निर्यात पर रोक लगा दिया गया है।
- **कमजोर अवसंरचना:** अधिकांश बागवानी फसलें शीघ्र खराब हो जाती हैं। **अपर्याप्त लॉजिस्टिक्स सुविधाओं,** विशेषकर कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग की कमी के कारण, इन फसलों की **आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं** आती हैं, जिसके परिणामस्वरूप **उत्पादों की बर्बादी** होती है।
  - **सभी राज्यों में समान संख्या में कोल्ड स्टोरेज मौजूद नहीं** हैं। लगभग 59% भंडारण क्षमता (यानी, 21 मिलियन मीट्रिक टन) **4 राज्यों- उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और पंजाब** में मौजूद है।
- **खेती योग्य भू-जोत का लघु आकार:** यह समस्या खेती, **फसल चक्र** और संधारणीय मृदा प्रबंधन के लिए उपलब्ध भूमि की मात्रा को सीमित कर देती है। इन वजहों से मृदा की उर्वरता और पैदावार कम हो जाती है।
- **अन्य चुनौतियां:**
  - कृषि बीमा एवं कृषि मशीनीकरण का लाभ सभी को नहीं मिलता है;
  - लघु और सीमांत किसानों के पास आमतौर पर कम जमीन होती है और वे कम आय वाले होते हैं। इन कारणों से, बैंकिंग संस्थान उन्हें ऋण देने में संकोच करते हैं;
  - जलवायु परिवर्तन की वजह से चरम मौसम की घटनाओं का बढ़ना और मौसम के पैटर्न में परिवर्तन आना; आदि।

आगे की राह

- अंतर्राष्ट्रीय मानकों और वैश्विक स्तर की अच्छी कृषि पद्धतियों (GAP)[57] के अनुसार सभी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए **किसान, प्रसंस्करणकर्ता और निर्यातक के स्तर पर क्षमता निर्माण पहलें** शुरू की जानी चाहिए।
- कोल्ड स्टोरेज क्षमता का विस्तार करके **आपूर्ति श्रृंखला संबंधी दक्षता में सुधार करना** चाहिए। साथ ही, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बेहतर सड़क, रेलवे और परिवहन **अवसंरचना सुनिश्चित करने हेतु निवेश बढ़ाना** चाहिए।

---

[56] Pesticide residue

[57] Good Agricultural Practices

- बाजार की मांग और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, जूस और जैम जैसे **मूल्यवर्धित बागवानी उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करना** चाहिए।
- व्यवसाय और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए बागवानी क्षेत्रक में **उद्यमशीलता को बढ़ावा** देना चाहिए।
- उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए परिशुद्ध कृषि, हाइड्रोपोनिक्स और ऊतक संवर्धन जैसी **कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा** देना चाहिए।
- **क्लाइमेट-स्मार्ट कृषि विधियों को विकसित करना चाहिए और बढ़ावा** देना चाहिए जो बदलते मौसम पैटर्न के अनुरूप हों।
- **अन्य उपायों में शामिल हैं;**
    - एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन,
    - जल-बचत करने वाली प्रौद्योगिकियों एवं विधियों को बढ़ावा देना,
    - कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देना,
    - बैंकिंग संस्थाओं से
    - ऋण प्राप्ति का विस्तार करना, आदि।

भारत के कृषि क्षेत्रक के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #60:
कृषि अवलोकन: उत्पादन–केंद्रित से किसान–केंद्रित की ओर

वीकली फोकस #62:
कृषि आदान – भाग I: मृदा और जल: प्राथमिक कृषि आगतें

वीकली फोकस #63:
कृषि आदान – भाग II: बीज और कीटनाशक: खेतों में उपयोग होने वाले आवश्यक आदान

वीकली फोकस #67:
संधारणीय कृषि – भाग 1: संधारणीय कृषि की अवधारणा और पद्धति की समझ

वीकली फोकस #68:
संधारणीय कृषि – भाग II: भारत के खाद्य प्रणाली का रूपांतरण

वीकली फोकस #100:
भारत में कृषि संबंधी प्रौद्योगिकी: हरित भविष्य के लिए नवाचार

3.2. नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम (National Pest Surveillance System: NPSS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने **'नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम (NPSS)'** का शुभारंभ किया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एक प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म किसानों को पेस्ट्स यानी पीड़कों को नियंत्रित करने के लिए **कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से जुड़ने में मदद** करेगा।

पेस्टिसाइड्स (Pesticides) के बारे में

पेस्टिसाइड्स या पीड़कनाशी वे रासायनिक या जैविक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग कीटों, फफूंदों, खरपतवारों और अन्य हानिकारक जीवों को मारने या नियंत्रित करने या उन्हें हटाने के लिए किया जाता है। ये कृषि, बागवानी आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। इसमें आम तौर पर कीटनाशक (Insecticides), कवकनाशी (Fungicides), शाकनाशी (Herbicides) और जैव-कीटनाशक (Bio-pesticides) शामिल होते हैं।

नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम यानी राष्ट्रीय पेस्ट निगरानी प्रणाली (NPSS) के बारे में

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **पेस्टिसाइड्स के रिटेल विक्रेताओं पर किसानों की निर्भरता को कम करना** और पेस्ट प्रबंधन के लिए किसानों में **वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित** करना है।

- **शामिल एजेंसियां:** NPSS वस्तुतः **पौध संरक्षण, क्वारंटाइन और भंडारण निदेशालय**[58] तथा **ICAR-NCIPM**[59] के बीच सहयोग पर आधारित है।
- **प्रमुख विशेषताएं:**
  - यह प्रणाली पेस्ट प्रबंधन पर समयबद्ध और सटीक सलाह के लिए **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML)** जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है।
  - **मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल:** इसके अंतर्गत किसान **संक्रमित फसलों या कीट की फोटो** लेकर उसे **प्लेटफॉर्म पर अपलोड** कर सकते हैं।
  - **विशेषज्ञों की सलाह:** वैज्ञानिक/ विशेषज्ञ किसानों को **सटीक सलाह देंगे** और पेस्ट के खतरे को नियंत्रित करने के लिए **पीड़कनाशियों का सुझाव** भी देंगे।
- NPSS जैसी तकनीकों का इस्तेमाल **पीड़कनाशियों के विवेकपूर्ण उपयोग** को प्रोत्साहित करके **भारत में एकीकृत पेस्ट प्रबंधन को बढ़ावा** दे सकता है।

एकीकृत पेस्ट प्रबंधन (IPM)[60] के बारे में

- **परिभाषा:** यह **पर्यावरण-अनुकूल प्रणाली** है। इसका उद्देश्य **वैकल्पिक पेस्ट नियंत्रण विधियों और तकनीकों का उपयोग करके फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पेस्ट की आबादी को नियंत्रित** करना है। इसमें **जैव-पीड़कनाशियों और वनस्पति आधारित पीड़कनाशियों के उपयोग** पर जोर दिया गया है।

एकीकृत पेस्ट प्रबंधन (IPM) का महत्त्व

- **उपज के नुकसान को रोकता है:** काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (CEEW) के अनुसार, कीटों, फसल रोगों, नेमाटोड, खरपतवार (वीड), और कृंतकों (रोडेन्ट्स) के कारण भारत में **हर साल 15 से 25 प्रतिशत फसल बर्बाद** हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष लगभग 90,000 करोड़ रुपये से 1.4 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होता है।

---

[58] Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage

[59] ICAR-National Research Centre for Integrated Pest Management/ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय एकीकृत पेस्ट प्रबंधन अनुसंधान केंद्र

[60] Integrated Pest Management

- **आय के स्तर में वृद्धि:** एकीकृत पेस्ट प्रबंधन प्रणाली पीड़कनाशियों के उपयोग को सीमित करती है और उपज में बढ़ोतरी करके **उत्पादन लागत को कम करने में मदद** करती है। इसके अतिरिक्त, IPM के तहत उगाई गई फसलें उच्च गुणवत्ता वाली होती हैं क्योंकि उनमें पीड़कनाशियों के अवशेष कम होते हैं। इसके चलते घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इन्हें बेहतर कीमतें मिलने की संभावना रहती है।
    - उदाहरण के लिए- एकीकृत पेस्ट प्रबंधन प्रणाली का इस्तेमाल करने से दलहन उत्पादन में 15-20% की वृद्धि हुई है।
- **पीड़कनाशियों के अत्यधिक उपयोग पर रोक:** एकीकृत पेस्ट प्रबंधन पेस्टिसाइड्स के अत्यधिक उपयोग से होने वाले कई गंभीर दुष्प्रभावों, जैसे- मानव और पशु स्वास्थ्य को खतरा, पेस्ट में पीड़कनाशियों के प्रति प्रतिरोध विकसित होने की क्षमता आदि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **पर्यावरण से जुड़े लाभ:** एकीकृत पेस्ट प्रबंधन से पर्यावरण में पीड़कनाशियों के अवशेष कम हो जाते हैं। इसके कई लाभ हैं, जैसे:
    - **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं** (परागण, स्वस्थ मृदा, और प्रजाति जैव विविधता) में **वृद्धि होती** है।
    - जैविक तरीकों के उपयोग से **ऊर्जा का संरक्षण** होता है और **ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी कम** होता है।
        - **जैव-पीड़कनाशी** जीवों, पौधों (नीम, तंबाकू), सूक्ष्मजीवों (बैक्टीरिया, वायरस, कवक, नेमाटोड) आदि का उपयोग करके बनाए जाते हैं।

चिंताएं

- **शुरुआत में उपज में गिरावट की आशंका:** यह स्थिति किसानों को एकीकृत पेस्ट प्रबंधन अपनाने से हतोत्साहित कर सकती है।
- **शुरुआत में उच्च लागत:** इस प्रणाली में **नए उपकरण, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण में अग्रिम निवेश** की आवश्यकता पड़ती है।
- **जागरूकता और शिक्षा की कमी:** किसानों में एकीकृत पेस्ट प्रबंधन सिद्धांतों या इसके संभावित लाभों के बारे में जानकारी का अभाव है। इसके चलते वे नवीन बदलावों का विरोध करते हैं।
- **निगरानी और डेटा का अभाव:** प्रभावी एकीकृत पेस्ट प्रबंधन के लिए पेस्ट की आबादी की निरंतर निगरानी और सटीक डेटा संग्रह की आवश्यकता होती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में अधिक **समय लगता है और अधिक संसाधनों की जरूरत** पड़ सकती है।
- **पेस्ट्स का फिर से प्रकोप बढ़ना:** यह तब होता है जब एकीकृत कीट प्रबंधन तकनीकों को **ठीक से लागू नहीं** किया जाता या फिर कीट **जैविक नियंत्रण एजेंटों** के प्रति प्रतिरोध क्षमता विकसित कर लेते हैं।
- **मौसम और पर्यावरणीय कारक:** कुछ मौसमी और पर्यावरणीय कारक (जैसे- तापमान और आर्द्रता, मौसमी बदलाव) एकीकृत पेस्ट प्रबंधन विधियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं।

भारत में एकीकृत पेस्ट प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- **एकीकृत पेस्ट प्रबंधन नीति:** भारत ने 1985 से समग्र फसल उत्पादन कार्यक्रम में **पौध संरक्षण के प्रमुख सिद्धांत** और **एकीकृत पेस्ट प्रबंधन** को अपनाया है।
- **ICAR-NCIPM:** इसे 1988 में एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। इसका कार्य मुख्य फसलों के लिए एकीकृत पेस्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और बढ़ावा देना है।
- **"पेस्ट प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण" योजना:** इस योजना के तहत 'केंद्रीय एकीकृत पेस्ट प्रबंधन केंद्रों (CIPMCs)[61]' के माध्यम से देशभर में एकीकृत पेस्ट प्रबंधन एप्रोच को बढ़ावा दिया जा रहा है।
    - ये केंद्र निम्नलिखित गतिविधियों से जुड़े कार्य करते हैं:
        - **पेस्ट/ फसल रोग की निगरानी,**
        - **जैव-नियंत्रण एजेंटों/ जैव-पीड़कनाशियों का उत्पादन और उन्हें जारी करना,**
        - **जैव-नियंत्रण एजेंटों का संरक्षण,**
        - **एकीकृत पेस्ट प्रबंधन में मानव संसाधन विकास,** आदि।

आगे की राह

- किसानों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण और उन्हें अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए **सरकार, किसान उत्पादक संगठनों और शोधकर्ताओं को मिलकर काम** करने की आवश्यकता है।

---

[61] Central IPM Centres

- विशिष्ट क्षेत्रों और फसल प्रणालियों के अनुरूप **नवीन एकीकृत पेस्ट प्रबंधन रणनीतियां विकसित करने का प्रयास** करना चाहिए।
- एकीकृत पेस्ट प्रबंधन को व्यापक रूप से अपनाने के लिए **तकनीकी उपाय विकसित करने में निवेश** किया जाना चाहिए।

3.3. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana: PMMY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नीति आयोग और KPMG ने **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के प्रभाव आकलन पर एक रिपोर्ट जारी** की है।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के बारे में

- **PMMY** भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। इस योजना की घोषणा प्रधान मंत्री ने 2015 में की थी। **केंद्रीय बजट 2015-16 में भी इसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।** यह योजना **सूक्ष्म और लघु उद्यमों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने** के लिए शुरू की गई थी।
- **उद्देश्य:** सूक्ष्म और लघु उद्यमों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना और उन उद्यमियों को किफायती ऋण प्रदान करना, जो पहले से **वित्त-पोषण की सुविधा से वंचित** हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **सदस्य ऋणदाता संस्थान (MLIs)[62] के माध्यम से ऋण:** योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंक, निजी क्षेत्रक के बैंक, राज्य संचालित सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFI)[63], गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)[64], लघु वित्त बैंक (SFBs)[65] आदि पात्र उद्यमियों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं।
  - माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (MUDRA/ मुद्रा) **सदस्य ऋणदाता संस्थानों (MLIs) के पुनर्वित्त** के लिए जिम्मेदार है।
  - माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (MUDRA) स्वयं **सूक्ष्म उद्यमियों/ व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण नहीं देता है।**

---

[62] Member Lending Institution

[63] Micro Finance Institution

[64] Non-Banking Finance Company

[65] Small Finance Banks

- योजना के तहत वित्त-पोषण के **सावधि ऋण (टर्म लोन) और कार्यशील पूंजी, दोनों घटकों को पूरा** करने के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं।

- **ऋण हेतु पात्र व्यक्ति:** PMMY के तहत **पात्र लाभार्थी** गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय सेगमेंट (NCSB)[66] के तहत आते हैं। इनमें शामिल हैं- सामान्य व्यक्ति, व्यक्तिगत स्वामित्व वाले व्यवसाय, साझेदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, कोई अन्य कानूनी व्यवसायिक इकाइयां, आदि।
- **ऋण गारंटी:** योजना के तहत पात्र सूक्ष्म इकाइयों को **क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU)** के माध्यम से ऋण गारंटी प्रदान की जाती है।
    - CGFMU की स्थापना **2015** में PMMY के तहत स्वीकृत ऋणों की गारंटी के लिए की गई थी।
- **अन्य लाभ:**
    - इस योजना में ऋण के बदले **प्रोसेसिंग फी का भुगतान करने या कोलेटरल (गिरवी/ जमानत) रखने** की कोई आवश्यकता **नहीं** होती है। इसके अलावा, PMMY उद्यमियों को कम ब्याज दर पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही, ऋण वापसी के लिए भी उदार व्यवस्था अपनाई गई है।
    - **MUDRA कार्ड:** यह कार्ड ऋण लेने वालों को कार्यशील पूंजी के लिए प्रदान किया जाता है। यह एक डेबिट कार्ड है, जिसका उपयोग ऋण के कार्यशील पूंजी हिस्से के लिए किया जा सकता है।

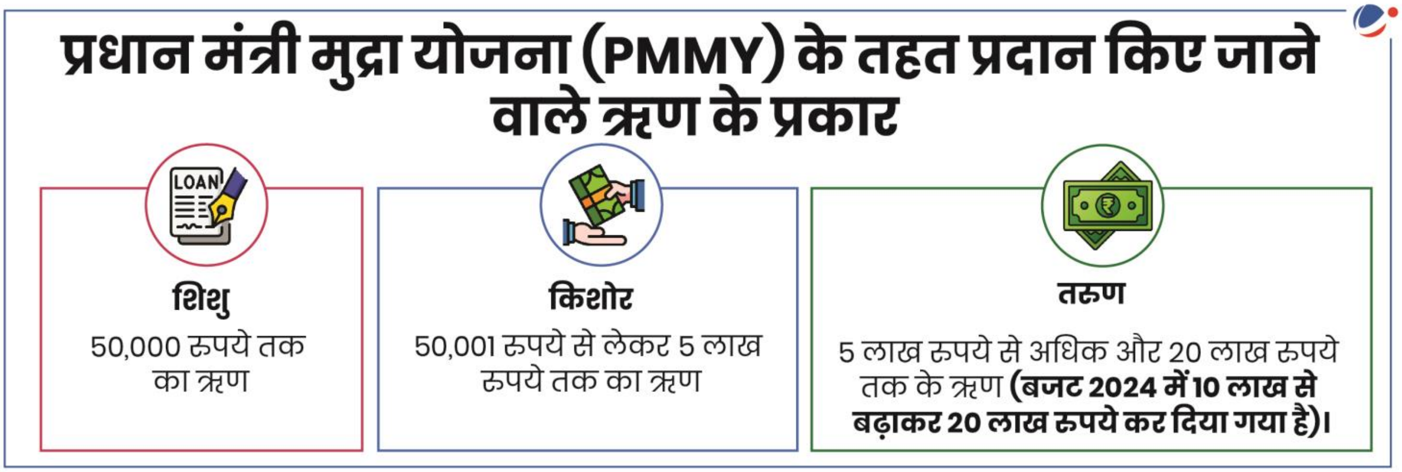

रिपोर्ट में PMMY की प्रमुख उपलब्धियों पर एक नज़र

- **सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को ऋण सहायता:** 2015 में योजना की शुरुआत से लेकर अब तक, PMMY के तहत लगभग **35 करोड़ सूक्ष्म और लघु उद्यमियों** को ऋण प्रदान किए गए हैं और **लगभग 18.39 लाख करोड़ रूपये की ऋण सहायता** प्रदान की गई है।
    - इस योजना के तहत पिछले कुछ वर्षों में **सभी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि धीरे-धीरे बढ़ी** है।
- **वित्तीय समावेशन:**
    - PMMY के तहत स्वीकृत ऋणों का बड़ा हिस्सा महिला उद्यमियों को दिया गया है, जो **कुल ऋण खातों की संख्या का लगभग 71.4% (वित्त वर्ष 2022)** है।
    - **नए उद्यमियों के लिए स्वीकृत राशि** 61,650 करोड़ रुपये से बढ़कर 72,685 करोड़ रुपये कर दी गई है।
- **लघु व्यवसायों को प्रोत्साहन:** वित्त वर्ष 2021 में **लगभग 80% ऋण** 'शिशु श्रेणी' के अंतर्गत तथा इसके बाद 18.70% ऋण **'किशोर श्रेणी'** के तहत दिए गए थे।
    - वित्त वर्ष 2022 में, मुद्रा ऋण प्राप्त करने वालों में **अनुसूचित जाति** के **83.92% ऋण खाते**, **अनुसूचित जनजाति** के **83.53% खाते**, और **अन्य पिछड़ा वर्ग** के **78.68%** खाते शिशु श्रेणी के तहत थे।
- **आकांक्षी जिलों का प्रदर्शन:** PMMY के तहत इन जिलों में ऋण खातों की संख्या और स्वीकृत राशि में क्रमशः 12% और 14.7% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

---
[66] Non–Corporate Small Business Segment

रिपोर्ट में रेखांकित मुख्य चिंताएं और चुनौतियां

- **ऋण वितरण में क्षेत्रीय असमानता:** 2015 से 2022 के बीच, पूर्वोत्तर क्षेत्र में **कुल खातों की संख्या** और **स्वीकृत ऋण राशि** देश के अन्य हिस्सों की तुलना में न केवल सबसे कम (लगभग 4%) रही है, बल्कि वित्त वर्ष 2018 के बाद से, इसमें **साल-दर-साल गिरावट** दर्ज की गई है।
- **बढ़ता NPA:** वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2022 तक, नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) खातों की संख्या और राशि में क्रमशः **22.51%** और **36.61%** की CAGR[67] से वृद्धि दर्ज की गई है।
    - **सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों का NPA सबसे अधिक 22.6%** है और NBFCs का NPA सबसे कम यानी 1.3% है।
    - किशोर श्रेणी के खातों में सबसे अधिक NPA है जबकि शिशु खातों में सबसे कम NPA राशि है।
- **योजना डिजाइन से जुड़ी समस्याएं:**
    - CGFMU के तहत, डिफॉल्ट ऋण के लिए कवर की जाने वाली **राशि की ऊपरी सीमा 15%** है। इसका मतलब है कि यदि ऋण चुकाने में कोई डिफॉल्ट होता है, तो CGFMU केवल ऋण की राशि का 15% तक ही गारंटी प्रदान करता है।
    - CGFMU के तहत **दावा निपटान की जटिल** (XML प्रारूप, आसानी से सुधारी न जा सकने वाली त्रुटियां, अपलोड करने में अधिक समय) और **लंबी प्रक्रिया** एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या है।
    - **अन्य चिंताएं:** उच्च गारंटी शुल्क; उच्च पुनर्वित्त दर; कोलेटरल फ्री लोन होने के कारण ऋण वापस नहीं मिलने का जोखिम; इत्यादि।
- **संस्थागत तंत्र से जुड़ी समस्याएं:**
    - सूचना एकत्र करने के लिए **केंद्रीकृत डेटाबेस का न होना।**
    - **कमजोर वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों में अधिक मुद्रा ऋण वितरण नहीं होना।**
    - गारंटी कवर या अन्य ऑपरेशनल/ तकनीकी दिशा-निर्देशों से संबंधित समस्याओं पर प्रश्नों के त्वरित समाधान के लिए **डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं** होना।

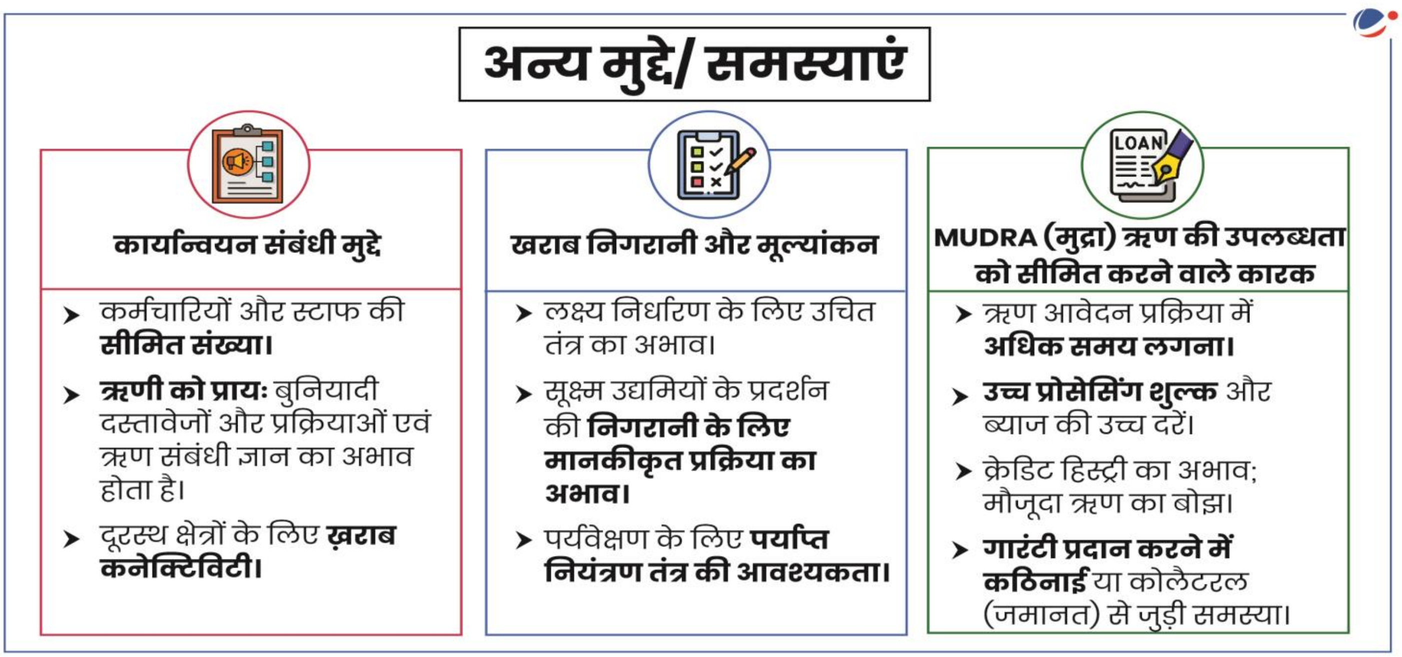

आगे की राह (मुख्य सुझाव)

- योजना के लाभों के बारे में लोगों को सूचित करने, समझाने और प्रेरित करने के लिए **पारंपरिक विज्ञापन** (टेलीविजन/ समाचार पत्र/ रेडियो का उपयोग करके बड़े पैमाने पर प्रचार, क्षेत्रीय भाषाओं में पोस्टर और बैनर प्रदर्शित करना) और **ऑनलाइन विज्ञापन (सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक विज्ञापन, गूगल विज्ञापन आदि)** माध्यमों का **उपयोग करना** चाहिए।

---

[67] Compounded Annual Growth Rate/ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

* भविष्य में लाभार्थियों के लिए इसे अधिक पारदर्शी और समस्या मुक्त बनाने के लिए **ऋण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण** किया जाना चाहिए।
* बेहतर डेटा प्रबंधन के साथ योजना की **समग्र दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाभार्थी डेटा के रियल टाइम अपलोड की अनुमति देने हेतु डिजिटल पोर्टल बनाने** की आवश्यकता है।
* MLIs के साथ-साथ योजना के लाभार्थियों या ऋण लेने वालों को लाभ पहुंचाने हेतु उनके सवालों के **समाधान के लिए फीडबैक/ क्वेरी निवारण पोर्टल और चैटबॉट्स की व्यवस्था की जानी चाहिए।**
* अच्छा प्रदर्शन करने वाले **सदस्य ऋणदाता संस्थानों (MLIs) को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मान्यता तंत्र स्थापित** किया जाना चाहिए।

सफलता की कहानियां, बेस्ट प्रैक्टिसेज और केस स्टडीज़

* **सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, IDBI, ICICI, यस बैंक आदि द्वारा "59 मिनट में ऋण" योजना** के साथ मुद्रा योजना का एकीकरण एक महत्वपूर्ण पहल है। इसमें लाभार्थी, इन बैंकों के पोर्टल पर ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं।
* यूको बैंक हर महीने **मुद्रा दिवस** मनाता है। इस पहल का उद्देश्य अभियानों और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से ऋण उपलब्धता और प्राप्ति को बढ़ावा देना तथा उसे बेहतर बनाना है।
* **बंधन बैंक** और **इंडसइंड बैंक** द्वारा लागू की गई **समूह आधारित ऋण प्रणाली** एक अन्य महत्वपूर्ण पहल है। इसमें व्यक्तियों को समूह में योजना के बारे में जानकारी दी जाती है। इस पहल से बैंकों को मुद्रा योजना से जुड़ी NPA में अधिक कमी करने में मदद मिली है।

3.4. क्रिएटिव इकोनॉमी (Creative Economy)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने **ऑल इंडिया क्रिएटिव इकोनॉमी पहल (AIICE)**[68] की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य "भारत के क्रिएटिव इंडस्ट्रीज की विशाल क्षमता का उपयोग करना" है।

क्रिएटिव इकोनॉमी या ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में

* यह **क्रिएटिव एसेट्स पर आधारित एक नई अवधारणा** है, जिसमें आर्थिक संवृद्धि और विकास को बढ़ाने की क्षमता है।
* वास्तव में ये **ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियां** हैं, जिन पर 'क्रिएटिव इंडस्ट्रीज' आधारित हैं।
    * क्रिएटिव इंडस्ट्रीज **वस्तुओं और सेवाओं के सृजन, उत्पादन और वितरण के चक्र के समान होते हैं।** ये प्राथमिक इनपुट यानी संसाधन के रूप में क्रिएटिविटी और बौद्धिक पूंजी का उपयोग करते हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।

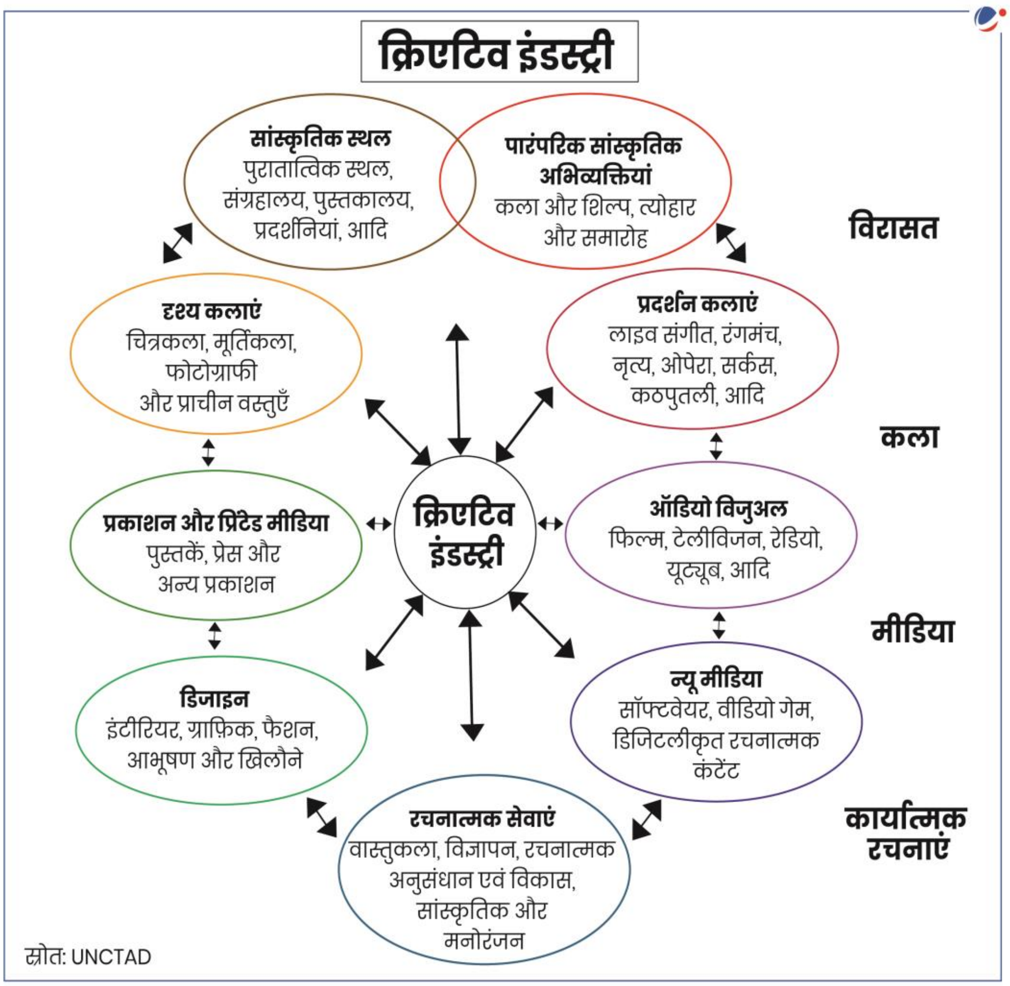

68 All India Initiative on Creative Economy

क्रिएटिव इकोनॉमी की विशेषताएं

- **ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियां:** ये ऐसे ज्ञान पर आधारित हैं जो या तो औपचारिक रूप से शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित किए जाते हैं या विरासत में प्राप्त होते हैं।
  - विरासत में प्राप्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौशल और ज्ञान का अनौपचारिक रूप से हस्तांतरण होता है।
- **मौलिक विचार और कल्पना:** इसमें बौद्धिक संपदा का सृजन और उपयोग शामिल है।
- **बिना-दोहराव वाली तथा तकनीकी परिवर्तन और मशीनीकरण के अनुकूल होना:** ये विशेषताएं भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां 2040 तक ऑटोमेशन के कारण 69% नौकरियों के खतरे में पड़ने की आशंका है।
- **आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्य श्रृंखला:** इसके तहत किसी व्यक्ति के मूल विचार को उत्पादन और वितरण के माध्यम से सांस्कृतिक उत्पाद के रूप में विकसित किया जाता है।

डेटा बैंक

भारत में क्रिएटिव इकोनॉमी की स्थिति:

- यह अब लगभग **30 बिलियन डॉलर** का उद्योग बन गया है और भारत की लगभग **8% कार्यशील आबादी को रोजगार** देता है।
- 2010 से 2019 तक **क्रिएटिव गुड्स के निर्यात में 1.5 गुना वृद्धि** हुई।
- क्रिएटिव कारोबार का **देश के समग्र GVA में लगभग 20%** का योगदान है।

क्रिएटिव इकोनॉमी का महत्त्व

- **आर्थिक पहलू:**
  - **लिंकेज और स्पिल-ओवर प्रभाव उत्पन्न होना:** इससे हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन उद्योग जैसे अन्य क्षेत्रकों से वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग में वृद्धि हो सकती है।
  - **संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार,** क्रिएटिव इकोनॉमी से संबंधित उद्योग **2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करते हैं। साथ ही, ये विश्व भर में रोजगार के लगभग 50 मिलियन अवसर** प्रदान करते हैं।
- **सामाजिक पहलू:** क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में कार्यरत 23% लोग **15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के हैं। यह किसी भी अन्य क्षेत्रक की तुलना में अधिक है।** विश्व भर में क्रिएटिव व्यवसायों में 45% हिस्सेदारी महिलाओं की है।
- **कौशल विकास और शिक्षा:** भारत में एडुटेनमेंट के उदय ने लर्निंग के **पारंपरिक तरीकों को बदल दिया है।** एडुटेनमेंट के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके मनोरंजन के जरिए शिक्षा प्रदान की जाती है।
- **कूटनीति और सॉफ्ट पावर:** सांस्कृतिक आदान-प्रदान आपसी समझ को बढ़ावा देता है और कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करता है।
  - उदाहरण के लिए, भारतीय खान-पान भारत की सॉफ्ट पावर के अभिन्न अंग बन गए हैं।
- **संधारणीय विकास:** क्रिएटिव इंडस्ट्रीज मुख्य रूप से पर्यावरण-अनुकूल होती है, क्योंकि क्रिएटिव गतिविधियों के लिए प्राथमिक इनपुट प्राकृतिक संसाधनों (जैसे- खनन, कृषि आदि) पर निर्भर होने की बजाय क्रिएटिविटी आधारित होते हैं।

क्रिएटिव इकोनॉमी के विकास में बाधाएं

- **डिजिटलीकरण की चुनौतियां:** डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएटिव उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे- ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, डिजिटल आर्ट गैलरी आदि तक पहुँच। ऐसे में डिजिटल डिवाइड, साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं, साक्षरता की कमी जैसी चुनौतियां क्रिएटिव इकोनॉमी के विकास में बाधक हैं।
  - ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं का लगभग 41% है, जबकि देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण आबादी का अनुपात अधिक है।
- **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** भारत में सभी क्रिएटिव वर्कर्स का 67.07% हिस्सा शहरी क्षेत्रों में है।
- **भारत की बौद्धिक संपदा व्यवस्था:** उदाहरण के लिए- भारत में पेटेंट आवेदन के निपटान में **औसतन 58 महीने लगते हैं,** जबकि चीन में लगभग 20 महीने और संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 महीने ही लगते हैं।
- **क्रिएटिव सेक्टर की अंतर्निहित समस्याएं:** जैसे- क्रिएटिव उद्योगों का विखंडित (अलग-अलग) होना, बाजार तक उचित पहुंच और वितरण नहीं होना, तथा चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी आदि।
- **अपेक्षित मान्यता नहीं मिलना और जागरूकता की कमी:** भारत में स्थानीय संस्कृति और कला के संबंध को अपेक्षित पहचान नहीं मिलना और जागरूकता की कमी अन्य समस्याएं हैं।

- **पारंपरिक करियर को प्राथमिकता देना**: भारत में इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे पारंपरिक करियर फ़ील्ड्स को चुनने के लिए सामाजिक दबाव देखने को मिलता है।
    - भारतीय समाज में क्रिएटिविटी से जुड़े व्यवसायों को **जोखिम भरा और अस्थिर** माना जाता है।

क्रिएटिव इकोनॉमी को समर्थन देने हेतु पहलें

प्रशासनिक जटिलताओं से निपटने के लिए **राष्ट्रीय IPR नीति (2016)**

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का उद्देश्य **डिजाइन, फिल्म, शिल्प, मीडिया आर्ट, साहित्य, संगीत** जैसे विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है।

लोक कला और संस्कृति की विभिन्न शैलियों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए **क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र।**

राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार (National Creators Award): यह भारत में डिजिटल कंटेंट बनाने वालों के कार्य को मान्यता देता है।

संयुक्त राष्ट्र ने **वर्ष 2021 को संधारणीय विकास के लिए क्रिएटिव इकोनॉमी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष** घोषित किया था।

आगे की राह

- **वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति की पहचान बढ़ाना:** कार्यक्रमों, ट्रेड फेयर और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सवों के आयोजन के माध्यम से भारतीय संस्कृति और क्रिएटिव गुड्स तथा सेवाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है। **जैसे- संस्कृति मंत्रालय की ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम।**
- **वित्त तक पहुंच को बढ़ाना:** क्रिएटिव सेक्टर से जुड़े उद्यमियों और MSMEs के वित्तपोषण के लिए ऋण गारंटी योजनाओं और क्राउड फंडिंग विकल्पों पर विचार करने की जरूरत है।
    - यूरोपीय आयोग के **"क्राउडफंडिंग4कल्चर" (Crowdfunding4Culture) पोर्टल जैसे वैश्विक सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों को अपनाने** की जरूरत है।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार फ्रेमवर्क में सुधार: कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा संरक्षण से जुड़ी समस्याओं का** समाधान तथा क्रिएटर और इन्नोवेटर के हितों की रक्षा करने की जरूरत है।
- **क्रिएटिव जिलों/ हब की स्थापना:** थाईलैंड के क्रिएटिव डिस्ट्रिक्ट मॉडल की तर्ज पर ऐसे मॉडल या हब स्थापित किए जा सकते हैं।
- **एकीकृत नीति निर्माण संस्था:** यूनाइटेड किंगडम (क्रिएटिव इंडस्ट्रीज काउंसिल) की तर्ज पर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए एक विशेष संस्था का गठन किया जा सकता है।
- **मानव पूंजी विकास:** युवा वर्कर्स में डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइन जैसे डिजिटल कौशल विकसित करने की आवश्यकता है।
    - करियर विकल्प के रूप में **क्रिएटिव उद्यमिता** सहित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए **पायलट परियोजना शुरू की जानी चाहिए।** इसके तहत **संपूर्ण उद्यमिता शिक्षा** प्रदान की जानी चाहिए।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस और नीतिगत फ्रेमवर्क:** नीतियों में डिजिटल डिवाइड दूर करने पर विचार किया जाना चाहिए तथा डिजिटल, ज्ञान, भौतिक तथा डिजिटल अवसंरचना में कमी को दूर करने का लक्ष्य रखना चाहिए।

भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #117: भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था: कल्पनाओं से नवाचार तक

3.5. मॉडल कौशल ऋण योजना (Model Skill Loan Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की है।

योजना के बारे में अन्य संबंधित तथ्य

- **पृष्ठभूमि:** इससे पहले सरकार ने 2015 में 'कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (CCFSSD)[69]' शुरू की थी।
    - यह योजना **राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों और योग्यता पैक** के अनुरूप कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए व्यक्तियों को संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए आरंभ की गई थी। इसके तहत **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क** के अनुसार **प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रमाण-पत्र/ डिप्लोमा/ डिग्री** प्रदान किए जाते हैं।
- **उद्देश्य:** इसका मुख्य उद्देश्य एडवांस्ड लेवल के कौशल पाठ्यक्रमों तक आसान पहुंच प्रदान करना है। गौरतलब है कि कई योग्य छात्र और उम्मीदवार आर्थिक वजह से संभावनाओं वाले तथा भविष्य में मांग वाले औद्योगिक कौशल हासिल करने से वंचित रह जाते हैं। यह योजना ऐसे लोगों को मदद करेगी।
- **ऋण की राशि:** संशोधित योजना के तहत अधिकतम पात्र **ऋण राशि 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये** कर दी गई है।
- **ऋण देने वाले संस्थान:** पहले, केवल **भारतीय बैंक संघ के सदस्य बैंक (निजी, सार्वजनिक और विदेशी) ही ऋण दे** सकते थे। अब, संशोधित योजना के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs), सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (MFIs) और लघु वित्त बैंक (SFBs) भी ऋण प्रदान कर सकते हैं।
- **ऋण गारंटी:** संशोधित योजना के तहत दी गई **ऋण राशि के लिए गारंटी दी जाएगी। वितरित ऋण के 75% तक स्वतः** गारंटी उपलब्ध होगी।

कौशल विकास की आवश्यकता

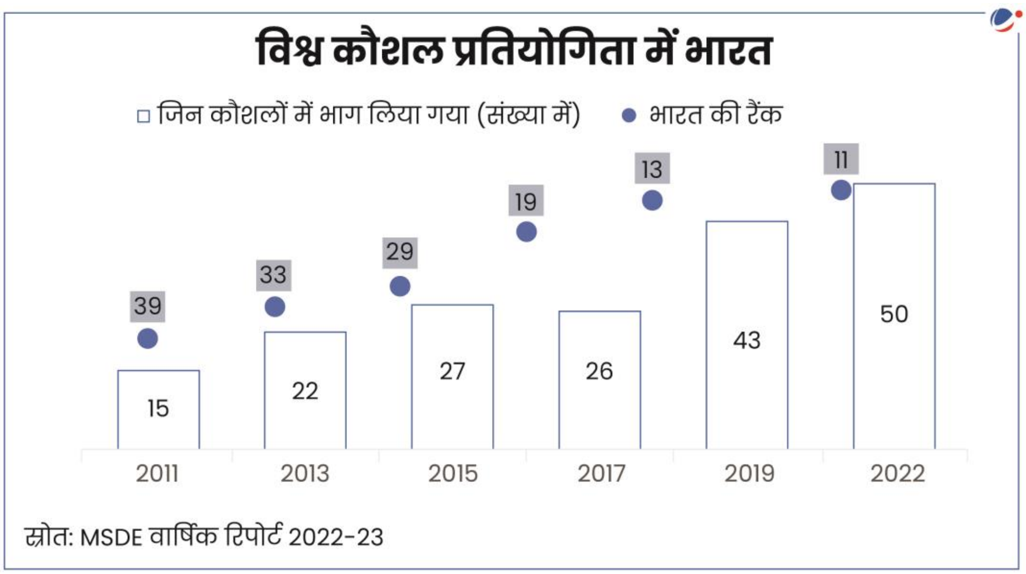

- **रोजगार के लिए योग्यता प्राप्त करने में सुधार:** आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)[70] के अनुसार, भारत में युवा (आयु 15-29 वर्ष) बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8% थी, जो 2022-23 में घटकर 10% हो गई। हालांकि, बेरोजगारी दर में कमी सकारात्मक संकेत है, फिर भी इसका 10% होना कम चिंताजनक नहीं है।
- **कार्य की प्रकृति में बदलाव:** वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, अगले पांच वर्षों में, वैश्विक स्तर पर 23% नौकरियों की प्रकृति में बदलाव आएगा। अतः श्रम बाजार में उपयोगी बने रहने के लिए, वर्कर्स को नए कौशल प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **तकनीकी प्रगति:** WEF की रिपोर्ट के अनुसार, भविष्य में सबसे तेजी से बढ़ने वाले रोजगार के अवसरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और संधारणीयता से जुड़े क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

[69] Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development

[70] Periodic Labour Force Survey

- **जनसांख्यिकी लाभांश:** वर्तमान में, भारत के पास दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी है। इन युवाओं की आकांक्षाओं और क्षमताओं के अनुरूप रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करके इनका लाभ उठाया जा सकता है।

कौशल विकास में चुनौतियां

- **आम धारणा:** आमतौर पर यह माना जाता है कि कौशल विकास उन लोगों के लिए अंतिम विकल्प है जो प्रगति नहीं कर पाए हैं/ या फिर औपचारिक शैक्षणिक प्रणाली में सफल नहीं हो पाए हैं।
    - इससे एक नकारात्मक धारणा बनती है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण, अकादमिक शिक्षा से कमतर है।
- **पर्याप्त अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम की कमी:** यह एक बड़ी चुनौती है जो शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच समन्वय के अभाव, अपर्याप्त अवसंरचना और विनियामक फ्रेमवर्क की कमी को उजागर करती है।
- **रोजगार कौशल असंगतता:** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, 15-29 वर्ष की आयु वर्ग के केवल 4.4% युवाओं ने औपचारिक व्यावसायिक/ तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि अन्य 16.6% ने अनौपचारिक स्रोतों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- कौशल विकास के क्षेत्र में अन्य बड़ी चुनौतियां भी हैं। ये **क्षेत्रीय और स्थानिक स्तरों पर मांग तथा आपूर्ति, मार्गदर्शन की कमी और स्टार्ट-अप के लिए वित्तीय साधन** से संबंधित हैं।

कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें:

- **कौशल भारत मिशन (SIM)[71]:** सरकार प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), जन शिक्षण संस्थान (JSS), जैसी पहलों के तहत कौशल विकास केंद्रों/ कॉलेजों/ संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से स्किल, री-स्किल और अप-स्किल प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।
    - **जन शिक्षण संस्थान:** इस पहल के तहत निरक्षर/ नव साक्षर और प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर चुके लोगों का कौशल विकास किया जा रहा है।
    - **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):** इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (STT)[72] के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (RPL) के जरिए उनकी अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग करना है।
    - **स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म:** यह एक कन्वर्जेंस प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/ मशीन लर्निंग (AI/ ML) तकनीकों के जरिए कौशल, ऋण और रोजगार तक पहुंच को सुगम बनाना है।
    - **स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (SIIC):** वित्त वर्ष 2024 के बजट में 30 SIICs की स्थापना की घोषणा की गई थी।
- **स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म:** यह भारत में "कौशल प्राप्त करने में सुगमता" की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता इकोसिस्टम विकसित करना है।
- **राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (NSDC)[73]:** इसे **2008** में स्थापित किया गया था। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में कार्य करती है। यह एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत किया गया है।
- **स्किल इम्पैक्ट बॉण्ड:** इसे NSDC ने 2021 में शुरू किया था। इस पहल के तहत कौशल विकास और जॉब प्लेसमेंट के लिए निजी क्षेत्रक के वित्त-पोषण को आकर्षित करने हेतु डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉण्ड मॉडल का उपयोग किया जाता है। इसका प्रमुख ध्यान आउटकम-आधारित वित्त-पोषण पर केंद्रित है।
- **राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन:** इस मिशन की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के मामले में सभी क्षेत्रकों और राज्यों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना है।
- **अन्य उपाय:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास; नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (NAPS), आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है।

---

[71] Skill India Mission

[72] Short-Term Training

[73] National Skill Development Council

आगे की राह

- **बाधारहित लर्निंग:** बुनियादी शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, रोजगार में प्रवेश, तथा कार्यस्थल पर लाइफलांग लर्निंग को सुसंगत एवं एकीकृत शैक्षिक पाथवे से जोड़ने की आवश्यकता है।
- **कौशल विकास के लिए समग्र नीति एकीकरण:** एक व्यापक अप्रोच के लिए श्रम, सामाजिक, औद्योगिक, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय नीतियों के साथ कौशल विकास को एकीकृत किया जाना चाहिए।
- **उद्योग जगत-शिक्षा जगत के बीच समन्वय:** नियोक्ताओं और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समन्वय को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को कार्यबल की जरूरतों और कर्मचारियों की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने में मदद मिलेगी।
- **विश्व के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों को अपनाना:** उदाहरण के लिए- जर्मनी में **दोहरी तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली** है। इस प्रणाली में नियोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी तथा सहभागिता शामिल होती है। इसमें छात्रों को उनके प्रशिक्षण के दौरान भत्ता या पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।
- **समावेशी तरीक़े से कौशल प्राप्ति तक पहुंच:** उत्पादकता, आय और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए सभी आबादी समूहों तक, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित समूहों तक गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा, देश में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए **शारदा प्रसाद समिति की निम्नलिखित सिफारिशों को लागू करने पर विचार** किया जा सकता है-
  - **वापसी-योग्य उद्योग अंशदान (RIC)[74] का सृजन:** समिति के अनुसार, 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने कुल वेतन व्यय का 2% हिस्सा RIC में अंशदान करना चाहिए।
  - **समर्पित व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली (VETCs)[75]:** इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की तर्ज पर VETCs की स्थापना की जानी चाहिए।
    - VETCs के अंतर्गत **दो शैक्षणिक विषयों** के साथ **इंजीनियरिंग** और **सेवा क्षेत्रक में व्यावसायिक पाठ्यक्रम** संचालित किए जाने चाहिए जैसा कि **ITI पास-आउट** छात्रों के लिए बारहवीं के समकक्ष योग्यता प्राप्त करने हेतु जरूरी है।
  - डिप्लोमा, एडवांस्ड डिप्लोमा, डिग्री आदि प्राप्त करने के लिए छात्रों को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए।

3.6. पारगमन उन्मुख विकास (Transit Oriented Development: TOD)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा की गई है कि केंद्र सरकार 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए एक पारगमन उन्मुख विकास योजना तैयार करेगी। साथ ही, इसके लिए कार्यान्वयन और वित्तीय रणनीति भी बनाई जाएगी।

ट्रांजिट ओरिएंटेड यानी पारगमन उन्मुख विकास (TOD) के बारे में

- **अवधारणा:** TOD के तहत **भूमि उपयोग और परिवहन योजना को एकीकृत** किया जाता है। इसका उद्देश्य **योजनाबद्ध संधारणीय अर्बन ग्रोथ सेंटर्स** का विकास करना है, जहां पैदल पहुंचा जा सके और जो रहने लायक हो, तथा मिश्रित भूमि उपयोग के जरिए सघन बसावट वाला हो। सरल शब्दों में, **ट्रांजिट ओरिएंटेड विकास** शहरी नियोजन की एक अवधारणा है, जिसमें **शहरी विकास को सार्वजनिक परिवहन के आसपास केंद्रित किया जाता है।** इसका उद्देश्य **सार्वजनिक परिवहन, साइकिलिंग और पैदल चलने को बढ़ावा देना है।**
  - यह ऐसे शहरी विकास को बढ़ावा देता है जो कॉम्पैक्ट, मिश्रित-उपयोग, पैदल यात्री और साइकिलिंग सभी हेतु अनुकूल हो। इसके तहत **पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशनों** यानी बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक परिवहन केंद्रों के आसपास आवासीय, वाणिज्यिक और मनोरंजन क्षेत्रों का विकास किया जाता है। इससे लोगों को अपने घरों, कार्यस्थलों और मनोरंजन के स्थानों तक आसानी से पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

---

[74] Reimbursable Industry Contribution

[75] Vocational Education and Training System

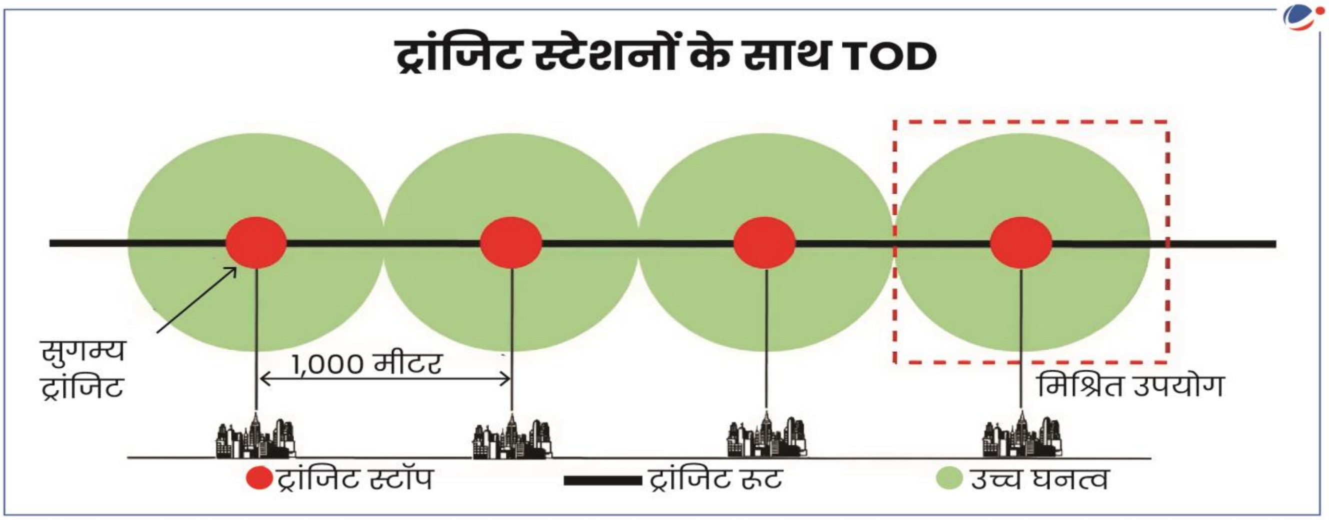

- **ट्रांजिट स्टेशन:** TOD में **ट्रांजिट स्टेशनों (जैसे- मेट्रो स्टेशन, बस रैपिड ट्रांजिट आदि) के आस-पास के क्षेत्रों में विकास पर ध्यान केंद्रित** किया जाता है, अर्थात्, ट्रांजिट स्टेशन से 500-800 मीटर की पैदल चलने योग्य दूरी के भीतर या लगभग 1 कि.मी. की दूरी पर कॉरिडोर बनाना।
  - TOD में खरीदारी, मनोरंजन और कार्यस्थल जैसी विभिन्न सुविधाओं तक पहुंचने के लिए **पैदल जाने योग्य दूरी** की सुविधा प्रदान की जाती है।

ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) के घटक

- **विस्तार क्षेत्र (Influence Zone):** इसमें ट्रांजिट स्टेशन के आस-पास का क्षेत्र शामिल होता है, जहाँ पैदल चलने की दूरी के भीतर मिश्रित भूमि उपयोग के साथ उच्च घनत्व वाला विकास होता है, जिससे स्थानीय निवासियों की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
  - विस्तार क्षेत्र में लोगों के उच्च घनत्व के कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग को बढ़ावा मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप **भाड़े से राजस्व सृजन में वृद्धि तथा प्रदूषण और भीड़भाड़ में कमी** आती है।
- **अनिवार्य और समावेशी आवास:** विस्तार क्षेत्र के आवास क्षेत्रों में सभी आय समूहों/ वर्गों का मिश्रण होना चाहिए।
- **मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन:** विस्तार क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली एकीकृत मल्टीमॉडल परिवहन प्रणाली होनी चाहिए।
  - ट्रांजिट सिस्टम में सबसे अधिक प्राथमिकता पैदल यात्रियों को दी जानी चाहिए। इसके बाद क्रमशः साइकिल, फीडर बसें, ड्रॉप-ऑफ सुविधाएं और पार्क तथा राइड सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **आकर्षक सार्वजनिक स्थल:** स्ट्रीट वेंडर्स के लिए निर्धारित स्थान; ओपन स्पेस, खेल के मैदानों, पार्कों का संरक्षण; साथ ही सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था, आवासों का मार्गों से एक्टिव फ्रोंटेज और वेंडर्स जोन आदि के जरिए प्राकृतिक तरीके से निगरानी व्यवस्था करना।

ट्रांजिट ओरिएंटेड/ पारगमन उन्मुख विकास (TOD) का महत्त्व

- **संकुलन प्रभाव (Agglomeration effects):** अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में कार्य स्थलों के उच्च घनत्व और संकेन्द्रण को बढ़ावा देते हुए, **TOD संकुलन प्रभाव उत्पन्न करता है जो शहरों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि** करता है।
  - अध्ययनों से पता चला है कि रोजगार घनत्व को दोगुना करने से आर्थिक उत्पादकता में 5 से 10% की वृद्धि होती है। रोजगार घनत्व किसी क्षेत्र में नौकरियों की संख्या और उस क्षेत्र में रहने वाले 16-64 आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात है।
- **रहने योग्य शहर:** यह उच्च गुणवत्ता वाले सार्वजनिक क्षेत्रों और कम आवागमन दूरी वाले वाइब्रेंट समुदायों का निर्माण करता है - जिससे **शहर अधिक रहने योग्य** बनते हैं।
  - **ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024** में वैश्विक स्तर पर 173 शहरों में से दिल्ली और मुंबई को 141वें स्थान पर रखा गया है।
- **दक्ष पब्लिक ट्रांसपोर्ट:** ट्रांजिट स्टेशनों के आस-पास के क्षेत्रों में कार्यस्थलों, सेवाओं और आवास की सुविधा प्रदान करके, TOD **पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अधिक आकर्षक और दक्ष विकल्प** बना सकते हैं। यह निजी कारों पर निर्भरता को कम करता है और सड़कों पर भीड़-भाड़ को कम करता है।
  - बड़े पैमाने पर उच्च घनत्व वाले ट्रांजिट आधारित विकास से **आने-जाने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या** को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जबकि स्टेशनों के आस-पास कार्यस्थलों और आवास के संकेन्द्रण से **सार्वजनिक परिवहन को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभकारी बनाने** में मदद मिल सकती है।
- **वित्त-पोषण में आसानी:** मास ट्रांजिट की निकटता TOD नेबरहुड तक पहुंच को बेहतर बनाती है, जिससे **रियल एस्टेट का मूल्य बढ़ता है।**

- इस मूल्य वृद्धि का एक हिस्सा **परिवहन में सुधारों, वहनीय आवास और अन्य पहलों के वित्त-पोषण** में उपयोग किया जा सकता है जिससे संधारणीय और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
    - उदाहरण के लिए- हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में, भूमि के अधिग्रहण से 1980 और 2005 के बीच लगभग 140 बिलियन हांगकांग डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ और 600,000 सार्वजनिक आवास इकाइयों के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई।

- **जलवायु के अनुकूल:** TOD से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार होता है जिससे आम तौर पर **उच्च उत्पादकता, कम ऊर्जा खपत** और **कम कार्बन फुटप्रिंट** को बढ़ावा मिलता है।
    - स्टॉकहोम में, जहां TOD को अपनाया गया, वहां 1993 से 2010 के बीच प्रति व्यक्ति **सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 41% की दर से वृद्धि हुई,** साथ ही उसी अवधि में प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 35% की कमी भी आई।
- **स्थानीयकृत अर्थव्यवस्था:** स्टेशनों के आस-पास **स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, खरीदारी और मनोरंजन सुविधाओं** के निर्माण की सुविधा प्रदान की जा सकती है ताकि स्थानीय समुदायों को आर्थिक विकास का अवसर मिल सके।
- **हरित स्थान (Green spaces):** नागरिकों को खुले हरे-भरे और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच मिलती है और साथ ही ट्रांजिट सुविधाओं का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जाता है।

पारगमन उन्मुख विकास (TOD) के लिए सरकारी पहलें

- **राष्ट्रीय पारगमन उन्मुख विकास नीति:** इसके तीन प्रमुख उद्देश्य हैं:
    - निजी वाहनों पर निर्भर शहरों को **सार्वजनिक परिवहन उन्मुख विकास** आधारित शहरों में रूपांतरण में मदद मिलेगी।
    - **सार्वजनिक परिवहन को सुलभ बनाकर** और इसके उपयोग को बढ़ावा देना तथा ग्रीन मोबिलिटी को प्रोत्साहित करना।
    - रहने योग्य और वहनीय सामुदायिक स्थलों का विकास करना, जो **कॉम्पैक्ट और पैदल चलने के अनुकूल हों।**
- **मेट्रो रेल नीति 2017:** इसमें पैदल यात्री मार्गों, गैर-मोटर चालित परिवहन अवसंरचना और पैरा-ट्रांजिट नोड्स के लिए सुविधाओं को शामिल करके लास्ट माइल कनेक्टिविटी की परिकल्पना की गई है।
- **स्मार्ट सिटी मिशन:** इसमें स्मार्ट सिटी की विशेषताओं में से एक के रूप में पारगमन उन्मुख विकास, सार्वजनिक परिवहन और लास्ट माइल पैरा-ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी शामिल है।
- **शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF)**[76]**:** इसे बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण के लिए निर्धारित धनराशि और इसके अंतर्गत वास्तव में दिए गए ऋण में अंतर वाली राशि का उपयोग करके गठित किया गया है। इस फंड का उपयोग सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा टियर-2 और टियर-3 शहरों में शहरी अवसंरचना (TOD सहित) बनाने के लिए किया जाना है।

---

[76] Urban Infrastructure Development Fund

- **प्रधान मंत्री आवास योजना:** इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के संधारणीय और समावेशी विकास के लिए वहनीय आवास प्रदान करना है।
- **मल्टीमॉडल परिवहन विकास:** भारत में साइकिल पथ, पैदल पथ, मेट्रो रेल प्रणाली आदि के जरिए शहरी क्षेत्रों में मल्टीमॉडल परिवहन कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है।
- **स्थानीय पहलें:** कुछ राज्यों और शहरों ने अपनी स्वयं की TOD नीतियां विकसित की हैं जैसे- दिल्ली और मध्य प्रदेश (अभी मसौदा चरण में है)।

पारगमन उन्मुख विकास (TOD) की चुनौतियां

- **सामाजिक अलगाव:** TOD से एसेट्स की कीमत बढ़ सकती है, मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है और जेंट्रीफिकेशन को भी बढ़ावा मिल सकता है।
    - जेंट्रीफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी **गरीब शहरी क्षेत्र का चरित्र अमीर लोगों के आने से बदल जाता है,** इस प्रक्रिया में अक्सर वर्तमान निवासियों को विस्थापित होना पड़ता है।
- **समन्वय की कमी:** महानगरीय स्तर पर क्षेत्रीय समन्वय की कमी और शहर के स्तर पर सेक्टर साइलो प्रैक्टिस की कमी।
- **अपर्याप्त नीतियां और नियम: रणनीतिक रूप से "आर्टिकुलेटेड डेंसिटी"** (महानगरीय क्षेत्र के सभी भागों में रणनीतिक रूप से वितरित होते हैं) बनाने के लिए ऐसी नीतियों और नियमों का अभाव है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली पहुंच और कनेक्टिविटी के स्तर से मेल खाते हैं।
- **प्रशासनिक बाधाएं:** नेबरहुड और सड़क के स्तर पर उपेक्षित शहरी डिज़ाइन और नियोजन इंस्ट्रूमेंट्स में असंगतता।
- **वित्तीय बाधाएं:** अचल संपत्ति (रियल एस्टेट) की कीमतों में होने वाली वृद्धि की तुलना में राजस्व प्राप्ति में कमी और नवीन वित्त-पोषण तंत्रों का उपयोग न होने जैसी समस्याएं मौजूद हैं।

आगे की राह - विश्व बैंक का 3 वैल्यू (3V) फ्रेमवर्क

विश्व बैंक ने **ट्रांजिट स्टेशनों और** आस-पास के क्षेत्रों के लिए **"3 वैल्यू" (3V) का एक साथ आकलन करके TOD योजनाओं का मार्गदर्शन करने के लिए एक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव किया है। 3 वैल्यू" (3V) में शामिल हैं:**

- **नोड वैल्यू:** यह यात्री यातायात, अन्य परिवहन साधनों के साथ कनेक्शन के आधार पर **पब्लिक ट्रांजिट नेटवर्क में एक स्टेशन के महत्त्व**, और नेटवर्क के भीतर केंद्रीयता को रेखांकित करता है।
- **प्लेस वैल्यू:** यह स्टेशन के **आस-पास के क्षेत्र की गुणवत्ता और आकर्षण** को दर्शाता है।
    - इसमें शामिल कारकों में भूमि उपयोग की विविधता; स्कूलों और स्वास्थ्य देखभाल सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता; पैदल या साइकिल से सुलभ रोजमर्रा की सुविधाओं का अनुपात; और स्टेशन के आसपास शहरी ब्लॉकों का आकार भी शामिल है।
- **बाजार संभावित मूल्य:** यह स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों के **अप्राप्त (भविष्य) बाजार मूल्य** है। इसका आकलन उन प्रमुख कारकों को देखकर किया जाता है जो इन्हें प्रभावित कर सकते हैं। इन कारकों में शामिल हैं:
    - भूमि की मांग (आस-पास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की वर्तमान और भविष्य में संख्या, 30 मिनट के भीतर ट्रांजिट द्वारा सुलभ कार्य स्थलों की संख्या, वर्तमान और भविष्य के आवास घनत्व); और
    - आपूर्ति (विकास योग्य भूमि की मात्रा, ज़ोनिंग नीति में संभावित परिवर्तन, बाजार की जीवंतता, आदि)।

3.7. दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) और इंडेक्सेशन लाभ {Long-Term Capital Gains (LTCG) & Indexation Benefit}

सुर्ख़ियों में क्यों?

लोक सभा ने **अचल संपत्तियों (इमूवेबल प्रॉपर्टी)** पर **दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर** प्रावधानों में संशोधन करने वाले वित्त विधेयक, 2024 को मंजूरी प्रदान की।

अन्य संबंधित तथ्य

- बजट 2024-25 में **अचल संपत्तियों की बिक्री पर LTCG की गणना में इंडेक्सेशन लाभ को समाप्त करने का प्रस्ताव** किया गया था। इसी में संशोधन किया गया है।
- इस संशोधन में **इंडेक्सेशन लाभ को समाप्त करने का प्रस्ताव** रखा गया है। हालांकि, 23 जुलाई, 2024 से पहले अर्जित संपत्तियों को **ग्रैंडफादर्ड परिसंपत्ति** का दर्जा दिया गया है अर्थात्, निर्धारित तिथि से पहले अर्जित संपत्तियों के लिए इंडेक्सेशन लाभ को जारी रखा गया है।

शब्दावली को जानें

> **ग्रैंडफादरिंग:** ग्रैंडफादर क्लॉज को "लीगेसी क्लॉज" भी कहा जाता है। एक ऐसी कानूनी व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों, संस्थाओं, या कंपनियों को नए नियम, विनियम, या कानून लागू होने के बाद भी उन गतिविधियों या कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, जिन्हें वे पहले से कर रहे थे। इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों को प्रभावित होने से बचाना है जो पहले से पुराने नियमों के अंतर्गत काम कर रहे थे, ताकि नए नियमों का उन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

संशोधन अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- **करदाताओं के लिए विकल्प:** ये संशोधन **करदाताओं को निम्नलिखित विकल्प** प्रदान करते हैं:
  - करदाता निम्नलिखित दो विकल्पों में से किसी एक का चयन कर **कम टैक्स का भुगतान कर** सकते हैं:
    - **पुरानी योजना/ व्यवस्था:** 23 जुलाई, 2024 से पहले अर्जित संपत्ति की बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ के साथ **20% LTCG टैक्स का भुगतान करना।**
    - **नई योजना/ व्यवस्था: इंडेक्सेशन के बिना 12.5% LTCG टैक्स का भुगतान** करना (पहले के 20% टैक्स की तुलना में कम कर)।
  - हालांकि, 23 जुलाई, 2024 की **कट-ऑफ तिथि के बाद अर्जित संपत्ति की खरीद के लिए, केवल नई व्यवस्था** लागू होगी।
- **छूट में वृद्धि: सूचीबद्ध इक्विटी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड** और **बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स** पर LTCG टैक्स के लिए **छूट सीमा को** 1 लाख रुपये से **बढ़ाकर 1.25 लाख** रुपये कर दिया गया है।
  - इसी प्रकार, लॉन्ग-टर्म के लिए इन परिसंपत्तियों पर लागू **कर की दर** 10% से बढ़ाकर **12.5%** कर दी गई है।

दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ यानी लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स क्या है?

- **पूंजीगत लाभ कर यानी कैपिटल गेन्स टैक्स**, रियल एस्टेट, स्टॉक और बॉण्ड जैसी **पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री** से अर्जित लाभ पर लगाया जाता है।
  - **कैपिटल गेन्स टैक्सेशन** के 2 प्रकार हैं- **लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स** और **शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) टैक्स।**
- **LTCG टैक्स**, लंबी अवधि तक रखी गई **संपत्तियों की बिक्री** से अर्जित लाभ पर लगाया जाता है।
  - लॉन्ग टर्म होल्डिंग अवधि **परिसंपत्ति के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होती है**। जैसे- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिए 12 महीने से अधिक; गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, घर/ भूमि जैसी अचल संपत्तियों के लिए 24 महीने; तथा सोने जैसी चल संपत्तियों के लिए 36 महीने।
- **LTCG पर कर कैसे लगाया जाएगा?**
  - **इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड** के लिए, **1.25 लाख रुपये से अधिक के LTCG** पर इंडेक्सेशन लाभ प्रदान किए बिना **12.5% कर** लगाया जाएगा।
  - अन्य परिसंपत्तियों, जैसे- अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों (Property) पर, हाल के संशोधनों के अनुसार LTCG पर कर लगाया जाएगा।

इंडेक्सेशन क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है?

- **इंडेक्सेशन:** इसका आशय पूंजीगत लाभ की गणना करते समय **मुद्रास्फीति के अनुरूप किसी संपत्ति के खरीद मूल्य को समायोजित करने** से है। इसका आशय है कि पहले खरीदी गई संपत्ति का वर्तमान में खरीद मूल्य निकालने के लिए उसे मुद्रास्फीति दर से समायोजित किया जाता है। इससे पता चल पाता है कि संपत्ति के मूल्य में वास्तविक रूप से कितनी वृद्धि हुई है।
- केंद्रीय बजट 2024 में **सभी संपत्तियों** (23 जुलाई, 2024 से पहले अर्जित संपत्तियों को छोड़कर) के लिए इंडेक्सेशन लाभ को समाप्त करने की घोषणा की गई थी।
- **लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CII)**[77] का उपयोग किसी संपत्ति की **मुद्रास्फीति समायोजित कीमत** की गणना करने में किया जाता है, जो मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप किसी संपत्ति की कीमत में वृद्धि के अनुमान को दर्शाता है।
    - इसे **प्रत्येक वर्ष आयकर विभाग द्वारा अधिसूचित** किया जाता है और इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के तहत परिभाषित किया गया है।

मुद्रास्फीति समायोजित मूल्य (Inflation adjusted price) = (बिक्री के वर्ष का CII / खरीद के वर्ष का CII) x परिसंपत्ति का वास्तविक खरीद मूल्य

- **इंडेक्सेशन के लाभ:**
    - यह करदाताओं के लिए कर देयता को कम करते हुए उन्हें **मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाता है।**
    - यह सुनिश्चित करता है कि करदाताओं पर बाजार कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पन्न लाभ की बजाए **केवल वास्तविक लाभ पर ही कर लगाया जाए।** इस प्रकार, संपत्ति की कीमतों में होने वाली सामान्य वृद्धि पर ही कर लगाया जाता है, न कि मुद्रास्फीति जनित वृद्धि पर।

वर्तमान संशोधनों का महत्त्व

- **कर गणना में लचीलापन:** यह संपत्ति के मालिकों को **दो व्यवस्थाओं में से किसी भी एक का चयन करने का विकल्प** प्रदान करता है। इसमें करदाताओं को कम कर देनदारी वाला विकल्प चुनने का अवसर मिलता है और यह सुनिश्चित करता है कि यदि करदाता को नुकसान होता है तो उसपर इंडेक्सेशन लाभ लागू नहीं होगा।
- **रियल एस्टेट में संवृद्धि:** इंडेक्सेशन को बनाए रखने से संपत्ति की बिक्री से जुड़े वित्तीय बोझ को कम करके **रियल एस्टेट में निवेश को बढ़ावा** मिलेगा।

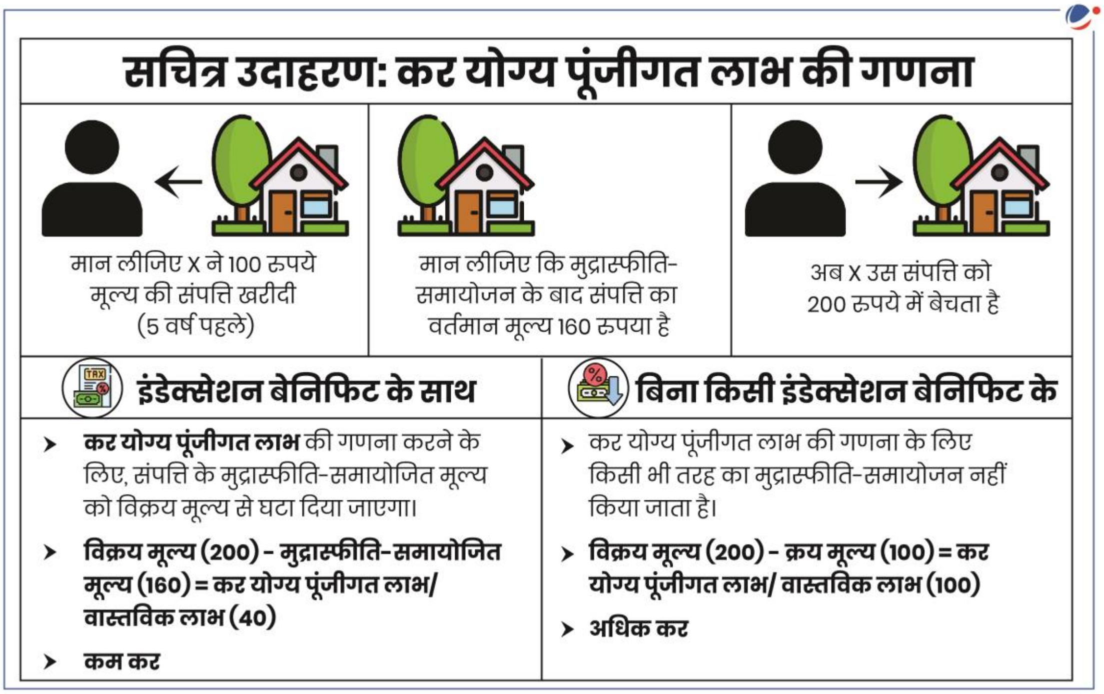

- **काला बाज़ार पर अंकुश:** कर के बोझ को कम करके, इंडेक्सेशन को बनाए रखने से कर कानूनों के अधिक अनुपालन को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

संशोधनों से जुड़ी चिंताएं

- **उच्च कर देयता: इंडेक्सेशन के बिना** 12.5% LTCG कर कई मामलों में इंडेक्सेशन के साथ 20% कर की तुलना में **उच्च कर देयता** का कारण बन सकता है।
- **काले धन के लेन-देन में वृद्धि हो सकती है:** सर्किल दरों पर संपत्तियों की बिक्री दिखा कर काले धन के रूप में लेन-देन किया जा सकता है। सर्किल दर वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर कोई अचल संपत्ति बेची जा सकती है।
- **कर चोरी:** उच्च कर देयता से **संपत्तियों के मूल्य को कम दिखाने की प्रवृत्ति** को बढ़ावा मिल सकता है। इससे सरकार को कर राजस्व का नुकसान हो सकता है।

[77] Cost Inflation Index

©Vision IAS

- **निवेश हतोत्साहित होगा:** उच्च कर देयता **व्यक्तियों को संपत्तियों में निवेश करने से हतोत्साहित** कर सकती है, विशेष रूप से दीर्घकालिक परिसंपत्ति के रूप में।

निष्कर्ष

संपत्तियों की बिक्री पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) के लिए इंडेक्सेशन लाभ को बनाए रखना एक उचित और न्यायसंगत उपाय है जो करदाताओं और अर्थव्यवस्था, दोनों को लाभ पहुंचाता है। हालांकि, यह **अनुचित कटऑफ तिथि, परिसंपत्तियों के मूल्य को जानबूझकर कम दिखाने, कर अपवंचन** आदि के बारे में चिंताएं भी पैदा करता है। इस प्रकार, **सभी करदाताओं के लिए एक निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रणाली** सुनिश्चित करने के लिए **LTCG कर व्यवस्था पर सावधानीपूर्वक विचार करने और आवश्यक समायोजन** की आवश्यकता है।

3.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.8.1. संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि (UN Global Tax Treaty)

संयुक्त राष्ट्र की तदर्थ समिति को "अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन" के लिए विचारार्थ विषय का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। हाल ही में, इस समिति ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर कन्वेंशन हेतु मार्गदर्शन के एक सेट को मंजूरी दी है।

- इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य वैध, निष्पक्ष, स्थिर, समावेशी और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली के लिए **संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि** स्थापित करना है।
- **भारत सहित अधिकतर विकासशील देशों** ने संधि के विचारार्थ विषय के **पक्ष** में मतदान किया। इसके विपरीत **ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका** जैसे औद्योगिक देशों ने इसके **खिलाफ** मतदान किया।

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर कन्वेंशन के उद्देश्य

- **अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग को मजबूत करना** और इसे समावेशी एवं प्रभावी बनाना;
- बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) के डिजिटल व्यवसाय और उनके वैश्विक व्यवसाय पर **कर लगाने संबंधी मौजूदा चुनौतियों का समाधान** करना;
- संधारणीय विकास के लिए **घरेलू संसाधन जुटाना** और **कर नीति का उपयोग** करना;
- **'विकास के लिए वित्त-पोषण पर अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा' और 'सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के लिए 2030 एजेंडा'** के कार्यान्वयन में तेजी लाना आदि।

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर कन्वेंशन की प्रतिबद्धताएं

- **बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यायसंगत कर लगाने** सहित कर अधिकारों का उचित आवंटन;
- उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्तियों द्वारा **कर-संबंधी अवैध वित्तीय लेन-देन, कर चोरी और कर से बचने की समस्याओं से निपटना;**
- **विदेशों में दी गई सेवाओं से प्राप्त आय को कर के दायरे में लाने से जुड़ी समस्याओं का समाधान** करना;
- कर संबंधी मामलों और कर विवादों के समाधान में **एक-दूसरे की प्रशासनिक सहायता करने के लिए प्रभावी व्यवस्था** करना आदि।

वैश्विक कर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य वैश्विक पहलें

- **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) का वैश्विक न्यूनतम कर (Global Minimum Tax) ग्लोबल एंटी-बेस इरोजन मॉडल नियमों** पर आधारित है।
  - यह नियम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उस प्रत्येक देश में न्यूनतम कर की दर का भुगतान करना अनिवार्य बनाता है, जहां उनका व्यवसाय है। इस तरह, यह नियम किसी देश में अर्जित लाभ को किसी अन्य देश में स्थानांतरित करने की व्यवस्था को हतोत्साहित करता है।
  - इस नियम के तहत कॉरपोरेट लाभ पर **15% की न्यूनतम प्रभावी दर** से कर लगाया गया है।

3.8.2. गैर-प्रशुल्क उपाय (Non-Tariff Measures)

विश्व व्यापार संगठन (WHO) की **'विश्व टैरिफ प्रोफाइल' रिपोर्ट, 2024** के अनुसार 2023 में **भारत गैर-प्रशुल्क उपायों का उपयोग करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश** था।

गैर-प्रशुल्क उपायों (NTM) के बारे में

- ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी देश द्वारा सामान्य सीमा शुल्क लगाने के अलावा अन्य नीतिगत उपाय या कार्रवाई हैं। ये उपाय व्यापारिक वस्तुओं की मात्रा या कीमत या दोनों में बदलाव लाकर वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

- **गैर-प्रशुल्क उपायों के उदाहरण:** आयात या निर्यात के लिए वस्तुओं का कोटा तय कर देना या अधिकतम या न्यूनतम कीमत निर्धारित कर देना; सैनिटरी या फाइटोसैनिटरी उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएं उत्पन्न करना, आदि।
- हालांकि कई **गैर-प्रशुल्क उपायों** का उद्देश्य मुख्य रूप से लोक स्वास्थ्य या पर्यावरण की रक्षा करना होता है, लेकिन कई उपाय सूचना, नियमों के अनुपालन और प्रक्रियाओं के पालन की लागतों को बढ़ाकर व्यापार को भी बाधित करते हैं।

3.8.3. डेब्ट-फॉर-डेवलपमेंट स्वैप्स (डेब्ट स्वैप्स) {Debt-for-Development Swaps (Debt Swaps)}

डेब्ट-फॉर-डेवलपमेंट स्वैप्स: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने एक **एप्रोच फ्रेमवर्क पेपर** जारी किया है।

डेब्ट स्वैप के बारे में

- यह एक **सरकार और उसके एक या अधिक लेनदारों** के बीच किया जाना वाला एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत **सरकार के ऋण (Sovereign debt) को एक या अधिक देनदारियों के साथ प्रतिस्थापित** किया जाता है। इस समझौते में एक **विशिष्ट विकास लक्ष्य के प्रति व्यय प्रतिबद्धता भी शामिल** की जाती है।
    - विकास लक्ष्यों में **प्रकृति संरक्षण, जलवायु कार्रवाई, शिक्षा, पोषण, शरणार्थियों के लिए सहायता** आदि शामिल हैं।
- स्वैप की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए अलग-अलग मानदंडों पर विचार किया जाता है। जैसे- **देश की प्रारंभिक ऋण स्थिति, निवल वित्तीय लाभ आदि।**
- डेब्ट स्वैप को **दो श्रेणियों** में बांटा गया है- **द्विपक्षीय डेब्ट स्वैप** और **वाणिज्यिक डेब्ट स्वैप।**
    - **द्विपक्षीय डेब्ट स्वैप:** आधिकारिक द्विपक्षीय ऋण बट्टे खाते में डाल (Write-off) दिया जाता है; तथा
    - **वाणिज्यिक डेब्ट स्वैप:** निजी लेनदारों द्वारा रखा गया लक्ष्य ऋण।

3.8.4. विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा (WTSR), 2023 {World Trade Statistical Review (WTSR) 2023}

विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा (WTSR) 2023 के बारे में

- यह **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** का प्रमुख सांख्यिकीय प्रकाशन है।
- WTSR 2023 में **विश्व व्यापार में नवीनतम विकास** के रुझानों की चर्चा की गई है। इसमें **पण्य (Merchandise) और वाणिज्यिक सेवाओं** में वैश्विक व्यापार पर प्रमुख डेटा शामिल है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- भारत 2023 में **वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान** पर था।
- **भारत पण्य निर्यात में 18वें और सेवा निर्यात में 7वें** स्थान पर था।
- 2022 में **चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी** शीर्ष तीन पण्य निर्यातक थे।

3.8.5. ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स (GET) फॉर यूथ 2024 {Global Employment Trends (GET) For Youth 2024 Report}

युवाओं के लिए यह रिपोर्ट **ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स (GET) के प्रकाशन की 20वीं वर्षगांठ के अवसर** पर जारी की गई है। यह रिपोर्ट युवाओं हेतु रोजगार के लिए उपलब्धियों, चुनौतियों और दृष्टिकोण पर केंद्रित है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- **कोविड महामारी के बाद की स्थिति:** 2023 में वैश्विक युवा बेरोजगारी दर 13% थी, जो 15 वर्षों में सबसे कम थी। वर्तमान विश्व में **64.9 मिलियन युवा बेरोजगार** हैं। यह संख्या वर्ष 2000 के बाद से सबसे कम है।

- **NEET (ऐसे युवा रोजगार, शिक्षण या प्रशिक्षण किसी में भी संलग्न नहीं हैं/ Not in Employment, Education or Training) की स्थिति:** 2023 में **20.4% युवा NEET** में थे। इस आंकड़े से पता चलता है कि बहुत बड़ी संख्या में युवा श्रम बल से बाहर हैं।
    - NEET में शामिल **प्रत्येक 3 युवाओं में से 2 युवतियां हैं।**
- **वैश्विक चुनौतियां:**
    - **अवसर की असमानताएं:** उच्च आय वाले देशों में **5 में से 4 वयस्क नियमित वेतन वाले रोजगार में संलग्न** हैं, जबकि कम आय वाले देशों में यह आंकड़ा **5 में से 1 है।**
    - **क्षेत्रीय असमानताएं: अफ्रीका** में 2050 तक युवा श्रम बल में वृद्धि होगी, जबकि दुनिया के अन्य सभी क्षेत्रों में **युवा श्रम बल में गिरावट** आएगी।
        - इसके अलावा, **अरब देशों और उत्तरी अफ्रीका में प्रत्येक 3 में से 1 युवा बेरोजगार** है।
    - **युवा कल्याण की चिंता:** कई युवा रोजगार से वंचित होने, अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब होने और पीढ़ी-दर-पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता की कमी को लेकर तनावग्रस्त हैं।
    - **शैक्षणिक योग्यता संबंधी असंगतता:** विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रत्येक 3 में से 2 युवाओं के पास ऐसी योग्यताएं हैं, जो उनके नियोजन से मेल नहीं खाती हैं।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

- युवाओं में स्कूल-टू-वर्क ट्रांजीशन में सुधार लाने और विद्यमान कौशल विसंगतियों को दूर करने के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए।
    - **स्कूल-टू-वर्क ट्रांजीशन:** यह उस चरण को संदर्भित करता है, जिसके दौरान कोई व्यक्ति शिक्षा छोड़ देता है और रोजगार शुरू करता है।
- रोजगार से वंचित युवाओं को समर्थन देने के लिए लक्षित श्रम बाजार नीतियां अपनाई जानी चाहिए।
- युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के प्रयास करने की आवश्यकता है।
- लैंगिक रूप से उत्तरदायी व्यापक आर्थिक और क्षेत्रक संबंधी नीतियों के माध्यम से रोजगार सृजन पर नीतिगत फोकस बढ़ाना चाहिए।
- नीति निर्माण में युवाओं को शामिल करने पर बल देना चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सुधार करना चाहिए और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए।

3.8.6. बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 लोक सभा में पेश किया गया {Banking Laws (Amendment) Bill, 2024 Introduced in Lok Sabha}

यह संशोधन विधेयक इसलिए लाया गया है, क्योंकि देश का बैंकिंग क्षेत्रक पिछले कई वर्षों के दौरान कई चरणों में विकसित हुआ है। इस कारण समय के साथ बैंक गवर्नेंस में सुधार करना आवश्यक हो गया है।

- **यह विधेयक निम्नलिखित में संशोधन का प्रस्ताव करता है:**
    - RBI अधिनियम, 1934;
    - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949;
    - SBI अधिनियम, 1955;
    - बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970;
    - बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980.

विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर

- **नॉमिनी व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि:** यह जमाकर्ताओं को एक साथ (उनके शेयरों के निर्दिष्ट अनुपात में) और क्रमिक रूप से अधिकतम चार व्यक्तियों को नॉमिनी बनाने की अनुमति प्रदान करता है।
    - **क्रमिक नॉमिनेशन:** विशिष्ट क्रम में सूचीबद्ध नॉमिनी व्यक्तियों से क्रम के अनुसार धन का दावा करने हेतु संपर्क किया जाएगा।

- **निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (IEPF):** संशोधन विधेयक में **लगातार 7 वर्षों तक दावा न किए गए लाभांश, शेयर और ब्याज के हस्तांतरण या बॉण्ड के मोचन (Redemption) से प्राप्त धन राशि** को IEPF में डालने का प्रावधान किया गया है।
    - विधेयक व्यक्तियों को IEPF से अंतरण/ रिफंड का दावा करने की अनुमति देता है।
- **शेयरधारिता में पर्याप्त वृद्धि: निदेशक पद** के लिए शेयरधारिता की सीमा **5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये** कर दी गई है।
- **सहकारी बैंकों के लिए प्रावधान:**
    - सहकारी बैंकों में **निदेशकों का कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष** करने का प्रावधान किया गया है।

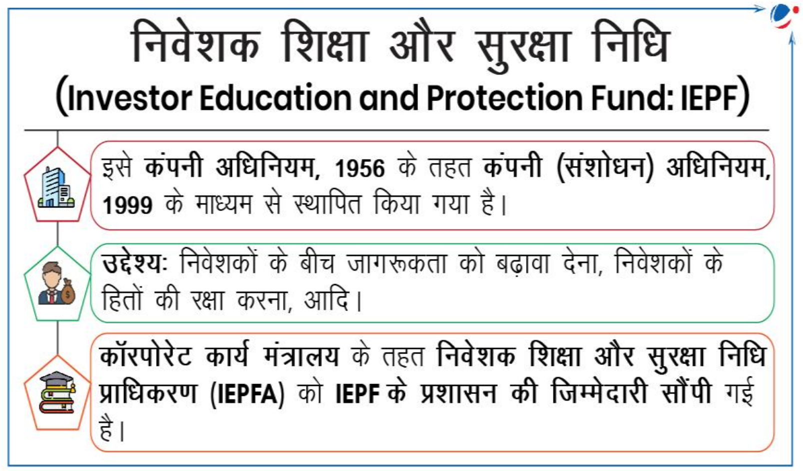

विधेयक का महत्त्व

- **भारतीय रिजर्व बैंक को की जाने वाली रिपोर्टिंग में निरंतरता प्रदान** करेगा।
- नॉमिनी व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने से **दावा न की गई जमा राशि को कम करने में मदद** मिलेगी। मार्च 2023 तक इस प्रकार की जमा राशि **42,000 करोड़ रुपये** से अधिक थी।
    - **बिना दावे की जमा राशि** बचत/ चालू खातों में बैलेंस राशि है। इन खातों का या तो 10 वर्षों से संचालन नही किया जा रहा है या फिर ये मच्योरिटी की तारीख से 10 वर्षों के भीतर दावा नहीं की गई सावधि जमाएं हैं।

3.8.7. RBI ने सहकारी बैंकों के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के "प्रॉविजन" मानदंडों में संशोधन किया (RBI Revised NPAS Provision Norms for Co-Operative Banks)

नए मानदंडों की आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्योंकि **कुछ बैंक** गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के लिए आवश्यक "प्रोविजंस" को **व्यय के रूप में दर्ज नहीं** कर रहे थे।

- ये नए मानदंड **शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लागू** होंगे।
- ये नए मानदंड **बैड एंड डाउटफुल डेब्ट रिजर्व (BDDR)** के निर्धारण में एकरूपता लाएंगे।
    - **कई सहकारी बैंकों ने बैड लोन से निपटने और वित्तीय स्थिरता प्राप्ति** के लिए BDDR की स्थापना की है।

नए मानदंडों पर एक नजर

- BDDR या अन्य श्रेणी से संबंधित सभी प्रोविजंस **इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग (IRACP) मानदंडों के तहत लाभ और हानि खाते में व्यय** के रूप में दर्ज किए जाने चाहिए।
- IRACP मानदंडों और अन्य विनियमों के अनुसार **सभी प्रोविजंस का लेखा-जोखा रखने के बाद ही सहकारी बैंक BDDR में निवल लाभ का उपयोग** कर सकते हैं।

सहकारी बैंकों (co-operative Banks) के बारे में:

- ये बैंक **सहयोग के सिद्धांत** पर काम करते हैं। इनका **स्वामित्व** इनके सदस्यों के पास होता है और इनका **संचालन भी सदस्य** ही करते हैं।
- इन बैंकों को **ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों** में विभाजित किया जाता है।

सहकारी बैंकों से जुड़ी चिंताएं

- **क्षेत्रीय असमानता:** 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश के कुल शहरी सहकारी बैंकों में से लगभग 82 प्रतिशत बैंक और सभी शहरी सहकारी बैंकों की लगभग 90 प्रतिशत शाखाएं **देश के पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्रों** में स्थित हैं।
- **दोहरा विनियमन:** इन बैंकों के **प्रबंधकीय और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख राज्य सरकारें** करती हैं, जबकि इनकी **बैंकिंग गतिविधियों का RBI या नाबार्ड (NABARD) द्वारा विनियमन एवं पर्यवेक्षण** किया जाता है।
- **अन्य चिंताएं:** इनके पास पूंजी जुटाने के लिए **अधिक स्रोत** नहीं होते हैं, इनका **सकल NPA काफी अधिक** होता है आदि।

3.8.8. फ्रंट रनिंग (Front Running)

सेबी (SEBI) ने धोखाधड़ी वाले लेन-देन और फ्रंट रनिंग को रोकने के लिए **म्यूचुअल फंड्स हेतु मानदंड** अधिसूचित किए हैं।

फ्रंट रनिंग के बारे में

- सेबी के अनुसार इसका तात्पर्य किसी बड़े ऑर्डर से पहले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने, या ऑप्शंस या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स (वायदा अनुबंध) करने के लिए **गैर-सार्वजनिक सूचना के उपयोग से** है।
- इससे **वित्तीय बाजारों में विश्वास कम होता है और अन्य निवेशकों को समान अवसर नहीं मिलता** है।
- भारत में यह **अवैध** है।

3.8.9. व्हाइट कैटेगरी सेक्टर्स (White Category Sectors)

व्हाइट कैटेगरी सेक्टर्स को अब **वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974** के तहत स्थापित व संचालित करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की **पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं** होगी।

- राज्य बोर्डों की मंजूरियों को आधिकारिक तौर पर **'स्थापना की सहमति'** (Consent to establish) और **'संचालन की सहमति'** (Consent to operate) कहा जाता है। ऐसी मंजूरियां उन उद्योगों को विनियमित करने के लिए दी जाती हैं जो अपशिष्टों को बहाते हैं या पर्यावरण में प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं।
- अब व्हाइट कैटेगरी के उद्योगों को **स्व-घोषणा** (Self-declarations) के माध्यम से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करना होगा।

व्हाइट कैटेगरी सेक्टर्स

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन उद्योगों को **व्हाइट कैटेगरी के रूप में वर्गीकृत करता है, जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं।**
- ऐसे सेक्टर्स में **पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाएं, एयर कूलर की असेंबलिंग, साइकिल असेंबलिंग** आदि शामिल हैं।

3.8.10. जलवायु अनुकूल और बायो-फ़ोर्टीफाइड फसलों की किस्में जारी (Climate Resilient and Biofortified Varieties of Crops Released)

प्रधान मंत्री ने उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और बायो-फ़ोर्टीफाइड फसलों की 109 किस्में जारी की।

- इन फसलों को **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा विकसित** किया गया है। फसलों की इन नई किस्मों को **"लैब टू लैंड" कार्यक्रम** के तहत जारी किया गया है।
- ICAR एक **फसल-सुधार कार्यक्रम** चला रहा है। इसका उद्देश्य व्यापक अनुकूलन क्षमता और उच्च उपज देने वाली **नई फसल किस्मों और संकर किस्मों का विकास** करना है।
- **फसल-सुधार प्रक्रिया** अलग-अलग रणनीतियों का उपयोग करती है, जैसे-
  - **जीनोमिक्स:** अस्सिटेड सिलेक्शन;
  - **फेनॉमिक्स:** गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षणों का व्यवस्थित मापन एवं विश्लेषण; तथा
  - **पारंपरिक प्रजनन या जैव-प्रौद्योगिकी आधारित एप्रोच्स:** जैसे आनुवंशिक इंजीनियरिंग और जीनोम एडिटिंग।

फसल सुधार की आवश्यकता क्यों है?

- **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का प्रबंधन:** जलवायु अनुकूल बीज प्रतिकूल मौसम (हीट वेव्स, सूखा आदि) में भी अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, बीटी-कपास।
    - जलवायु अनुकूल फसलें **रोगों और कीटों के हमलों के कारण होने वाली फसलों की हानि को कम** करती हैं।
- **खाद्य सुरक्षा:** विश्व आर्थिक मंच के अनुसार **2030 तक कृषि उपज में 16% तक की गिरावट** आ सकती है।
- **पोषण सुरक्षा:** भारत सरकार देश को **कुपोषण से मुक्त बनाने के लिए मिड-डे मील (पी.एम. पोषण योजना)** जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से **बायो-फोर्टिफाइड भोजन** को बढ़ावा दे रही है।
    - इसके अलावा, ये किफायती भी हैं क्योंकि बायो-फोर्टिफाइड किस्मों की फसल में पोषण युक्त खाद्यान्न तैयार करने पर **कोई अतिरिक्त लागत नहीं** आती है। उदाहरण के लिए- **विटामिन-A से भरपूर मक्का।**
- **किसानों की आय में वृद्धि:** उच्च उपज देने वाली और जलवायु अनुकूल फसल किस्में किसानों को बेहतर आय प्राप्त करने में योगदान करती हैं।

बायो-फोर्टिफिकेशन के बारे में

- यह **खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में सुधार करने की प्रक्रिया** है। उदाहरण के लिए- **आयरन और जिंक से भरपूर गेहूं।**
- यह **पारंपरिक फोर्टिफिकेशन से अलग** है, क्योंकि इसका उद्देश्य प्रसंस्करण के दौरान मैनुअल साधनों की बजाय **फसलों की वृद्धि के दौरान उनमें पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाना** है।

लैब टू लैंड कार्यक्रम के बारे में

- यह कार्यक्रम **कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित उन्नत प्रौद्योगिकी को किसानों तक पहुंचाने को बढ़ावा** देता है।

3.8.11. खुला बाजार बिक्री योजना (OMSS) (घरेलू) {Open Market Sale Scheme (OMSS) (Domestic)}

राज्य 1 अगस्त, 2024 से ई-नीलामी में भाग लिए बिना खुला बाजार बिक्री योजना (OMSS) (घरेलू) के तहत **भारतीय खाद्य निगम (FCI) से चावल की खरीद** कर सकते हैं।

- इसका लक्ष्य नए खरीद सीजन की शुरुआत से पहले **स्टॉक के भारी अधिशेष को कम** करना है।

OMSS- घरेलू

- इसका अर्थ **ई-नीलामी के माध्यम से खुले बाजार में खाद्यान्न (गेहूं और चावल)** की पेशकश से है। यह पेशकश **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** द्वारा **निर्धारित कीमतों** पर की जाती है
- इसका उद्देश्य **मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बाजार में कीमतों को नियंत्रित** करना है।

3.8.12. समुद्री सिवार मूल्य श्रृंखला पर नीति आयोग की रिपोर्ट (NITI Aayog's Report on Seaweed Value Chain)

नीति आयोग ने "समुद्री सिवार मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए रणनीति" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की।

- समुद्री सिवार (Seaweeds) कई प्रकार के **समुद्री पादप और बड़े शैवाल** होते हैं। ये **समुद्रों, नदियों, झीलों और अन्य जल निकायों** में पनपते हैं।
- समुद्री सिवार की खेती **जलीय कृषि का हिस्सा** है। **मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्रक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.5%** का योगदान देते हैं।

समुद्री सिवार की खेती का महत्त्व

- **आर्थिक महत्त्व:** ये खाद्य पदार्थों, औषधियों आदि में जैव सक्रिय यौगिकों और उपयोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं।
- **पर्यावरणीय महत्त्व:** समुद्री सिवार कार्बन पृथक्करण और जलवायु लचीलेपन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **अनिवार्य पोषक तत्व:** ये विटामिन A, B1, B12 जैसे महत्वपूर्ण विटामिन एवं खनिज प्रदान करते हैं।

समुद्री सिवार की खेती के समक्ष चुनौतियां

- एक व्यापक **नीतिगत ढांचे की कमी** है।

- गुणवत्ता वाले **बीजों की उपलब्धता की कमी** है।
- **पारिस्थितिकी संबंधी चिंताएं** मौजूद हैं। जैसे- जैव विविधता और प्रवाल भित्तियों पर विदेशी प्रजातियों का प्रभाव पड़ सकता है।

समुद्री सिवार की खेती को बढ़ावा देने के लिए की गई सिफारिशें

- **विनियामक और गवर्नेंस संबंधी सुधार:** राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया जाना चाहिए। साथ ही, समुद्री सिवार के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (PSL) श्रेणी आदि की शुरुआत की जानी चाहिए।
- **सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता:** समुद्री सिवार को फसल बीमा प्रदान किया जाना चाहिए। स्वयं सहायता संगठनों (SHGs) आदि के माध्यम से किसानों को संगठित किया जाना चाहिए।
- **बुनियादी ढांचा और संस्थान:** बीज बैंक, प्रसंस्करण केंद्र, विपणन केंद्र आदि की स्थापना की जानी चाहिए।

भारत द्वारा किए गए उपाय

- **पी.एम. मत्स्य संपदा योजनाः** इसके तहत **2025 तक प्रति वर्ष 1 मिलियन टन** सीवीड या समुद्री सिवार उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
- भारत में **सीवीड मूल्य श्रृंखला के विकास पर मसौदा नीति** की समीक्षा करने के लिए **डॉ. वी.के. सारस्वत (नीति आयोग) की अध्यक्षता** में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।
- **NIOT-ACOSTI (राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान–द्वीपों के लिए अटल महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र)** द्वारा **अंडमान क्षेत्र में अपतटीय कृषि शुरू** की गई है।
- **GIS-आधारित पोर्टल का विकासः** इसे मैप किए गए **सीवीड कृषि स्थलों के अवलोकन** के लिए विकसित किया गया है।

3.8.13. ग्रेन ATM (Grain ATM)

विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और ओडिशा सरकार ने संयुक्त रूप से **भुवनेश्वर में 24/7 'ग्रेन ATM' शुरू किया।**

- **'अन्नपूर्ति'** नामक **भारत के पहले 24/7 'ग्रेन ATM' पूरे ओडिशा में स्थापित** किए जाएंगे। इन ग्रेन ATMs से **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों को** हर समय यानी **24/7 खाद्यान्न उपलब्ध** कराया जाएगा।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत **75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार** दिया गया है।

अन्नपूर्ति के बारे में

- यह **मेड-इन-इंडिया उत्पाद** है। इसे **WFP इंडिया** ने डिजाइन और विकसित किया है।
- यह ATM बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद **प्रत्येक लाभार्थी को चुने गए अनाज के प्रकार और मात्रा के आधार पर गेहूं, चावल या मिलेट्स** उपलब्ध कराता है।
- यह सभी पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर सकता है। साथ ही, **अनाज प्राप्त करने में लगने वाले समय को 70% तक कम** कर सकता है।
- यह ATM ऊर्जा का दक्षता से उपयोग करता है। इसे **ऑटोमेटिक रीफिलिंग के लिए सौर पैनल्स** से जोड़ा जा सकता है।
- **WFP इनोवेशन अवार्ड्स 2022 में**, अन्नपूर्ति को भुखमरी से निपटने के लिए WFP के **शीर्ष पांच अभिनव समाधानों में शामिल** किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम

WFP World Food Programme

रोम (इटली)

(UN World Food Programme: UN WFP)

उत्पत्तिः
इसका गठन **संयुक्त राष्ट्र ने 1961** में किया था। इसका उद्देश्य **SDG 2** (जीरो हंगर) को प्राप्त करने की प्राथमिकता के साथ विश्व में भुखमरी का उन्मूलन करना है।

उद्देश्यः
यह **दुनिया का सबसे बड़ा मानवतावादी संगठन** है। यह आपात स्थिति में लोगों की जान बचाता है और उन्हें भोजन प्रदान करता है।

उपलब्धियांः
विश्व खाद्य कार्यक्रम को **2020 में नोबेल शांति पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था।

वित्त–पोषणः
सरकार, कॉर्पोरेट और व्यक्तियों से स्वैच्छिक दान के जरिए।

WFP की रिपोर्ट्सः
स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन वर्ल्ड (FAO, यूनिसेफ आदि के सहयोग से)

3.8.14. जन पोषण केंद्र (JAN Poshan Kendras)

हाल ही में, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने **60 उचित मूल्य की दुकानों (FPSs) को जन पोषण केंद्रों में परिवर्तित** करने हेतु एक पायलट परियोजना का शुभारंभ किया।

- FPSs ऐसी दुकानें हैं, जिन्हें **आवश्यक वस्तु अधिनियम (1955)** के तहत आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए लाइसेंस प्राप्त होता है। ये दुकानें **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली** के तहत राशन कार्ड धारकों को **अनाज और अन्य वस्तुएं** वितरित करती हैं।

जन पोषण केंद्रों के बारे में

- ये केंद्र **उपभोक्ताओं को पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की विविध रेंज उपलब्ध कराएंगे।** साथ ही, ये केंद्र **उचित मूल्य की दुकान के डीलरों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत** भी प्रदान करेंगे।
- **जन पोषण केंद्रों को 50% उत्पाद पोषण श्रेणी** में रखने होंगे, जबकि **शेष 50% घरेलू वस्तु श्रेणी** के लिए आरक्षित होंगे।
- यह पायलट परियोजना **गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश** राज्यों में लागू की जाएगी।

3.8.15. भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 लोक सभा में प्रस्तुत किया गया (Bharatiya Vayuyan Vidheyak 2024 Introduced in The Lok Sabha)

यह 90 साल पुराने **वायुयान अधिनियम, 1934** की जगह लेगा। वर्ष 1934 का अधिनियम **"वायुयान के विनिर्माण, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, आयात और निर्यात के नियंत्रण के लिए अधिक अच्छे उपबंध करने"** पर केंद्रित है।

भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 के बारे में

- **उद्देश्य:** 1934 के अधिनियम में विद्यमान **अस्पष्टताओं को दूर** करना और विमानन क्षेत्रक में **व्यवसाय एवं विनिर्माण को सुगम** बनाना।
- **महत्वपूर्ण प्रावधान:**
  - **अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन से संबंधित कन्वेंशंस** को लागू करने के लिए नियम बनाने हेतु केंद्र सरकार को सशक्त बनाया जाएगा।
    - उदाहरण के लिए- **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार कन्वेंशन (1932); शिकागो कन्वेंशन (1944)** आदि।
  - **नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB)** को अधिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी।
  - **लोक सुरक्षा के मद्देनजर आपातकाल के दौरान आदेश** (जैसे- विमान को डिटेन करना) जारी करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाया जाएगा।

इस विधेयक का महत्त्व

- विमान के डिजाइन और विनिर्माण को विनियमित करना **आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है।**
- यह विधेयक **ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन (UAV), विमान टैक्सियों, कुछ इलेक्ट्रॉनिक ग्लाइडर** आदि सभी को कवर करता है।
- यह **विमानन के लिए तेजी से बढ़ते बाजार की जरूरतों को पूरा** करने में योगदान देगा। ICRA का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024 में घरेलू हवाई यात्री यातायात **8-13%** बढ़ जाएगा।

3.8.16. QCI सुराज्य रेकग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क (QCI Surajya Recognition & Ranking Framework)

भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) ने 'QCI सुराज्य रेकग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क' प्रस्तुत किया।

'QCI सुराज्य रेकग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क' के बारे में

- इसका उद्देश्य **विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता और नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले राज्यों एवं संगठनों को मान्यता देना तथा पुरस्कृत** करना है।
- **इसे निम्नलिखित चार स्तंभों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:**
    - शिक्षा;
    - स्वास्थ्य;
    - समृद्धि और
    - सुशासन।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) के बारे में

- इसे **1996 में प्रत्यायन (Accreditation) के राष्ट्रीय निकाय** के रूप में स्थापित किया गया था। यह **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त गैर-लाभकारी संगठन** है।
    - इसे **यूरोपीय संघ के विशेषज्ञ मिशन की सिफारिशों** पर स्थापित किया गया था।
- इसे **केंद्र सरकार, एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (ASSOCHAM), भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI)** ने संयुक्त रूप से स्थापित किया था।
- **नोडल विभाग:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का **उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)।**
- **शासी परिषद:**
    - इसमें अध्यक्ष और महासचिव सहित **39 सदस्य** होते हैं। इसमें **सरकार, उद्योग जगत और अन्य हितधारकों का समान प्रतिनिधित्व** होता है।
    - **अध्यक्ष को प्रधान मंत्री द्वारा नामित** किया जाता है।
- **QCI की भूमिका**
    - **राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (National Accreditation Body: NAB):** इसका कार्य वैश्विक मानकों के अनुरूप **राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा** देना है।
    - यह **उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं** के तृतीय पक्ष मूल्यांकन के लिए एक तंत्र का गठन करता है।
    - यह भारत के नागरिकों के **जीवन की गुणवत्ता और कल्याण में सुधार** के लिए प्रयास करता है।

उपलब्धियां

स्वास्थ्य देखभालः इसने देश भर में कोविड–19 से संबंधित परीक्षण प्रयोगशालाओं का विस्तार करने के लिए **भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR)** के साथ कार्य किया है। इसने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के साथ **आयुष्मान भारत–प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) गुणवत्ता प्रमाणन कार्यक्रम, स्वास्थ्य केंद्रों की स्वच्छता के लिए कायाकल्प प्रमाणन** आदि में भी सहयोग किया है।

स्वच्छताः यह शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) का **ODF (खुले में शौच मुक्त), ODF+, ODF++** के रूप में प्रमाणन करता है।

शिक्षाः इसने **ईक्वेस्ट (eQuest)** की शुरुआत की है। यह कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के लिए **ई–क्वालिटी प्लेटफ़ॉर्म** है।

कृषिः यह सार्क देशों में **गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस (GAP)** के कार्यान्वयन व प्रमाणन के लिए मानकों व योजनाओं का विकास कर रहा है। GAP खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की एक परियोजना है।

3.8.17. भारत में लिथियम भंडार (Lithium Reserves in India)

परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने मांड्या जिले में 1,600 टन लिथियम भंडार की पुष्टि की है।

- **देश में लिथियम भंडार की खोज का महत्त्व**
  - **लिथियम के आयात पर निर्भरता में कमी** आएगी। वर्तमान में भारत मुख्य रूप से **चीन और हांगकांग से लिथियम के आयात पर निर्भर** है।
  - ऊर्जा भंडारण आवश्यकताओं और ग्रीन ऊर्जा अपनाने में **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा** मिलेगा।
  - **औद्योगिक विकास,** विशेष रूप से **वाहन और ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास** को बढ़ावा मिलेगा।

लिथियम के बारे में

- लिथियम को **सफेद सोना (व्हाइट गोल्ड)** भी कहा जाता है।
- लिथियम **नरम और चांदी जैसी सफेद क्षारीय विषाक्त धातु** है। सभी धातुओं में इसका **घनत्व सबसे कम** है।
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत इसे **महत्वपूर्ण (क्रिटिकल) एवं सामरिक खनिज की सूची** में शामिल किया गया है।

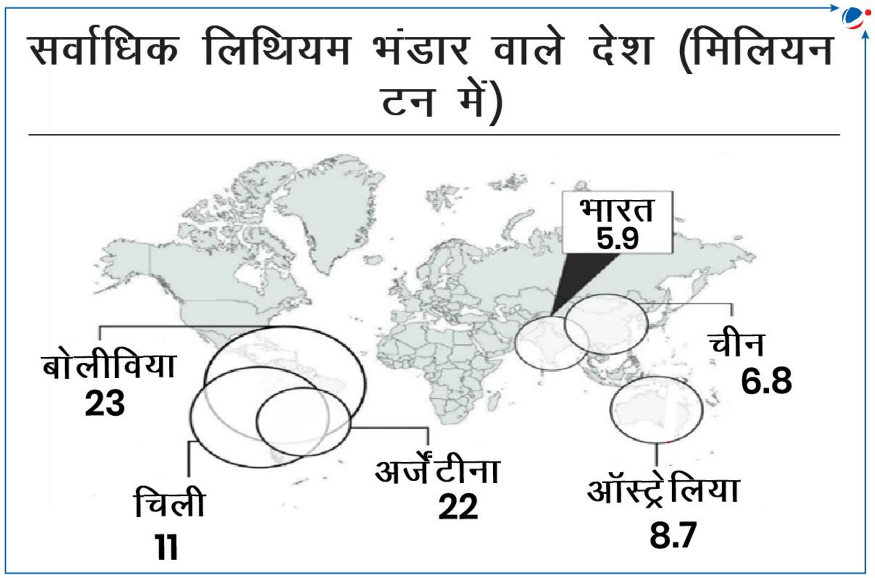

लिथियम के उपयोग

- **बैटरी बनाने में:** मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहन आदि के लिए **रिचार्जेबल ली-आयन बैटरी** तथा हार्ट पेसमेकर, घड़ियों आदि के लिए **नॉन-रिचार्जेबल बैटरी** के निर्माण में।
- **मिश्र धातु में:** वस्तुओं की मजबूती बढ़ाने और वजन हल्का रखने के लिए इसे **एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम के साथ मिश्रित** किया जाता है। इस मिश्र धातु का उपयोग **कवच चढ़ाने, विमान के पार्ट्स बनाने, साइकिल फ्रेम और हाई-स्पीड ट्रेन बनाने** आदि में किया जाता है।
- **औद्योगिक उपयोग:** इसका एयर कंडीशनिंग, इंडस्ट्रियल ड्राइंग सिस्टम और ग्लास सिरेमिक में उपयोग किया जाता है।

लिथियम संसाधन की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदम

- **खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL)** विदेशों में सामरिक खनिजों की खोज करता है।
- **'ऑस्ट्रेलिया-भारत महत्वपूर्ण खनिज निवेश भागीदारी'** शुरू की गई है।
- **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)** भारत में लिथियम भंडार की खोज कर रहा है।
- भारत का खान मंत्रालय **संयुक्त राज्य अमेरिका** के नेतृत्व वाली **"खनिज सुरक्षा भागीदारी (MSP)"** में शामिल हुआ है।

__नोट:__ लिथियम भंडार के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, जनवरी, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 7.5 देखें।

3.8.18. टैंटलम (Tantalum)

केंद्र सरकार ने **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957** के तहत टैंटलम को एक **महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज (Critical and Strategic Mineral)** के रूप में अधिसूचित किया है।

टैंटलम के बारे में

- टैंटलम एक दुर्लभ धातु है। इसका **परमाणु क्रमांक (एटॉमिक नंबर) 73** है।
- यह **धूसर रंग की, भारी, बहुत कठोर और संक्षारण प्रतिरोधी** (Corrosion-resistant) धातु है।

- **विशेषताएं**
    - शुद्ध होने पर, **टैंटलम धातु तन्य (Ductile)** हो जाती है, अर्थात इसे फैलाया जा सकता है, खींचा जा सकता है या इसके पतले तार बनाए जा सकते हैं।
    - इसका अत्यधिक **उच्च गलनांक** होता है।
- **उपयोग:** इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सर्जिकल उपकरणों और प्रत्यारोपण में कैपेसिटर बनाने में तथा रासायनिक संयंत्रों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, हवाई जहाज और मिसाइलों आदि के लिए पुर्जों के निर्माण में।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

SANDHAN

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION

संधान के जरिए पर्सनलाइज्ड तरीके से UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए

(ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं होता है; बल्कि इसके लिए स्मार्ट तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है।

अभ्यर्थियों की तैयारी के अलग-अलग स्तरों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने संधान टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यह ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत ही एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है।

संधान की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

प्रश्नों का विशाल संग्रह: इसमें UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 20,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।

पर्सनलाइज्ड टेस्ट: अभ्यर्थी अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार कर सकते हैं।

प्रश्नों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी: अभ्यर्थी टेस्ट के लिए Vision IAS द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों या UPSC के विगत वर्षों के प्रश्नों में से चयन कर सकते हैं।

समयबद्ध मूल्यांकन: अभ्यर्थी परीक्षा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा में टेस्ट के जरिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल का मूल्यांकन कर उसे बेहतर बना सकते हैं।

प्रदर्शन में सुधार: टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा।

स्टूडेंट डैशबोर्ड: स्टूडेंट डैशबोर्ड की सहायता से अभ्यर्थी हर विषय में अपने प्रदर्शन और ओवरऑल प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संधान के मुख्य लाभ

अपनी तैयारी के अनुरूप प्रैक्टिस: अभ्यर्थी अपनी जरूरतों के हिसाब से विषयों और टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। इससे अपने मजबूत पक्षों के अनुरूप तैयारी करने में मदद मिलेगी।

पर्सनलाइज्ड असेसमेंट: अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार टेस्ट तैयार करने के लिए Vision IAS द्वारा तैयार प्रश्नों या UPSC में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का चयन कर सकते हैं।

कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज: प्रश्नों के विशाल भंडार की उपलब्धता से सिलेबस की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।

लक्षित तरीके से सुधार: टेस्ट के बाद मिलने वाले फीडबैक से अभ्यर्थियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें किन विषयों (या टॉपिक्स) में सुधार करना है। इससे उन्हें तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।

प्रभावी समय प्रबंधन: तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने से टाइम मैनेजमेंट के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

आत्मविश्वास में वृद्धि: कस्टमाइज्ड सेशन और फीडबैक से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यह अपनी तरह की एक इनोवेटिव टेस्ट सीरीज है। संधान के जरिए, अभ्यर्थी तैयारी की अपनी रणनीति के अनुरूप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें UPSC प्रीलिम्स पास करने के लिए एक समग्र तथा टार्गेटेड अप्रोच अपनाने में मदद मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन करने और "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज" का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट कैसे एक परिवर्तनकारी प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, यह जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

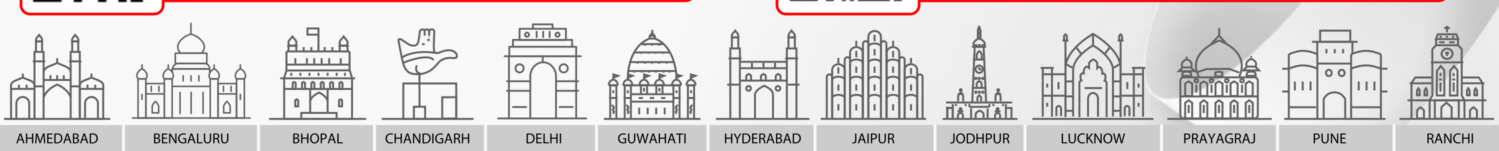

4. सुरक्षा (Security)

4.1. भारत के परमाणु सिद्धांत के 25 वर्ष (25 Years of India's Nuclear Doctrine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत अपने **परमाणु सिद्धांत की घोषणा** की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है।

क्या आप जानते हैं?

SIPRI इयरबुक 2024 के मुताबिक, भारत के परमाणु हथियारों की संख्या 2023 में **164 से बढ़कर 172** हो गई। यद्यपि, यह एक मामूली वृद्धि है, फिर भी अब भारत के पास पाकिस्तान से 2 अधिक परमाणु हथियार हैं।

भारत के परमाणु सिद्धांत के बारे में

परमाणु सिद्धांत में वे लक्ष्य और मिशन शामिल हैं जो परमाणु हथियारों की तैनाती और उपयोग का मार्गदर्शन करते हैं।

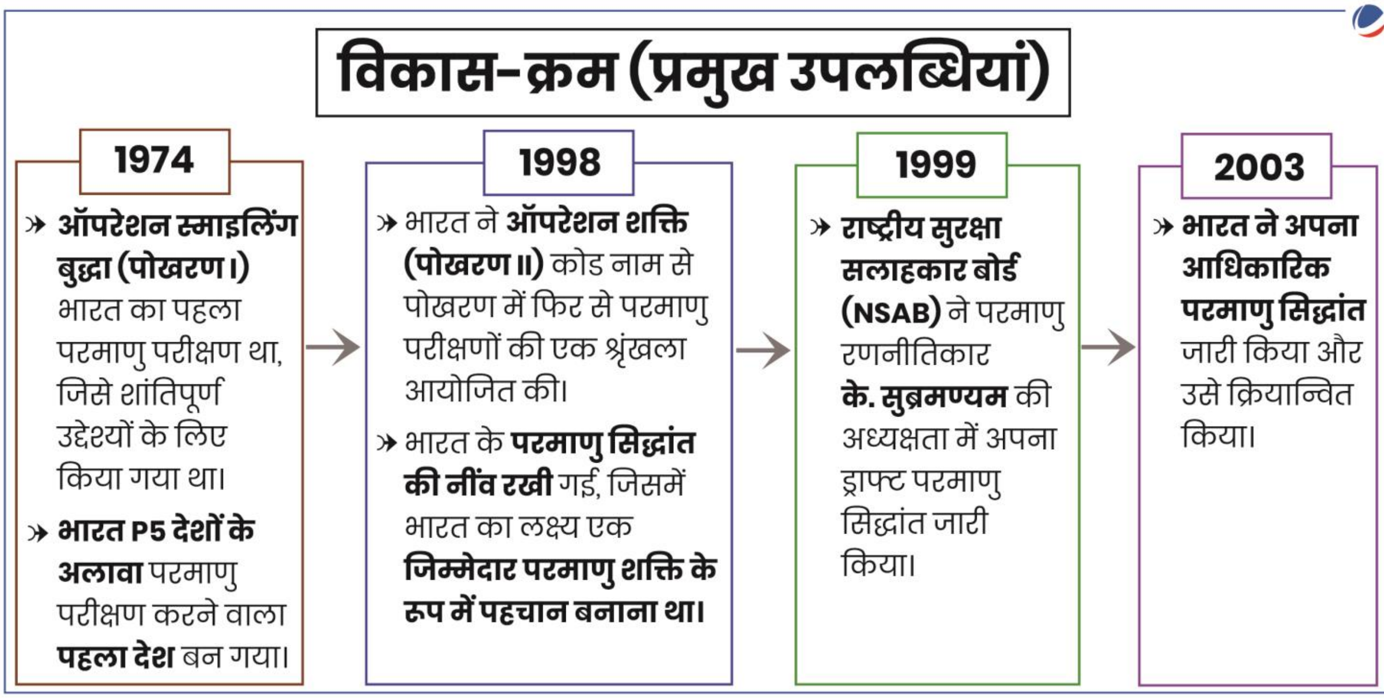

भारत के परमाणु सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं

- **विश्वसनीय न्यूनतम निवारक क्षमता का सृजन और रखरखाव:** भारत ने अपने परमाणु शस्त्रागार को एक निर्धारित सीमा के भीतर बनाए रखने की बात कही है। इस नीति का उद्देश्य शत्रु देशों के खिलाफ विश्वसनीय निवारक क्षमता बनाए रखना है।
- **"नो फर्स्ट यूज" (NFU) पालिसी:** भारतीय क्षेत्र पर या किसी अन्य जगह तैनात भारतीय सेना पर परमाणु हमला होने की स्थिति में ही जवाबी कार्रवाई के रूप में भारत अपने परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा।
- **दोनों पक्षों का सुनिश्चित विनाश (MAD)[78]:** जवाबी कार्रवाई के रूप में भारत का पहला ही हमला व्यापक होगा और विनाशकारी क्षति पहुंचाने वाला होगा।
    - **"म्यूच्यूअल अस्योर्ड डिस्ट्रक्शन"** वह अवधारणा है जिसके अनुसार दो महाशक्तियां एक-दूसरे को परमाणु हथियारों से नष्ट कर सकती हैं।
- **परमाणु हथियार नहीं रखने वाले देशों (NNWS)** के विरुद्ध भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा।

[78] Mutual assured destruction

©Vision IAS

- **परमाणु हथियार-मुक्त दुनिया के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता:** भारत परमाणु हथियार-मुक्त विश्व का समर्थन करता है। हालांकि, यह प्रक्रिया वैश्विक, सत्यापन योग्य और भेदभाव-रहित परमाणु निरस्त्रीकरण के जरिए होनी चाहिए।
- **गवर्नेंस: परमाणु कमान प्राधिकरण (NCA)**[79] के तहत एक **राजनीतिक परिषद** और एक **कार्यकारी परिषद** के गठन का प्रावधान शामिल है।
  - **राजनीतिक परिषद:** इस परिषद के अध्यक्ष **प्रधान मंत्री** होते हैं। यह परमाणु हथियारों के उपयोग पर अंतिम निर्णय लेने वाला भारत का एकमात्र निकाय **(असैन्य-राजनीतिक नेतृत्व)** है।
  - **कार्यकारी परिषद:** इस परिषद की अध्यक्षता **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार** द्वारा की जाती है। यह परिषद NCA को निर्णय लेने के लिए इनपुट्स प्रदान करती है और राजनीतिक परिषद द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करती है।
- **सिद्धांत के अन्य पहलू**
  - यदि भारत के खिलाफ रासायनिक या जैविक हथियारों (CBW)[80] का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में भारत **जवाबी कार्रवाई के रूप में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल** कर सकता है।
  - परमाणु और मिसाइलों से संबंधित सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर सख्त पाबंदी रहेगी। भारत **फिजाइल मटेरियल कटऑफ ट्रीटी (FMCT)** वार्ता में भाग लेगा।
  - भारत परमाणु परीक्षणों पर लगे प्रतिबंधों का पालन करेगा।

वैश्विक परमाणु विमर्श के संदर्भ में भारत की वर्तमान परमाणु स्थिति:

- **व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT)[81]:** यह संधि सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है। परमाणु हथियार युक्त देशों द्वारा निश्चित अवधि के भीतर निरस्त्रीकरण की प्रतिबद्धता नहीं करने के चलते **भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं** किए हैं।
- **परमाणु अप्रसार संधि (NPT)[82], 1968:** इसका उद्देश्य **परमाणु अप्रसार, निरस्त्रीकरण** तथा **परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग** जैसे **तीन स्तंभों** के जरिए परमाणु हथियारों के प्रसार को सीमित करना है।
  - भारत ने इस संधि को पक्षपातपूर्ण बताते हुए **इस पर हस्ताक्षर करने से मना** कर दिया है। भारत का मानना है कि इस संधि ने दुनिया को **"परमाणु संपन्न"** और **"परमाणु रहित"** देशों में विभाजित कर दिया है।
- **परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW)[83]:** यह कानूनी रूप से **पहला बाध्यकारी समझौता** है जो परमाणु हथियारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। **भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।** भारत का मानना है कि यह संधि न तो पुराने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में कोई योगदान देती है न ही नए मानक निर्धारित करती है।
- **वैश्विक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं**
  - **भारत निम्नलिखित व्यवस्थाओं (समझौतों) का हिस्सा है:**
    - **मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR)[84]:** भारत 2016 में MTCR का सदस्य बना।
    - **वासेनार व्यवस्था:** भारत 2017 में इसका सदस्य बना।
    - **ऑस्ट्रेलिया समूह:** भारत 2018 में इस समूह का सदस्य बना।
  - **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG)[85] 1974:** भारत इसका सदस्य नहीं है। इस समूह का गठन **भारत के 1974 के परमाणु परीक्षण के बाद** हुआ था। इसका उद्देश्य **हथियार बनाने** हेतु परमाणु सामग्री के निर्यात पर पाबंदी लगाना है।

---

[79] Nuclear Command Authority

[80] Chemical or a biological weapons

[81] Comprehensive Test Ban Treaty

[82] Non-Proliferation Treaty

[83] Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

[84] Missile Technology Control Regime

[85] Nuclear Suppliers Group

भारत के परमाणु सिद्धांत की आवश्यकता को रेखांकित करने वाले कारक:

नो फर्स्ट यूज की प्रभावकारिता: यह **भारत के परमाणु सिद्धांत का सबसे अधिक विवादित तत्व** बना हुआ है।

पहलू	नो फर्स्ट यूज के विपक्ष में तर्क	नो फर्स्ट यूज के पक्ष में तर्क
प्रारंभिक हानि का जोखिम	किसी देश द्वारा परमाणु हमले की स्थिति में भारतीय आबादी, शहरों और अवसंरचना को **उच्च प्रारंभिक हानि और क्षति का सामना करना पड़** सकता है।	यह **भारत की रणनीतिक संयम की नीति में योगदान** देता है। साथ ही, इसने भारत को असैन्य **परमाणु सहयोग समझौतों** और बहुपक्षीय परमाणु निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में शामिल होने का अवसर प्रदान किया है।
बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (BMD)	प्रथम परमाणु हमले से बचाव के लिए **विस्तृत और महंगी BMD प्रणाली की** आवश्यकता है।	**नो फर्स्ट यूज** भारत को **रक्षात्मक रुख और परमाणु युद्ध भड़काने से रोकने का रुख अपनाने में मदद** करता है।
परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों के विरुद्ध रणनीति का प्रभाव	यह नीति पाकिस्तान के खिलाफ प्रभावी नहीं है। गौरतलब है कि पाकिस्तान **टैक्टिकल परमाणु हथियारों** के जरिए कम क्षमता वाले परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहा है। **टैक्टिकल परमाणु हथियार** भारतीय सेना के खिलाफ अपने ही क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले कम-क्षमता वाले हथियार हैं।	यह नीति चीन के साथ तनाव को समाप्त करने के लिए **विवेकपूर्ण और गैर-भड़काऊ अप्रोच अपनाने तथा क्षेत्रीय स्थिरता** में योगदान देती है।

मौजूदा परमाणु सिद्धांत को कैसे मजबूत किया जा सकता है?

- **एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रमों** की तर्ज पर **समर्पित रक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम** आरंभ किए जा सकते हैं। इससे तकनीकी विकास के साथ-साथ क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
- **'बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई' की प्रतिबद्धता में लचीलापन बढ़ाना:** मौजूदा परमाणु सिद्धांत 'बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई' (Massive retaliation) की प्रतिबद्धता पर आधारित है जो राजनीतिक अभिकर्ताओं को परमाणु युद्ध को भड़काने में मदद करता है। इससे जवाबी कार्रवाई के विकल्प सीमित हो सकते हैं।
    - इस समस्या से निपटने के लिए, परमाणु सिद्धांत में **कुछ "अस्पष्ट" प्रावधान शामिल किए जा सकते** हैं। ये अस्पष्ट प्रावधान पूर्ण परमाणु युद्ध में शामिल हुए बगैर देश को मौजूदा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स (TNW) जैसे खतरों का जवाब देने में सक्षम बना सकते हैं।
- भू-राजनीतिक बदलावों के आलोक में **विकसित होती विदेश नीति के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है।**
    - **लगातार बदल रही भू-रणनीतिक विश्व व्यवस्था में भारत को समय-समय पर अपनी परमाणु नीति** की समीक्षा करनी चाहिए। उदाहरण के लिए- संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस समय-समय पर अपनी परमाणु नीतियों की समीक्षा करते हैं।
    - चीन-पाकिस्तान के बीच मजबूत होते संबंध और रूस के साथ उनके बढ़ते संबंध, साथ ही दुनिया भर में भू-राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए भारत को अपने परमाणु सिद्धांत की समीक्षा करनी चाहिए।
- भारत **वैश्विक परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने वाले एक ग्लोबल लीडर** के रूप में उभर सकता है। इसके लिए भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र की छवि बनानी होगी। इस दिशा में भारत द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं:
    - भारत को संयुक्त राष्ट्र और **निरस्त्रीकरण सम्मेलन जैसे अन्य मंचों** पर आयोजित होने वाली बहुपक्षीय वार्ताओं में हिस्सा लेना चाहिए। भारत इन मंचों का इस्तेमाल अल्प-विकसित और विकासशील देशों की सुरक्षा और **परमाणु अप्रसार के मुद्दों पर अपना पक्ष रखने** के लिए कर सकता है।
    - भारत को विश्वास निर्माण उपायों के रूप में अपने **पड़ोसी देशों के साथ परमाणु संबंधी मुद्दों पर खुली और पारदर्शी वार्ता** करनी चाहिए। ऐसा करके भारत अधिक देशों को **नो-फर्स्ट यूज की नीति अपनाने** के लिए प्रेरित कर सकता है।
        - वर्तमान में, **भारत के अलावा चीन एकमात्र अन्य परमाणु राष्ट्र** है जो **नो-फर्स्ट यूज (NFU) के सिद्धांत का पालन** करने का दावा करता है।

नोट: *परमाणु हथियारों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु विनियमों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखें- जुलाई, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 2.8 तथा नवंबर, 2023 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 4.2*

4.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

4.2.1. भारत ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट 'RHUMI-1' सफलतापूर्वक लॉन्च किया (India's First Reusable Hybrid Rocket Named RHUMI-1 Launched)

'RHUMI-1' रॉकेट को तमिलनाडु स्थित स्टार्ट-अप **स्पेस जोन इंडिया** ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है। इसका प्रक्षेपण चेन्नई के **थिरुविदंधई** से किया गया।

- इसे **मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल करके लॉन्च** किया गया है। इसमें **3 क्यूब सैटेलाइट्स** और **50 पिको (PICO) सैटेलाइट्स** शामिल हैं। ये दोनों तरह के सैटेलाइट्स **ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन** से संबंधित डेटा एकत्र करेंगे।
  - **क्यूब सैटेलाइट्स** नैनो उपग्रहों का एक प्रकार हैं। इनका **वजन 1-10 किलोग्राम** के बीच होता है।
  - **पिको सैटेलाइट्स** छोटे आकार के उपग्रह होते हैं। इनका वजन आमतौर पर 0.1 से 1 किलोग्राम के बीच होता है।

RHUMI-1 की विशेषताएं:

- **हाइब्रिड रॉकेट इंजन:** RHUMI-1 एक तरह का **हाइब्रिड रॉकेट इंजन** है। इसमें **ठोस और तरल प्रणोदक के कॉम्बिनेशन का उपयोग** किया गया है। इससे इंजन की दक्षता में सुधार होता है और परिचालन लागत में कमी आती है।
- **एडजस्टेबल लॉन्च एंगल:** इसके लॉन्च एंगल को **0 से 120 डिग्री** के बीच कहीं भी सेट किया जा सकता है, जिससे इसकी ट्रेजेक्टरी को बारीकी से कंट्रोल किया जा सकता है।
- **विद्युत संचालित पैराशूट प्रणाली:** यह एक नवाचारी, **लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल** प्रणाली है। इसकी मदद से लॉन्च किए गए **रॉकेट के घटकों को फिर से सुरक्षित तरीके से प्राप्त** किया जा सकता है।
- **पर्यावरण के अनुकूल:** RHUMI-1 **100% पायरोटेक्निक-मुक्त** है और इसमें TNT का प्रतिशत भी शून्य है।

रियूजेबल रॉकेट के बारे में

- रियूजेबल रॉकेट पेलोड्स को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करते हैं और फिर **पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं।** इस प्रकार के रॉकेट्स को फिर से नए पेलोड्स स्थापित करने के लिए लॉन्च किया जा सकता है।
- **लाभ:**
  - **लागत में बचत:** इसका उपयोग करने से हर बार एक नया रॉकेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे **लागत में 65% तक की बचत** होती है।
  - **अंतरिक्ष मलबे में कमी:** इससे प्रक्षेपित किए जाने वाले **रॉकेट्स की संख्या में कमी आएगी** जिसके चलते अंतरिक्ष मलबे में भी कमी आएगी।
  - **लॉन्च की संख्या में वृद्धि होना:** इससे टर्नअराउंड समय में कमी आएगी, जिससे रॉकेट्स का उपयोग कम समय में कई बार किया जा सकता है।

4.2.2. अस्त्र मार्क 1 मिसाइलें (Astra Mark 1 Missiles)

वायुसेना ने 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल बनाने को मंजूरी प्रदान की।

अस्त्र मिसाइलों के बारे में:

- यह हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइल (AAM) प्रणाली की एक **बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) श्रेणी** है। इसका निर्माण लड़ाकू विमानों पर इंस्टॉल करने के लिए किया गया है।
  - SU-30 Mk-I विमान के साथ **एकीकृत ASTRA Mk-I हथियार प्रणाली को भारतीय वायु सेना (IAF) में शामिल** किया जा रहा है।
- इसकी रेंज **80 से 110 किलोमीटर** तक है।

- मिसाइल को **अत्यधिक युद्धाभ्यास वाले सुपरसोनिक विमानों** को शामिल करने और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- अस्त्र मिसाइलों के लिए **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन** ने तकनीकी विकास का काम किया है, जबकि **भारत डायनामिक्स लिमिटेड** ने इसका व्यावसायिक उत्पादन किया है।

4.2.3. मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (Man Portable Anti-Tank Guided Missile)

हाल ही में, DRDO ने स्वदेश निर्मित मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (MPATGM) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

MPATGM हथियार प्रणाली के बारे में

- यह **कंधे से लॉन्च की जाने वाली पोर्टेबल मिसाइल प्रणाली** है। इसे विशेष रूप से **दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों** को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इसमें **लॉन्चर, टारगेट एक्विजिशन सिस्टम और फायर कंट्रोल यूनिट** शामिल हैं।
- यह **एडवांस्ड इन्फ्रारेड होमिंग सेंसर्स और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स** से लैस है। इनसे यह दिन और रात दोनों स्थितियों में काम करने में सक्षम बन जाती है।
- यह हाई एक्सप्लोसिव एंटी-टैंक (HEAT) आकार के चार्ज वारहेड से लैस है।

4.2.4. गौरव (Gaurav)

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने Su-30 MK-I प्लेटफॉर्म से **लंबी दूरी के ग्लाइड बम 'गौरव' का पहला सफल परीक्षण** किया।

गौरव के बारे में

- यह **हवा से प्रक्षेपित किया जाने वाला 1,000 किलोग्राम श्रेणी** का ग्लाइड बम है। यह लंबी दूरी तक लक्ष्य को निशाना बनाने में सक्षम है।
    - लॉन्च करने के बाद ग्लाइड बम **अत्यधिक सटीक हाइब्रिड नेविगेशन स्कीम का उपयोग** करके लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इसके लिए ग्लाइड बम **इंडियन नेविगेशन सिस्टम (INS) और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) डेटा के संयोजन** का उपयोग करता है।
- इसे **अनुसंधान केंद्र इमारत (RCI), हैदराबाद** द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।

4.2.5. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (Exercises in News)

- **तरंग शक्ति अभ्यास: भारतीय वायु सेना (IAF) ने तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस** में तरंग शक्ति अभ्यास का पहला चरण आयोजित किया।
    - यह **भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास** था।
    - इसका उद्देश्य भारत की रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करना था। साथ ही, भाग लेने वाली सेनाओं के बीच **ऑपरेशन में समन्वय को बढ़ावा** देने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना था।
    - भारतीय वायु सेना ने यह अभ्यास **हर दो साल पर आयोजित** करने की घोषणा की है।
- **अभ्यास 'उदार शक्ति':** यह **भारत और मलेशिया के बीच आयोजित संयुक्त हवाई** अभ्यास है।
- **'पर्वत प्रहार' अभ्यास:** भारतीय थल सेना **लद्दाख में** 'पर्वत प्रहार' अभ्यास आयोजित कर रही है। यह अभ्यास **अधिक ऊंचाई पर लड़े जाने वाले युद्ध और अभियानों** पर केंद्रित है।
    - इस अभ्यास में सेना की अलग-अलग इकाइयां भाग ले रही हैं और अलग-अलग युद्ध उपकरण शामिल किए जा रहे हैं, ताकि सैनिक **भारत-चीन सीमा के पास** युद्ध के लिए तैयार रह सकें।
- **अभ्यास मित्र शक्ति:** यह **भारत और श्रीलंका** के बीच एक **वार्षिक सैन्य अभ्यास** है।
    - इस अभ्यास का उद्देश्य **कौशल, अनुभव और सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों के विनिमय की सुविधा प्रदान करके दोनों देशों की सेनाओं की परिचालन दक्षता** में सुधार करना है।

- **अभ्यास खान क्वेस्ट:** यह एक **बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास** है। इसके **21वें संस्करण में भारतीय थल सेना** भाग लेगी। इसका आयोजन **मंगोलिया के उलानबाटार** में किया जाएगा।
- **समुद्री साझेदारी अभ्यास (MPX):** हाल ही में **भारतीय नौसैनिक जहाज तबर ने भारत और रूस** के बीच आयोजित समुद्री साझेदारी अभ्यास (MPX) में भाग लिया।

ऑफलाइन क्लासरूम, मेंटरिंग

SUPPORT SYSTEM & FACILITIES

VISIONIAS MUKHERJEE NAGAR (GTB NAGAR CENTRE)

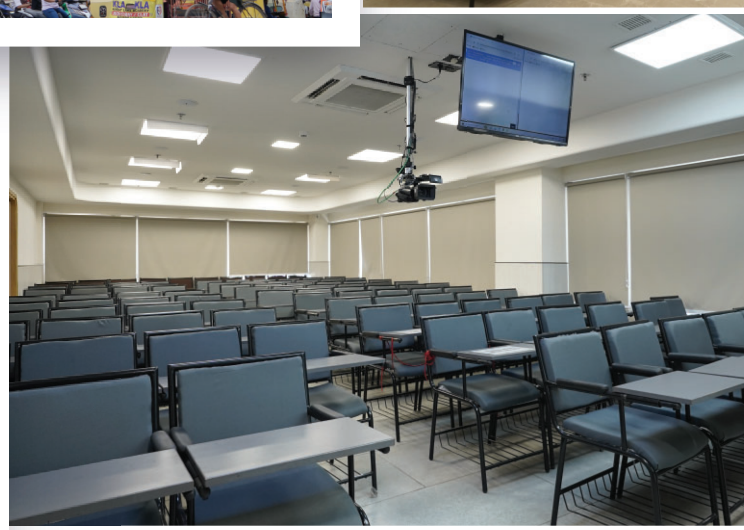

MAIN BUILDING WITH ENTRY/EXIT MARK

RECEPTION AREA

COUNSELING/MENTORING

FIRE EXIT PLAN

CLASSROOMS (CHAIRS/ENTRY/EXIT)

क्लासरूम प्रोग्राम : Vision IAS तैयारी के विभिन्न चरणों में सहायता और मार्गदर्शन के लिए अभ्यर्थियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है :

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा): लगभग 12–14 महीने में सम्पूर्ण सिलेबस कवरेज
- CSAT क्लासेज
- करेंट अफेयर्स क्लासेज– मासिक करेंट अफेयर्स रिवीजन, PT365, Mains365
- निबंध लेखन
- एथिक्स (Ethics)– एथिक्स क्रैश कोर्स, एथिक्स केस स्टडीज
- GS मेंस एडवांस कोर्स

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज (All India Test Series) : इस परीक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु हर तीन में से दो चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इसे चुना जाता रहा है। **VisionIAS** पोस्ट टेस्ट एनालिसिस ठोस सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराता है एवं प्रदर्शन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है। उत्तर लेखन में सुधार एवं मार्गदर्शन के लिए **Vision IAS** के **Innovative Assessment System™** द्वारा अभ्यर्थी को फीडबैक दिया जाता है।

- ऑल इंडिया सामान्य अध्ययन (**GS Mains**) टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- ऑल इंडिया **GS** प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- **CSAT** टेस्ट सीरीज
- वैकल्पिक विषय टेस्ट सीरीज– दर्शनशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र
- संधान टेस्ट सीरीज
- ओपन टेस्ट (**Open Test**)
- **Abhyaas**– **Abhyaas Prelims & Mains**

मेंटरिंग कार्यक्रम – **UPSC** सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार की एकेडेमिक या गैर–एकेडे. मिक समस्या के समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए मेंटर की भूमिका बढ़ गई है। इसलिए **Vision IAS** प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम लेकर आया है।

- दक्ष (**Daksha**): आगामी वर्षों में मुख्य परीक्षा देने वाले
- लक्ष्य (**Lakshya**): मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए।
- लक्ष्य प्रीलिम्स एवं मेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम।

करेंट अफेयर्स (Current Affairs)– सिविल सेवा परीक्षा में प्रायः प्रश्नों को करेंट अफेयर्स से जोड़कर पूछा जाता है। इसलिए **Vision IAS** द्वारा प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक आधार पर करेंट अफेयर्स के अलग–अलग स्रोत अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिनमें टॉपिक के स्टैटिक के साथ करेंट अफेयर्स के टॉपिक में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों, सरकारी प्रकाशनों एवं वेब साइट का विश्लेषण सम्मिलित होता है।

- मासिक मैगजीन
- वीकली फोकस
- न्यूज टुडे
- **PT** 365
- **Mains** 365

स्टडी मैटेरियल– सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए **Vision IAS** द्वारा विभिन्न मैटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं।

- क्लासरूम स्टडी मैटेरियल
- वैल्यू एडेड मैटेरियल
- मासिक मैगजीन, वीकली फोकस, न्यूज टुडे
- **PT** 365 एवं **Mains** 365
- केन्द्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण सारांश
- विगत वर्षों के प्रश्नों (**PYQs**) का विस्तृत विश्लेषण
- टॉपर्स कॉपी

Student Wellness Cell – देश की प्रतिष्ठित सेवा एवं उसकी भर्ती प्रक्रिया कई बार बोझिल हो जाती है, जिससे अभ्यर्थी चिंता, तनाव, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। जिसे ध्यान में रखकर **Vision IAS** द्वारा स्टूडेंट वेलनेस सेल की स्थापना की गई है। इसमें अभ्यर्थी प्रशिक्षित काउंसलर और प्रोफेशनल मनोविशेषज्ञ से मिलकर अपनी समस्या साझा करते हुए समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

अनुभवी फैकल्टी का मार्गदर्शन

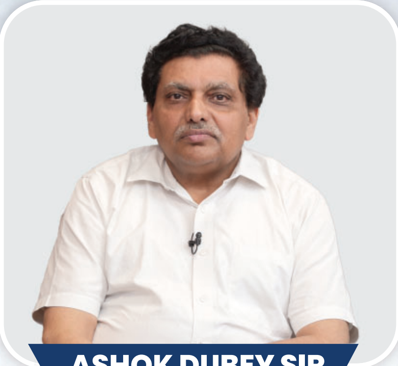

ASHOK DUBEY SIR

MRITYUNJAY SIR

RAJEEV RANJAN SIR

SUNIL KUMAR SINGH SIR

1 AIR

Aditya Srivastava

हिंदी माध्यम टॉपर

53 AIR

मोहन लाल

136 AIR

अर्पित कुमार

1 AIR

Shubham Kumar
UPSC CSE 2020

454 AIR

Bajarang Prasad
UPSC CSE 2022

468 AIR

Vikas Gupta
UPSC CSE 2022

605 AIR

Jatin Parashar
UPSC CSE 2022

HEAD OFFICE
DELHI
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION_IAS /C/VISIONIASDELHI VISION_IAS /VISIONIAS_UPSC

AHMEDABAD BENGALURU BHOPAL CHANDIGARH DELHI JAIPUR JODHPUR GUWAHATI HYDERABAD LUCKNOW PRAYAGRAJ PUNE RANCHI

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक {The Disaster Management (Amendment) Bill}, 2024

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करने के लिए लोक सभा में **आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024** पेश किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने, उनके उचित प्रबंधन तथा उनसे संबंधित अन्य मामलों के लिए **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** लागू किया गया था।
- इस विधेयक का उद्देश्य **15वें वित्त आयोग** की सिफारिशों के अनुरूप **विकासात्मक योजनाओं में आपदा प्रबंधन को मुख्य रूप से शामिल करना है।**
    - इसके जरिए **आपदा प्रबंधन से जुड़े प्राधिकरणों और समितियों की भूमिकाओं** को अधिक स्पष्ट कर उनमें समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के मध्य तुलना

प्रावधान	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005	आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी	• राष्ट्रीय कार्यकारी समिति[86] और राज्य कार्यकारी समिति[87] क्रमशः **राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करती हैं।**	• **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)** आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगे।
NDMA और SDMA का अपने-अपने स्तर पर कार्य	• सरकारी विभागों की **आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा करना;** • अधीनस्थ प्राधिकरणों द्वारा **आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश** जारी करना; तथा • आपदा शमन के लिए **फंड के प्रावधान की सिफारिश करना।**	• इस विधेयक में इन प्राधिकरणों के लिए नए कार्य शामिल किए गए हैं: ○ आपदा जोखिमों का **समय-समय पर आकलन करना।** ○ प्राधिकरणों को **तकनीकी सहायता प्रदान करना।** ○ **राहत से जुड़े न्यूनतम मानकों के लिए दिशा-निर्देश** सुझाना। ○ राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा **डेटाबेस तैयार करना।**
राज्य एवं आपदा डेटाबेस	• **कोई प्रावधान नहीं**	• इसमें **आपदा जोखिम के प्रकार एवं गंभीरता**, फंड का आवंटन एवं व्यय तथा **आपदा से निपटने संबंधी तैयारी एवं शमन योजनाओं** के बारे में जानकारी जुटाना शामिल है।
NDMA में नियुक्तियां	• अधिनियम में प्रावधान है कि जरूरत पड़ने पर केन्द्र सरकार **NDMA को अधिकारी, परामर्शदाता और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी।**	• यह विधेयक NDMA को केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से **अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या एवं श्रेणी निर्धारित करने का अधिकार देता है।**
शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UDMA)[88]	• **कोई प्रावधान नहीं**	• यह विधेयक दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर राज्य सरकारों को **राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों के लिए** एक अलग शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का अधिकार देता है।

[86] National Executive Committee

[87] State Executive Committee

[88] Urban Disaster Management Authority

राज्य आपदा मोचन बल का गठन	• **कोई प्रावधान नहीं**	• यह विधेयक राज्य सरकारों को राज्य आपदा मोचन बल (SDRF)[89] गठित करने का अधिकार देता है। ○ राज्य सरकार **SDRF के कार्य** और इसके सदस्यों के लिए **सेवा-शर्तें निर्धारित करेगी।**
राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC)[90] और उच्च स्तरीय समिति (HLC)	• **कोई प्रावधान नहीं**	• इस विधेयक में NCMC और उच्च स्तरीय समिति (HLC)[91] को **वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।** • NCMC गंभीर या राष्ट्रीय स्तर के प्रभाव वाली **बड़ी आपदाओं से निपटने के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करेगी।** • **HLC आपदाओं के दौरान राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता** प्रदान करेगी। • **NCMC के अध्यक्ष कैबिनेट सचिव तथा HLC के अध्यक्ष आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री होंगे।**

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक से संबंधित मुद्दे:

- **वित्तीय हस्तांतरण का अभाव:** शहरी स्थानीय निकायों के पास वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UDMAs) का गठन, उन्हें संसाधन प्रदान करना और उनका प्रभावी संचालन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **केंद्रीकरण:** यह विधेयक केंद्र सरकार को प्रत्यायोजित विधान (Delegated legislation) के जरिए विशिष्ट मामलों पर नियम बनाने की अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है। इससे संभवतः राज्यों के लिए आरक्षित विधायी शक्तियों के साथ टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है।
- **संवैधानिकता का परीक्षण:** यह विधेयक सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 23 - "सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, नियोजन और बेकारी[92]" - के तहत लाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपदा प्रबंधन का अलग से उल्लेख सातवीं अनुसूची में नहीं है।
- **'आपदा' की सीमित परिभाषा:** इस विधेयक में अधिसूचित आपदाओं की सूची का विस्तार करके उसमें हीटवेव जैसी जलवायु-जनित आपदा को शामिल नहीं किया गया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में

- इसे **2004 की विनाशकारी सुनामी** के बाद लागू किया गया था।
- **प्राधिकरणों की स्थापना:** इस अधिनियम में आपदा प्रबंधन के लिए त्रिस्तरीय संरचना स्थापित करने का प्रावधान है:
    - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMC):** इसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री होते हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।
    - **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMAs):** इसका अध्यक्ष संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री होता है। यह राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
    - **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMAs):** इसका अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता है। यह जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- **आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी:** इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करना अनिवार्य किया गया है।
- **राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF):** इसकी स्थापना आपदाओं के समय जरूरी कार्रवाई करने के लिए की गई है, जिसमें खोज और बचाव कार्य, चिकित्सा सहायता और राहत सामग्री वितरण जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

---

[89] State Disaster Response Force

[90] National Crisis Management Committee

[91] High Level Committee

[92] Social security and social insurance, employment and unemployment

- **वित्त-पोषण तंत्र:** इसमें राहत और बचाव कार्यों के वित्त-पोषण के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF)[93] और राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)[94] के गठन का प्रावधान है।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM)[95]:** इसके तहत आपदा से संबंधित अनुसंधान, प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए NIDM की स्थापना भी की गयी है।

निष्कर्ष

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 का उद्देश्य शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसे नए संस्थागत व्यवस्था को शुरू करके आपदा जोखिम शमन और प्रबंधन को मजबूत करना है। हालाँकि, इसकी सफलता सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय, प्राधिकार और संसाधन आवंटन से संबंधित चुनौतियों के समाधान पर ही निर्भर करेगी।

5.1.1 आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण हेतु प्रौद्योगिकी {Technology in Disaster Management & Risk Reduction (DMRR)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल के समय में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग (ML) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) पर आधारित भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में प्रगति का आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण हेतु प्रौद्योगिकी (DMRR) के क्षेत्र में व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

आपदा प्रबंधन चक्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग:

इसका उपयोग आपदा प्रबंधन चक्र के प्रत्येक चरण **में किया जा सकता है।** इसमें **रोकथाम से लेकर तैयारी, कार्रवाई और पुनर्बहाली तक सभी चरण शामिल हैं।**

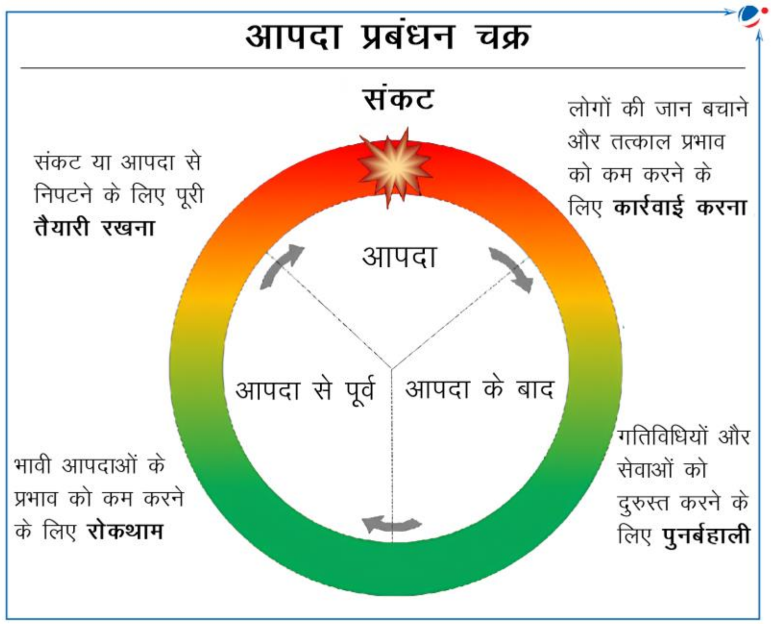

- **रोकथाम/ शमन:** प्रौद्योगिकियां आपदा शमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये पूर्वानुमान प्रणाली को बेहतर बनाकर जोखिमों को कम करने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके खतरों की संभावना वाले क्षेत्रों के मानचित्र तैयार किए जा सकते हैं।**
- **तैयारी:** तकनीक का उपयोग आपातकालीन योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में किया जा सकता है। इसका उपयोग संभावित खतरों, जैसे कि मौसम के पैटर्न पर नज़र रखने के लिए भी किया जा सकता है, जो प्राकृतिक आपदा का कारण बन सकते हैं।
  - **आपदा पूर्वानुमान और अग्रिम चेतावनी प्रणाली:** डेटा एकत्र करने और उसे प्रोसेस करने के लिए रिमोट सेंसिंग, मशीन लर्निंग (ML) और ड्रोन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। आमतौर पर डिजास्टर मॉडलिंग के लिए डीप लर्निंग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग होता है। **गूगल की आपदा अलर्ट प्रणाली इसका एक प्रमुख उदाहरण है।**
  - **ओडिशा राज्य आपदा शमन प्राधिकरण (OSDMA)[96]:** इसने हीटवेव, आकाशीय बिजली, सूखा और बाढ़ जैसे विभिन्न खतरों की निगरानी के लिए अग्रिम चेतावनी जारी करने हेतु **'सतर्क/ SATARK'** नामक एक वेब पोर्टल विकसित किया है।

---

93 National Disaster Response Fund

94 State Disaster Response Fund

95 National Institute of Disaster Management

- **इवेंट सिमुलेशन:** इसका उद्देश्य लोगों को आपदा से निपटने के लिए तैयार करना और प्रशिक्षित करना है। इवेंट सिमुलेशन के लिए मुख्य रूप से ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) और वर्चुअल रियलिटी (VR) जैसी तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं। **उदाहरण के लिए- मोबाइल लर्निंग हब फिलीपींस।**

- **प्रतिक्रिया या कार्रवाई:** किसी आपात स्थिति में कार्रवाई संबंधी प्रयासों के समन्वय और प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग आपदा से प्रभावित लोगों को सूचना और सहायता प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है।
  - **आपदा का पता लगाना:** आपदाओं के दौरान सूचना और संचार के साधन के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं। उदाहरण के लिए- **'X' (पूर्व में ट्विटर) के माध्यम से भूकंप जैसी आपदाओं के लिए सूचना साझा करना संभव है,** जिससे तेजी से प्रतिक्रिया और राहत कार्यों में मदद मिल सकती है।
  - **आपातकालीन संचार:** आपदाओं के दौरान प्रबंधन और जनता के साथ संवाद करने के लिए AI संचालित चैटबॉट काफी बेहतर साधन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए- **WHO द्वारा लॉन्च किए गए कोविड-19 चैटबॉट।**
  - **खोज और बचाव अभियान:** सैटेलाइट इमेजरी या सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से गंभीर रूप घायल और अन्य जरूरतमंद लोगों की पहचान की जा सकती है। उदाहरण के लिए- **भूस्खलन के बाद** खोज और बचाव मिशन के लिए **वायनाड में ड्रोन का उपयोग किया गया।**
- **पुनर्बहाली:** आपदा के बाद पुनर्निर्माण प्रक्रिया में तकनीक काफी मदद कर सकती है। इसका उपयोग नुकसान का आकलन करने, पुनर्निर्माण योजनाएं तैयार करने और राहत एवं बचाव संबंधी प्रयासों के समन्वय के लिए किया जा सकता है।
  - **आपदा राहत संबंधी लॉजिस्टिक्स/ संसाधनों का वितरण:** 3D प्रिंटिंग का उपयोग मशीनों के लिए विशेष घटकों को बनाने के लिए किया जा रहा है। यह तकनीक आपदा के दौरान महत्वपूर्ण प्रणालियों की कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक होती है, क्योंकि आवश्यक उपकरणों और उनके पुर्जों को तेजी से विनिर्मित किया जा सकता है।
  - ड्रोन का उपयोग महामारी के दौरान टीकाकरण या चिकित्सा सहायता हेतु आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए किया जा सकता है।

प्रोद्योकियों इस्तेमाल में विद्यमान चुनौतियां

- **तकनीकी सीमाएं:** इसमें तकनीकी ज्ञान, तकनीकी अवसंरचना की कमी एवं डिजिटल डिवाइड से संबंधित सीमाएं शामिल है। ये कमियां आपदा प्रबंधन के दौरान किसी प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग को बाधित कर सकती हैं।
- **उच्च लागत: AI और ड्रोन** जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने एवं उन्हें संचालित करने की लागत काफी अधिक हो सकती है।
- **डेटा संबंधी अनिवार्यताएं:** सफलता के स्तर को बनाए रखने में डेटा एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इसलिए डेटा के संबंध में मुख्य आयामों, जैसे- **पहुंच, गुणवत्ता, समयबद्धता और प्रासंगिकता पर विचार करना जरूरी है।**
  - जब डेटा का उपयोग रियल टाइम में निर्णय लेने के लिए किया जाता है तो ऐसे में डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना एक चुनौती होती है।

- **डेटा उत्तरदायित्व और शुचिता:** निजता और शुचिता संबंधी चिंताओं सहित जिम्मेदारीपूर्वक डेटा के उपयोग और संग्रहण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका कमजोर आबादी के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।
- **जेंडर संबंधी आयाम: प्रौद्योगिकी तक** महिलाओं की संभावित **सीमित पहुंच** (या पहुंच की कमी) डेटा संग्रह और संकट प्रबंधन जैसी चिंताओं को बढ़ाती है।

[96] Odisha State Disaster Mitigation Authority

आगे की राह

- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी:** यह प्रौद्योगिकी के उपयोग में असमानता को दूर करने और प्रौद्योगिकी-सक्षम आपदा प्रबंधन में भागीदारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- **डिजिटल डिवाइड को पाटना और तकनीकी क्षमता को बढ़ाना:** इसके तहत आपदा प्रबंधन में शामिल कर्मियों के तकनीकी ज्ञान, कौशल और डिजिटल साक्षरता के निर्माण के लिए कौशल विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- **समुदाय-आधारित निजी क्षेत्रक के नेटवर्क को मजबूत बनाना:** भावी अनुसंधान और प्रोत्साहन समुदाय-आधारित निजी क्षेत्रक के नेटवर्क को सशक्त बना सकते हैं। इससे आपदाओं के दौरान अपने समुदायों को अधिक प्रभावी ढंग से समर्थन दिया जा सकेगा और वैश्विक स्तर पर रिजिलिएंस और तैयारी में सुधार होगा।

संबंधित सुर्खियां: पैरामीट्रिक बीमा

- **नागालैंड ने SBI जनरल इंश्योरेंस** के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया है। इस हस्ताक्षर के साथ **नागालैंड आपदा जोखिम स्थानांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान (DRTPS)[97] को अपनाने वाला पहला राज्य** बन गया है।
- **पैरामीट्रिक बीमा (Parametric Insurance) के बारे में:**
  - यह एक ऐसा बीमा है जो वास्तविक नुकसान की भरपाई करने की बजाय, नुकसान पहुंचाने वाली किसी निर्धारित घटना (जैसे- भूकंप, बाढ़, सूखा) के घटित होने पर बीमाधारक को सीधे भुगतान करता है। इसमें घटना के घटित होने की संभावना को कवर किया जाता है, न कि वास्तविक क्षति का मूल्यांकन या सत्यापन।
    - यह एक ऐसा समझौता है जो कवर की गई घटना की पूर्व-निर्धारित तीव्रता सीमा (जैसे- वर्षा की मात्रा, भूकंप की तीव्रता सीमा) पर पहुंचने या उससे अधिक होने पर पूर्व-निर्धारित भुगतान प्रदान करता है। इस बीमा में, घटना की तीव्रता की माप किसी वस्तुनिष्ठ मान (जैसे- वर्षा की मात्रा, भूकंप की तीव्रता) के आधार पर किया जाता है। इसीलिए इसे 'पैरामेट्रिक बीमा' कहा जाता है। यह बीमा घटना की तीव्रता पर आधारित होता है, न कि वास्तविक क्षति पर। इसके कारण दावा प्रक्रिया सरल और तेज हो जाती है, जैसे कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7 होने पर संभावित नुकसान का बीमा कवर।
  - **इसके तहत कवर की गई घटनाएं:** इसमें भूकंप, उष्णकटिबंधीय चक्रवात या बाढ़ जैसी आपदाएं शामिल हो सकती हैं, जहां पैरामीटर या सूचकांक क्रमशः रिक्टर स्केल पर प्रबलता, वायु गति या पानी की गहराई है।
- **पारंपरिक बीमा और पैरामीट्रिक बीमा के बीच अंतर**
  - **पारंपरिक बीमा:** इसका उपयोग स्वयं के स्वामित्व वाली भौतिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा होता है।
    - किसी घटना के बाद पॉलिसी की शर्तों और नियमों के तहत वास्तविक नुकसान के आधार पर भुगतान किया जाता है।
  - **पैरामीट्रिक बीमा:** इसमें भुगतान उस घटना से जुड़ा होता है जो हानि उत्पन्न कर सकती है, न कि वास्तविक हानि के मूल्यांकन से। इसका अर्थ यह है कि भुगतान पूर्व निर्धारित पैरामीटर या घटना की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। इस कारण से कवरेज का दायरा व्यापक हो जाता है।
    - इसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं (जैसे- तूफान, बाढ़, सूखा) के लिए कवरेज की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, जो बीमाधारक के लिए प्रमुख चिंता का विषय होती है। यह बीमा उत्पाद बीमाधारक को उन घटनाओं के लिए सुरक्षा कवर प्रदान करता है, जिनसे नुकसान का सटीक आकलन करना मुश्किल होता है।
- **पैरामीट्रिक बीमा के लाभ:**
  - **शीघ्र भुगतान की व्यवस्था:** इसमें घटना से हुए वास्तविक नुकसान के आकलन की जरूरत नहीं पड़ती है बल्कि घटना के निश्चित पैरामीटर पर पहुंचने पर ही पूर्व निर्धारित राशि का भुगतान कर दिया जाता है। शीघ्र भुगतान से पॉलिसीधारकों को नुकसान से उबरने के लिए अपनी सेविंग्स या ऋण का सहारा लेने से बचाया जा सकता है।
  - **निश्चितता की भावना:** पॉलिसी धारक को प्राप्त होने वाली राशि का अनुमान लगाना सरल होता है।
  - **पारदर्शिता:** इसके तहत प्राकृतिक घटनाओं से जुड़ा डेटा बीमाकर्ता और पॉलिसीधारक दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध होता है, तो इससे अस्पष्टता और गड़बड़ी की संभावना कम हो जाती है।

---

[97] Disaster Risk Transfer Parametric Insurance Solution

5.2. भारत में नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 के 76.38 गीगावाट (GW) से बढ़कर **2024 में 203.1 GW** हो गई है। यह **10 वर्षों में 165% की वृद्धि** को दर्शाता है।

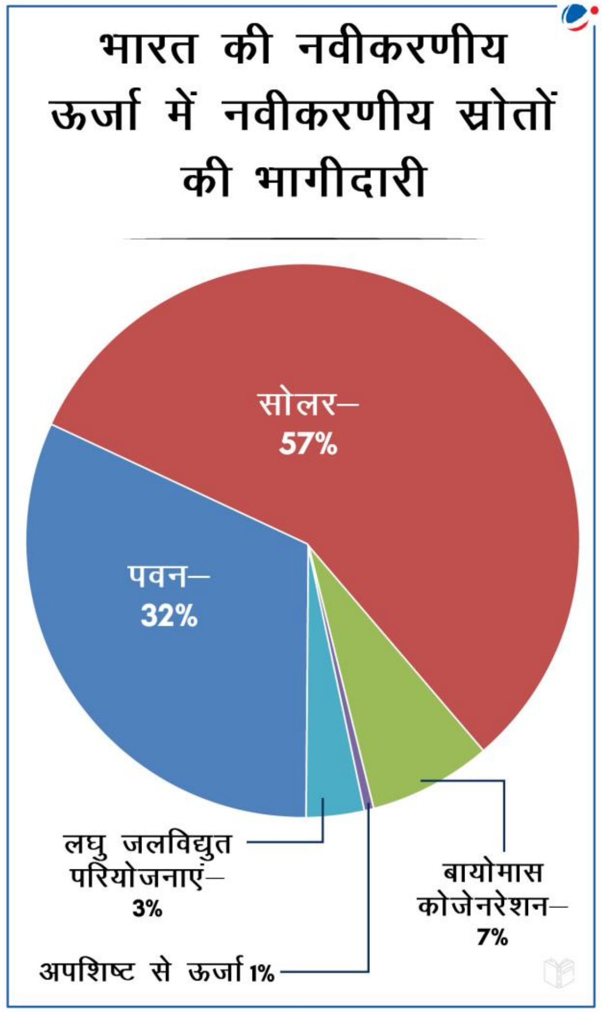

नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है?

- यह प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा होती है, जो जितनी तेजी से उपयोग की जाती है उससे कहीं अधिक तेजी से पुनः भरण है अर्थात् सतत प्रक्रिया के माध्यम से लगातार पुनःपूर्ति होती रहती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और हमारे चारों ओर मौजूद हैं।
- **उदाहरण के लिए:** सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, जल-विद्युत, महासागरीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा आदि।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की वर्तमान स्थिति

- देश में कुल स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता में **नवीकरणीय ऊर्जा** की हिस्सेदारी **43.12%** है।
- भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में **चौथे स्थान पर है।**
    - **भारत का विश्व में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता (46.65 गीगावाट) के मामले में चौथा स्थान है, जबकि सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा की स्थापित क्षमता (85.47 गीगावाट) के मामले में पांचवां स्थान है।**
- भारत में **पहली बार गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से ऊर्जा की स्थापित क्षमता 200 गीगावाट** को पार कर गई है।
    - इसमें 85.47 गीगावाट सौर ऊर्जा; 46.93 गीगावाट बड़ी जल-विद्युत; 46.66 गीगावाट पवन ऊर्जा; 10.95 गीगावाट जैव ऊर्जा; 5.00 गीगावाट लघु जल-विद्युत और **0.60 गीगावाट अपशिष्ट से ऊर्जा शामिल है।**
- **भारत द्वारा निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य**
    - भारत ने 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से ऊर्जा क्षमता को **500 गीगावाट तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।**
    - इसके अलावा, **2030** तक ऊर्जा आवश्यकताओं का **कम-से-कम आधा हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से** पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रक के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **उच्च लागत:** नवीकरणीय संसाधनों से एक यूनिट विद्युत उत्पादन करने के लिए **सामग्री और प्राकृतिक संसाधन (मुख्य रूप से भूमि) की लागत,** जीवाश्म ईंधन से एक यूनिट विद्युत उत्पादन की तुलना में काफी अधिक है।
    - नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जैसे- सूर्य का प्रकाश और पवन, जीवाश्म ईंधन (जैसे- कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस) की तरह विशिष्ट स्थानों पर केंद्रित होने के बजाय व्यापक क्षेत्रों में फैले होते हैं। ऐसे में नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने के लिए बड़े क्षेत्रों में अवसंरचना स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है।
- **भूमि अधिग्रहण: उदाहरण के लिए-** नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली भूमि की पहचान, इसका रूपांतरण (यदि आवश्यक हो), भूमि सीलिंग अधिनियम के तहत मंजूरी, भूमि के पट्टे हेतु किराए पर निर्णय, राजस्व विभाग से मंजूरी और अन्य ऐसी मंजूरियों में अधिक समय लगता है।

- **डिस्कॉम का खराब प्रदर्शन:** अधिकांश डिस्कॉम को ताप विद्युत के लिए **पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) का पालन करना होता है।** इसलिए सौर आधारित विद्युत क्रय करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है, जिससे समग्र **रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस (RPO) संबंधी** लक्ष्य प्रभावित होता है।
  - RPO ऐसी व्यवस्था है, जो प्रत्येक राज्य में बिजली खरीददारों को प्रतिवर्ष एक निश्चित न्यूनतम मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए बाध्य करती है।
- **भंडारण संबंधी चिंताएं:** नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न होने वाली बिजली की मात्रा पर मौसम की स्थिति के आधार पर उतार-चढ़ाव होता है और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में अचानक वृद्धि या गिरावट ग्रिड से विद्युत आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है।

- **पर्यावरण संबंधी चिंताएं:** उदाहरण के लिए- खासकर प्रवास के मौसम में पक्षी और चमगादड़ विंड टरबाइन से टकरा सकते हैं। इसके अलावा, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है।

नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न उप-क्षेत्रकों के समक्ष चुनौतियां

सौर	• **हीटवेव का प्रभाव:** एक अध्ययन के अनुसार, तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से सौर पैनल के वोल्टेज में लगभग 0.5% की गिरावट होती है। • **निर्भरता:** फोटोवोल्टिक मॉड्यूल की आपूर्ति श्रृंखला के 80% से अधिक हिस्से पर चीन का कब्जा है।
पवन	• **कौशल:** टरबाइन बनाने तथा विंड फार्म्स के निर्माण एवं रख-रखाव के लिए उच्च स्तर की तकनीकी योग्यता एवं कौशल की आवश्यकता होती है। • **अपर्याप्त ट्रांसमिशन अवसंरचना:** इसमें लम्बी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (EHV) ट्रांसमिशन लाइनों की आवश्यकता होती है, जिससे निर्माण की लागत और परिचालन घाटा बढ़ जाता है।
जल-विद्युत	• **जल-विद्युत उत्पादन में गिरावट:** इसके लिए दक्षिण भारत में कम वर्षा एक प्रमुख कारक है। साथ ही, प्राकृतिक आपदाओं के चलते उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के प्रमुख विद्युत संयंत्रों पर भी असर पड़ रहा है। • **सामाजिक-पर्यावरण:** इसमें लोगों का विस्थापन, नदी पारिस्थितिक-तंत्र के समक्ष बाधा, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, जलीय और स्थलीय जैव विविधता की हानि, खाद्य प्रणालियों में नकारात्मक बदलाव आदि शामिल हैं।
बायोमास	• **फीडस्टॉक की अपर्याप्त आपूर्ति:** इसमें फीडस्टॉक आपूर्तिकर्ता के साथ दीर्घकालिक अनुबंध का अभाव शामिल है। • **बायोमास व्यापार के लिए सीमित मंच:** वर्तमान में, देश में बायोमास व्यापार बिखरा हुआ है और केवल कुछ ही राज्यों तक सीमित है।
अपशिष्ट से ऊर्जा	• **तकनीकी चुनौती:** सूखे ठोस अपशिष्ट की तुलना में गीले ठोस अपशिष्ट का प्रतिशत अधिक होने से विद्युत उत्पादन कठिन हो जाता है। • **विनियमनों का अभाव:** विशेष रूप से अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्रों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अनिवार्य होता है।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक FDI की अनुमति है।
- **पी.एम. सूर्य घर - मुफ्त बिजली योजना: इसे 75,021** करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ एक करोड़ घरों की छत पर सौर संयंत्र (Rooftop solar plants) स्थापित करने के लक्ष्य के साथ वित्त वर्ष 2027 तक लागू किया जाना है।

- **हरित ऊर्जा गलियारा (GEC)[98] परियोजनाएं:** यह नवीकरणीय ऊर्जा को उनके उत्पादन स्थल से खपत स्थल तक पहुंचाने को सुगम बनाने और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रिड को पुनः आकार देने के लिए शुरू की गई है।
- **सौर पार्क योजना: इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा डेवलपर्स को** सभी क़ानूनी मंजूरियों के साथ आवश्यक अवसंरचना को सुगम बनाकर **प्लग एंड प्ले मॉडल** प्रदान करना है।
- **नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023:** इस मिशन का लक्ष्य **2030 तक लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT**) वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है।

आगे की राह

- **ऊर्जा भंडारण क्षमता में वृद्धि करना:** ऊर्जा भंडारण प्रणाली (जैसे- पंप स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, बैटरी स्टोरेज आदि) का उपयोग नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न ऊर्जा को दिन के अन्य समय में उपयोग करने के लिए भंडारित करने हेतु किया जा सकता है।
    - इससे **नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन में होने वाले उतार-चढ़ाव का प्रबंधन किया जा सकता है; ग्रिड स्टेबिलिटी में सुधार हो सकता है;** एनर्जी/ पीक शिफ्टिंग आदि संभव हो सकता है।
- **केंद्र-राज्य समन्वय:** केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर आवश्यक भूमि (उदाहरण के लिए, **नवीकरणीय ऊर्जा जोन**) की पहचान करने की आवश्यकता है। इसी तरह, राज्यों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए **'मस्ट रन' स्थिति को** सही तरीके से लागू किया जा रहा है।
    - 'मस्ट रन' स्थिति का अर्थ है कि संबंधित विद्युत संयंत्र को हर हालत में ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करनी होगी।
- **अभिनव वित्त-पोषण: इसके तहत अनुबंध प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना (जैसे, अनुबंधों का मानकीकरण), और प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराना, ग्रीन बांड्स** के उपयोग का विस्तार करना आदि शामिल हैं।
- **ग्रिड प्रौद्योगिकी को उन्नत करना:** सभी स्तरों (राज्य, क्षेत्रीय, और राष्ट्रीय) पर ग्रिड ऑपरेटरों को आस-पास के क्षेत्रों में ग्रिड की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए और उनके साथ समन्वय में काम करना चाहिए। इससे वे ग्रिड को अधिक कुशलता से प्रबंधित कर सकेंगे और बिजली की आपूर्ति को स्थिर बनाए रख पाएंगे।
    - केंद्रीकृत **नवीकरणीय ऊर्जा पूर्वानुमान तंत्र[99]** को सिस्टम ऑपरेशंस के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है।
- **भूमि का सर्वोत्तम उपयोग करना:** सौर परियोजनाओं के लिए बंजर भूमि, सीमांत भूमि और रूफटॉप के उपयोग को बढ़ावा देने से कृषि एवं वन भूमि पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सकता है।

5.3. समुद्री जल स्तर में वृद्धि (Sea Level Rise)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी (CSTEP) ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक **'सी-लेवल राइज़ (SLR) सेनेरिओज़ एंड इनंडेशन मैप्स फॉर सेलेक्टेड इंडियन कोस्टल सिटीज'** है।

क्या आप जानते हैं?

> जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) के अनुसार, **1901 और 2018 के बीच वैश्विक औसत समुद्र जलस्तर 0.20 (0.15-0.25) मीटर बढ़ गया है।**

> IPCC ने उच्च उत्सर्जन वाले परिदृश्य के चलते **वर्ष 2100 तक वैश्विक औसत समुद्र जलस्तर में 1.3 से 1.6 मीटर की वृद्धि** होने का अनुमान लगाया है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **समुद्र जलस्तर में अधिकतम वृद्धि:** पिछले **तीन दशकों (1991-2020) में अधिकतम SLR** मुंबई स्टेशन (4.44 सेमी) पर देखी गई है। इसके बाद हल्दिया (2.72 से.मी.), विशाखापत्तनम (2.38 से.मी.) आदि का स्थान है।
- **2040 तक समुद्र जल स्तर में वृद्धि के कारण जलमग्नता: 2040 तक समुद्री जल स्तर में वृद्धि के कारण मुंबई, यनम और तूथुकुड़ी में 10%** से अधिक **भूमि;** पणजी और चेन्नई में 5%-10% भूमि; और कोच्चि, मंगलूरु, विशाखापत्तनम, हल्दिया, उडुपी, परादीप और पुरी में 1%-5% **भूमि जलमग्न** हो जाएगी।

---

[98] Green Energy Corridor

[99] Centralized RE forecasting mechanisms

समुद्री जल स्तर में वृद्धि (SLR) के कारक

- **महासागरीय तापीय प्रसार:** महासागर ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) द्वारा संचित 90% से अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके परिणामस्वरूप महासागरों के तापमान में वृद्धि होती है और जल का प्रसार होता है।
- **हिम का पिघलना:** SLR के लिए ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में ग्लेशियरों, आइस कैप्स और हिम-चादरों का पिघलना भी एक अन्य कारण है।

समुद्री जल स्तर में वृद्धि के प्रभाव

- **तटीय कटाव में वृद्धि:** जैसे-जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, तटीय बाढ़ और तूफानी लहरें अधिक बार आती है एवं प्रचंड होती जाती हैं। इससे तटीय कटाव बढ़ जाता है।
  - **उदाहरण के लिए- राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR)**[100] की रिपोर्ट के अनुसार, **1990 से 2018 के बीच भारत के समुद्र तट का लगभग 32 प्रतिशत हिस्सा समुद्री कटाव से प्रभावित हुआ है।**
- **तटीय जलमग्नता और बाढ़:** समुद्र का जल स्तर बढ़ने से निचले तटीय क्षेत्रों और द्वीपों में निरंतर एवं गंभीर बाढ़ तथा जलमग्नता का खतरा बढ़ जाता है।
- **ताजे जल का लवणीकरण:** समुद्री जलस्तर में वृद्धि से ताजे जल के स्रोत, जैसे- भूमिगत जलभृत और नदीय डेल्टा के लवणीकरण का खतरा बढ़ जाता है।
- **तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों का विस्थापन:** समुद्री जल स्तर में वृद्धि के कारण निचले तटीय इलाकों में रहने वाले समुदायों की भूमि बाढ़ में डूब सकती है।
  - **उदाहरण के लिए- आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र**[101] **के अनुसार, पिछले दशक में दक्षिण एशिया में** लगभग 3.6 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं।
- **तटीय पर्यावास का नुकसान:** समुद्र के जल स्तर में वृद्धि विशेष रूप से तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, जैसे- मैंग्रोव, लवणीय दलदल और प्रवाल भित्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
  - **उदाहरण के लिए-** इसके चलते मन्नार की खाड़ी की प्रवाल भित्तियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।
- **अवसंरचना को खतरा:** उच्च जल स्तर और बार-बार आने वाली बाढ़ से अवसंरचनाओं के क्षतिग्रत होने का खतरा बढ़ जाता है। बाद में क्षतिग्रत अवसंरचनाओं की मरम्मत करना और उसे पुनः सुचारू बनाने में काफी व्यय होता है।

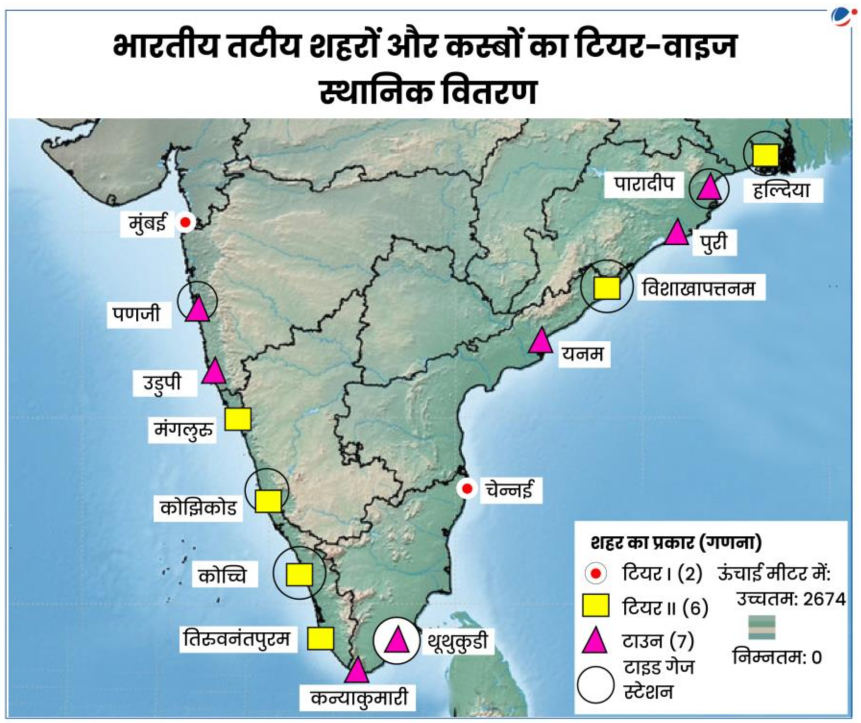

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **भारत में तटीय कटाव का संरक्षण और नियंत्रण:** केंद्रीय जल आयोग ने **2020 में दिशा-निर्देश जारी किए थे, ताकि** समुद्र तट के विभिन्न हिस्सों के लिए उपयुक्त तटीय संरक्षण कार्यों हेतु प्रारंभिक डिजाइन पैरामीटर प्रदान किए जा सकें।
- **तटीय सुभेद्यता सूचकांक (Coastal Vulnerability Index: CVI):** भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र[102] ने भारतीय तटरेखा के लिए CVI का अनुमान लगाया है।

---

[100] National Centre for Coastal Research

[101] Internal Displacement Monitoring Centre

[102] Indian National Centre for Ocean Information Services

- **इसमें सात तटीय मापदंडों** अर्थात तटरेखा परिवर्तन दर (Shoreline change rate), समुद्री जल स्तर परिवर्तन दर (Sea-level change rate), तटीय तुंगता (Coastal elevation), तटीय ढलान (Coastal slope), तटीय भू-आकृति विज्ञान (Coastal geomorphology), लहर की ऊंचाई और ज्वार की सीमा का संयुक्त प्रभाव शामिल किया गया है।

- **राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF):** 15वें वित्त आयोग के तहत, तटीय कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए NDRF के **पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण[103] घटक हेतु** 1000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
- **तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2019:** इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचित किया है, ताकि तटीय क्षेत्रों, समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण और सुरक्षा तथा मछुआरों एवं अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- **मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंगिबल इनकम (MISHTI/ मिष्टी):** इस योजना का उद्देश्य वित्त वर्ष 2023-24 से शुरू होकर अगले 5 वर्षों में 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 540 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वनों का पुनरुद्धार करना है।
- **शेल्टरबेल्ट प्लान्टेशन:** इसके तहत तटरेखा पर वृक्षों को सघन पंक्तियों में लगाया जाएगा। इससे तटीय समुद्री कटाव को रोकने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए- तटीय जिले **रामनाथपुरम में शेल्टरबेल्ट प्लान्टेशन किया गया है।**

समुद्री जल स्तर में वृद्धि के प्रति अनुकूलन रणनीतियां

- **अवसंरचना की सुरक्षा के लिए बाढ़ अवरोधकों का निर्माण करना:**
  - **पारिस्थितिक तंत्र आधारित तटीय संरक्षण:** उदाहरण के लिए- तट के किनारे **ऑयस्टर बेड प्राकृतिक ब्रेकवाटर के रूप में काम कर सकती हैं।**
  - **मानव निर्मित संरचनाएं:** उदाहरण के लिए- **कंक्रीट, चिनाई या शीट पाइल्स से बनी समुद्री दीवार।**
- **समुद्री जल-स्तर में वृद्धि और तूफानी लहरों के लिए कंप्यूटर बेस्ड मॉडल बनाना:** समुद्री जल-स्तर में वृद्धि और तूफानी लहरों की गतिशीलता का कंप्यूटर बेस्ड मॉडल बनाने से महत्वपूर्ण अवसंरचना की स्थापना एवं सुरक्षा के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी।
- **तैरते शहर (Floating Cities):** मालदीव और दक्षिण कोरिया में ऐसे शहरों का विकास शुरू किया गया है, जो बाढ़ रोधी होंगे।
- **एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन:** इसका उद्देश्य तटीय समुदायों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा को बढ़ावा देना, तटीय पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना एवं संधारणीय विकास को बढ़ावा देना है।
- **जलवायु कार्य योजना पर जोर:** वर्तमान समुद्री जल स्तर में वृद्धि का प्राथमिक कारक जलवायु परिवर्तन है। इससे निपटने के लिए कई शहरों और राज्यों के पास कोई योजना नहीं है।

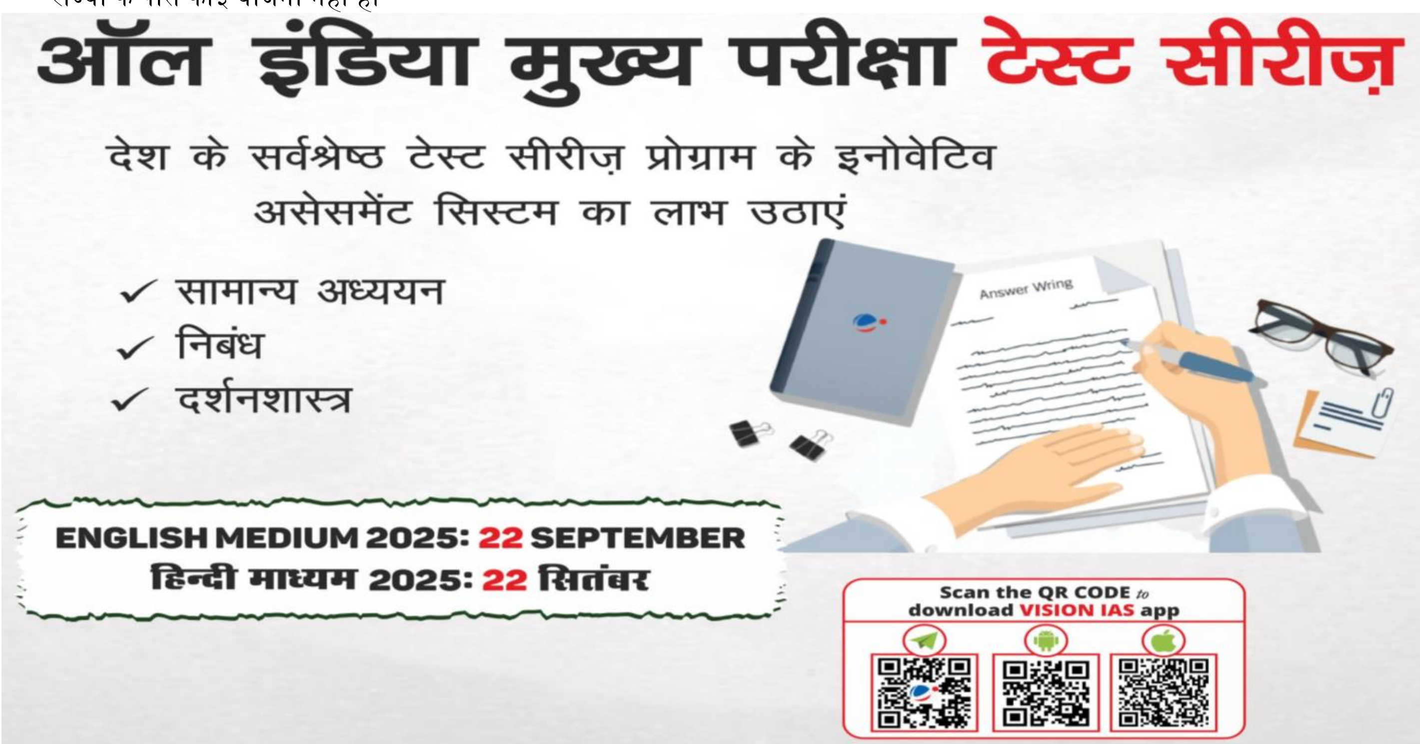

[103] Recovery and Reconstruction

5.4. नदी जोड़ो परियोजना (River Linking Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

महाराष्ट्र सरकार ने **वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी** दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस परियोजना के तहत, **गोदावरी बेसिन में वैनगंगा (गोसीखुर्द) नदी के जल को बुलढाना जिले के नलगंगा (पूर्णा तापी) परियोजना की ओर मोड़ा जाएगा।** इसके लिए 426.52 किलोमीटर लंबी लिंक नहर का निर्माण किया जाएगा।
  - इसके लिए **राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA)**[104] ने **2018 में** विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
  - यह परियोजना **राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (NRLP)**[105] को आगे बढ़ाने में मदद करेगी।
- महाराष्ट्र के राज्यपाल ने **नार-पार-गिरणा घाटी अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना** को भी मंजूरी दी है।
  - नार-पार-गिरणा घाटी लिंक परियोजना **महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तावित एक अंतर-राज्यीय लिंक परियोजना** है।
  - इसके तहत, **पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बेसिन** यानी अंबिका बेसिन, औरंगा बेसिन और नार-पार बेसिन **से महाराष्ट्र के हिस्से के अधिशेष जल** को **पूर्व की ओर बहने वाली यानी तापी बेसिन की गिरणा नदी** की ओर मोड़ने की योजना है।

नदी जोड़ो परियोजना के बारे में

- राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना **(NRLP)**[106] का उद्देश्य देश में जल की अधिशेष मात्रा वाली विभिन्न नदियों को जल की कमी वाली नदियों से जोड़ना है, ताकि अधिशेष जल क्षेत्र से अतिरिक्त जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके।
- **पृष्ठभूमि:** देश की नदियों को जोड़ने के लिए, **राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP)**[107] **अगस्त 1980** में तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) द्वारा तैयार की गई थी।
  - NPP के तहत, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) ने व्यवहार्यता (Feasibility) रिपोर्ट तैयार करते हुए, **30 नदी जोड़ो परियोजनाओं** की पहचान की है। **इसमें प्रायद्वीपीय भारत के लिए 16 और हिमालय क्षेत्र के लिए 14 परियोजनाएं हैं।**
- **2021** में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी। यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना (River Linking Project) है।**

वैनगंगा और नलगंगा (पूर्णा तापी) नदियों के बारे में

- **वैनगंगा नदी:**
  - उद्गम: **महादेव पहाड़ियां (मध्य प्रदेश)।**
  - वैनगंगा और **वर्धा नदी आपस में मिलने के बाद आगे प्राणहिता नदी कहलाती** है।
  - **प्राणहिता नदी गोदावरी नदी की सबसे प्रमुख सहायक** नदी है। प्राणहिता नदी की तीन प्रमुख सहायक नदियां हैं- पेनगंगा, वर्धा और वैनगंगा।
  - यह नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों से होकर बहती है।
- **नलगंगा नदी:**
  - नलगंगा, **पूर्णा नदी में बायीं तरफ से मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक** नदी है।
    - **पूर्णा,** तापी में बायीं तरफ से मिलने वाली इसकी **प्रमुख सहायक नदियों में से एक है।**

नदियों को आपस में जोड़ने के लाभ

- **सिंचाई सुविधा**: राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार, नदियों को आपस में जोड़ने से 35 मिलियन हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। इसमें 25 मिलियन हेक्टेयर भूमि को नहरों से और 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि को भू-जल स्तर में होने वाली वृद्धि से लाभ मिलेगा।
- **जल विद्युत उत्पादन**: राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार, इस परियोजना से लगभग 34000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने में सहायता मिलेगी।
- **जल सुरक्षा:** इससे पेयजल और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जल की उपलब्धता में वृद्धि होगी।
  - **नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक**[108] **के अनुसार,** भारत इतिहास में सबसे गंभीर जल संकट से गुजर रहा है और लगभग 600 मिलियन लोग उच्च से लेकर गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं।

---

[104] National Water Development Agency

[105] National River Linking Project

[106] National River Linking Project

[107] National Perspective Plan

- **अंतर्देशीय जलमार्ग:** एक बार नदियों को आपस में जोड़ने वाली नहरों का निर्माण हो जाने के बाद, उनका उपयोग परिवहन हेतु जलमार्ग के रूप में भी किया जा सकेगा। इससे सड़क/ रेल परिवहन पर बोझ कम होगा।
- **सूखे और बाढ़ से निपटना: विश्व मौसम विज्ञान संगठन** के अनुसार, 2022 में **भारत में बाढ़ से संबंधित आपदाओं के कारण 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक** का आर्थिक नुकसान हुआ।
- **अन्य लाभ:** इसमें रोजगार सृजन, सेवा क्षेत्रक का विकास, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता आदि शामिल हैं।

नदी जोड़ो परियोजना से जुड़ी चुनौतियां

- **राज्यों के मध्य जल विवाद:** नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राज्यों के बीच आम सहमति की आवश्यकता होती है, जो एक मुश्किल कार्य है।
  - **उदाहरण के लिए-** तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का कावेरी जल विवाद।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** कई विशेषज्ञों का मानना है कि नदियों को आपस में जोड़ने से बहुत जटिल प्राकृतिक चक्रों में व्यवधान पैदा हो सकता है। इसका मानसून चक्र और जैव विविधता पर दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
  - **उदाहरण के लिए-** केन नदी में औषधीय प्रयोजन वाली एक विशेष मछली पाई जाती है जो बेतवा नदी में नहीं पाई जाती है। **केन के जल को बेतवा की ओर मोड़ने से स्थानीय जैव विविधता को क्षति** पहुंच सकती है और इसका स्थानीय मछलियों की आबादी पर दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है।
- **वनों का नुकसान: केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए प्रस्तावित दौधन बांध** से **पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों के पर्यावास स्थल का 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र जलमग्न** होने की आशंका है।
- **सामाजिक लागत:** पोलावरम लिंक परियोजना ने लगभग 1 लाख परिवारों को प्रभावित किया है, जिनमें से 80 प्रतिशत परिवार जनजातीय समुदायों से संबंधित हैं। यह परियोजना महानदी-गोदावरी- कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगाई नदियों को आपस जोड़ने वाली परियोजना का एक हिस्सा है।
- **द्विपक्षीय संबंध से जुड़ी चुनौतियां:** गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी हिमालयी नदियां भारत की सीमाओं के पार भी बहती हैं।
- **आर्थिक लागत:** वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना की लागत लगभग 87,342.86 करोड़ रुपये होगी।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स का गठन:** नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने 2015 में एक टास्क फोर्स का गठन किया था।

नदियों को आपस में जोड़ने के संदर्भ में न्यायिक निर्णय

- **नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में (2012):** सुप्रीम कोर्ट ने भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता को मान्यता दी तथा केंद्र सरकार को नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक विशेष समिति गठित करने का निर्देश दिया। यह समिति नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी संभालेगी।

- **नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति का गठन:** इस समिति का गठन वर्ष 2014 में किया गया था। इस समिति ने 3 उप-समितियां बनाई थी:
  - **उप-समिति-I:** यह नदियों को आपस में जोड़ने के मुद्दों से संबंधित अलग-अलग अध्ययनों/ रिपोर्टों के समग्र मूल्यांकन के लिए गठित उप-समिति थी।
  - **उप-समिति-II:** यह सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान करने के लिए "प्रणाली अध्ययन पर गठित उप-समिति[109]" थी।
  - **उप-समिति-III:** यह राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) के पुनर्गठन के लिए गठित उप-समिति थी।
- **अंतर्राज्यीय नदी लिंक पर समूह:** 2015 में, अंतर्राज्यीय नदी लिंक पर एक समूह का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित प्रमुख मुद्दों की समीक्षा करना, अंतर्राज्यीय लिंक को परिभाषित करना तथा संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्त-पोषण संबंधी रणनीतियों का प्रस्ताव तैयार करना था।
- **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड/ NABARD) वित्त-पोषण:** नाबार्ड **दीर्घकालिक सिंचाई निधि** के माध्यम से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के त्वरित सिंचाई लाभान्वित कार्यक्रम[110] घटक के लिए वित्त-पोषण प्रदान करता है।

---

[108] Composite Water Management Index

[109] Sub-Committee for System Studies

निष्कर्ष

नदी जोड़ो परियोजना जल वितरण में क्रांतिकारी बदलाव लाने, कृषि, रोजगार और समग्र विकास को बढ़ावा देने की क्षमता रखती है। यह जल संकट को दूर करके और संसाधनों के न्यायसंगत आवंटन को बढ़ावा देकर, **नए भारत** के लिए एक समृद्ध, संधारणीय भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

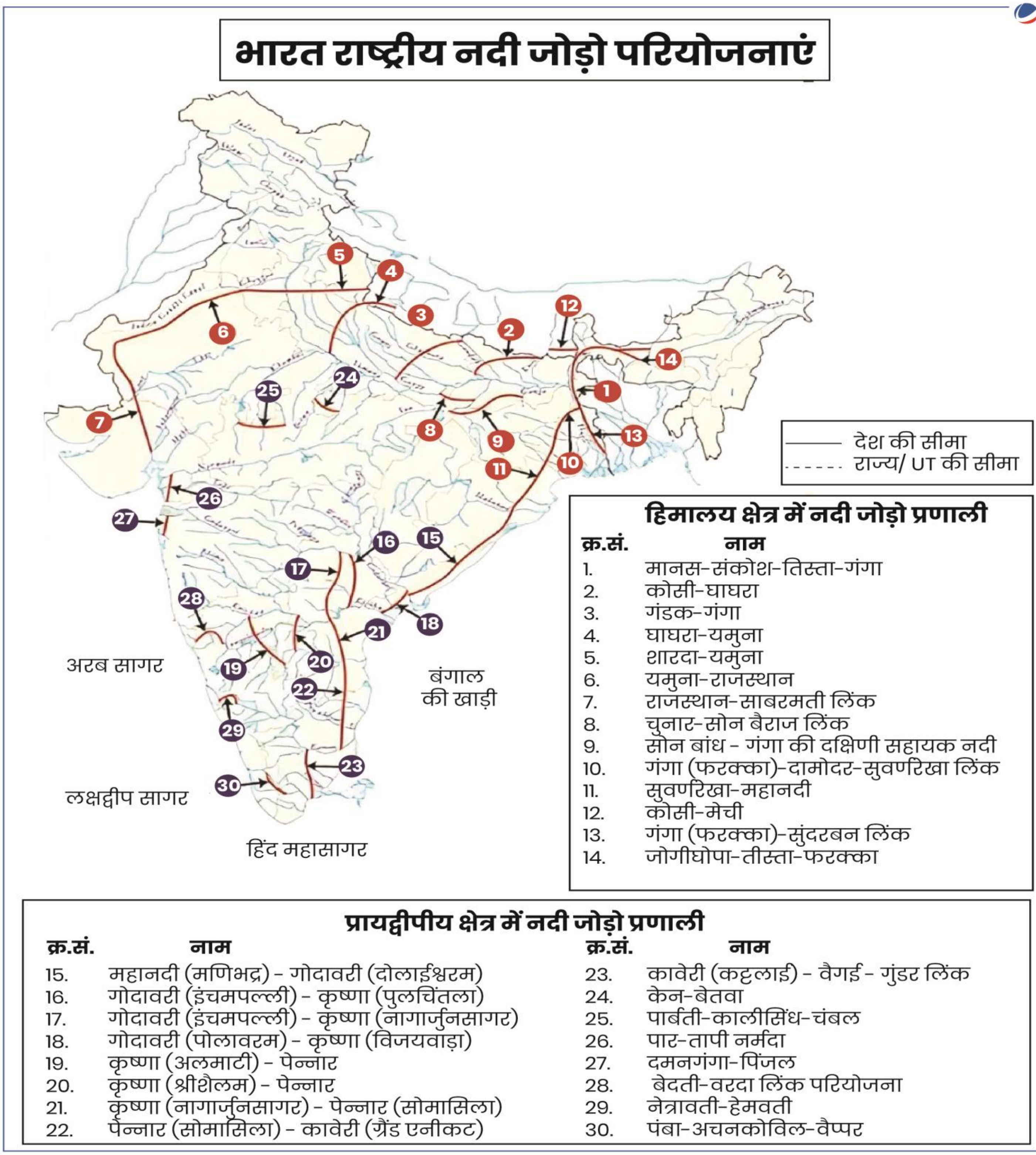

110 Accelerated Irrigation Benefit Programme

5.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.5.1. जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना {State Action Plan on Climate Change (SAPCC)}

दिल्ली सरकार 'जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना' (SAPCC) में व्यापक बदलाव करेगी।

- यह कार्य योजना **मूल रूप से 2019 में** अपनाई गई थी। मौसम की चरम स्थितियों (जैसे इस साल अभूतपूर्व हीट वेव्स और अत्यधिक वर्षा) के कारण दिल्ली की इस कार्य योजना में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

'जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना' (SAPCC) के बारे में:

- राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश जलवायु अनुकूलन और शमन उपायों के माध्यम से **जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य-विशिष्ट मुद्दों** का समाधान करने के लिए संबंधित SAPCC तैयार करते हैं।
  - SAPCCs **संदर्भ-विशिष्ट** होती हैं, जो प्रत्येक राज्य की अलग-अलग पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर विचार करती हैं।
  - SAPCC **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)** के अनुरूप हैं।
    - NAPCC को **2008** में जारी किया गया था। यह भारत के जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए एक **राष्ट्रीय रणनीति की रूपरेखा** तैयार करती है।
    - NAPCC के अंतर्गत **8 राष्ट्रीय मिशन** हैं।

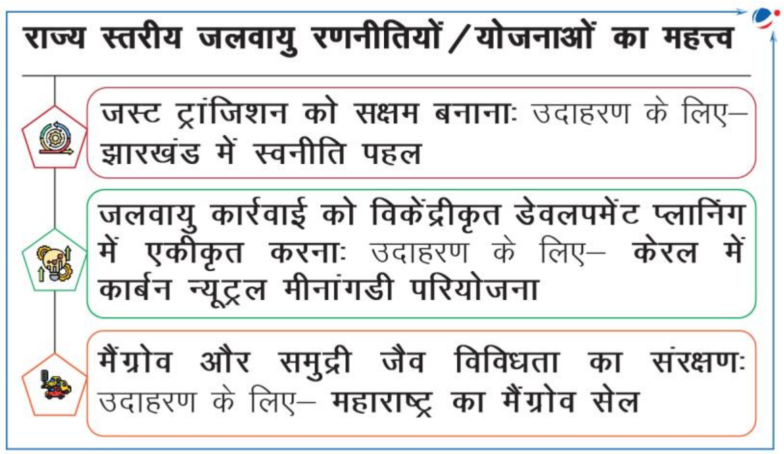

- **वित्त-पोषण:** यह **जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत** किया जाता है।
- **स्थिति:** 34 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक अपना SAPCC तैयार कर लिया है।

कार्यान्वयन में बाधाएं

- SAPCC के टॉप-डाउन दृष्टिकोण और पहले से मौजूद जलवायु परिवर्तन रणनीतियों/ योजनाओं के कारण **नेतृत्व और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी** देखी गई है।
- कार्यान्वयन के स्तर पर **स्पष्टता की कमी** है। कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए सौंपे गए कार्य विशिष्ट और स्पष्ट नहीं हैं।
- आवश्यक संसाधनों की कमी है, क्योंकि राज्य ने यह मान लिया था कि वित्त-पोषण केंद्र सरकार/ अन्यत्र स्रोतों से प्राप्त होगा।

आगे की राह

- **अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त** संभावित रूप से अनुकूलन की अतिरिक्त लागतों को कवर कर सकता है।
- जलवायु परिवर्तन के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करने हेतु प्रत्येक प्रमुख विभाग के तहत **नोडल अधिकारियों की नियुक्ति** करनी चाहिए। इससे संस्थागत बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी।
- **विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार** करनी चाहिए और योजना को **नियमित रूप से अपडेट** भी करना चाहिए।

5.5.2. सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक (Gross Environment Product Index)

उत्तराखंड **सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक (GEPI)** शुरू करने वाला **देश का पहला राज्य** बन गया है।

सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक (GEPI) के बारे में:

- यह मानवीय उपायों की वजह से होने वाले पारिस्थितिकी विकास का मूल्यांकन करने का एक नया तरीका है।
- **GEPI के चार पिलर्स हैं:** वायु, मृदा, पेड़ और जल।

- **मूल्यांकन का तरीका**:
  - **GEP सूचकांक** = (वायु-**GEPI** सूचकांक + जल-**GEPI** सूचकांक + मृदा-**GEPI** सूचकांक + वन-**GEPI** सूचकांक)
- **GEPI का महत्त्व**:
  - यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों पर मानवीय गतिविधियों के दबाव और उनके प्रभाव का आकलन करने में मदद करता है।
  - यह इस बात भी गणना करता है कि हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं।
  - यह **अर्थव्यवस्था और समग्र कल्याण में प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के योगदान** की भी गणना करता है।

5.5.3. विश्व बैंक ने "शिक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव" रिपोर्ट जारी की (World Bank Released "The Impact of Climate Change on Education" Report)

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इससे उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ने (Dropout) की दर बढ़ती जा रही है।

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दुओं पर एक नज़र:

- **जलवायु नीति एजेंडा में शिक्षा की उपेक्षा की गई है:** 2020 में जलवायु संबंधी आधिकारिक विकास सहायता का **1.3% से भी कम हिस्सा शिक्षा क्षेत्रक** को प्राप्त हुआ था। इसके अलावा, **औसतन तीन NDCs** यानी **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में से एक से भी कम** में शिक्षा क्षेत्रक का उल्लेख किया गया है।
- **स्कूलों का बंद होना:** 2005-2024 के दौरान, **चरम मौसम की कम-से-कम 75% घटनाओं के बाद स्कूल बंद** कर दिए गए थे। इससे **50 लाख या अधिक बच्चों की शिक्षा प्रभावित** हुई थी।
  - दुनिया भर में **99% से अधिक बच्चे कम-से-कम एक प्रमुख जलवायु और पर्यावरणीय खतरे, आपदाओं आदि का सामना** करते हैं।
- **बढ़ते तापमान का लर्निंग आउटकम पर नकारात्मक प्रभाव:** परीक्षा के दिनों में **आउटडोर तापमान में केवल 1°C की वृद्धि से भी परीक्षा स्कोर में भारी गिरावट** आ सकती है।
  - उदाहरण के लिए- ब्राजील की ऐसी 10% नगरपालिकाओं में, जहां बहुत अधिक तापमान रहता है, बढ़ती गर्मी के कारण छात्रों का प्रतिवर्ष लगभग 1% लर्निंग नुकसान होता है।
- **बढ़ते खाद्य संकट और आर्थिक तंगी के कारण स्कूलों में नामांकन कम होने का खतरा उत्पन्न हो गया है:** जलवायु परिवर्तन के कारण 2080 तक 170 मिलियन लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। इससे कई छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी।
- **लड़कियों की पढाई को विशेष नुकसान:** जलवायु संबंधी घटनाएं निम्न और मध्यम आय वाले देशों में **कम-से-कम 4 मिलियन लड़कियों को अपनी शिक्षा पूरी करने से रोक सकती हैं।**

शिक्षा प्रणाली को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने हेतु उपाय

- **जलवायु परिवर्तन के अनुकूल शिक्षा प्रबंधन:** आपदाओं की अर्ली वार्निंग सिस्टम में निवेश करना चाहिए। उदाहरण के लिए- **InaRISK मोबाइल ऐप इंडोनेशिया में छात्रों और कर्मचारियों को आपदाओं के बारे में ज्ञान में वृद्धि** कर रहा है।
- **जलवायु परिवर्तन के अनुकूल स्कूली अवसंरचनाएं:** स्कूल की बिल्डिंग को आपदाओं को सहने लायक बनाने के लिए उन्हें मजबूत करना चाहिए। उदाहरण के लिए- **रवांडा में बाढ़ और वर्षा-तूफान से होने वाले भूस्खलन के प्रभाव को कम करने के लिए स्कूल के चारों ओर रिटेनिंग दीवारें** बनाई जा रही हैं।
  - **कक्षा में तापमान को कम रखने के लिए उपाय** करने चाहिए। उदाहरण के लिए- केन्या में **"ग्रीन इकोनॉमी स्ट्रेटजी एंड इंप्लीमेंटेशन प्लान"** अपनाई गई है। यह योजना **बायोक्लाइमेटिक डिजाइन** को बढ़ावा दे रही है **तथा अधिक गर्मी के दौरान छात्रों को राहत प्रदान** कर रही है।
    - **बायोक्लाइमेटिक अवसंरचना:** इसके तहत स्थानीय जलवायु को ध्यान में रखकर इमारतों को डिजाइन किया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग करके अधिक गर्मी के दौरान राहत प्रदान करना है।
- **जलवायु आपदाओं की स्थिति में भी स्कूली शिक्षा जारी रखना:** जलवायु संबंधी आपदाओं के दौरान जितना संभव हो सके स्कूलों को खुला रखना चाहिए। साथ ही, रिमोट लर्निंग व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए।
  - उदाहरण के लिए- **घाना के "बैक-टू-स्कूल" अभियान के चलते कोविड-19 के बाद घाना में लगभग 100% पुनः नामांकन** की उपलब्धि हासिल की गई है।

5.5.4. जलवायु वित्त कार्रवाई निधि {Climate Finance Action Fund (CFAF)}

अज़रबैजान ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP-29 के लिए पहलों के पैकेज में रूप में **"जलवायु वित्त कार्रवाई निधि"** शुरू की है।

जलवायु वित्त कार्रवाई निधि (CFAF) के बारे में

- **मुख्यालय:** बाकू (अज़रबैजान)।
- **उद्देश्य:**
  - यह निधि **विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं की सहायता** करेगी;
  - ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs)** के अगले चरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी और
  - प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों से निपटेगी।
- CFAF को **जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों तथा तेल, गैस और कोयले की कंपनियों से वित्त-पोषण** प्राप्त होगा।
- CFAF द्वारा **1 बिलियन डॉलर की आरंभिक राशि जुटाने के बाद तथा इसमें योगदान देने वाले 10 देशों द्वारा शेयरधारक के रूप में प्रतिबद्धता** जताने के बाद यह निधि लागू हो जाएगी।

5.5.5. EU नेचर रिस्टोरेशन लॉ (EU Nature Restoration Law)

हाल ही में, **EU नेचर रिस्टोरेशन लॉ** लागू हो गया है।

इस कानून के बारे में

- प्रकृति की पुनर्बहाली के लिए **यह यूरोपीय संघ का पहला महाद्वीप-व्यापी कानून** है।
- **उद्देश्य:** इसका लक्ष्य **2030 तक यूरोपीय संघ के कम-से-कम 20% भूमि और समुद्री क्षेत्रों को रिकवर** करना है। साथ ही, अंततः पुनर्स्थापन की आवश्यकता वाले सभी पारिस्थितिकी-तंत्रों को **2050 तक रिकवर** करना है।
- कानून के तहत EU के सदस्य देशों को **1 सितंबर 2026 तक नेशनल रिस्टोरेशन प्लान** तैयार करने की आवश्यकता होगी।
- कानून में **'नेचुरा 2000 नेटवर्क'** क्षेत्रों के संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है।
  - **नेचुरा 2000** यूरोपीय संघ में संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क है।
- **कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य:**
  - **2030 तक 30% स्थलीय, तटीय, ताजा जल, शुष्क पीटलैंड्स और समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र को पुनर्बहाल** करना।
  - नदियों को **25,000 किलोमीटर तक मुक्त-प्रवाह वाली स्थिति में पुनर्बहाल** करना।
  - **2030 तक 3 बिलियन अतिरिक्त वृक्ष** लगाना।

5.5.6. एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन (Aquatic Deoxygenation)

विशेषज्ञों ने "एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन (AD) को एक नई ग्रहीय सीमा के रूप में मान्यता देने" का मत प्रकट किया है।

- एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन वास्तव में **समुद्री और तटीय जल में ऑक्सीजन की मात्रा में समग्र गिरावट** है। ऐसा तब होता है, जब ऑक्सीजन की खपत ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति या आपूर्ति से अधिक हो जाती है।

एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन की स्थिति

- **महासागर:** 1960 के दशक से लेकर अब तक समुद्र में **ऑक्सीजन की मात्रा में लगभग 2% की कमी** आई है।
  - **तटीय जल** में 500 से अधिक ऐसी जगहें चिन्हित की गई हैं, जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम है।
- **अन्य जल निकाय:** 1980 के बाद से **झीलों और जलाशयों** में ऑक्सीजन की मात्रा में क्रमशः **5.5% तथा 18.6% की कमी** आई है।

एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन को ग्रहीय सीमा (Planetary Boundary) के रूप में मानने के लिए जिम्मेदार कारण

- **ग्रीन हाउस गैस (GHG) के कारण होने वाली ग्लोबल वार्मिंग:** तापमान में वृद्धि से जल में **ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम** हो जाती है।
    - इसके अलावा, समुद्र की गर्म सतह वाली परतें ऑक्सीजन को समुद्र की गहराई में जाने से रोकती हैं। इससे **गहरे समुद्र के जल में ऑक्सीजन का स्तर कम** हो जाता है।
- **सुपोषण (Eutrophication):** किसी जल निकाय में मानवजनित स्रोतों (जैसे कृषि) से पोषक तत्वों के अत्यधिक जमाव से **शैवालों का विकास** होता है और उसमें ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है।

पारिस्थितिकी-तंत्र पर प्रभाव

- **समुद्र में डेड जोन्स की संख्या में बढ़ोतरी** हो सकती है और **महासागरीय हाइपोक्सिया प्रभाव** भी उत्पन्न हो सकता है।
    - हाइपोक्सिया प्रभाव में **समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम** हो जाती है।
- मात्स्यिकी के लिए **पर्यावास संपीडन (Habitat compression)** की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे **बायोमास व प्रजातियों को नुकसान** हो सकता है। पर्यावास संपीडन का अर्थ **उपयुक्त अधिवास की गुणवत्ता और विस्तार में कमी** आना है।
- एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन **पृथ्वी की जलवायु के विनियमन और मॉड्यूलेशन** को प्रभावित करता है। ऐसा **माइक्रोबायोटिक प्रक्रियाओं द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन** के कारण होता है।
- **शिकार की कमी और महासागर के अम्लीकरण** जैसे अन्य कारकों के चलते **समुद्री खाद्य जाल में परिवर्तन** हो रहा है।

ग्रहीय सीमाएं (Planetary boundaries) क्या हैं?

- ग्रहीय सीमाएं **पृथ्वी प्रणाली पर मानव जनित गतिविधियों के प्रभावों की सीमाओं** का वर्णन करने के लिए एक फ्रेमवर्क है।
    - इन सीमाओं का उल्लंघन होने पर **पर्यावरण स्व-विनियमन करने में असमर्थ** हो जाता है।
- जलवायु परिवर्तन, महासागरीय अम्लीकरण, भूमि उपयोग परिवर्तन, जैव-विविधता हानि जैसी **9 मान्यता प्राप्त ग्रहीय सीमाएं** हैं।

5.5.7. रामसर सूची में 3 और भारतीय आर्द्रभूमियां शामिल की गई (India's Three More Wetlands Added To Ramsar Sites List)

भारत की तीन और आर्द्रभूमियां रामसर साइट्स की सूची में शामिल की गईं।

- **ये तीन नई आर्द्रभूमियां हैं:**

आर्द्रभूमि	विशेषताएं
नंजरायण पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु)	• नंजरायण झील एक बड़ी **उथली आर्द्रभूमि** है। इसका नाम **राजा नंजरायण** के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसके जीर्णोद्धार और मरम्मत का कार्य करवाया था। • इसमें जल की आपूर्ति मुख्य रूप से **वर्षा द्वारा नल्लर नदी में पहुंचने वाले जल से होती** है। • यह आर्द्रभूमि स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के लिए **भोजन और पर्यावास** प्रदान करती है। साथ ही, यह कृषि के लिए जल का एक मुख्य स्रोत भी है।
कजुवेली पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु)	• यह पांडिचेरी के उत्तर में **कोरोमंडल तट पर** स्थित खारे पानी की उथली झील है। • यह झील **उप्पुकल्ली क्रीक** और **एडयंथिट्टु एश्चुरी** द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। • यह **प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे** में स्थित है। • यह पक्षियों व मछलियों के लिए प्रजनन हेतु पर्यावास स्थल के साथ-साथ **जलभृत पुनर्भरण का भी स्रोत** है। यहां **अत्यधिक क्षीण हो चुके मैंग्रोव क्षेत्र में एविसेनिया प्रजाति के मैंग्रोव भी पाए जाते** हैं।
तवा जलाशय (मध्य प्रदेश)	• यह **सतपुड़ा टाइगर रिजर्व** के क्षेत्र में आता है। यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर अवस्थित है। • यह **तवा और देनवा नदियों के संगम** पर निर्मित एक जलाशय है। ◦ तवा नदी, नर्मदा नदी में बायीं तरफ से मिलने वाली एक सहायक नदी है। यह महादेव पहाड़ियों से निकलती है। ◦ **इस जलाशय में** जल की आपूर्ति के अन्य मुख्य स्रोत **मालनी, सोनभद्र और नागद्वारी** नदियां हैं।

आर्द्रभूमियों के बारे में:

- ये जल के समृद्ध भू-क्षेत्र होते हैं।
- रामसर साइट में शामिल होने के लिए किसी आर्द्रभूमि को निर्धारित **9 मानदंडों में से कम-से-कम 1 को पूरा** करना होता है। इन मानदडों में **नियमित रूप से 20,000 या उससे अधिक जलीय पक्षियों को आश्रय प्रदान करना,** या **जैविक विविधता का संरक्षण करना,** आदि शामिल हैं।
- वर्तमान में, **भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या 85** हो गई है। **रामसर साइट्स की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में हैं।**

5.5.8. "द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव्स 2024" रिपोर्ट ("The State of The World's Mangroves 2024" Report)

यह रिपोर्ट **विश्व मैंग्रोव दिवस** पर जारी की गई है। ध्यातव्य है कि **प्रतिवर्ष 26 जुलाई को विश्व मैंग्रोव दिवस** मनाया जाता है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **विश्व के लगभग एक तिहाई मैंग्रोव वन दक्षिण-पूर्व एशिया** में पाए जाते हैं। इसके बाद **पश्चिम और मध्य अफ्रीका** का स्थान आता है।
  - अकेले **इंडोनेशिया में विश्व के 21% मैंग्रोव वन** मौजूद हैं।
- मैंग्रोव पारितंत्र पर IUCN रेड लिस्ट के अनुसार, **विश्व के आधे मैंग्रोव क्षेत्र या प्रोविंस वर्तमान में संकटग्रस्त** हैं।
- IUCN के अनुसार **लक्षद्वीप समूह और तमिलनाडु के तटीय मैंग्रोव क्रिटिकली एंडेंजर्ड** श्रेणी में हैं।
- **मैंग्रोव को नुकसान पहुंचाने वाले कारक**
  - **जलवायु परिवर्तन** सबसे बड़े खतरों में शामिल है। जलवायु परिवर्तन की वजह से **समुद्री जल स्तर में वृद्धि** हो रही है और **चक्रवाती तूफ़ानों की प्रबलता** बढ़ रही है। ये सभी मैंग्रोव वनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
  - **औद्योगिक उपयोग के लिए झींगा जलीय कृषि (Shrimp aquaculture) को बढ़ावा** दिया जा रहा है। इस वजह से **आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं गुजरात** के मैंग्रोव वनों को नुकसान पहुंच रहा है।
  - मैंग्रोव वनों को काटकर उस क्षेत्र को **ऑयल पाम के बागानों और चावल के खेतों** में बदला जा रहा है। इन वजहों से 2000-2020 के बीच लगभग **43% मैंग्रोव वन** नष्ट हो गए हैं।

***नोट:** मैंग्रोव के बारे में और अधिक जानने के लिए,* मई, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 5.3 देखें।

5.5.9. मीथेनोट्रोफ्स (Methanotrophs)

आघारकर अनुसंधान संस्थान ने भारत में **मेथिलोकुमिस ओराइजी** नामक स्वदेशी मीथेनोट्रोफ़्स प्रजाति का पता लगाया है।

- इसे **'मीथेन इटिंग क्यूकम्बर'** नाम दिया गया है।

मीथेनोट्रोफ़्स (मीथेन का उपभोग करने वाले बैक्टीरिया) के बारे में:

- ये बैक्टीरिया **मीथेन को ऑक्सीकृत** करते हैं और अपना बायोमास हासिल करते हैं।
- **पर्यावास:** आर्द्रभूमि, धान के खेत, तालाब और अन्य जल निकाय।
- **बायोफिल्टरिंग:** ये बैक्टीरिया अवायवीय दशाओं में उत्पादित मीथेन को ऑक्सीकृत कर सकते हैं।
  - जब मिट्टी में ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो वायुमंडलीय मीथेन भी ऑक्सीकृत हो जाती है।
  - ये बैक्टीरिया मीथेन को प्राकृतिक तरीक़े से कम करने वाले एजेंट की तरह काम करते हैं।
- **महत्त्व:** मिट्टी और वायुमंडल में मीथेन की मात्रा को कम करके ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में सहायक।

5.5.10. सेरोपेगिया शिवरायियाना (Ceropegia Shivrayiana)

कोल्हापुर के विशालगढ़ क्षेत्र में सेरोपेगिया जीनस का **फूल देने वाला एक नया पादप** खोजा गया है। इसे **सेरोपेगिया शिवरायियाना** नाम दिया गया है।

- इस पादप का नाम **छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर** रखा गया है।

सेरोपेगिया शिवरायियाना के बारे में

- यह भारत में पाया जाने वाला एक प्रकार का दुर्लभ पादप है। इस पादप में अनोखे और **ट्यूबनुमा फूल खिलते** हैं, जो पतंगों (Moths) को आकर्षित करते हैं।

- **प्राप्ति स्थल: चट्टानी जगहों** पर पाए जाते हैं। ये पादप कम पोषक तत्वों वाली मिट्टी में भी उग सकते हैं।
- **पादप फैमिली**: यह **एस्क्लेपिएडेसी फैमिली** का सदस्य है। इस फैमिली में कई **औषधीय पादप** शामिल हैं।
- **समानता:** यह पादप प्रजाति **सेरोपेगिया लावी हुकर एफ.** के समान है। हालांकि, नई प्रजाति में कुछ विशेष गुण मौजूद हैं- जैसे-आस-पास की संरचनाओं पर लता की तरह फैल जाना, और रोएंदार डंठल पैदा करना।
- **खतरा:** जहां ये पाए जाते हैं, उन जगहों का अतिक्रमण।

5.5.11. नीलकुरिंजी (Neelakurinji)

IUCN (इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर) ने नीलकुरिंजी को संकटग्रस्त प्रजातियों की आधिकारिक लाल सूची में शामिल किया है। इसे लाल सूची में **वल्नरेबल श्रेणी** में सम्मिलित किया गया है।

नीलकुरिंजी (स्ट्रोबिलैंथेस कुंतियाना)

- **इसके बारे में:** यह **एक झाड़ी है।** इस पर **हर 12 साल में एक बार** फूल खिलते है। इसकी प्रकृति **सेमलपेरस** (Semelparous) है, यानी यह पादप अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार प्रजनन करता है।
- **अवस्थिति:** यह पादप पश्चिमी घाट के शोला घास के मैदान (नीलगिरि पहाड़ियां, पलानी पहाड़ियां और मन्नार की एराविकुलम पहाड़ियां) तथा पूर्वी घाट में शेवराय पहाड़ियों में पाया जाता है।
  - **नीलगिरि पहाड़ियों का नाम भी कुरिन्जी के नीले रंग** से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'नीला पर्वत' है।
- **प्रमुख खतरे:** चाय और नरम लकड़ी के वृक्ष बागानों तथा शहरों का विस्तार नीलकुरिंजी के पर्यावास को सीमित कर रहा है। इसके अलावा **यूकेलिप्टस, ब्लैक वेटल** जैसी विदेशी प्रजातियां भी नीलकुरिंजी को नुकसान पहुंचा रही है ।

5.5.12. एशियाई आपदा तैयारी केंद्र {Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC)}

भारत 2024-25 के लिए ADPC की अध्यक्षता करेगा। भारत से पहले इसकी अध्यक्षता **पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना** कर रहा था।

ADPC के बारे में

- यह स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका कार्य **एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जलवायु लचीलेपन के निर्माण** में सहयोग करना तथा लागू करना है।
- **भारत और इसके 8 पड़ोसी** देशों ने मिलकर ADPC की स्थापना की थी।
- इसकी स्थापना **1986 में बैंकॉक, थाईलैंड में एक क्षेत्रीय आपदा तैयारी केंद्र (DMC)** के रूप में की गई थी।

5.5.13. एकीकृत अग्नि प्रबंधन (IFM) स्वैच्छिक दिशा-निर्देश अपडेट {Integrated Fire Management (IFM) Voluntary Guidelines Updates}

दो दशकों के बाद, FAO ने **जंगल की आग के जोखिमों के प्रबंधन** के लिए अपने एकीकृत अग्नि प्रबंधन (IFM) स्वैच्छिक दिशा-निर्देशों को अपडेट किया है।

- ये नए दिशा-निर्देश **ग्लोबल फायर मैनेजमेंट हब (GFMH)** ने तैयार किए हैं। इस हब को 2023 में **FAO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** ने लॉन्च किया था।

एकीकृत अग्नि प्रबंधन (IFM) के प्रमुख सिद्धांत

- **आर्थिक:** एक दक्ष IFM कार्यक्रम लागू करके आग के उपयोग से (जैसे झूम कृषि में) समुदायों को प्राप्त होने वाले लाभ को अधिकतम करना और जंगल की आग से होने वाले नुकसान को कम करना।
- **पर्यावरण:** आग लगने की घटनाओं को रोकने या उससे बचाव संबंधी योजना निर्माण एवं प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन, वनस्पति और जंगल की आग के पैटर्न के बीच के संबंधों पर विचार करना।
- **समानता:** महिलाओं सहित सभी समुदायों व हितधारकों को शामिल करके आग के प्रभावों पर विचार करना। ऐसा इस कारण, क्योंकि जंगल की आग महिलाओं को अलग तरह से प्रभावित कर सकती है। वनों के निकट रहने वाले समुदायों की महिलाओं पर वनोपज इकट्ठा करने व कृषि कार्य करने की जिम्मेदारी होती है।

- **मानव स्वास्थ्य:** जंगल की आग के खतरे का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए आग लगने का शीघ्र पता लगाने और लोगों को सचेत करने के लिये चेतावनी प्रणालियों का उपयोग करना चाहिए। साथ ही, आग लगने की गंभीरता और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव की रेटिंग (ग्रेडिंग) के साथ विश्वसनीय मौसम पूर्वानुमानों को अपनाने की जरूरत है।

एकीकृत अग्नि प्रबंधन (IFM) की मुख्य रणनीतिक कार्रवाई

- **एकीकृत अग्नि प्रबंधन:** जंगल की आग के लगने से पहले, उसके दौरान और बाद में कार्रवाई करना। साथ ही, आग को बुझाते समय और उपकरणों का उपयोग करते समय यह सावधानी बरतना कि संबंधित क्षेत्र में किसी आक्रामक प्रजाति का प्रवेश न हो।
- **नियोजित आग:** यह जंगल की आग की रोकथाम का एक घटक है। इसमें वनाग्नि पर निर्भर पारिस्थितिक-तंत्र में तय मापदंडों के तहत निम्न स्तर पर आगजनी की अनुमति दी जाती है।
- **अग्नि जागरूकता कार्यक्रम:** ऐसे कार्यक्रम तैयार करना चाहिए जो कृषि, वानिकी और पारंपरिक उद्देश्यों के लिए आग के उपयोग सहित सांस्कृतिक तथा सामाजिक मानदंडों का भी सम्मान करें।

वनाग्नि/वाइल्डफायर के बारे में

- **प्रतिवर्ष वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्र:** पृथ्वी की सतह का लगभग 340 से 370 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र हर साल वनाग्नि से जल जाता है।
- **वनाग्नि की घटनाओं की संख्या:** इस सदी के अंत तक वनाग्नि संबंधी चरम घटनाओं में लगभग 50% की वृद्धि होने की संभावना है।
- **जलवायु का प्रभाव:** सूखे की बढ़ती घटनाओं, उच्च तापमान और तेज़ हवाओं के कारण वनाग्नि की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी।
- **वनाग्नि के परिणाम:** इससे संधारणीय विकास को नुकसान पहुंचता है; आजीविका के समक्ष संकट उत्पन्न होता है और उच्च मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है।

- **ज्ञान का आदान-प्रदान:** नीतियों, विनियमों और कार्य-पद्धतियों में सुधार के लिए वैज्ञानिकों, देशज लोगों तथा स्थानीय विशेषज्ञों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए।

5.5.14. ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (GTTP) के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) लॉन्च की गई {SOP For Green Tug Transition Program (GTTP) Launched}

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने **'ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (GTTP)'** के लिए SOP का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया। यह ऐतिहासिक पहल **पारंपरिक ईंधन आधारित हार्बर टग से हरित, अधिक टिकाऊ विकल्पों की ओर परिवर्तन** को बढ़ावा देगी।

- टग एक **विशेष श्रेणी की नाव** होती है, जो **बड़े जहाजों को बंदरगाह में प्रवेश करने या प्रस्थान करने में मदद** करती है।

GTTP के बारे में

- GTTP की **घोषणा 2023** में की गई थी। यह **'पंच कर्म संकल्प'** के तहत एक प्रमुख पहल है। GTTP को **भारत के बड़े बंदरगाहों में संचालित** पारंपरिक ईंधन आधारित हार्बर टग के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और उन्हें स्वच्छ एवं अधिक टिकाऊ वैकल्पिक ईंधन से संचालित ग्रीन टग से बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    - **'पंच कर्म संकल्प'** में **5 प्रमुख घोषणाएं** शामिल हैं। इन घोषणाओं में **ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए 30% वित्तीय सहायता; नदी और समुद्री परिभ्रमण की सुविधा व निगरानी के लिए सिंगल विंडो पोर्टल** आदि शामिल हैं।

ग्रीन शिपिंग की आवश्यकता क्यों है?

- शिपिंग यानी पोत परिवहन क्षेत्रक की विश्व के **CO_2 उत्सर्जन में लगभग 3% हिस्सेदारी** है।
- भारत के मामले में समुद्री परिवहन (सैन्य अभियानों को छोड़कर) से होने वाले ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जन का **समग्र परिवहन क्षेत्रक से होने वाले GHG उत्सर्जन में 1% का योगदान** है।

शिपिंग के विकार्बनीकरण में चुनौतियां

- **जीवाश्म ईंधन पर अधिक निर्भरता:** अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग क्षेत्रक की **ऊर्जा की लगभग 99% मांग जीवाश्म ईंधन से पूरी** होती है।
- **ट्रांजिशन की लागत:** उदाहरण के लिए- LNG ईंधन के उपयोग हेतु मौजूदा अवसंरचना में व्यापक बदलाव की आवश्यकता होगी। ऐसा इस कारण, क्योंकि इसके लिए **क्रायोजेनिक तापमान पर ईंधन के भंडारण** की आवश्यकता होती है।
- **अन्य:** अपर्याप्त बंदरगाह सुविधाओं के कारण **गैर-किफायती जलीय मार्ग को अपनाना पड़ता है और ईंधन की अधिक खपत होती है; अंतर्राष्ट्रीय जल में विनियमों को लागू करने में कठिनाई** आदि।

मुख्य पहलें

वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलें

- **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा संशोधित ग्रीनहाउस गैस (GHG) रणनीति**: इसके तहत 2050 तक या उसके आसपास नेट ज़ीरो उत्सर्जन का एक क्षेत्रक आधारित लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **ग्रीन वॉयेज 2050**: यह 2023 IMO–GHG रणनीति के अनुरूप **जहाजों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में विकासशील देशों को सहायता** करने वाला वैश्विक कार्यक्रम है।

भारत द्वारा शुरू की गई पहलें

- **सागरमाला कार्यक्रम**: यह कार्यक्रम हरित बंदरगाह पहल और तटीय सामुदायिक विकास पर जोर देते हुए **बंदरगाह आधारित विकास पर ध्यान** केंद्रित करता है।
- **मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030**: यह भारत में **हरित बंदरगाहों और ग्रीन शिपिंग के विकास** पर ध्यान केंद्रित करता है।

5.5.15. पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन फॉर सर्विसेज {Polar Coupled Analysis and Prediction for Services (PCAPS)}

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने आर्कटिक और अंटार्कटिका में मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए **PCAPS परियोजना** शुरू की है।

PCAPS के बारे में

- **उद्देश्य**: आर्कटिक और अंटार्कटिका के **मौसम, जल, बर्फ एवं जलवायु के बारे में जानकारी को बढ़ाना तथा जानकारी की गुणवत्ता में सुधार** करना।
- यह **प्रेक्षण प्रणाली और अर्थ सिस्टम मॉडल विकसित करने तथा बेहतर पूर्वानुमान सेवाएं उपलब्ध कराने** में मदद करेगा।
- PCAPS, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के **विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम (WWRP)** का हिस्सा है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन के WWRP के बारे में

- **इसके निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं:**
  - **'साइंस फॉर सर्विस'** वैल्यू सायकल अप्रोच के माध्यम से पृथ्वी प्रणाली पर शोध को आगे बढ़ाना;
  - चरम मौसम के प्रभावों में निरंतर बदलावों को ध्यान में रखते हुए **चेतावनी प्रक्रिया में सुधार** करना।

5.5.16. वायुमंडलीय नदियां (Atmospheric rivers)

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण **वायुमंडलीय नदियों की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि** हो रही है। यह वृद्धि अत्यधिक वर्षा की घटनाओं का कारण बन रही है और मौसम के पैटर्न को खराब कर रही है।

वायुमंडलीय नदियां (Atmospheric rivers)

- वायुमंडलीय नदियों को **'फ्लाइंग रिवर्स'** भी कहा जाता है। ये वायुमंडल में **अपेक्षाकृत लंबे व संकीर्ण क्षेत्र** होते हैं, जो अधिकांश जल वाष्प को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर ले जाते हैं।
  - एक औसत वायुमंडलीय नदी **लगभग 2,000 कि.मी. लंबी, 500 कि.मी. चौड़ी और लगभग 3 कि.मी. गहरी** होती है।
- वायुमंडलीय नदियां **बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात (Extratropical Cyclones) प्रणाली का हिस्सा** हैं। ये चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर ताप और आर्द्रता का परिवहन करते हैं।
  - वायुमंडलीय नदियां आमतौर पर **बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवातों** के शीत वाताग्र के आगे निचले वायुमंडल में प्रबल वेग से चलने वाली जेट स्ट्रीम के क्षेत्र में मौजूद होती हैं।

- इन्हें पृथ्वी पर **ताजे जल के सबसे बड़े परिवहन तंत्र** के रूप में माना जाता है। ये **उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों तक 90% आर्द्रता के स्थानांतरण** के लिए जिम्मेदार हैं।
- हालांकि, कई वायुमंडलीय नदियां कमजोर तंत्र हैं, जबकि कुछ **बड़ी और मजबूत वायुमंडलीय नदियां अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़** का कारण बन सकती हैं, जिनसे भूस्खलन और विनाशकारी क्षति हो सकती है।

जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय नदियां

- तापमान में वृद्धि के साथ, **वायुमंडल की आर्द्रता धारण क्षमता में वृद्धि** हो जाती है। इसके कारण **वर्षा की तीव्रता** भी बढ़ जाती है।
- सन 2100 तक, **वायुमंडलीय नदियों के वैश्विक स्तर पर और अधिक गहन होने का अनुमान** है। साथ ही, ये बहुत अधिक चौड़ी व लंबी भी होंगी।
- **गहन वायुमंडलीय नदियां वर्षा-निर्भर क्षेत्रों से वर्षा को कम या लगभग समाप्त करके वहां सूखे जैसी स्थिति** भी पैदा कर सकती हैं।

भारत पर वायुमंडलीय नदियों का प्रभाव

- 1985 और 2020 के बीच **मानसून के मौसम में भारत की 10 सबसे गंभीर बाढ़ों में से 7 वायुमंडलीय नदियों से ही जुड़ी** थीं।
- **सिंधु-गंगा के मैदानों में कोहरे और धुंध के विस्तार व गहनता में वृद्धि को बढ़ते प्रदूषण एवं जल वाष्प** से जोड़ा गया है। ये जलवाष्प वायुमंडलीय नदियों की ही देन हैं।
- **हिंदुकुश, काराकोरम और हिमालय** पर्वत श्रृंखलाओं में बर्फ की परत में कमी आ रही है, क्योंकि **वर्षा में वृद्धि होने से बर्फ पिघलने की गति बढ़** रही है।

5.5.17. हिंद महासागर की तीन संरचनाओं के नाम भारत के प्रस्ताव पर अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया (Indian Ocean Structures Named Ashok, Chandragupt and Kalpataru)

हिंद महासागर में **एक सीमाउंट और दो रिज** के नाम क्रमश: **अशोक सीमाउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज** रखा गया है। इन नामों को **इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक आर्गेनाइजेशन (IHO) और यूनेस्को के अंतर-सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (IOC)** ने मंजूरी दे दी है।

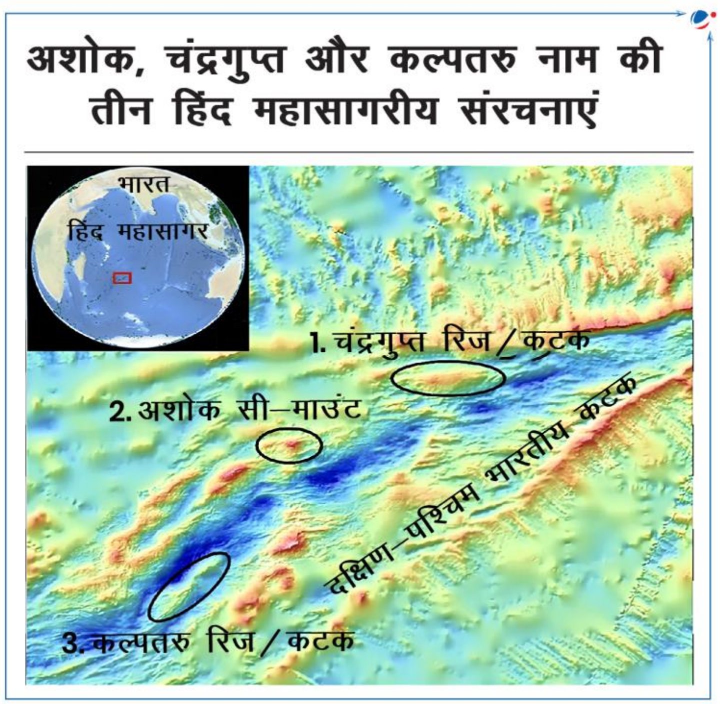

- ये संरचनाएं हिंद महासागर में **दक्षिण-पश्चिम भारतीय रिज के समीप** स्थित हैं।
- इनकी खोज **राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (NCPOR)** ने की थी।

समुद्र के भीतर की संरचनाओं का नामकरण

- **प्रादेशिक समुद्र के बाहर:**
  - व्यक्ति और एजेंसियां समुद्र के भीतर की अनाम संरचनाओं के लिए नाम प्रस्तावित कर सकते हैं। यह प्रस्ताव IHO के 2013 के दिशा-निर्देशों **'स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अंडरसी फीचर नेम'** का पालन करते हुए किया जा सकता है।
  - किसी संरचना का नामकरण करने से पहले उसकी **विशेषता, विस्तार और अवस्थिति** की पहचान की जानी चाहिए।
  - **IHO की 'सब-कमेटी ऑन अंडरसी फीचर नेम्स (SCUFN)'** प्रस्तावों की समीक्षा करती है।
- **प्रादेशिक समुद्र के भीतर:** अपने प्रादेशिक समुद्र में संरचनाओं का नाम प्रस्तावित करने वाले राष्ट्रीय प्राधिकारियों को **IHO के 2013 के दिशा-निर्देशों का पालन** करना होता है।

IHO और IOC के बारे में

- **इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन (IHO) के बारे में**
    - इसे **1921** में स्थापित किया गया था।
    - यह एक **अंतर-सरकारी निकाय है। भारत भी इसका सदस्य** है।
    - इसे **संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक** का दर्जा प्राप्त है।
    - **हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल चार्टिंग** के संबंध में इसे सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- **अंतर-सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (IOC) के बारे में**
    - इसे **1961** में स्थापित किया गया था।
    - यह **समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** को बढ़ावा देता है।
- **GEBCO:** जनरल बैथिमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशन्स (GEBCO) **बैथिमेट्रिक डेटा एकत्र करने और महासागरों का मानचित्रण के लिए IHO व IOC की संयुक्त परियोजना** है।
    - GEBCO और SCUFN नामों, सामान्य संरचना प्रकारों आदि का एक **डिजिटल गजेटियर** बनाए रखते हैं और उन्हें उपलब्ध कराते हैं।

5.5.18. वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की मेंटल परत से चट्टान का सैंपल प्राप्त किया (Deepest Rock Sample From Earth's Mantle Obtained)

वैज्ञानिकों ने अमेरिकी पोत **जोइड्स रेज़ोल्यूशन** का उपयोग किया। उन्होंने **अटलांटिस मैसिफ से लगभग 1.2 किलोमीटर गहराई में ड्रिलिंग** की है। इससे पहले वैज्ञानिक **201 मीटर गहराई** तक ड्रिलिंग करने में सफल रहे थे।

- मेंटल परत **सिलिकेट चट्टानों से निर्मित** है। यह परत **पृथ्वी के आयतन की 80%** है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में यह **मध्य परत** है। यह **सबसे ऊपरी परत "भूपर्पटी (क्रस्ट) और सबसे निचली परत 'कोर'** के बीच स्थित है (इन्फोग्राफिक देखिए)।
- मेंटल परत की चट्टानों तक पहुंचना आमतौर पर कठिन होता है। हालांकि, महासागरीय नितल में **कुछ जगहों पर इन चट्टानों तक पहुंचा** जा सकता है, विशेषकर जहां **पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें धीरे-धीरे अलग** होती हैं। एक ऐसी ही जगह **अटलांटिस मैसिफ** है।
    - **अटलांटिस मैसिफ** मध्य-अटलांटिक रिज के पास जल के नीचे **समुद्री टीला** (underwater mountain) है।

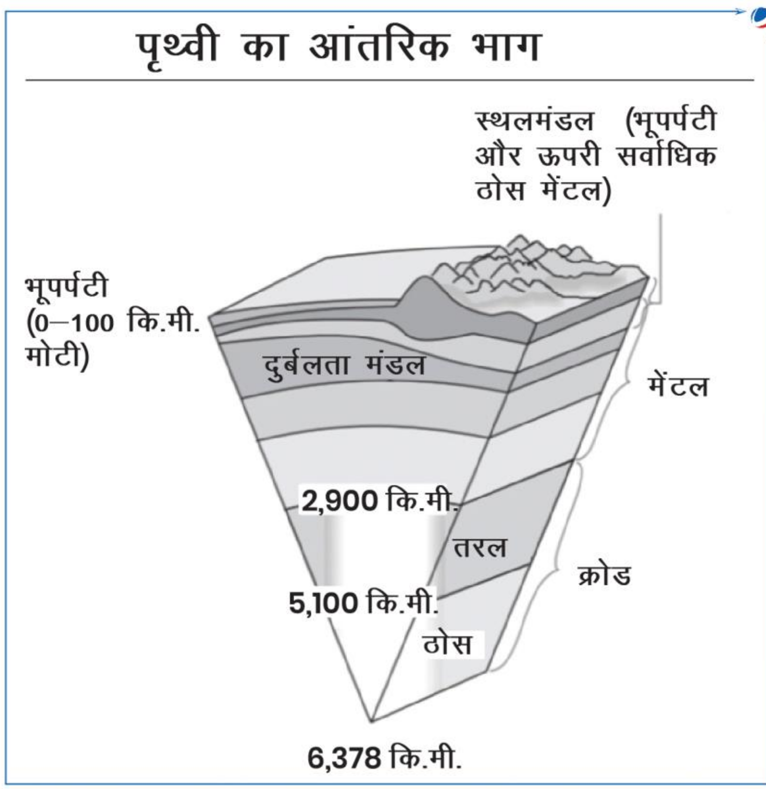

मैंटल ड्रिलिंग के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **प्रोजेक्ट:** यह ड्रिलिंग **अंतर्राष्ट्रीय महासागर खोज कार्यक्रम** के तहत की गई थी। **भारत इसका एक फंडिंग भागीदार है।**
- **ड्रिलिंग स्थान:** यह ड्रिलिंग अटलांटिस मैसिफ के दक्षिणी किनारे पर, **लॉस्ट सिटी हाइड्रोथर्मल वेंट फील्ड** के पास की गई थी।
- **प्राप्त सैंपल:** नए रॉक सैंपल में लगभग **70% से अधिक हिस्सा चट्टान** है।

- **ड्रिलिंग का महत्त्व:** प्राप्त रॉक सैंपल से हमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्राप्त होगी:
    - ऊपरी **मेंटल की संरचना,**
    - अलग-अलग तापमानों पर इन चट्टानों और समुद्री जल के बीच **रासायनिक अभिक्रियाएं** आदि।
- वैज्ञानिकों के अनुसार इन रासायनिक अभिक्रियाओं ने **अरबों साल पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में भूमिका** निभाई होगी।
    - इस प्रकार, यह उपलब्धि **पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति** के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगी।
- इसके अलावा, पिछली बार की ड्रिलिंग इतनी गहरी नहीं थी। इस वजह से अधिक तापमान में रहने वाले बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों की खोज नहीं की जा सकी थी। अब **अधिक गहराई तक ड्रिलिंग से उन बैक्टीरिया के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है जो शायद बहुत नीचे रहते हों।**

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

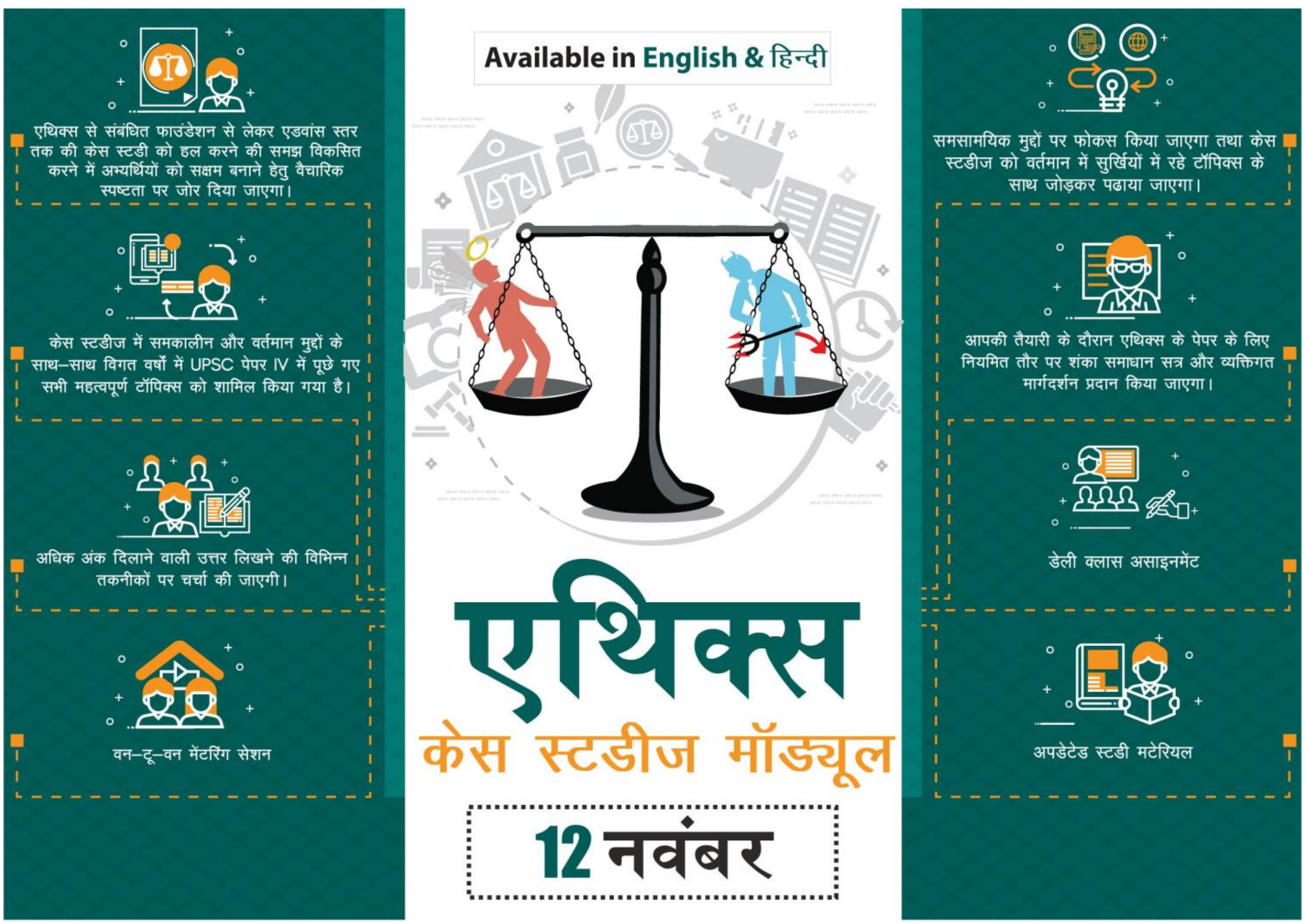

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

समसामयिकी त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की **पृष्ठभूमि, आयु, वर्किंग शेड्यूल और पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं।**

इसे ध्यान में रखते हुए हमने **समसामयिकी: त्रैमासिक रिवीजन** डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। इससे उन अभ्यर्थियों को तैयारी में काफी सहायता मिलेगी, जिनका शेड्यूल अधिक व्यस्त होता है, जिन्हें मासिक समसामयिकी मैगजीन को पढ़ने व रिवीजन करने के लिए कम समय मिलता है और सिलेबस के बारे में बुनियादी एवं थोड़ी बहुत समझ होती है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को काफी सावधानीपूर्वक और बारीकी से तैयार किया गया है। इससे आपको **सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक लर्निंग एवं रिवीजन के लिए मजबूत आधार मिलेगा।**

इस डॉक्यूमेंट में हमने विगत तीन माह की मासिक समसामयिकी मैगजीन से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर किया है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए आपको एक समग्र और सटीक रिसोर्स मिलेगा।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की कुछ मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

कम समय में रिवीजन करने के लिए: इसे पिछले तीन महीने के करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि कम समय में भी रिवीजन किया जा सके।

और अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें: इससे आपको करेंट अफेयर्स को स्टैटिक मटेरियल से जोड़कर समझने तथा टॉपिक के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें NCERTs सहित बेसिक रीडिंग मटेरियल से संबंधित अध्याय के बारे में बताया गया है।

प्रश्नोत्तरी: हर भाग के अंत में 5 MCQs और मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस हेतु 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी समझ का आकलन करने और प्रमुख अवधारणाओं/तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद करेंगे।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि: प्रत्येक आर्टिकल से संबंधित एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है, जिससे आपको संबंधित आर्टिकल को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा।

विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्य: इससे आपको महत्वपूर्ण नज़रिए और अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जानकारी तथा तथ्यों के बारे में पता चलेगा।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी: इसमें इन्फॉर्मेशन को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे क्विक और इफेक्टिव रिवीजन में मदद मिलेगी।

हमें पूरी उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट समसामयिकी घटनाक्रमों के लिए काफी फायदेमंद होगा। PT 365 और Mains 365 डाक्यूमेंट्स के साथ-साथ इसे पढ़कर UPSC CSE की तैयारी की राह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा।

स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। "त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" कुशल, टार्गेटेड और प्रभावी रिवीजन के लिए सबसे बेहतर साथी है। इसकी मदद से अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की राह में आगे बढ़िए।

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा (Safety of Healthcare Professional)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित **राष्ट्रीय कार्य बल (NTF)**[111] की **पहली बैठक** आयोजित की गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- NTF का गठन **कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल** में स्नातकोत्तर डॉक्टर की हत्या की घटना के बाद किया गया है।
- NTF को **चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा, कामकाजी परिस्थितियों, कल्याण** तथा अन्य संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए **प्रभावी सिफारिशें तैयार** करने का कार्य सौंपा गया है।
- NTF के तहत **चार विषयगत उप-समूहों का गठन किया गया है, जो निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे:**
    - चिकित्सा संस्थानों में अवसंरचना को मजबूत करना;
    - सुरक्षा प्रणालियों को बेहतर बनाना;
    - कार्य दशाओं को बेहतर बनाना; और
    - राज्यों में कानूनी फ्रेमवर्क को पुनर्व्यवस्थित करना।

स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के बारे में

- राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर आयोग (NCAHP) अधिनियम 2021 के अनुसार, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों में कोई भी **वैज्ञानिक, चिकित्सक या अन्य पेशेवर** सम्मिलित है, जो **निवारक, आरोग्यकारी, पुनर्वासीय, चिकित्सीय या संवर्धन संबंधी स्वास्थ्य** सेवाएं प्रदान करता है या अध्ययन, सलाहकारी, शोध व पर्यवेक्षण कार्य करता है। ·
- **स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं**
    - इसलिए, यह राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की **प्राथमिक जिम्मेदारी** है कि वह **स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के खिलाफ होने वाली हिंसा की घटनाओं और संभावित परिस्थितियों पर अंकुश लगाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे।**
    - **भारत में निजी क्षेत्रक भी द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक श्रेणी** की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का अधिकांश हिस्सा प्रदान करता है। ज्यादातर निजी अस्पताल मुख्य रूप से मेट्रो, टियर-I और टियर-II शहरों में केंद्रित हैं।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार:**
    - स्वास्थ्य कर्मियों पर पूरी दुनिया में हिंसा का उच्च जोखिम बना रहता है।
        - **8% से 38% स्वास्थ्य कर्मियों को शारीरिक हिंसा** का सामना करना पड़ता है, जबकि अन्य मौखिक आक्रामकता का सामना करते हैं।
    - **अधिकांश मामलों में देखा गया है कि स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग रोगी या उसके परिजन करते हैं।**
        - इसके अलावा, आपदा और संघर्ष की स्थितियों में भी स्वास्थ्य कर्मी सामूहिक या राजनीतिक हिंसा का शिकार हो सकते हैं।

स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए अन्य कदम:
भारत में किए गए प्रयास:

- **केंद्र सरकार के स्तर पर**
    - **महामारी रोग (संशोधन) अधिनियम, 2020:** इसके तहत महामारी के दौरान स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के खिलाफ हिंसा की कार्रवाइयों को **संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध** माना गया है।
    - **स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और नैदानिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम विधेयक, 2022 प्रस्तुत किया गया है।**

---

[111] National Task Force

- **कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:** यह अधिनियम अस्पतालों और नर्सिंग होम्स (निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं सहित) पर भी लागू होता है।

- **राज्य सरकार के स्तर पर**
  - **कर्नाटक चिकित्सा पंजीकरण और कुछ अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2024** पारित किया गया है।
  - **केरल स्वास्थ्य देखभाल सेवा व्यक्ति और स्वास्थ्य देखभाल सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति को नुकसान की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2023** लागू किया गया है।

वैश्विक प्रयास:

- **ILO और WHO:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने संयुक्त रूप से **'स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक में कार्यस्थल पर हिंसा से निपटने के लिए फ्रेमवर्क दिशा-निर्देश'** जारी किए हैं।
- **हिंसा पर शून्य-सहनशीलता की नीति:** यह नीति **यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS)** ने लागू की है। इस नीति में समर्पित सुरक्षा टीमों और रिपोर्टिंग प्रणालियों की व्यवस्था की गई है।
- **ऑस्ट्रेलिया** के अस्पतालों में भी **स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई सुरक्षा उपाय** लागू किए गए हैं, **जैसे:**
  - अस्पतालों में सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति;
  - संकट के समय अलर्ट करने के लिए पैनिक बटन की व्यवस्था;
  - सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए डी-एस्केलेशन प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है आदि।

स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा में आने वाली चुनौतियां

- **सुरक्षा के लिए अपर्याप्त प्रावधान:** सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा देखभाल इकाइयों में **सुरक्षा कर्मियों की कमी** है।
  - भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) के एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में एक-तिहाई डॉक्टर रात की शिफ्ट के दौरान असुरक्षित महसूस करते हैं।
- **अपर्याप्त अवसंरचना:**
  - अस्पताल में प्रवेश और निकास द्वार की निगरानी करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों तक लोगों की पहुंच को नियंत्रित करने के लिए **ठीक से काम करने वाले CCTV कैमरों की कमी है।**
  - रात्रि में ड्यूटी करने के लिए तैनात चिकित्सा पेशेवरों के लिए **विश्राम स्थल अपर्याप्त हैं।** उदाहरण के लिए- IMA के सर्वेक्षण के अनुसार, ड्यूटी के दौरान उपलब्ध कराए गए कमरों में से एक-तिहाई कमरों में अटैच्ड बाथरूम नहीं हैं।
  - चिकित्सा पेशेवरों के लिए होस्टल्स या ठहरने के स्थानों तक **सुरक्षित आवागमन हेतु परिवहन सुविधाएं अपर्याप्त या अनुपलब्ध हैं।**
  - अस्पतालों के प्रवेश द्वार पर **हथियारों और उपकरणों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं** होती है।
- **कार्य की लंबी अवधि:** अक्सर इंटर्न, रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट को 36 घंटे की शिफ्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है, वह भी ऐसी जगह जहां सफाई, स्वच्छता, सुरक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव होता है।
- **बाहरी लोगों की आसान पहुंच:** अस्पताल के अंदर रोगी व उनके परिजन सभी स्थानों (ICU और डॉक्टरों के विश्राम कक्ष सहित) तक जा सकते हैं, जिससे असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है।
- **स्वास्थ्य संबंधी खतरे:** स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को खतरनाक पदार्थों, वायरस आदि के संपर्क में आने का जोखिम बना रहता है। उदाहरण के लिए, भारत में कोविड-19 के चलते लगभग 1,600 डॉक्टर्स की मृत्यु हुई थी।
  - **केवल 14 राज्यों ने राज्य स्वास्थ्य परिषदों का गठन** किया है और इन परिषदों में भी केवल कुछ ही सही तरीके से कार्य कर रही हैं।

आगे की राह

- **राज्य सरकार की जिम्मेदारी:** राज्य सरकारों को चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए। इसमें जुर्माना लगाना और तत्काल सहायता के लिए हेल्पलाइन सुविधाएं शामिल हैं। राज्यों पर यह जिम्मेदारी इसलिए होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य और कानून एवं व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं।
- **अनिवार्य संस्थागत रिपोर्टिंग:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, यदि ड्यूटी के दौरान किसी स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ हिंसा होती है, तो ऐसी स्थिति में घटना के **अधिकतम छह घंटे के भीतर संस्थागत प्राथमिकी दर्ज कराने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रमुख** की होगी।

- **अवसंरचनात्मक विकास:** इसमें अस्पतालों के सभी प्रवेश और निकास द्वार पर CCTV कैमरे लगाना; संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुंच के लिए बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग करना; रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं।
- **कर्मचारी सुरक्षा से संबंधित समितियां:** प्रत्येक चिकित्सा प्रतिष्ठान में डॉक्टर्स, इंटर्न्स, रेजिडेंट्स और नर्सों की समितियां बनाई जानी चाहिए। ये समितियां **संस्थागत सुरक्षा उपायों की तिमाही आधार पर ऑडिट** का काम करेगी।
- **सुरक्षा कर्मियों का प्रशिक्षण:** अस्पतालों में तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे अस्पतालों में भीड़ को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में आसानी होगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सिफारिशें

- राष्ट्रीय व्यावसायिक/ पेशेवर स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियों के अनुरूप स्वास्थ्य कर्मियों के लिए **राष्ट्रीय व्यावसायिक/ पेशेवर स्वास्थ्य कार्यक्रम विकसित एवं लागू करने की आवश्यकता** है।
- राष्ट्रीय स्तर और अन्य स्तर के केंद्रों पर स्वास्थ्य पेशेवरों के व्यावसायिक/ पेशेवर स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए **प्राधिकार प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति** करनी चाहिए।
- स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा के प्रति **शून्य सहनशीलता की संस्कृति को बढ़ावा** देना चाहिए।
- स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा में हुई किसी भी तरह की चूक की घटना की रिपोर्टिंग पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा, डॉक्टर्स की कानूनी और प्रशासनिक सुरक्षा पर खुली संवाद व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। इन उपायों को अपनाकर स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए एक **'दोष-मुक्त' और न्यायपूर्ण कार्य संस्कृति** विकसित की जा सकती है।
- स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की **उचित व न्यायसंगत कार्य अवधि, विश्राम, अवकाश और प्रशासनिक बोझ को कम** करने के लिए नीतियां बनाई जानी चाहिए।

6.2. छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health of Students)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स ने मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट पिछले पांच वर्षों में मेडिकल छात्रों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या की घटनाओं के चिंताजनक स्तर को देखते हुए तैयार की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- रिपोर्ट में भारतीय मेडिकल छात्रों में **अवसाद के उच्च स्तर** का उल्लेख किया गया है।
- आयोग के ऑनलाइन सर्वेक्षण से पता चला है कि **स्नातक स्तर के 27.8 प्रतिशत छात्र मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं** का सामना कर रहे हैं। साथ ही, स्नातकोत्तर स्तर के लगभग **31.3 प्रतिशत छात्रों के मन में आत्महत्या करने का विचार** आया था।
- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS)**[112] के एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत में **23 प्रतिशत स्कूली बच्चे** मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विकारों का सामना कर रहे हैं।
- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-2016)** ने, देश में **13-17 आयु वर्ग के कुल किशोरों में से 7 प्रतिशत किशोरों को किसी न किसी मानसिक विकार** से पीड़ित बताया है। चिंता की बात यह है कि यह दर लड़कों और लड़कियों दोनों में लगभग समान है।
- **चेन्नई में सिज़ोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन (SCARF)** द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत में **30% से अधिक छात्र चिंता और अवसाद से ग्रस्त** हैं।

मानसिक स्वास्थ्य क्या है?

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार,** "यह उत्तम स्वास्थ्य की वह अवस्था है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं की पहचान कर सकता है, जीवन के सामान्य तनावों से निपट सकता है, उत्पादक और फलदायी तरीके से काम कर सकता है, तथा अपने समुदाय की प्रगति में योगदान देने में सक्षम होता है।"

[112] National Institute of Mental Health and Neurosciences

- मानसिक स्वास्थ्य को एक **संसाधन के रूप में सबसे बेहतर तरीके से समझा** जा सकता है। यह व्यक्तियों को **उनके कौशल एवं क्षमताओं को पहचानने और समझने** में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो वे अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने की दिशा में अधिक अग्रसर होते हैं।।

छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए जिम्मेदार कारक:

- **तात्कालिक उत्तेजक/ प्रेरक कारक:**
  - छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य संकट के तात्कालिक उत्तेजक/ प्रेरक कारकों में **वित्तीय हानि, आकस्मिक दुःख, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट और जीवन में होने वाली प्रतिकूल घटनाएं** जैसे- परीक्षा में असफलता या सार्वजनिक उत्पीड़न आदि शामिल हैं। **उदाहरण के लिए- IITs में छात्रों द्वारा गई आत्महत्याएं।**

  - **सोशल मीडिया का प्रभाव:** 2018 के एक **ब्रिटिश अध्ययन ने बताया है कि युवा सोशल मीडिया** का अत्यधिक उपयोग कर रहे है। इसके कारण उन्हें नींद कम आती है, या नींद बाधित होती है या फिर बहुत देर तक नींद नहीं आती है। इससे युवाओं को अवसाद, स्मृति हानि और खराब शैक्षणिक प्रदर्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
- **सामाजिक अलगाव और अकेलापन:** किशोरावस्था के दौरान **परिवार की अव्यवहारिक गतिशीलता (परिवार के समर्थन, समझ व प्रभावी संचार की कमी);** हार्मोनल परिवर्तन और लैंगिक पहचान से संबंधित समस्याओं आदि के कारण अक्सर युवा **सामाजिक अलगाव और अकेलेपन** का शिकार हो जाते हैं।
  - **अत्यधिक शैक्षणिक दबाव, वित्तीय तंगी और माता-पिता की अधिक अपेक्षाएं** भी कोटा जैसी जगहों पर छात्रों की आत्महत्याओं के पीछे एक बड़ा कारण रही हैं।
- **पूर्ववर्ती जैविक कारक:**
  - आनुवंशिक प्रभाव जैसे कि **जीन एक्सप्रेशन में बदलाव तथा आत्महत्या से संबंधित फैमली हिस्ट्री** भी मस्तिष्क के कार्य और व्यवहार को प्रभावित करके आत्महत्या के जोखिम को बढ़ा सकते है।
  - कुछ व्यक्तित्व संबंधी लक्षण जैसे **आवेगशीलता, दिव्यांगता और गंभीर शारीरिक बीमारियां** भी अलगाव, तनाव और अवसाद की भावनाओं बढ़ाकर आत्महत्या के जोखिम को बढ़ा सकती हैं।
- **सामाजिक रूप से हेय मानना:** मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रायः समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है, जिस कारण, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान प्रारंभिक चरण में नहीं हो पाती है।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित समस्याएं:

- **अस्पष्ट दृष्टिकोण:** प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकृत दृष्टिकोण नहीं होने के कारण, भारत में मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य से अलग माना जाता है।
- **अवसंरचना और संसाधनों में भौगोलिक असमानताएं:** ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना का अभाव है।
- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की कमी:** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, **भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर केवल 0.75 मनोचिकित्सक हैं।**
- **जागरूकता के अभाव और हेय मान्यता** के कारण मदद मांगने वाले व्यक्तियों के प्रति भेदभाव, सामाजिक अलगाव और पूर्वाग्रह देखने को मिलता है।

आगे की राह

- **नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना:** स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा संबंधी फैकल्टी के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने चाहिए। इससे उन्हें मानसिक स्वास्थ्य जोखिम के प्रति संवेदनशील छात्रों की पहचान करने और उनकी सहायता करने में मदद मिलेगी।
- **परामर्श सेवाएं:** सभी स्कूलों और कॉलेजों में 24/7 सहायता प्रणाली लागू की जानी चाहिए। इस प्रणाली को सभी कॉलेजों में टोल-फ्री नंबर (14416) का उपयोग करते हुए टेलीमानस (TeleMANAS) पहल के माध्यम से जल्द लागू किया जाना चाहिए।

- **प्रारंभिक पहचान और उपचार:** जोखिम वाले व्यक्तियों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान करने के लिए अग्रिम पंक्ति के मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों और शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए।
  - **बच्चों और किशोरों** पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी मानसिक स्वास्थ्य विकारों में से लगभग आधे विकार चौदह वर्ष की आयु तक शुरू हो जाते हैं।
- **नीतिगत सुधार और संसाधनों का आवंटन:** इसके लिए मानसिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य देखभाल एजेंडे में प्राथमिकता दी जानी चाहिए; पर्याप्त संसाधन आवंटित करने चाहिए; तथा मानसिक स्वास्थ्य के जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
- **डिजिटल डिटॉक्स कार्यक्रम:** छात्रों को डिजिटल गतिविधियों के साथ-साथ शारीरिक व्यायाम, हैबिट और ऑफलाइन सामाजिक अंतर्क्रिया के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अत्यधिक उपयोग के कारण उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है।
- **आत्म-जागरूकता का अभ्यास करना:** छात्र आत्म-जागरूकता अभ्यास, ध्यान और नियमित व्यायाम करके अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। साथ ही, चिंता को कम करने तथा भावनात्मक अनुकूलनशीलता बनाए रखने के लिए अच्छी नींद लेने और खानपान की आदतों में सुधार कर सकते हैं।

भारत में आत्महत्या की समस्या के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #110: आत्महत्याएँ: भारत में एक उभरती हुई सामाजिक समस्या

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025

▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 23 सितंबर, 1 PM | 22 अगस्त, 1 PM | BHOPAL: 23 जुलाई | LUCKNOW: 18 जुलाई | JAIPUR: 5 सितंबर | JODHPUR: 11 जुलाई

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

6.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.3.1. यूनेस्को ने 'स्पोर्ट एंड जेंडर इक्वलिटी गेम प्लान' डॉक्यूमेंट जारी किया (UNESCO Released 'Sport and Gender Equality Game Plan')

यह डॉक्यूमेंट **पेरिस ओलंपिक खेल शुरू** होने से ठीक पहले जारी किया गया है। इसके तहत खेलों में **महिलाओं की बहुत कम भागीदारी को उजागर** किया गया है। इसके अलावा, इस डॉक्यूमेंट में **जेंडर-तटस्थ खेल नीतियां और कार्यक्रम बनाने** के लिए मार्गदर्शन दिया गया है।

डॉक्यूमेंट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- **यौन शोषण:** 21% महिला एथलीट और 11% पुरुष एथलीट बचपन में खेलों में कम-से-कम एक बार किसी न किसी रूप में यौन शोषण का शिकार हुए हैं।
- **खेलों में उच्च ड्रॉपआउट:** 49% लड़कियां किशोरावस्था के दौरान खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना छोड़ देती हैं। यह आंकड़ा लड़कों की तुलना में 6 गुना अधिक है।
    - इसके लिए जिम्मेदार कारकों में महिला एथलीट रोल मॉडल्स की कमी; सुरक्षा को लेकर चिंताएं; आत्मविश्वास की कमी और निगेटिव बॉडी (लड़कियों के शारीरिक रूप से कम सक्षम होने की धारणा) इमेज आदि हैं।
- **असमानता: पेशेवर खेलों में महिला खिलाड़ियों और पुरुष खिलाड़ियों को किए जाने वाले भुगतान में काफी अंतर** होता है। इस बात का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि विश्व के 50 सबसे अधिक आय अर्जित करने वाले एथलीटों (Paid athletes) की सूची में एक भी महिला एथलीट का नाम शामिल नहीं है।
- **महिला नेतृत्व का अभाव:** 2023 में, विश्व के केवल 30% सबसे बड़े खेल संघों की अध्यक्ष महिलाएं थीं।

गेम प्लान डॉक्यूमेंट द्वारा सुझाव दी गई चार कार्रवाइयां

- स्पोर्ट मीडिया कवरेज के माध्यम से **लोगों का नजरिया बदलने** और लैंगिक असमानताओं के मूलभूत कारणों से निपटने के लिए खेल की लोकप्रियता का इस्तेमाल करना चाहिए।
- खेल नेतृत्व, गवर्नेंस और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर **लैंगिक समानता** को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए।
- जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग की मदद से तथा वित्त-पोषण में कमी को समाप्त करके **क्षमता और सॉफ्ट एवं हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित** करने की आवश्यकता है।
    - जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग वास्तव में सभी (महिलाओं और पुरुषों तथा लड़कियों एवं लड़कों) के लिए उपयोगी बजट बनाना है।
- खेलों में **लैंगिक हिंसा** के सभी रूपों को समाप्त करने हेतु प्रतिबद्धता प्रकट करनी चाहिए।

6.3.2. नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2024 (NIRF Ranking 2024)

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने **नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2024** जारी किया है।

नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के बारे में

- इसे **2015** में लॉन्च किया गया था।
- यह देश भर के **शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग** के लिए एक पद्धति का फ्रेमवर्क तैयार करता है।

- **रैंकिंग के पांच पैरामीटर हैं:** शिक्षण; लर्निंग और संसाधन; अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास; स्नातक आउटकम; आउटरीच व इन्क्लूसिविटी, तथा परसेप्शन।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** INFLIBNET केंद्र (गांधीनगर) के सहयोग से **राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA)।**
- **2024 की रैंकिंग में नई श्रेणियां:** मुक्त विश्वविद्यालय, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय।
- **IIT-मद्रास छठी बार (2019 से)** देश का **सर्वश्रेष्ठ** शिक्षा संस्थान घोषित किया गया है। इसके बाद **भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC) बेंगलुरु** का स्थान है।

6.3.3. भारत में किशोर (Adolescents in India)

"इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेलबीइंग ऑफ एडोलसेंस्ट्स इन इंडिया" नामक रिपोर्ट जारी की गई।

- यह रिपोर्ट केंद्रीय **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** ने जारी की है। यह उन उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जिनके माध्यम से **किशोरों पर निवेश करने से उच्च रिटर्न** मिलेगा।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- भारत **विश्व में सर्वाधिक किशोर आबादी** वाला देश है। देश में **10 से 19 आयु वर्ग** के किशोरों की आबादी लगभग **253 मिलियन है।**
- 2000-2019 की अवधि में **किशोर मृत्यु दर में 50% से अधिक की गिरावट** आई है। साथ ही, **किशोरियों में प्रजनन दर में 83% की गिरावट** आई है।
- **माध्यमिक शिक्षा** पूरी करने वाले **युवाओं की संख्या 22% (2005) से दोगुनी होकर 50% (2020)** हो गई है।
- 2021-2022 की अवधि में सड़क दुर्घटनाओं में **18 वर्ष से कम आयु के किशोरों की मृत्यु में 22.7% की वृद्धि** देखी गई है।
- सुझाए गए उपायों को अपनाने से **भारतीय अर्थव्यवस्था को वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 10.1% तक की वृद्धि के रूप में बढ़ावा** मिलने की उम्मीद है।

किशोरों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं

- **स्वास्थ्य समस्याएं: इनमें** किशोरियों द्वारा अनचाहा गर्भधारण, कुपोषण, मानसिक विकार (अवसाद और चिंता) आदि शामिल हैं।
- **शिक्षा और रोजगार संबंधी समस्याएं:** इनमें शिक्षा प्राप्ति रुक जाना, AI जैसी नई प्रौद्योगिकियों के कारण बेरोजगारी बढ़ना आदि शामिल हैं।
- **बाल विवाह:** हालांकि, 2006-2024 तक की अवधि में 18 वर्ष की आयु से पहले लड़कियों के विवाह से जुड़े मामलों में आधे से अधिक की कमी आई है, इसके बावजूद विश्व की **3 में से 1 बाल वधु भारत** में रहती है।
- **हिंसा और घायल होना:** सड़क दुर्घटनाओं, आत्म-क्षति और आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं।

आवश्यक उपाय

- **वंचित क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए; बेहतर शिक्षण पद्धति अपनानी चाहिए और बेहतर शैक्षिक प्रदर्शन के लिए योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां** दी जानी चाहिए।
- किशोरों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए **सामान्य मानसिक विकारों की रोकथाम एवं उपचार के उपाय** करने चाहिए। साथ ही, **किशोरों के साथ साइबर बुलिंग और हिंसा की रोकथाम के उपाय** किए जाने चाहिए।

- **किशोरियों को जीवन कौशल** प्रदान करने चाहिए। उनकी वित्तीय मदद के लिए उन्हें भुगतानों का अंतरण (डायरेक्ट ट्रांसफर) करना चाहिए। साथ ही बाल विवाह को रोकने के लिए **सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों में बदलाव** लाना चाहिए।
- सड़क दुर्घटनाओं में किशोरों को घायल होने से रोकने के लिए **ग्रैज्युएटेड लाइसेंस योजनाएं** शुरू की जानी चाहिए।
    - ग्रैज्युएटेड लाइसेंस स्कीम पूर्ण ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की क्रमिक प्रक्रिया है।

6.3.4. मॉडल फोस्टर केयर दिशा-निर्देश (MFCG), 2024 (Model Foster Care Guidelines, 2024)

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपडेटेड मॉडल फोस्टर केयर दिशा-निर्देश (MFCG), 2024 जारी किए।

- ये दिशा-निर्देश मॉडल फोस्टर केयर दिशा-निर्देश (MFCG), 2016 की अगली कड़ी हैं। नए दिशा-निर्देश **किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) (JJ) अधिनियम, 2015 तथा JJ मॉडल नियम, 2016; दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 और मिशन वात्सल्य योजना** के प्रावधानों पर आधारित हैं।
- **फोस्टर केयर** के तहत किसी बच्चे का उसके जैविक परिवार की बजाय किसी अन्य परिवार के घरेलू परिवेश में पालन-पोषण किया जाता है।
    - पालन-पोषण देखभाल (फोस्टर केयर) प्रदान करने वाले परिवारों को **बाल कल्याण समिति द्वारा चयनित और अनुमोदित** किया जाता है।

अपडेटेड मॉडल फोस्टर केयर दिशा-निर्देश (MFCG), 2024 के मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नजर

- **फोस्टर केयर के लिए पात्र बच्चे:** बाल देखभाल संस्थानों या समुदायों में रहने वाले 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे। इनमें हार्ड-टू-प्लेस बच्चे; विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और अयोग्य अभिभावक वाले बच्चे शामिल हैं।
    - **हार्ड-टू-प्लेस बच्चे:** ये ऐसे बच्चे होते हैं, जिन्हें शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता, शारीरिक या मानसिक बीमारी के उच्च जोखिम, आयु, नस्लीय या नृजातीय कारकों जैसी वजहों से गोद लेने की संभावना नहीं होती है।
- **फोस्टर केयर करने के लिए पात्रता:** ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, और बच्चे के पालन-पोषण के लिए उसका कोई जैविक बेटा/ बेटी हो या न हो। ज्ञातव्य है कि MFCG, 2016 में केवल विवाहित दम्पति ही पात्र थे।
    - **सिंगल महिला लड़के या लड़की, दोनों** में से किसी को भी गोद ले सकती है या उसकी फोस्टर केयर कर सकती है। इसके विपरीत, **सिंगल पुरुष केवल लड़के** को ही गोद ले सकता है या उसकी फोस्टर केयर कर सकता है।
    - दम्पति का **2 वर्ष का स्थिर वैवाहिक संबंध** होना चाहिए।

भारत में दत्तक ग्रहण (चाइल्ड एडॉप्शन) के लिए फ्रेमवर्क

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) भारतीय बच्चों के देश में ही या उन्हें किसी अन्य देश के व्यक्ति द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया की निगरानी और विनियमन करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक सांविधिक संस्था है। CARA केंद्रीय **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय** है। इसे **JJ अधिनियम, 2015** के तहत स्थापित किया गया है।

CARA मुख्य रूप से अपनी संबद्ध/ मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और सौंप दिए गए बच्चों के दत्तक ग्रहण की व्यवस्था करता है।

- **फोस्टर एडॉप्शन के तहत दत्तक ग्रहण:** फोस्टर केयर करने वाले माता-पिता जिस बच्चे की **पिछले दो साल से फोस्टर केयर कर** रहे हैं, वे उसी बच्चे को गोद भी ले सकते हैं। MFCG, 2016 में उसी बच्चे को गोद लेने के लिए फोस्टर केयर की अवधि **पांच साल** थी।

6.3.5. बैगलेस डे (Bagless Days)

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने **कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बैगलेस डे यानी "बगैर बस्ते के स्कूल आने"** को लागू करने के लिए दिशा-निर्देशों की घोषणा की है।

- गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में उपबंध किया गया है कि **कक्षा 6-8 के सभी विद्यार्थी कोई भी 10 दिन बगैर बस्ते के स्कूल आएंगे और इस अवधि में बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार जैसे स्थानीय व्यावसायिक कारीगरों के साथ इंटर्नशिप करेंगे।**

दिशा-निर्देशों के बारे में

- **उद्देश्य:** सामने से देखकर लर्निंग की क्षमता का निर्माण करना; समुदाय के साथ जुड़ाव और एक-दूसरे पर निर्भरता की समझ विकसित करना; स्वयं काम करने की प्रैक्टिस के माध्यम से श्रम की गरिमा को बढ़ावा देना आदि।
- **शामिल गतिविधियां:** सब्जी मंडियों का दौरा और सर्वेक्षण; चैरिटी यात्रा; पालतू जानवरों की देखभाल पर सर्वेक्षण और रिपोर्ट लेखन; डूडलिंग (सोचते हुए चित्र बनाना) आदि।

6.3.6. जुआंग जनजाति के पर्यावास अधिकार (Habitat Rights for Juanga Tribe)

जिला स्तरीय समिति ने ओडिशा के क्योंझर में रहने वाली जुआंग जनजाति को पर्यावास अधिकार प्रदान किए।

- जुआंग जनजाति **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)** के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा, पर्यावास अधिकार प्राप्त करने वाली अन्य जनजातियों में **जाजपुर (ओडिशा) की जौंग; देवगढ़ (ओडिशा) की पौडी भुइयां; मध्य प्रदेश की भारिया PVTG तथा छत्तीसगढ़ की कमार PVTG और बैगा PVTG** आदि शामिल हैं।

पर्यावास अधिकार

- पर्यावास अधिकार को **अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006** के तहत उपबंधित किया गया था। इस कानून को **वन अधिकार अधिनियम (FRA)** के रूप में भी जाना जाता है।
- वन अधिकार अधिनियम के तहत **'पर्यावास' को 'आदिम जनजातीय समूहों और पूर्व-कृषि समुदायों तथा अन्य वनवासी अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित तथा संरक्षित वनों में प्रथागत पर्यावास एवं ऐसे अन्य पर्यावासों वाले क्षेत्र'** के रूप में परिभाषित किया गया है।
- पर्यावास अधिकार **क्रमशः समुदाय के सदस्यों, पारंपरिक आदिवासी नेताओं, जनजातीय महिला नेताओं, जिला और वन प्रशासन आदि के साथ परामर्श** के बाद दिए जाते हैं।
- **PVTGs के लिए महत्त्व:** पर्यावास अधिकार **PVTGs के निवास के पारंपरिक क्षेत्र, उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं, बौद्धिक ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान और उनकी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण** से संबंधित अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) के बारे में

- सरकार ने **ढेबर आयोग (1960-61)** की सिफारिशों के आधार पर **18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 PVTGs** को मान्यता प्रदान की है।
  - **ओडिशा में 13 PVTGs** हैं, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है
- **PVTGs की पहचान के निम्नलिखित मानदंड हैं:**
  - कृषि-पूर्व (Pre-agricultural) युग का प्रौद्योगिकी स्तर;
  - साक्षरता का निम्न स्तर;

○ आर्थिक पिछड़ापन; तथा

○ घटती हुई या स्थिर आबादी।

जुआंग जनजाति, ओडिशा

- **मूलवासी:** जुआंग **पहाड़ी (थानिया) और मैदानी (भागुडिया)** के रूप में विभाजित है। यह समुदाय **क्योंझर की पहाड़ियों, अनुगुल के पल्लाहारा और ढेंकनाल के मैदान** में निवास करता है।
- **इतिहास:** मूल रूप से यह समुदाय **पटुआ** के नाम से जाना जाता है। पटुआ नाम दरअसल **स्कर्ट जैसी पत्तों की पारंपरिक पोशाक पहनने** के कारण प्रचलन में आया है।
- **व्यवसाय:** यह जनजाति मूल रूप से **स्थानांतरित खेती या तोइला चासा** के कार्य में संलग्न है। हालांकि, इनमें से कुछ अब **स्थायी कृषि** करने लगे हैं।
    - ○ यह जनजाति **सजावटी कंघियां और तम्बाकू के डिब्बे** बनाने के कार्य में दक्ष है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं

त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा में आपके ज्ञान, एनालिटिकल स्किल और सरकारी नीतियों तथा पहलों की गतिशील प्रकृति के साथ अपडेटेड रहने की क्षमता को जांचा जाता है। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा के लिए एक व्यापक और सुनियोजित दृष्टिकोण काफी आवश्यक हो जाता है।

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिविजन" डॉक्यूमेंट के साथ सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की अपनी यात्रा शुरू कीजिए। यह विशेष पेशकश आपको परीक्षा की तैयारी में एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करेगी। सावधानीपूर्वक तैयार किया गया हमारा यह डॉक्यूमेंट न केवल आपकी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि टाइम मैनेजमेंट और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को त्रैमासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट फाइनल परीक्षा के लिए निरंतर सुधार और तनाव मुक्त तैयारी हेतु अभ्यर्थियों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

यह सीखने की प्रक्रिया को बाधारहित और आसान यात्रा में बदल देता है। इसके परिणामस्वरूप, आप परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके निहितार्थों की गहरी समझ विकसित करने में सफल होते हैं।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

1. सुर्ख़ियों में रहीं में योजनाएं: अपडेट रहिए, आगे रहिए!

इस खंड में **आपको नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत** कराया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी तैयारी न केवल व्यापक हो, बल्कि हालिया तिमाही के लिए प्रासंगिक भी हो। सुर्ख़ियों में रही योजनाओं के रियल टाइम एकीकरण से आप नवीनतम ज्ञान से लैस होकर आत्मविश्वास से परीक्षा देने में सक्षम बन पाएंगे।

2. सुर्ख़ियों में रहीं फ्लैगशिप योजनाएं: परीक्षा में आपकी सफलता की राह!

भारत सरकार की 'फ्लैगशिप योजनाएं' **सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के कोर** में देखने को मिलती हैं। हम इस डॉक्यूमेंट में इन महत्वपूर्ण पहलों को गहराई से कवर करते हैं, जिससे सरकारी नीतियों के बारे में **आपकी गहरी समझ विकसित** हो। इन फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम आपको उन प्रमुख पहलुओं में महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें परीक्षक सफल उम्मीदवारों में तलाशते हैं।

3. प्रश्नोत्तरी: पढ़िए, मूल्यांकन कीजिए, याद रखिए!

मटेरियल को समझने और मुख्य तथ्यों को याद रखने में काफी अंतर होता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए, हमने इस डॉक्यूमेंट में एक 'प्रश्नोत्तरी' खंड शामिल किया है। इस डॉक्यूमेंट में **सावधानी से तैयार किए गए 20 MCQs** दिए गए हैं, जो आपकी **समझ को मजबूत करने के लिए चेकपॉइंट** के रूप में काम करते हैं। ये मूल्यांकन न केवल आपकी प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में भी सहायक होते हैं।

'सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन' एक डॉक्यूमेंट मात्र नहीं है; बल्कि यह आपकी परीक्षा की तैयारी में एक रणनीतिक साथी भी है। यह आपकी लर्निंग एप्रोच में बदलाव लाता है, जिससे यह एक सतत और कुशल प्रक्रिया बन जाती है। परीक्षा की **तैयारी के आखिरी चरणों में आने वाले तनाव को अलविदा कहिए, प्रोएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस** को आपनाइए और आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर आगे बढ़िए।

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. BioE3 नीति (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) {BioE3 Policy (Biotechnology for Economy, Environment and Employment)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **"फोस्टरिंग हाई परफॉर्मेंस बायो-मैन्युफैक्चरिंग"** के लिए **BioE3 {अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी**[113] नीति को मंजूरी दी है।

क्या आप जानते हैं?

> **बायो–मैन्युफैक्चरिंग** का तात्पर्य इंजीनियर्ड माइक्रोबियल, पादप और पशु (मानव सहित) कोशिकाओं के उपयोग से है, जिसमें व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए सटीकता और नियंत्रण में वृद्धि की जाती है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **BioE3 नीति "हाई परफॉर्मेंस बायो-मैन्युफैक्चरिंग"** संबंधी प्रयासों को बढ़ावा देगी, जिसका लक्ष्य 2030 तक **300 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की जैव-अर्थव्यवस्था या बायो-इकॉनमी हासिल करना है।
    - बायो-इकोनॉमी या जैव अर्थव्यवस्था 2014 में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर **2024 में 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगी।**
        - **हाई परफॉर्मेंस बायो-मैन्युफैक्चरिंग** का मतलब ऐसे उन्नत तरीकों और प्रक्रियाओं से है, जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर बायो-प्रोडक्ट जैसे कि दवाइयाँ, बायोफ्यूल, और जैविक सामग्री के उत्पादन के लिए किया जाता है।
- यह नीति भारत को **'हरित समृद्धि या ग्रीन ग्रोथ'** की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे **'सर्कुलर बायोइकोनॉमी'** को बढ़ावा मिलेगा।
- संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, **जैव अर्थव्यवस्था (बायोइकोनॉमी)** में "जैविक संसाधनों का उत्पादन, उपयोग और संरक्षण सहित संबंधित ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल होते हैं, जो सभी आर्थिक क्षेत्रकों को जानकारी, उत्पाद, प्रक्रियाएँ और सेवाएँ प्रदान करते हैं।" सरल शब्दों में, जैव-अर्थव्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय उपयोग करके आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करती है।
    - **उदाहरण:** संधारणीय कृषि, संधारणीय मत्स्य पालन, वानिकी और जलीय कृषि, खाद्य और चारा विनिर्माण, जैव-आधारित उत्पाद (जैसे, बायोप्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल कपड़े)।

BioE3 नीति (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) के बारे में

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य बायो-मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने हेतु फ्रेमवर्क तैयार करना।
- **कार्यान्वयन: जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा इस नीति का क्रियान्वयन किया जाएगा।**
- **प्रमुख विशेषताएं:**
    - यह नीति सभी **विषयगत क्षेत्रकों में अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए नवाचार आधारित समर्थन** प्रदान करती है।
    - **इस नीति के माध्यम से, सरकार महत्वाकांक्षी विजन को रेखांकित करेगी, जिसका उद्देश्य छह विषयगत क्षेत्रकों के तहत प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनना और प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है (इन्फोग्राफिक देखें)।**
- इन विषयगत क्षेत्रकों के अंतर्गत अनुसंधान एवं व्यावहारिक अनुप्रयोग को साकार करने वाली गतिविधियों को निम्नलिखित द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा:

[113] Biotechnology for Economy, Environment and Employment

- **जैव-कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Bio-Artificial Intelligence) हब:** इसके तहत जीनोमिक्स, प्रोटिओमिक्स और मेडिकल इमेजिंग जैसे बायोलॉजिकल डेटा को **AI के साथ एकीकृत करके** जैविक प्रणालियों की समझ को बढ़ाया जाएगा। साथ ही, इससे रोग निदान और उपचार में भी सुधार होगा।
  - ये हब **कृषि क्षेत्रक** के तहत कृषि पद्धतियों में सुधार के लिए डेटा एनालिटिक्स की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।
- **बायो-मैन्युफैक्चरिंग हब:** ये हब शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और SMEs के लिए प्रायोगिक और पूर्व-व्यावसायिक निर्माण सुविधाओं का साझा उपयोग करेंगे, ताकि प्रारंभिक चरण के विनिर्माण को समर्थन मिल सके।
- **विनियम और वैश्विक मानक:** यह नीति **अंतर-मंत्रालयीय समन्वय** को बढ़ावा देगी, ताकि बायोसेफ्टी और बायो-प्राइवेसी मुद्दों का निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित हो सके।
- **डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क:** इस फ्रेमवर्क के माध्यम से खोजों, आविष्कारों और उनसे हासिल अन्य ज्ञान के बौद्धिक संपदा संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए, इसे **व्यापक वैज्ञानिक समुदाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।**

BioE3 नीति की आवश्यकता क्यों है?

- **संधारणीयता:** संधारणीयता आधारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रासायनिक प्रक्रियाओं के **बायोट्रांसफॉरमेशन में नवाचार की काफी आवश्यकता होता** है।
  - यह नीति हाई वैल्यू वाले विशेष **रसायनों, एंजाइमों और बायोपॉलिमर** के संधारणीय जैव-आधारित उत्पादन को बढ़ावा देगी।
- **पोषण संबंधी चुनौती का समाधान:** भारत की जनसंख्या **2050 तक लगभग 1.67 बिलियन** होने की संभावना है, जिसके लिए पर्याप्त और पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराना एक प्रमुख मुद्दा होगा।
  - यह नीति **सिंथेटिक बायोलॉजी और मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग टूल्स का उपयोग करके** कम कार्बन फुटप्रिंट वाले स्मार्ट प्रोटीन और कार्यात्मक खाद्य पदार्थों के उत्पादन को सुगम बनाएगी।
    - **कार्यात्मक खाद्य पदार्थ (Functional foods)** वे खाद्य पदार्थ होते हैं जो पोषण के अलावा अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं।
- **सेल और जीन थेरेपी को बढ़ावा:** एक अनुमान के अनुसार सेल और जीन थेरेपी बाजार का मूल्य 2027 तक 22 बिलियन डॉलर (लगभग 1846 बिलियन रुपये) से अधिक हो जाएगा।
  - इस नीति से भारत को निम्नलिखित भावी जैव-चिकित्सा प्रौद्योगिकियों और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में अग्रणी बनने में मदद मिलेगी:
    - **सेल और जीन थेरेपी,**
    - **mRNA थेरेप्यूटिक्स, और**
    - **मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, आदि।**
- **खाद्य सुरक्षा:** खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत में मृदा माइक्रोबायोम से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसमें मृदा के माइक्रोबायोम/ जीनोम का एनालिसिस करना और बेहतर माइक्रोबियल फेनोटाइप हेतु सिलेक्शन प्रोसेस आदि शामिल हैं।
  - यह नीति **जलवायु-स्मार्ट कृषि** से संबंधित इनोवेशन के जरिए फसलों की बेहतर किस्मों के उत्पादन से खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी।
- **जलवायु परिवर्तन शमन:** भारत **2030** तक उत्सर्जन तीव्रता में **45% की कमी** और **2070** तक **नेट ज़ीरो** उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रयास कर रहा है।

    ○ यह नीति सूक्ष्मजीवों द्वारा कैप्चर की गई CO_2 को औद्योगिक रूप से उपयोगी यौगिकों में तब्दील करके **डी-कार्बोनाइजेशन के लक्ष्य को हासिल करने** में सहायता करेगी।
- **अंतरिक्ष मिशन:** भविष्य में अंतरिक्ष में लंबे समय तक समय गुजारने वाले अंतरिक्ष मिशनों के लिए सुरक्षित, पौष्टिक भोजन का विकास करना जरूरी है। साथ ही, इसके तहत उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा, शेल्फ लाइफ और पैकेजिंग अपशिष्ट की चुनौतियों को ध्यान में रखना होगा।
    ○ ऐसे मिशनों के लिए **माइक्रोबियल मैन्युफैक्चरिंग** एकीकृत समाधान उपलब्ध करा सकता है।
- **कौशल का अभाव:** सिंथेटिक बायोलॉजी, बायोइंफॉर्मेटिक्स, और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी है।
    ○ **इस नीति के तहत बायो-हब** प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में कार्य करते हुए बायो मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्र में कुशल कार्यबल का सृजन सुनिश्चित करेंगे।

जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य कदम

जैव-अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय मिशन, 2016: जैव-संसाधन और सतत विकास संस्थान (IBSD) द्वारा जैव-संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए।

राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन, 2017: यह देश में बायो-फार्मास्युटिकल के विकास में तेजी लाने के लिए उद्योग और अकादमिक जगत के बीच एक सहयोगात्मक मिशन है।

राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2015-2020: इसका उद्देश्य भारत को विश्व स्तरीय जैव विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018: इसका मुख्य उद्देश्य देश के भीतर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस नीति का लक्ष्य जैव ईंधन को ऊर्जा उत्पादन की मुख्यधारा में लाना है और पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करना है।

आगे की राह

- **सर्कुलर बायोइकोनॉमी को अपनाना:** सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत (रियूज, रिपेयर और रिसाइकल) बायोइकोनॉमी का एक मूलभूत हिस्सा हैं। इसके तहत रियूज, रिपेयर और रिसाइकल के माध्यम से अपशिष्ट सृजन की कुल मात्रा और इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका से सीखना:** अमेरिका ने व्यापक पैमाने पर बायो-मैन्युफैक्चरिंग को विकसित करने के लिए इससे संबंधित स्टार्ट-अप्स में 2 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।
- **सिंगल विंडो क्लीयरेंस:** सभी चयनित बायो-मैन्युफैक्चर्स के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू किया जाना चाहिए।
- **STEM प्रतिभा:** भारत को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, और गणित (STEM) क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक प्रतिभा का 25% अपने यहां बनाए रखना चाहिए, ताकि लगातार विकास सुनिश्चित किया जा सके।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और यूरोपीय देशों जैसे कई देशों ने बायो-मैन्युफैक्चरिंग हेतु एक मजबूत फ्रेमवर्क की स्थापना की दिशा में नीतियाँ, रणनीतियाँ और रोडमैप प्रस्तुत किए हैं।

7.2. राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस (National Space Day)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक लैंडिंग की स्मृति में भारत ने 23 अगस्त, 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस (NSD) मनाया।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के बारे में

- चंद्रयान-3 मिशन के तहत 23 अगस्त, 2023 को **विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की।**
  - इसके साथ ही, भारत चंद्रमा पर **उतरने वाला विश्व का चौथा देश** और चंद्रमा के **दक्षिणी ध्रुवीय के निकट लैंड करने वाला पहला देश** बन गया है।
- सॉफ्ट लैंडिंग के बाद **प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह** पर संचालन भी किया यानी विभिन्न गतिविधियां शुरू की। लैंडिंग स्थल का नाम **'शिव शक्ति' पॉइंट** (स्टेशन शिव शक्ति) रखा गया।
- **थीम:** "चाँद को छूते हुए जीवन को छूना: भारत की अंतरिक्ष गाथा (Touching Lives while Touching the Moon: India's Space Saga)"

भारत की अंतरिक्ष गाथा

- **आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह** था, जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। यह पृथ्वी के वायुमंडल और विकिरण बेल्ट का अध्ययन करने के लिए अपने साथ वैज्ञानिक उपकरण लेकर गया था।
- इसरो ने जनवरी 2024 तक **123 स्पेसक्राफ्ट मिशन** और **95 लॉन्च मिशन पूरे किए हैं।**
- **अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां भारत की वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका** का नया अध्याय दर्शाती हैं। उदाहरण: आर्टेमिस समझौता।
- भारत दुनिया की **8वीं सबसे बड़ी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था (वित्त-पोषण के संदर्भ में) है।**

सीमित संसाधनों के बावजूद इसरो ने इतनी उपलब्धियां कैसे हासिल कीं?

- **दूरदर्शी नेतृत्व: विक्रम साराभाई को "भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक"** के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने ही इसरो की नींव रखी थी।
  - उन्होंने **बड़ी पहलों** के लिए **बॉटम-अप दृष्टिकोण** पर जोर दिया।

इसरो (ISRO) बेंगलुरु

विभाग: अंतरिक्ष विभाग

उत्पत्ति: अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति (INCOSPAR) की स्थापना 1962 में की गई थी।
- इसरो का गठन 1969 में INCOSPAR की जगह पर किया गया था।
- 1972 में इसे अंतरिक्ष विभाग के अधीन लाया गया।

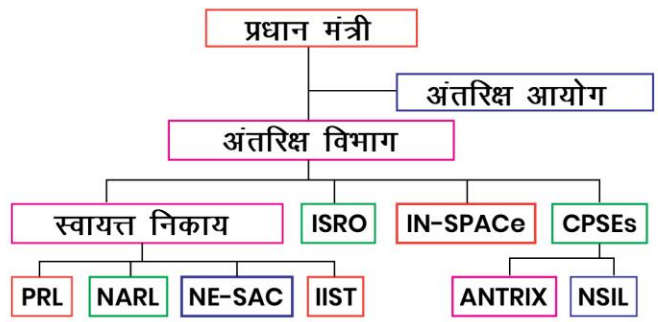

सौंपे गए कार्य: **राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी** के रूप में विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और उसका उपयोग करना।

संरचना: इसरो का नेतृत्व इसके अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसरो का अध्यक्ष, अंतरिक्ष विभाग के सचिव के साथ–साथ अंतरिक्ष आयोग का भी अध्यक्ष होता है। अंतरिक्ष आयोग नीतियों का निर्माण और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करने वाला शीर्ष निकाय है।

- **लागत प्रभावी मिशन:** इसरो ने प्रणाली को सरल बनाने, जटिल बड़ी प्रणाली को छोटा करने, गुणवत्ता नियंत्रण को सख्त करने और उत्पाद से अधिकतम परिणाम सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
  - चंद्रयान-1 के लिए बनाई गई 30% से अधिक उप-प्रणालियों का उपयोग अन्य मिशनों में किया गया।
- **स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास:** इसरो ने आयात पर अपनी निर्भरता को कम किया है और महत्वपूर्ण उपकरणों को यथासंभव स्वदेशी स्तर पर विकसित करने का प्रयास किया है।
  - उदाहरण: ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (Polar Satellite Launch Vehicle: PSLV)
- **साझेदारी और सहयोग:** आर्यभट्ट उपग्रह को सोवियत कोस्मोस-3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था।
  - हाल के उदाहरणों में **NASA-ISRO SAR मिशन (NISAR)** और गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों का रूस में प्रशिक्षण शामिल है।
- **निजी क्षेत्रक को शामिल करना:** इसरो ने महत्वपूर्ण उपकरणों और सेट-अप के डिजाइन, विनिर्माण और परीक्षण के लिए स्थानीय उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा दिया है।
  - उदाहरण के लिए **चंद्रयान-3** के कई उत्पादों की आपूर्ति स्थानीय उद्योग द्वारा की गई थी।

विकासशील देश होते हुए भी भारत अंतरिक्ष मिशनों में क्यों निवेश कर रहा है?

- **आत्मनिर्भरता के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा:** उदाहरण के लिए भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली **NavIC (नेविगेशन विद इंडियन कांस्टेलेशन)**।
  - **यह अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS)** पर भारत की निर्भरता को कम करेगा।
  - एक मजबूत उपग्रह प्रणाली देश की **सीमाओं की निगरानी, पड़ोसी देशों की सैन्य गतिविधियों पर नज़र रखने, और खुफिया जानकारी एकत्र करने** में मदद करेगी।
- **सामाजिक-आर्थिक लाभ:** भारत ने अपनी **उपग्रह क्षमताओं का विकास फसलों, प्राकृतिक आपदाओं एवं कटाव से होने वाले नुकसान की मैपिंग और सर्वेक्षण के लिए भी** किया है।
  - साथ ही, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में **टेलीमेडिसिन** और **दूरसंचार हेतु** उपग्रह आधारित संचार का भी उपयोग किया जाता है।
- **अंतरिक्ष कूटनीति:** उदाहरण- दक्षिण एशिया उपग्रह परियोजना।
- **वैज्ञानिक अनुसंधान: चंद्रयान-3 के तहत विक्रम और प्रज्ञान** पर लगे उपकरणों से चन्द्रमा पर कई प्रयोग किए गए।
- **राजस्व सृजन:** भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्रक ने पिछले दस वर्षों (2014-2023) में 13 बिलियन डॉलर के निवेश के मुकाबले 60 बिलियन डॉलर का राजस्व सृजन किया था।
- **गुणक प्रभाव:** अंतरिक्ष क्षेत्रक द्वारा सृजित प्रत्येक डॉलर का भारतीय अर्थव्यवस्था पर 2.54 डॉलर के बराबर गुणक प्रभाव पड़ा है।

भविष्य के प्रमुख मिशन	
मिशन	**विवरण**
चंद्रयान-4	• इसके तहत चंद्रमा से **चट्टान** और **मिट्टी के नमूने** को पृथ्वी पर लाया जाएगा।
गगनयान मिशन	• यह तीन दिवसीय अंतरिक्ष मिशन होगा। इसमें तीन सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में भेजकर तथा उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर **मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता** का प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई है।
शुक्र ग्रह ऑर्बिटर मिशन (शुक्रयान)	• यह **शुक्र** के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए एक ऑर्बिटर मिशन है।
मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 (मंगलयान 2)	• **यह मंगल ग्रह** के लिए भारत का दूसरा अंतरग्रहीय मिशन होगा। यह मुख्य रूप से एक ऑर्बिटर मिशन होगा।
लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन (LUPEX)	• **यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का** अन्वेषण करने के लिए JAXA के साथ सहयोग में एक मिशन होगा।
भारतीय अन्तरिक्ष स्टेशन (2028-2035)	• यह अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में स्थापित किया जायेगा, जिसका वजन 20 टन होगा और इसमें अंतरिक्ष यात्री 15-20 दिनों तक रह सकेंगे।

निष्कर्ष

इसरो की सफलता ने अन्य देशों के साथ-साथ भारत के विभिन्न संगठनों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि टीम का प्रयास और योजना सकारात्मक तरीके से परिणाम दे सकते हैं। **भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023** निजी क्षेत्र के और अधिक एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे नए मील के पत्थर के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

अन्य संबंधित सुर्खियां

अंतरिक्ष कूटनीति

- नेपाल के 'मुनाल सैटेलाइट' के प्रक्षेपण के लिए अनुदान सहायता देने हेतु भारत और नेपाल ने समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए
  - भारत और नेपाल के बीच यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
  - इस सैटेलाइट को **न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL)** के **ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV)** से लॉन्च किया जाएगा।
- **अंतरिक्ष कूटनीति के बारे में:**
  - इसका उद्देश्य देश की विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है।

- ○ **भारत के लिए अंतरिक्ष कूटनीति का महत्त्व**
    - ▪ **ग्लोबल साउथ का सहयोग:** भारत **अंतरिक्ष में खोज** के लिए संसाधनों के निर्माण और साझा अंतरिक्ष तकनीक के विकास पर आम सहमति बनाने में अधिक निवेश कर रहा है।
    - ▪ **राष्ट्रीय सुरक्षा:** उदाहरण के लिए- **भारत और अमेरिका ने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस** पर समझौता किया है। इसके तहत भारत अपने स्पेस एसेट्स पर खतरों को कम करने के लिए अमेरिकी रडार और सेंसर नेटवर्क का उपयोग कर सकता है।
    - ▪ **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण:** इसके जरिए बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है।
        - ▪ उदाहरण के लिए- **यूनिस्पेस नैनोसैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो** यानी **उन्नति (UNNATI) पहल** के तहत विदेशी इंजीनियरों/ वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती है।
        - ▪ **संघर्ष मुक्त अंतरिक्ष:** भारत ने आउटर स्पेस का शांतिपूर्ण उद्देश्यों से उपयोग करने और इसे संघर्ष से मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- ○ **चुनौतियां:**
    - ▪ अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्रक की भागीदारी की कमी है,
    - ▪ डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए मिशन की संख्या कम है,
    - बहुपक्षीय अंतरिक्ष साझेदारी का अभाव है, आदि।

भारत द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #37 (अंग्रेजी में): अंतरिक्ष अन्वेषण: बदलती परिस्थितियां और भविष्य के लिए विकल्प

7.3. फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाइयां (Fixed Dose Combination Drugs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** ने 156 **फिक्स्ड-डोज़ कॉम्बिनेशन (FDC)** दवाओं के विनिर्माण, बिक्री या वितरण पर प्रतिबंध लगाया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने FDCs पर यह प्रतिबंध **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम[114], 1940** के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर लगाया है।
    - ○ इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2023 में **14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाइयों** पर प्रतिबंध लगाया था।
- प्रतिबंधित FDCs से **मानव स्वास्थ्य को खतरा** है, जबकि इन दवाओं के सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।
    - ○ केंद्र सरकार और **औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB)[115]** द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि प्रतिबंधित FDCs में शामिल **सामग्री का कोई चिकित्सीय औचित्य** नहीं है।
- प्रतिबंधित **FDCs में** एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक (Painkillers) और मल्टीविटामिन **शामिल हैं**। जैसे- एसिक्लोफेनाक और पेरासिटामोल।

फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDCs) दवाइयां क्या होती हैं?

- **परिभाषा: औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945** के अनुसार, **दो या दो से अधिक सक्रिय औषध सामग्रियों (APIs)** को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाई गई **एकल खुराक वाली दवा को फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन** कहा जाता है। कभी-कभी इन्हें **'कॉकटेल ड्रग्स'** भी कहा जाता है।

---

[114] Drugs and Cosmetics Act

[115] Drugs Technical Advisory Board

- API वास्तव में किसी विनिर्मित दवा (जैसे टेबलेट, कैप्सूल, क्रीम, इंजेक्टेबल) का **जैविक रूप से सक्रिय घटक** होता है, जो बीमारी के इलाज में वांछित प्रभाव उत्पन्न करता है।

- **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अनुसार,** FDCs को नई दवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसके लिए **केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)**[116] **से** अनुमोदन लेना होता है।
- अधिकांश FDCs का उपयोग **खांसी, जुकाम और बुखार की दवा; एंटीमाइक्रोबियल्स/ रोगाणुरोधी; विटामिन और मिनरल्स** आदि **के लिए किया जाता** है।

FDCs के उपयोग के पक्ष में तर्क	FDCs से संबंधित मुद्दे
• **बढ़ती प्रभावकारिता:** कई दवाओं को अलग-अलग उपयोग करने की तुलना में इनसे बेहतर चिकित्सीय नतीजे प्राप्त होते हैं। • **लागत-प्रभावशीलता:** सभी दवाओं को अलग-अलग खरीदने की तुलना में ये एकल दवाओं के रूप में अधिक किफायती होते हैं। • **अधिक टेबलेट्स खाने से निजात मिलना:** रोगी के लिए कम टेबलेट्स खाना आसन होता है। • इनके **फार्माकोकाइनेटिक** लाभ भी हैं। ○ **फार्माकोकाइनेटिक्स** के तहत शरीर द्वारा दवाओं के अवशोषण, दवाओं के लक्षित अंगों तक पहुंचने, मेटाबोलिज्म और अंत में दवाओं के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है।	• **एकल दवा लेने के मामले में लचीलेपन का अभाव:** FDCs में हर घटक की एक निश्चित मात्रा होती है, जो हो सकता है कि सभी मरीजों के लिए उपयुक्त न हो। • **गैर-अनुमोदित और प्रतिबंधित FDCs:** भारत जैसे देशों में बिना जांचे (Untested) और बिना लाइसेंस वाले FDCs तक आसान पहुंच लोक स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से खतरनाक स्थिति पैदा करती है। • **एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) का बढ़ता जोखिम:** इसका जोखिम FDCs का अधिक उपयोग करने के कारण बढ़ जाता है। • **नैतिक चिंता:** लैंसेट रिपोर्ट 2016 के अनुसार, भारत ने कुछ FDCs पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि, अफ्रीकी या सार्क देशों को इनका निर्यात किया जा रहा है।

भारत में FDCs के विनियमन से संबंधित समस्याएं/ मुद्दे

- **दवाओं को रिफॉर्म्युलेट करना:** दवाओं से जुड़ी मूल्य नियंत्रण व्यवस्था से बचने के लिए कुछ कंपनियां अलग-अलग दवाओं को फिर से मिलाकर एक FDC (फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन) बना देती हैं।
- **गुणवत्ता से समझौता:** नए FDCs को 4 साल बाद राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (SLAs) से लाइसेंस प्राप्त करके अन्य विनिर्माता बना सकते हैं, और इस दौरान फार्माकोलॉजिकल अध्ययन से जुड़ी लापरवाहियों की सही से जांच नहीं की जाती। इससे दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है।
- **अनुमोदन प्रक्रिया:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 59वीं रिपोर्ट में बताया कि कुछ राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (SLAs) केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की पूर्व मंजूरी के बिना FDCs के लिए विनिर्माण लाइसेंस जारी कर रहे हैं।
- **अन्य मुद्दे:**
  - भारत में **दवाओं के रिएक्शन के प्रभाव की रिपोर्ट करने वाली प्रणाली काफी खराब** है।
  - **डेटा का अभाव:** भारत के पास वर्तमान में बाजार में उपलब्ध FDCs, उनकी बिक्री का टर्नओवर और उपयोग के पैटर्न का **सटीक डेटाबेस नहीं है।**

[116] Central Drugs Standard Control Organization

FDCs के विनियमन के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

* **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008:** इस अधिनियम में नकली और मिलावटी दवाओं के विनिर्माताओं के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही, कुछ अपराधों को **संज्ञेय (Cognizable)** और **गैर-जमानती (Non-bailable)** भी बना दिया गया है।
* CDSCO के अंतर्गत **केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की परीक्षण क्षमताओं** को लगातार मजबूत किया जा रहा है। ऐसा करने से देश में दवा के नमूनों की जांच की प्रक्रिया को तेज किया जा सकेगा।
* **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 में 2017 में संशोधन किया गया:** इसमें यह प्रावधान किया गया है कि आवेदक को मौखिक खुराक या ओरल डोज वाली दवाओं के विनिर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ **बायोइक्विवेलेन्स** अध्ययन के परिणाम भी प्रस्तुत करने होंगे।

FDCs के विनियमन में सुधार के लिए दिए गए सुझाव

* **आवधिक सर्वेक्षण की आवश्यकता:** दवा विनिर्माताओं और थोक एवं खुदरा दुकानों का समय-समय पर सर्वेक्षण किया जा सकता है, ताकि इस क्षेत्रक में मौजूदा समस्याओं का पता लगाया जा सके।
* **राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण (NDA)**[117]**:** इस निकाय की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए। जैसे- हाथी समिति और 1994 की औषधि नीति में परिकल्पित किया गया है।
* **कठोर दंडात्मक कार्रवाई: माशेलकर समिति** ने सुझाव दिया है कि दवा से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जो दूसरों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करेगी। यह समिति "नकली दवाओं की समस्या सहित औषधि विनियामक मुद्दों की व्यापक जांच" हेतु गठित की गई थी।
  * इस समिति द्वारा नकली दवा के विनिर्माण या बिक्री के लिए दंड को **आजीवन कारावास से मृत्यु दंड** में बदलने की सिफारिश की गई है।
* **बहु-चरणीय दृष्टिकोण:** भारत में FDC के अतार्किक उपयोग को नियंत्रित करने के लिए, सभी हितधारकों (उपभोक्ताओं, चिकित्सकों, विनियामक प्राधिकरण, उद्योग और अकादमिक जगत) को शामिल करते हुए बहु-चरणीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

7.4. A1 और A2 दूध (A1 and A2 Milk)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य व्यापार संचालकों (FBOs)** को दिए गए अपने निर्देश को वापस ले लिया है। इस निर्देश में कहा गया था कि खाद्य व्यापार संचालक **A1** और **A2** नाम से अपने दूध और दूध आधारित उत्पादों की मार्केटिंग न करें।

शब्दावली को जानें

* **उत्परिवर्तन (Mutation):** किसी सजीव के DNA अनुक्रम में होने वाले परिवर्तन को 'उत्परिवर्तन' कहा जाता है।
  * उत्परिवर्तन **कोशिका विभाजन** के दौरान या बाहरी कारकों के संपर्क में आने के कारण **DNA प्रतिकृति** में त्रुटियों से हो सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

* इससे पहले, FSSAI ने कहा था कि **खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में** निर्धारित **दूध के मानकों में** A1 और A2 प्रकार के आधार पर दूध में किसी प्रकार के अंतर का उल्लेख/की मान्यता नहीं है।
  * **सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006** के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम[118], 2011 लागू किया गया है।

---

[117] National Drug Authority

[118] Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations

वर्गीकरण का आधार

- A1 और A2 **बीटा (β)-केसीन प्रोटीन के आनुवंशिक रूप हैं। केसीन** (दूध प्रोटीन का 80% हिस्सा) दूध में पाए जाने वाले दो प्रकार के प्रोटीन में से एक है, जबकि दूसरा **व्हे (Whey) प्रोटीन** है।
    - दोनों के **अमीनो एसिड** अनुक्रम की संरचना में अंतर होता है।
    - इसके अलावा, A1 **प्राकृतिक उत्परिवर्तन के माध्यम से A2 से विकसित हुआ है।**
- **सामान्य दूध** में A1 और A2 दोनों प्रकार के बीटा-केसीन पाए जाते हैं, जबकि **A2 दूध** इस मायने में विशिष्ट है क्योंकि इसमें केवल A2 प्रकार का ही बीटा-केसीन पाया जाता है।
    - **राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBAGR)**[119] के अध्ययनों ने पुष्टि की है कि **देशी नस्ल की गाय** और **भैंस का दूध A2 प्रकार का दूध होता** है।

A1 और A2 दूध के बीच तुलना		
पैरामीटर	**A1 दूध**	**A2 दूध**
पोषण	• **वसा** और **कैलोरी की उच्च मात्रा।**	• **प्रोटीन** की उच्च मात्रा।
स्वास्थ्य लाभ	• **इसमें हिस्टिडीन** (आवश्यक अमीनो एसिड) होता है। ○ **हिस्टिडीन का** उपयोग शरीर द्वारा हिस्टामाइन का निर्माण करने के लिए किया जाता है। हिस्टामाइन शरीर को **इन्फ्लेमेशन और एलर्जी** के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने में सक्षम बनाता है। • अध्ययनों के अनुसार, A1 युक्त दूध कुछ लोगों को अच्छी तरह से नहीं **पचता है** और A2 युक्त दूध उनके लिए बेहतर विकल्प होता है।	• **प्रोलाइन** (एक गैर-आवश्यक अमीनो एसिड) होता है। ○ **यह कोलेजन** का एक आवश्यक घटक है और यह जोड़ों एवं टेंडन्स के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है।
स्रोत	• यह **उत्तरी यूरोप की स्थानिक गाय की नस्लों** में पाया जाता है, जैसे होलस्टीन, फ्रीजियन, आयरशायर और ब्रिटिश शॉर्टहॉर्न।	• **यह चैनल आइलैंड्स और दक्षिणी फ्रांस की** स्थानिक गाय की नस्लों के दूध में पाया जाता है, जिसमें ग्वेर्नसे, जर्सी, चारोलिस, लिमोज़िन गायें शामिल हैं।

प्रोटीन के बारे में

- **ये अमीनो एसिड** से बने बड़े अणु होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं-
    - **आवश्यक अमीनो एसिड:** इन्हे शरीर स्वयं नहीं बना सकता है, इसलिए इन्हें भोजन से प्राप्त करना आवश्यक होता है।
    - **गैर-आवश्यक अमीनो एसिड:** इन्हें शरीर स्वयं बना सकता है।
- प्रोटीन **शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों के** मुख्य संरचनात्मक घटक होते हैं। मांसपेशियां और अंग मुख्यतः प्रोटीन से बने होते हैं।
- **प्रमुख खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन**
    - **अंडा**: ओवल्ब्यूमिन, ओवोट्रांसफेरिन, ओवोमुकोइड, ओवोम्यूसीन आदि।
    - **मछली**: मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और एक्टोमायोसिन।
    - **मसूर**: ग्लोब्युलिन, एल्बुमिन, आदि।
    - **सोयाबीन**: ग्लाइसिनिन, बीटा-कॉन्ग्लिसिनिन।
    - **बादाम**: अमांडिन।

[119] National Bureau of Animal Genetic Resources

7.5. निर्देशित ऊर्जा हथियार (Directed Energy Weapons: DEWs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल के समय में, भारत ने **निर्देशित ऊर्जा हथियारों (DEWs) के क्षेत्र में काफी अधिक निवेश** किए हैं।

शब्दावली को जानें

- **विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम (Electromagnetic Spectrum):** विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम वस्तुतः विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक पूरा क्रम होता है, जिसमें तरंगों को उनकी आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
    - विद्युत चुंबकीय तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगें, एक्स-रे, गामा किरणें, रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव, पराबैंगनी और अवरक्त तरंगें शामिल हैं।

निर्देशित ऊर्जा हथियारों (DEWs) के बारे में

- **DEWs** वस्तुतः दूर से ही मार करने वाले हथियार (Ranged weapons) होते हैं। इसमे **गतिज ऊर्जा** के बजाए **विद्युत चुंबकीय** या **कण प्रौद्योगिकी** से **उत्पन्न संकेन्द्रित (Concentrated) ऊर्जा** से दुश्मन के उपकरणों, फैसिलिटी और/ या कर्मियों को अशक्त, क्षतिग्रस्त, अक्षम या नष्ट किया जाता है।
- **DEWs इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की व्यापकता को बढ़ा देते हैं।**
    - **इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (Electronic warfare)** में किसी सैन्य संघर्ष के दौरान दुश्मन के विरुद्ध **विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम** का उपयोग किया जाता है।
- **DEWs कैसे काम करते हैं?**
    - DEWs **प्रकाश की गति से विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इसके तहत** अलग-अलग विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पर उत्सर्जित ऊर्जा अपनी **तरंगदैर्ध्य के आधार पर अलग-अलग टारगेट को भेदने में सक्षम होती है।**
    - ऐसे हथियारों के **पावर आउटपुट, रोजमर्रा के उपकरणों (जैसे- घरेलू माइक्रोवेव) की तुलना में काफी शक्तिशाली होते हैं,** ताकि वे लक्ष्यों या टार्गेट्स को प्रभावी ढंग से बाधित या नष्ट कर सकें।
- **DEWs के उपयोग:**
    - **सैन्य सुरक्षा:** आक्रमणकारी मिसाइलों को रोकना और नष्ट करना; ड्रोन को निष्क्रिय करना और शत्रु के इलेक्ट्रॉनिक्स को निष्प्रभावी करना।
    - **कानून प्रवर्तन और सीमा सुरक्षा:** गैर-घातक निर्देशित ऊर्जा हथियार जैसे माइक्रोवेव या लेजर का उपयोग **भीड़ के नियंत्रण और सीमा सुरक्षा** के लिए किया जा सकता है।
    - **अंतरिक्ष संबंधी संचालन:** उपग्रहों को मलबे और उपग्रह-रोधी हथियारों से बचाने में सहायक हैं।

निर्देशित ऊर्जा हथियारों के प्रकार

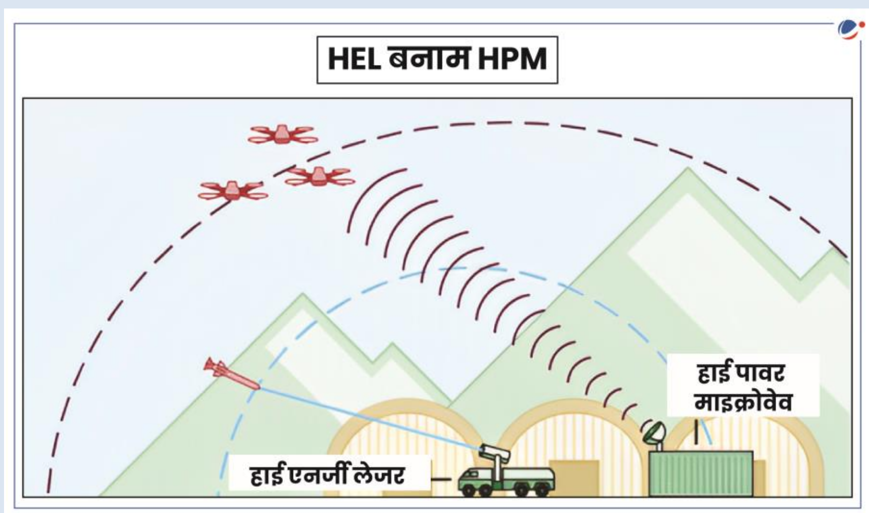

- **हाई एनर्जी लेज़र (HEL):** यह लक्ष्यों को भेदने के लिए अति-संकेंद्रित प्रकाश का इस्तेमाल करती है।
    - 100 किलोवाट की क्षमता वाली HELs मानवरहित हवाई प्रणाली (UAS) जैसे छोटे लक्ष्यों को निशाना बना सकती है, जबकि 1 मेगावाट की लेजर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को नष्ट कर सकती है।
    - इसका उपयोग अधिक दूरी पर **तेजी से गतिमान लक्ष्यों को नष्ट करने हेतु भी किया जाता** है।
- **हाई पॉवर माइक्रोवेव (HPMs):** ये इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को नष्ट करने के लिए उच्च-आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करते हैं और शत्रु को अक्षम कर देते हैं।
    - **इसका उपयोग कई प्रकार के लक्ष्यों को नष्ट या निष्क्रिय करने हेतु किया जा सकता है। इसकी रेंज** HEL से कम होती है।
- **मिलीमीटर वेव:** इसमें 1 से 10 मिलीमीटर के बीच की तरंगदैर्ध्य का इस्तेमाल किया जाता है। यह साधारण असैन्य परिस्थतियों जैसे- भीड़ नियंत्रण आदि में प्रयुक्त होती है।
- **पार्टिकल बीम वेपन:** इसमें शत्रु को नुकसान पहुंचाने के लिए **इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन** जैसे एक्सीलरेटेड कणों का इस्तेमाल किया जाता है।

DEWs के लाभ

- **प्रति शॉट के मामले में लागत दक्षता:** DEW पारंपरिक युद्ध सामग्री जैसे मिसाइलों की तुलना में प्रति शॉट संभावित रूप से कम खर्चीली है।
    - उदाहरण के लिए- **ब्रिटेन के DEW 'ड्रैगनफायर' लेजर** का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह 10 यूरो से भी कम की प्रति शॉट लागत पर दुश्मन के विमानों/ मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है।
- **तीव्र प्रतिक्रिया:** प्रकाश की गति से लेजर किरण लक्ष्य तक लगभग तुरन्त पहुंचने में सक्षम होती है, जो तेज गति से बढ़ते खतरों का मुकाबला करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।
    - इससे टारगेट को इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइलों के लिए आवश्यक इंटरसेप्ट पथ की **गणना करने आदि जैसी आवश्यकता से बचा जा सकता है।**
- **लोजोस्टिकल दक्षता:** इसके लिए पारंपरिक युद्धक सामग्री जैसे गोला-बारूद और **मेकेनिकल लोडिंग की आवश्यकता नहीं होती है।** इसमें पावर आउटपुट की आवश्यकता होती, जिससे आपूर्ति श्रृंखला सरल हो जाती है।
- **परिशुद्धता:** प्रकाश और निर्देशित ऊर्जा के अन्य प्रकार पर **गुरुत्वाकर्षण, पवन या कोरियोलिस बल का प्रभाव नहीं पड़ता है,** जिससे **अत्यधिक सटीकता के साथ लक्ष्य को निशाना बनाना संभव हो जाता है।**
- **स्टील्थ क्षमता:** कई DEWs **बिना पकड़ में आये काम कर सकते हैं।** ऐसे में विशेष रूप से दृश्यमान स्पेक्ट्रम से परे स्पेक्ट्रम पर बीम उत्सर्जित करने वाले DEWs का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
- **कम लागत वाले ड्रोन और रॉकेटों का मुकाबला:** DEWs एक साथ कई मानवरहित प्रणालियों और हथियारों को निशाना बना सकते हैं, जो मौजूदा वायु और मिसाइल सुरक्षा प्रणाली से बचकर निकल सकते हैं।

DEWs से जुड़ी चुनौतियां

- **तकनीकी सीमाएं:** DEWs आमतौर पर लक्ष्य से जितनी दूर होते हैं, उतने ही कम प्रभावी होते हैं। साथ ही, वायुमंडलीय दशाएं और शीतलन संबंधी अनिवार्यताएं इनकी प्रभावशीलता को सीमित कर सकती हैं।
    - **उदाहरण के लिए- कोहरा और तूफान लेजर बीम की रेंज और गुणवत्ता को कम कर सकते हैं।**
- **युद्धक्षेत्र में उपयोग:** DEWs का उपयोग कैसे और कब किया जाए, इस संबंध में निर्णय लेना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
    - उदाहरण के लिए- हाई पॉवर माइक्रोवेव या मिलीमीटर वेव हथियार जैसे व्यापक बीम वाले DEWs टारगेट के आस-पास के क्षेत्र में अन्य सभी परिसंपत्तियों को प्रभावित करते है, चाहे वे स्वयं की हों या शत्रु की।
- **नैतिक और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं:** लोगों पर DEWs के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में अनिश्चितता ने उनके उपयोग के बारे में नैतिक प्रश्न उठाए हैं। ये दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव जानबूझकर या अनजाने में निर्देशित ऊर्जा के संपर्क में आने पर उत्पन्न हो सकते हैं।
- **हथियारों की होड़:** किसी एक देश द्वारा DEWs का विकास अन्य देशों के बीच हथियारों की होड़ को बढ़ावा दे सकता है, जिससे तनाव बढ़ सकता है।
- **अन्य चिंताएं:**
    - वर्तमान में, DEWs **तुलनात्मक रूप से आकार में बड़े हैं और** उनके संचालन के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
    - DEWs के अनुसंधान और विकास से जुड़ी **उच्च लागत।**
    - **HELs को लक्ष्य पर सटीक प्रहार करने के लिए लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता होती है।**
    - DEW की प्रभावशीलता को कम करने के लिए **परावर्तक सामग्रियों और अन्य काउंटरमेजर्स का प्रयोग किया जा सकता है।**

DEWs के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **डायरेक्शनली अन-रिस्ट्रिक्टेड रे-गन ऐरे (दुर्गा)-II परियोजना:** यह परियोजना 100 किलोवाट वाले हल्के निर्देशित ऊर्जा हथियार बनाने के लिए DRDO द्वारा शुरू की गई है।
- **2kW निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEW) प्रणाली:** इसे ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियों जैसे नए खतरों का मुकाबला करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है।

- **लेजर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र (LASTEC)**: यह DRDO की प्रयोगशाला है, जो **त्रि-नेत्र परियोजना के तहत डायरेक्ट एनर्जी वेपन विकसित कर रही है।**
- **किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर (KALI):** यह लंबी दूरी की मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए DRDO और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) द्वारा विकसित किया जा रहा लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सीलेटर है।

दुनिया भर में DEWs के उदाहरण

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** HEL विथ इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल-डैज़लर एंड सर्विलांस (HELIOS), हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम (HELWS), टेक्टिकल हाई पॉवर माइक्रोवेव ऑपरेशनल रिस्पॉन्डर (THOR) आदि।
- **यूनाइटेड किंगडम: ड्रैगनफायर** नामक लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार (laser directed energy weapon: LDEW) ।
- **इजराइल: 'आयरन बीम'** लेजर-आधारित इंटरसेप्शन सिस्टम।
- **रूस, फ्रांस, जर्मनी, चीन आदि** भी कथित तौर पर उन देशों में शामिल हैं, जिनके पास DEWs या लेजर DEWs के विकास संबंधी कार्यक्रम हैं।

निष्कर्ष

अपने पड़ोसियों, विशेष रूप से चीन और उसकी विशाल तकनीकी क्षमता द्वारा उत्पन्न लगातार खतरे के मद्देनजर, भारत की रक्षा प्रणाली को ऑटोनोमस और हाइपरसोनिक हथियारों से उत्पन्न अनिवार्य खतरों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस संदर्भ में DEWs एक संभावित समाधान के रूप में उभर सकते हैं।

7.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.6.1. इसरो ने भू-अवलोकन (Earth Observation) उपग्रह EOS-08 लॉन्च किया (ISRO Launches Earth Observation Satellite EOS-08)

यह उपग्रह **SSLV-D3/EOS-08 मिशन** के तहत लॉन्च किया गया। इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से **लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)-D3** की मदद से लॉन्च किया गया है।

- यह उपग्रह पृथ्वी से **475 किलोमीटर की ऊंचाई** पर वृत्ताकार **निम्न कक्षा** में **37.4° के कोण (inclination) पर** पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। इस उपग्रह की **मिशन लाइफ एक वर्ष** है।
- इसके अलावा, SSLV-D3 प्रक्षेपण यान से **SR-0 डेमोसैट** भी लॉन्च किया गया। इसे **स्पेस किड्ज इंडिया** ने तैयार किया है।

EOS-08 मिशन के उद्देश्य:

- **माइक्रोसैटेलाइट के डिजाइन और विकास** का परीक्षण करना,
- **माइक्रोसैटेलाइट बस** के अनुरूप पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स बनाना,
- **भविष्य के उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियां** शामिल करना।

E0S-08 मिशन के पेलोड्स:

- **इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इन्फ्रारेड पेलोड (EOIR) पेलोड:** यह मिड-वेव और लॉन्ग वेव इन्फ्रारेड बैंड में तस्वीरें लेगा। इनसे आपदाओं की निगरानी करने और पर्यावरण पर नज़र रखने जैसे कार्यों में मदद मिलेगी।
- **ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम- रिफ्लेक्टोमेट्री (GNSS-R) पेलोड:** यह महासागर के ऊपर बहने वाली हवाओं, मृदा की नमी, हिमालय क्रायोस्फीयर, आदि को मापने के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग करेगा।
- **SiC UV डोसीमीटर:** यह गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल व्यूपोर्ट के ऊपर अल्ट्रावायलेट (UV) विकिरण की निगरानी करेगा। यह अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाई-डोज अलार्म सेंसर के रूप में कार्य करेगा।

पृथ्वी वेधशाला उपग्रह (Earth observatory satellites: EOS) के बारे में:

- EOS या अर्थ रिमोट सेंसिंग उपग्रह, पृथ्वी के अवलोकन (EO) के लिए लॉन्च किए जाते हैं।
    - पृथ्वी अवलोकन (EO) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बारे में **डेटा एकत्र** किया जाता है। यह डेटा प्राकृतिक घटनाओं (जैसे- बादल, जंगल, पहाड़) और मानव-निर्मित संरचनाओं (जैसे- शहर, सड़कें, खेत), दोनों के बारे में हो सकता है। इसके माध्यम से हम पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक और जैविक पहलुओं के साथ-साथ मानवीय गतिविधियों के प्रभावों का भी अध्ययन कर सकते हैं।
- **मुख्य उपयोग:** इसका उपयोग अर्ली वार्निंग सिस्टम, विभिन्न गतिविधियों का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की आदि निगरानी में किया जाता है।

लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)–D3 के बारे में

- SSLV–D3, SSLV की तीसरी विकासात्मक उड़ान है।
- **SSLV 10 से 500 किलोग्राम वजन वाले मिनी, माइक्रो या नैनो सैटेलाइट्स को पृथ्वी से 500 किलोमीटर की प्लेनर ऑर्बिट में लॉन्च** करने में सक्षम है।
- **SSLV–D3** यान के पहले तीन चरणों में **ठोस ईंधन** का उपयोग किया जाता है, जो यान को बहुत तेजी से ऊपर की ओर धकेलता है। यान का अंतिम चरण या टर्मिनल चरण **तरल ईंधन** से संचालित होता है, जो यान को अपनी कक्षा तक पहुंचने में मदद करता है।
- **इसके मुख्य लाभ हैं:**
    - प्रक्षेपण की कम लागत,
    - कम अवधि में दूसरे लॉन्च के लिए तैयार होना,
    - कई प्रकार के उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षमता,
    - जरूरत पड़ने पर शीघ्र लॉन्च किया जा सकता है,
    - उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए कम इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता, आदि।

7.6.2. एक्सिओम मिशन 4 {AXIOM Mission 4 (AX-4)}

भारत ने एक्सिओम मिशन 4 के लिए **शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्णन नायर** का चयन किया है। ये दोनों भारतीय वायु सेना में ग्रुप कैप्टन हैं।

- इस मिशन के तहत ये दोनों **संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशिक्षण** लेंगे। मिशन के दौरान इन दोनों को प्राप्त अनुभव भारत के **मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए लाभकारी** होगा।

एक्सिओम मिशन 4 (एक्स-4) के बारे में

- यह **नासा और एक अमेरिकी निजी कंपनी एक्सिओम स्पेस** का चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है।
- इसके 14 दिनों तक के लिए **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से जुड़ने** की उम्मीद है।
- एक्सिओम स्पेस ने प्रक्षेपण सुविधा प्राप्त करने के लिए **स्पेसएक्स से कॉन्ट्रैक्ट** किया है।

7.6.3. लद्दाख मार्स/ लूनर एनालॉग रिसर्च स्टेशन के लिए संभावित स्थल (Ladakh As Martian/Lunar Analogue)

वैज्ञानिकों ने लद्दाख को मार्स या लूनर एनालॉग रिसर्च स्टेशन के लिए संभावित स्थल के रूप में चुना।

- एनालॉग रिसर्च स्टेशन एक ऐसा स्थान होता है, जहां **किसी अन्य ग्रह या ब्रह्मांड के किसी अन्य पिंड पर मौजूद चरम स्थितियों के समान भौतिक दशाएं होती हैं।**
- **वर्तमान में विश्व में 33 एनालॉग रिसर्च स्टेशन** हैं, जिनमें से कोई भी भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है।
    - इनमें BIOS-3 (रूस), HERA और बायोस्फीयर 2 (USA), मार्स वन (नीदरलैंड), D-MARS (इजराइल) आदि शामिल हैं।

एनालॉग साइट्स की आवश्यकता क्यों है?

- ये **दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण** नई प्रौद्योगिकियों, रोबोटिक उपकरणों, वाहनों, विद्युत उत्पादन, आदि का **फील्ड टेस्ट** करने के लिए ज़रूरी हैं।
- ये **अन्य ग्रहों या पिंडों पर मौजूद चरम स्थितियों के अनुरूप दशाओं (सिम्युलेशन) में मानव की उपस्थिति** और **व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों** जैसे कि अकेलापन एवं कटाव, टीम का आपसी जुड़ाव, पाचन क्षमता आदि **का अध्ययन करने के लिए आवश्यक** होते हैं।
  - सिमुलेशन परीक्षण के तहत सभी प्रकार की आकस्मिकताओं से निपटने में **हैबिटैट यूनिट की** क्षमता को परखा जाता है।

लद्दाख मार्स या लूनर एनालॉग रिसर्च स्टेशन के लिए क्यों आदर्श साइट है?

- **लद्दाख क्षेत्र में मंगल और चंद्रमा के समान निम्नलिखित भू-आकृति विज्ञान संबंधी समानताएं हैं:**
  - प्रचुर मात्रा में चट्टानी जमीन वाला **शुष्क, ठंडा और बंजर मरुस्थल।**
  - **वनस्पति, टीलों** और जल निकासी नेटवर्क **से रहित विशाल समतल भूमि।**
  - पृथक **धरातलीय हिम और पर्माफ्रॉस्ट** तथा रॉक ग्लेशियर।
- **मंगल ग्रह की सतह की भू-रासायनिक दशाओं से समानता:** जैसे- ज्वालामुखी चट्टानें, खारी झीलें और जलतापीय प्रणालियां।
- **एक्सोबायोलॉजिकल समानताएं:** पर्माफ्रॉस्ट (अतीत में मौजूद रहे जल के साक्ष्य), पराबैंगनी और कॉस्मिक विकिरण का अधिक प्रभाव, कम वायुमंडलीय दबाव, हॉट स्प्रिंग्स (बोरॉन से समृद्ध) और मानवीय हस्तक्षेप से अलग-थलग क्षेत्र।

भारत के खगोलीय हब के रूप में लद्दाख

- **भारतीय खगोलीय वेधशाला (IAO):** यह लद्दाख के हेनले में स्थित ऑप्टिकल इन्फ्रारेड टेलीस्कोप है।
- **खगोल पर्यटन:** हेनले के आस–पास लगभग 22 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र को **हेनले डार्क स्काई रिजर्व (HDSR) के रूप में अधिसूचित किया गया है।**
- **विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रमों का आयोजन:** जैसे– नासा का स्पेसवार्ड बाउंड इंडिया प्रोग्राम 2016, एक्सोमार्स 2020 हैबिट इंस्ट्रूमेंट का फील्ड परीक्षण आदि।

7.6.4. टेक्नोलॉजिकल डोपिंग (Technological Doping)

हाल ही में, कुछ विशेषज्ञों ने टेक्नोलॉजिकल डोपिंग पर चिंता जताई है।

टेक्नोलॉजिकल डोपिंग के बारे में:

- टेक्नोलॉजिकल डोपिंग **खेल उपकरणों का उपयोग करके अनुचित तरीके से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने** की पद्धति है।
  - **उदाहरण के लिए- 2008 ओलंपिक में स्पीडो LZR रेसर स्विमसूट का उपयोग।** यद्यपि बाद में इन स्विमसूट्स को प्रतिबंधित कर दिया गया था।
- **विनियमन:** विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा/ WADA) **"प्रदर्शन-बढ़ाने वाली" या "खेल की भावना के खिलाफ"** जाने वाली प्रौद्योगिकियों पर प्रतिबंध लगाती है।

7.6.5. एंटीमैटर (Antimatter)

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने एक कण त्वरक **रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर में सबसे भारी एंटीमैटर न्यूक्लियस** का पता लगाया है।

- इसे **एंटीहाइपर हाइड्रोजन-4** नाम दिया गया है। यह **एंटीप्रोटॉन, दो एंटीन्यूट्रॉन्स और एंटीहाइपरॉन** से बना है।

एंटीमैटर

- पदार्थ के प्रत्येक मूल कण के लिए उसके **समान द्रव्यमान वाला लेकिन विपरीत विद्युत आवेश वाला एक विरोधी या प्रति-कण (anti-particle)** मौजूद होता है। इसे एंटीमैटर कहा जाता है।
  - उदाहरण के लिए- धनात्मक रूप से आवेशित **पॉज़िट्रॉन,** ऋणात्मक रूप से आवेशित **इलेक्ट्रॉन** का एंटीमैटर है।
- इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित **एंटीमैटर पार्टिकल्स को पॉज़िट्रॉन, एंटीप्रोटॉन और एंटीन्यूट्रॉन** कहा जाता है।

- **मैटर और एंटीमैटर कण हमेशा युग्म के रूप** में उत्पन्न होते हैं। हालांकि, जब **एक कण और उसके विरोधी कण या प्रति-कण टकराते हैं**, तो वे ऊर्जा की एक चमक या फ्लैश में "पूर्ण रूप से नष्ट" हो जाते हैं। इससे नए कण और प्रति-कण (एंटी-पार्टिकल) उत्पन्न होते हैं।

7.6.6. थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर पॉवर स्टेशन (Thorium Molten Salt Nuclear Plant)

चीन 2025 में विश्व का पहला 'थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर पॉवर स्टेशन' गोबी मरुस्थल में स्थापित करेगा।

- इस परमाणु ऊर्जा स्टेशन में **ईंधन के रूप में यूरेनियम की जगह थोरियम** का इस्तेमाल किया जाएगा।
  - इसमें **शीतलक के लिए जल की आवश्यकता** नहीं होती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह **ऊष्मा को स्थानांतरित करने और विद्युत उत्पादन के लिए तरल नमक या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग** करता है।
  - जल-शीतलक मॉडल के विपरीत, यह डिजाइन **ओवरहीटिंग के कारण रिएक्टर कोर के पिघलने की संभावना को काफी कम** कर देता है।

ईंधन के रूप में थोरियम

- थोरियम **रेडियोधर्मी गुण वाला** प्राकृतिक तत्व है। यह **मिट्टी, चट्टानों, जल, पौधों और जानवरों में बहुत कम मात्रा** में पाया जाता है।
- थोरियम की भौतिक विशेषताओं के कारण, इसका **परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए प्रत्यक्ष उपयोग नहीं** किया जा सकता है। इसके लिए पहले इसे **परमाणु रिएक्टर में U-233 में बदला** जाता है।

थोरियम आधारित रिएक्टर्स का महत्त्व

- विश्व में **यूरेनियम की तुलना में थोरियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध** है। भारत में, **केरल और ओडिशा में मोनाजाइट** के समृद्ध भंडार है। गौरतलब है कि **मोनाजाइट में लगभग 8-10% थोरियम** होता है।
  - मोनाजाइट **आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और झारखंड** में भी पाया जाता है।
- **थोरियम का इस्तेमाल रासायनिक रूप से इसकी निम्नलिखित विशेषताओं के कारण सुरक्षित है:**
  - उच्च गलनांक बिंदु;
  - बेहतर तापीय चालकता;
  - बेहतर ईंधन प्रदर्शन विशेषताएं;
  - रासायनिक रूप से अक्रिय और स्थिरता।
- यह **पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित और कम विषाक्त** है। साथ ही, अल्पकालिक (बहुत कम अस्तित्व अवधि) रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न करता है।

भारत के परमाणु कार्यक्रम में थोरियम की भूमिका

- भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के **तीसरे चरण में थोरियम का इस्तेमाल** करके बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
  - पहले चरण में **दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर्स (PWHRs) में प्राकृतिक यूरेनियम** का उपयोग शामिल है। वहीं **दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स (FBRs) में प्लूटोनियम** का उपयोग शामिल है।
- भारत ने **मोनाजाइट से थोरियम उत्पादन की प्रक्रिया अच्छी तरह** से स्थापित कर ली है।
  - उन्नत भारी जल रिएक्टर, जो वर्तमान में **BARC में विकास के चरण** में है, थोरियम ईंधन चक्र के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के रूप में काम करेगा।

7.6.7. प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल 'ISDRA2TNPB' (Plant Genome Editing Tool 'ISDRA2TNPB')

हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने मिनिएचर प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल 'ISDra2TnpB' विकसित किया।

- **'ISDra2TnpB'** को पादपों में जीनोम एडिटिंग के लिए अगली पीढ़ी का टूल माना जा रहा है। यह टूल **CRISPR-Cas9 और CRISPR-Cas12 से भी बेहतर परिणाम** दे सकता है।
- **CRISPR उच्च सटीकता** वाली जीनोम एडिटिंग तकनीक है। हालांकि, आमतौर पर इस तकनीक में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोटीन **Cas9** और **Cas12** (1,000-1,350 अमीनो एसिड्स से युक्त) के आकार के कारण इसकी कुछ सीमाएं हैं।

- इन प्रोटीन का बड़ा आकार कोशिकाओं के भीतर CRISPR घटक को प्रभावी रूप से पहुंचाने खासकर वायरल वैक्टर के जरिए पहुंचाने में चुनौतियां पेश करता है।
- TnpB प्रोटीन को Cas12 न्युक्लिअसिज़ का इवोल्यूशनरी एनसेस्टर माना जाता है। TnpB प्रोटीन के अंदर केवल लगभग 350-500 अमीनो एसिड्स होते हैं।

जीनोम एडिटिंग टूल ISDra2TnpB के बारे में

- इसे **डाइनोकोकस रेडियोड्यूरन्स** नामक **बैक्टीरिया** से प्राप्त किया जाता है। यह बैक्टीरिया अत्यधिक विषम पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है।
- यह **ट्रांसपोजोन या जंपिंग जीन की फैमिली** से संबंधित है। ट्रांसपोजोन या जंपिंग जीन **RNA की मदद से विशिष्ट DNA अनुक्रमों को लक्षित करते हुए जीनोम के भीतर गतिशील** रह सकता है।

इस टूल का महत्त्व

- TnpB वास्तव में **जीनोम के उन विशिष्ट क्षेत्रों को भी लक्षित** कर सकता है, जिसे **Cas9 नहीं** कर सकता।
- यह जीनोम इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के दायरे को व्यापक बनाते हुए, **फ्यूजन प्रोटीन्स के निर्माण की सुविधा प्रदान** करता है।
  - एक **फ्यूजन प्रोटीन (काइमेरिक प्रोटीन)** दो या दो से अधिक जीनों को जोड़कर बनाया जाता है। ये जींस मूल रूप से अलग-अलग प्रोटीन के लिए कूटबद्ध होते हैं।
- यह टूल **दोनों प्रकार के फूल वाले पौधों** यानी मोनोकोट (जैसे चावल, जिसमें एक बीज पत्ती होती है) और डाइकोट (जैसे अरेबिडोप्सिस) **पर प्रभावी था।**

नोट: कृपया 'CRISPR' जीन एडिटिंग तकनीक के बारे में अधिक जानने के लिए 9 और 10 जून की न्यूज टुडे देखें।

7.6.8. WHO ने एम पॉक्स को PHEIC घोषित किया (WHO Declared MPOX PHEIC)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने **मंकीपॉक्स के प्रकोप को "अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खतरे वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC)"** घोषित किया।

- WHO ने यह फैसला **इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन (IHR) आपातकालीन समिति** की सलाह पर लिया है।
- यह निर्णय **डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC)** और **अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स के बढ़ते प्रकोप (Outbreak)** को देखने के बाद लिया गया है। गौरतलब है कि **एमपॉक्स** को पिछले **दो वर्षों में दूसरी बार वैश्विक PHEIC घोषित** किया गया है।

एमपॉक्स के बारे में:

- यह एक **वायरस जनित रोग** है जो **मंकीपॉक्स वायरस** के कारण होता है। यह वायरस **ऑर्थोपॉक्सवायरस जीनस** से संबंधित है।
- इस रोग को मनुष्यों में **पहली बार 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो** में देखा गया था।
- यह रोग **संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से फैलता** है। इसमें रोगी फ्लू जैसे लक्षणों से पीड़ित हो जाता है तथा उसकी त्वचा पर मवाद भरे घाव उत्पन्न हो जाते हैं।
- इस रोग के **अधिकांश मामले मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में दर्ज** किए जाते हैं। यह मुख्य रूप से **समलैंगिक, बाईसेक्सुअल लोगों** (अन्य लोगों को भी) आदि को प्रभावित करता है।
- **चेचक के लिए विकसित टीके और उपचार** को विशेष परिस्थितियों में कुछ देशों में **एमपॉक्स** के इलाज हेतु स्वीकृत किया जा सकता है।

PHEIC के बारे में:

- **इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन (2005) के अनुसार,** निम्नलिखित के आधार पर किसी रोग को PHEIC घोषित किया जाता है;
  - यदि किसी रोग का प्रकोप असामान्य या अप्रत्याशित है;
  - इस रोग के **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ़ैलने की संभावना** है; और
  - **उस रोग के विरुद्ध तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई करना अनिवार्य** है।
    - **इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन (2005) एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता** है। इसमें WHO के सभी सदस्य देशों सहित दुनिया भर के 196 देश शामिल हैं।
- **PHEIC** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के तहत जारी किया जाने वाला सबसे उच्च स्तर का अलर्ट है।

- 2009 के बाद से, **WHO ने निम्नलिखित सात रोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित** किया है:
    - H1N1 इन्फ्लूएंजा वैश्विक महामारी, पोलियो का प्रकोप, इबोला का प्रकोप (पश्चिम अफ्रीका), जीका महामारी, इबोला का प्रकोप (कांगो), कोविड-19 और एमपॉक्स।

7.6.9. डेंगू (Dengue)

डेंगीऑल नामक स्वदेशी टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत की गई है।

- यह ट्रायल **इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और पैनेशिया बायोटेक** द्वारा किया जाएगा।

डेंगू के बारे में:

- इसे **हड्डी तोड़ बुखार** भी कहा जाता है।
- यह एक **वायरल संक्रमण** है जो संक्रमित **मादा एडीज मच्छर** के काटने से फैलता है। ज्ञातव्य है कि चिकनगुनिया, जीका रोग भी मादा एडीज मच्छर के काटने से ही फैलते हैं।
- डेंगू का प्रसार मुख्यतः दुनिया भर के **उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों** (खासकर शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों) में है।
- उचित इलाज की कमी के चलते यह वयस्कों में **डेंगू रक्तस्रावी बुखार और डेंगू शॉक सिंड्रोम जैसी गंभीर स्थितियों** में बदल सकता है।
- वर्तमान में, भारत में डेंगू के खिलाफ कोई एंटीवायरल उपचार या लाइसेंस प्राप्त **वैक्सीन नहीं** है।

7.6.10. सेरो-सर्वेक्षण (SeroSurvey)

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा भारत की उच्च जोखिम वाली आबादी के बीच एमपॉक्स के संपर्क का निर्धारण करने के लिए पिछले साल से सेरो-सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है।

सेरो-सर्वेक्षण के बारे में

- इसके तहत **एक निश्चित अवधि में एक निर्धारित आबादी से रक्त (या लार जैसे प्रॉक्सी नमूने) का संग्रह और उसकी टेस्टिंग** की जाती है।
- **उद्देश्य:** संक्रामक रोगज़नक़ के खिलाफ IgG एंटीबॉडी की व्यापकता का अनुमान लगाना। IgG एंटीबॉडी की मौजूदगी आमतौर पर पूर्व में किसी रोगज़नक़ से संक्रमित होने को इंगित करती है।
- **महत्त्व:** इसका इस्तेमाल संक्रमण की व्यापकता और प्रतिरक्षा की कमी का अनुमान लगाने; संक्रामक रोग मॉडलिंग हेतु प्रमुख मापदंडों आदि के लिए किया जा सकता है।

7.6.11. हेफ्लिक लिमिट (Hayflick Limit)

हाल ही में, **लियोनार्ड हेफ्लिक का निधन** हो गया।

- उन्होंने 'हेफ्लिक लिमिट' की अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसने **बुढ़ापे की समझ को मौलिक रूप से बदल** दिया।

हेफ्लिक लिमिट के बारे में

- यह वह संख्या है, जितनी बार **कोशिका आबादी विभाजित** हो सकती है। यह तब तक विभाजित होती रहती है, जब तक कि वह **कोशिका चक्र अवरोध (Cell cycle arrest)** तक नहीं पहुंच जाती।
- यह क्रिया **गुणसूत्रीय टेलोमेर की लम्बाई पर निर्भर** करती है। यह लम्बाई **मानक कोशिकाओं में प्रत्येक कोशिका विभाजन के साथ घटती** जाती है।
    - टेलोमेर **गुणसूत्र के अंत में पुनरावृत्तीय (Repetitive) DNA अनुक्रमों का क्षेत्र है।**
- **मनुष्यों के लिए** "हेफ्लिक लिमिट" लगभग **125 वर्ष है।**
- इसके अलावा, कोई भी आहार, व्यायाम या रोगों के खिलाफ आनुवंशिक सुधार **मानव के जीवनकाल को नहीं बढ़ा** सकता।

7.6.12. बायोसर्फैक्टेंट्स (Biosurfactants)

शोधकर्ता के अनुसार, कृषि-औद्योगिक अपशिष्ट से **ग्रीन सब्सट्रेट** का उपयोग करके **बायोसर्फैक्टेंट** का उत्पादन किया जा सकता है।

सर्फेक्टेंट्स के बारे में:

- **सर्फेक्टेंट (सर्फेस-एक्टिव एजेंट)** एक ऐसा पदार्थ है, जो किसी **तरल पदार्थ में मिलाने पर उसके सतही तनाव (पृष्ठीय तनाव) को कम** कर देता है। इससे तरल पदार्थ के **फैलने और भिगोने के गुणों में वृद्धि** हो जाती है, उदाहरण- डिटर्जेंट।

बायोसर्फैक्टेंट्स के बारे में:

- ये **सक्रिय यौगिक** हैं जो **माइक्रोबियल कोशिका** की **सतह पर उत्पन्न या स्रावित** होते हैं। ये **सतह और इंटरफेसियल (अंतरा-पृष्ठीय) तनाव** को कम करते हैं।
- ये बैक्टीरिया, यीस्ट और फिलामेंटस कवक द्वारा निर्मित किए जाते हैं।
- **सिंथेटिक सर्फेक्टेंट की तुलना में माइक्रोबियल सर्फेक्टेंट के फायदे:**
  - ये **कम विषाक्त** और **जैव-निम्नीकृत** होते हैं।
  - ये **अत्यधिक pH और लवणता पर सक्रिय** रूप से काम करते है।

बायो सर्फेक्टेंट के उपयोग:

- **पर्यावरणीय बायोरेमेडिएशन:** तेल रिसाव को साफ करने, भारी धातु संदूषकों को हटाने और अपशिष्ट जल के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है।
- **कृषि:** मृदा की गुणवत्ता में सुधार, पौधों की बीमारियों का प्रबंधन और मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की सांद्रता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है।
- **फार्मास्युटिकल उद्योग:** रोगाणुरोधी, चिपकने से रोकने, एंटीवायरल और कैंसर रोधी फार्मास्यूटिकल्स में उपयोग किया जाता है।

QUIZ
SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

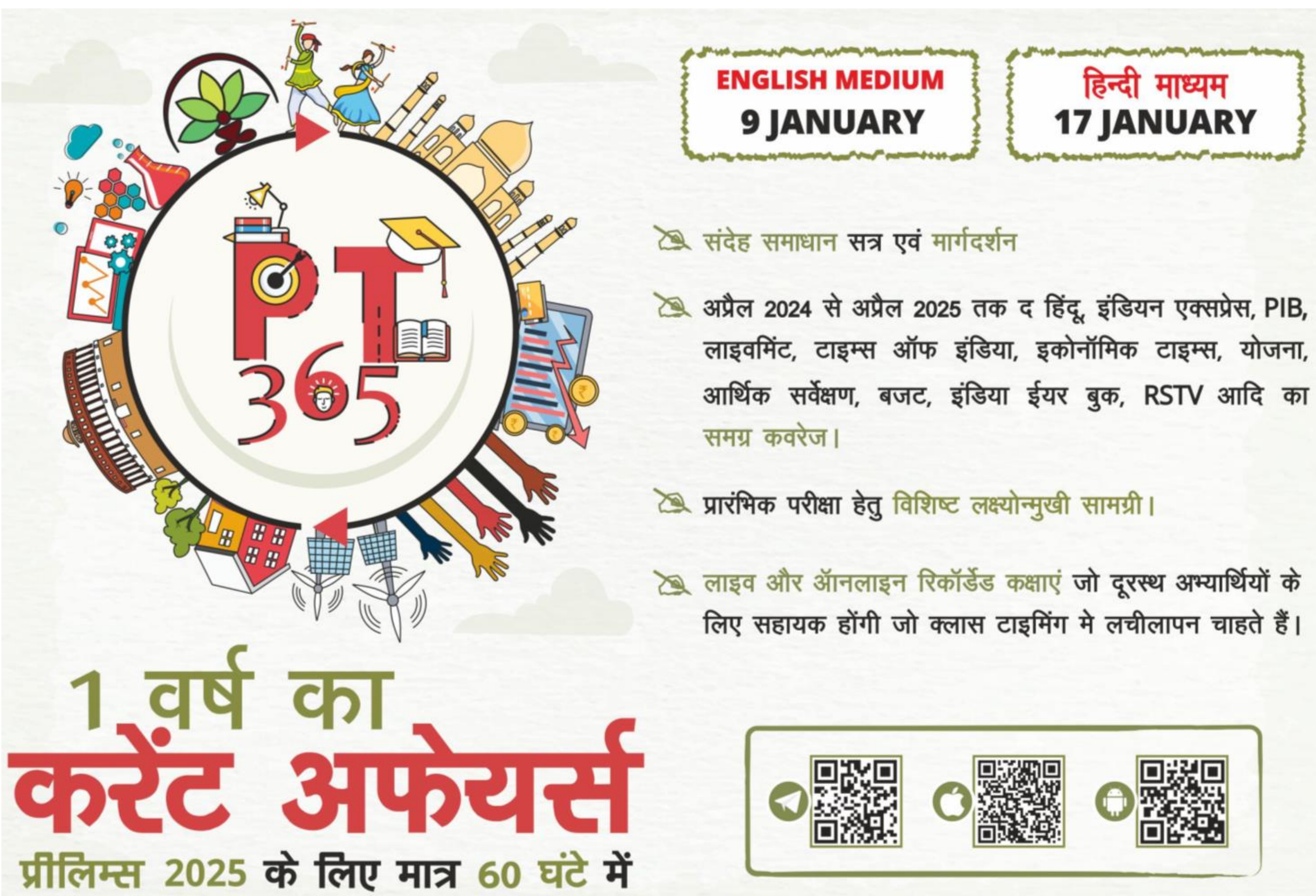

©Vision IAS

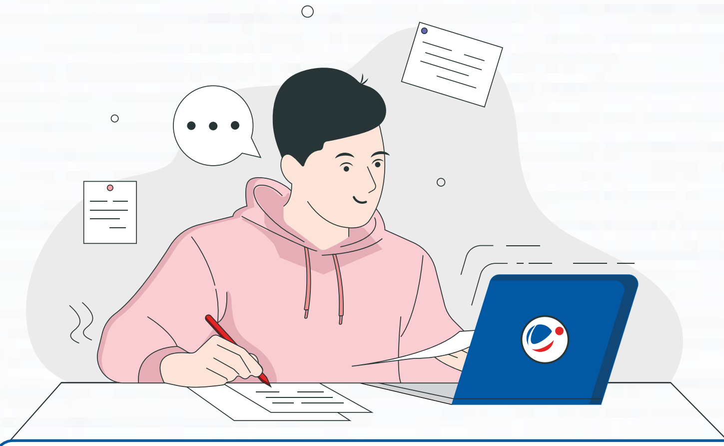

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी की स्मार्ट और प्रभावी रणनीति

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (सामान्य अध्ययन और CSAT) शामिल होते हैं, जो अभ्यर्थी के ज्ञान, उसकी समझ और योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

यह चरण अभ्यर्थियों को व्यापक पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और बदलते पैटर्न के अनुरूप ढलने की चुनौती देता है। साथ ही, यह चरण टाइम मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रीलिम्स की अप्रत्याशितता को समझने में भी महारत हासिल करने की चुनौती देता है।

इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत के साथ-साथ तैयारी के लिए एक समग्र और निरंतर बदलते दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।

तत्काल व्यक्तिगत मेंटरिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुख्य रणनीतियां

तैयारी की रणनीतिक योजना: पढ़ाई के दौरान सभी विषयों को बुद्धिमानी से समय दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय हो। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दीजिए।

अनुकूल रिसोर्सेज का उपयोग: ऐसी अध्ययन सामग्री चुनिए जो संपूर्ण और टू द पॉइंट हो। अभिभूत होने से बचने के लिए बहुत अधिक कंटेंट की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।

PYQ और मॉक टेस्ट का रणनीतिक उपयोग: परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न-पत्रों का उपयोग कीजिए। मॉक टेस्ट के साथ नियमित प्रैक्टिस और प्रगति का आकलन करने से तैयारी तथा टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है।

करेंट अफेयर्स की व्यवस्थित तरीके से तैयारी: न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए करेंट अफेयर्स से अवगत रहिए। समझने और याद रखने में आसानी के लिए इस ज्ञान को स्टेटिक विषयों के साथ एकीकृत कीजिए।

स्मार्ट लर्निंग: रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग कीजिए।

व्यक्तिगत मेंटरिंग: व्यक्तिगत रणनीतियों, कमजोर विषयों और मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की मदद लीजिए। मेंटरशिप स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, ताकि आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखते हुए परीक्षा पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें।

UPSC प्रीलिम्स की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, Vision IAS ने अपना बहुप्रतीक्षित "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" शुरू किया है। इस प्रोग्राम में नवीनतम ट्रेंड्स के अनुरूप संपूर्ण UPSC सिलेबस को शामिल किया गया है।

इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- UPSC सिलेबस का व्यापक कवरेज
- टेस्ट सीरीज का फ्लेक्सिबल शेड्यूल
- टेस्ट का लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन डिस्कशन और पोस्ट-टेस्ट एनालिसिस
- प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए आंसर-की और व्यापक व्याख्या
- अभ्यर्थी के अनुरूप व्यक्तिगत मेंटरिंग
- ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इनोवेटिव अस्सेस्मेंट सिस्टम और परफॉरमेंस एनालिसिस
- क्विक रिविजन मॉड्यूल (QRM)

अंत में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, सही रिसोर्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को मिलाकर बनाई गई रणनीतिक तथा व्यापक तैयारी ही UPSC प्रीलिम्स में सफलता की कुंजी है।

"ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए

8. संस्कृति (Culture)

8.1. हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (Hindustan Republican Association: HRA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने **9 अगस्त को 'काकोरी ट्रेन कांड' का शताब्दी वर्ष** मनाने के लिए साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। ज्ञातव्य है कि इस कांड में **हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA)** के सदस्य शामिल थे।

अन्य संबंधित तथ्य

- उत्तर प्रदेश सरकार ने **काकोरी ट्रेन कांड (1925) की 100वीं वर्षगांठ** के अवसर पर 'काकोरी ट्रेन कांड' शताब्दी समारोह मनाने का निर्णय लिया है।
- इस समारोह के हिस्से के रूप में **'काकोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस' ट्रेन** राज्य के अलग-अलग शहरों से होकर गुजरेगी। इससे युवाओं और स्कूली बच्चों को काकोरी कांड के बारे में जानने का मौका मिलेगा।

काकोरी ट्रेन कांड के बारे में

- **तिथि:** काकोरी ट्रेन कांड को **9 अगस्त, 1925** को अंजाम दिया गया था। इसके तहत HRA के कुछ क्रांतिकारियों ने उत्तर प्रदेश के काकोरी गांव के नजदीक ब्रिटिश खजाने को ले जा रही ट्रेन को लूट लिया था। हालांकि, इस दौरान क्रांतिकारियों ने **किसी भी निर्दोष यात्री को नुकसान नहीं पहुंचाया था।**
- **उद्देश्य:** इस लूट का उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन की कमी को दूर करना था।
- **प्रमुख क्रांतिकारी:** राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र बख्शी और अन्य।
- **काकोरी षड्यंत्र केस**
  - राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई।
  - शेष क्रांतिकारियों में से कुछ को सेलुलर जेल निर्वासित कर दिया तथा कुछ को लंबी अवधि तक के कारावास की सजा सुनाई गई।

हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के बारे में

- **उत्पत्ति:** HRA का गठन **1924** में एक उग्र क्रांतिकारी संगठन के रूप में किया गया था।
- **उद्देश्य:** संगठित और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से **फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया** की स्थापना करना।
- **संस्थापक सदस्य:** राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र नाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी।
- **HRA की विचारधाराएं:**
  - **समाजवाद:** HRA की विचारधाराएं स्पष्ट रूप से **समाजवाद** से प्रभावित थी। इसके तहत संगठन ने "सार्वभौमिक मताधिकार को गणराज्य का मूल सिद्धांत बताया और उन सभी प्रणालियों को समाप्त करने की बात कि जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के किसी भी प्रकार के शोषण को संभव बनाती है।"
    - **1928 में भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, चंद्रशेखर आजाद और विजय कुमार सिन्हा** ने HRA का पुनर्गठन किया था और उसमें **समाजवाद को एक प्रमुख लक्ष्य** के रूप में शामिल किया था।
    - इस पुनर्गठन के तहत, HRA का नाम बदलकर **हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA)** कर दिया गया।
  - **साम्राज्यवादी शासन को सशस्त्र तरीके से खत्म करना:** HSRA के घोषणा-पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि उनका प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन को सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से उखाड़ फेंकना है। HSRA के क्रांतिकारियों ने विदेशियों द्वारा तलवार के बल पर भारत पर शासन करने के औचित्य को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और इस अन्यायपूर्ण शासन को समाप्त करने के लिए उन्होंने स्वयं हथियार उठाने का निर्णय लिया।

- **प्रमुख प्रकाशन:**
  - **'द रिवोल्यूशनरी':** इसकी रचना **राम प्रसाद बिस्मिल ने विजय कुमार** के उपनाम से की थी और इसमें **सचिंद्र नाथ सान्याल** ने भी सहायता की थी।
  - **फिलॉसफी ऑफ द बम:** इसकी रचना **भगवती चरण वोहरा** ने की थी। इस पुस्तक में क्रांतिकारी विचारधारा और सशस्त्र संघर्ष के औचित्य पर गहन तर्क दिए गए हैं। इसके अनुसार, क्रांतिकारियों ने निजी स्वार्थ या अन्याय के लिए बल का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उनका उद्देश्य राष्ट्रीय अधिकारों के लिए संघर्ष करना था, भले ही इसमें उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े।
    - इस पुस्तक में क्रांतिकारियों द्वारा दिसंबर 1929 में वायसराय की स्पेशल ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा निंदा किए जाने और **गांधी जी के लेख 'कल्ट ऑफ द बम'** में प्रस्तुत विचारों का जवाब दिया गया है।

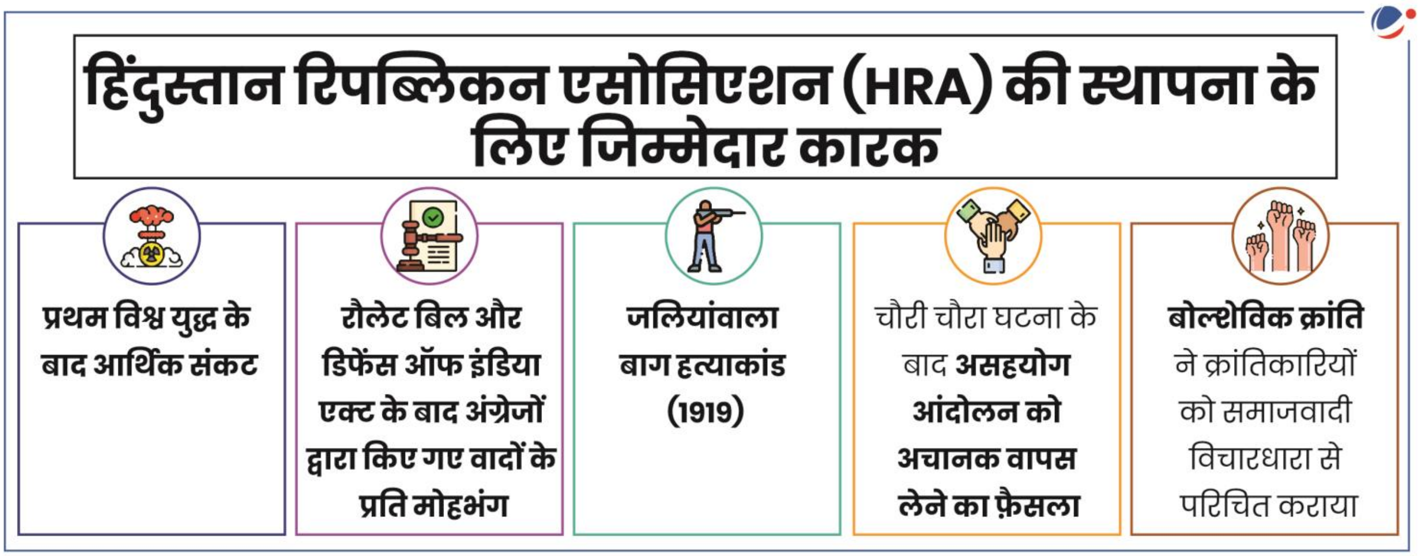

HRA या HSRA की प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां

- **लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला (1928):** ज्ञातव्य है कि लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। इन प्रदर्शनकारियों में लाला लाजपत राय भी शामिल थे। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी।
  - लालाजी की मृत्यु का बदला लेने के लिए **राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर** मुख्य पुलिस अधिकारी जे. पी. सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी।
- **सेंट्रल असेंबली बम विस्फोट (1929):** इस क्रांतिकारी गतिविधि में **भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त** के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। दोनों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें **राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी ठहरा कर** आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
  - हालांकि, **भगत सिंह** को जल्द ही **लाहौर** ले जाया गया, क्योंकि उन पर **जे. पी. सॉन्डर्स की हत्या के लिए लाहौर षड्यंत्र केस** में भी मुकदमा चलाया जाना था।

लाहौर षड्यंत्र केस का क्रांतिकारियों द्वारा राष्ट्रीय हित के लिए उपयोग

- क्रांतिकारियों ने अदालत का उपयोग न केवल अपने बचाव के लिए, **बल्कि एक राष्ट्रीय मंच** के रूप में भी किया। **अदालत** की कार्यवाही के दौरान, क्रांतिकारियों ने **ब्रिटिश शासन की नीतियों, विशेष रूप से उनके दमनकारी कानूनों और जनता के शोषण की कड़ी आलोचना** की।
- उन्होंने राजनीतिक कैदियों के लिए जेल में **बेहतर परिस्थितियों और अधिकारों की मांग के लिए भूख हड़ताल** की। ध्यातव्य है कि ब्रिटिश सरकार उनके साथ आम अपराधियों की तरह व्यवहार कर रही थी।
- इस दौरान **63 दिनों की भूख हड़ताल करने के कारण जतिन दास की 13 सितंबर, 1929 को मृत्यु** हो गई थी। इस खबर से देशभर में आक्रोश की लहर फैल गई थी।
- अंततः **भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च, 1931 को फांसी** दे दी गई थी।

8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.2.1. वीरता पुरस्कार (Gallantry Awards)

राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस (2024) के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के जवानों के लिए **103 वीरता पुरस्कारों** को मंजूरी प्रदान की है।

वीरता पुरस्कारों के बारे में:

- **पुरस्कारों का वरीयता क्रम**: परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र।
- **इन पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में दो बार- गणतंत्र दिवस** के अवसर पर और **स्वतंत्रता दिवस** के अवसर पर की जाती है।
- युद्धकालीन वीरता पुरस्कार- **परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र** की शुरुआत 1950 में की गई थी।
- **अशोक चक्र क्लास-I, क्लास-II और क्लास-III** 1952 में शुरू किए गए थे। 1967 में इनका नाम बदलकर क्रमशः **अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र** कर दिया गया।
    - ये **शांतिकालीन वीरता पुरस्कार** हैं।

8.2.2. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (National Film Awards)

साल 2022 के लिए **70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों** की घोषणा की गई।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में

- इन पुरस्कारों को **1954** में स्थापित किया गया था। आरंभ में इन्हें **'राज्य पुरस्कार'** कहा जाता था।
- शुरुआती वर्षों में पुरस्कार के रूप में **2 राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, 2 उत्कृष्ट प्रमाण-पत्र और क्षेत्रीय फिल्मों के लिए 12 रजत पदक** प्रदान किए जाते थे।
- इन पुरस्कारों का प्रबंधन **1973 से फिल्म समारोह निदेशालय** कर रहा है।
- **पुरस्कार निम्नलिखित 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं:**
    - **फीचर फिल्म;**
    - **गैर-फीचर फिल्म;** और
    - **सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ लेखन।**
- **मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार:** राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ-साथ यह पुरस्कार **भारत के उस राज्य को दिया जाता है, जिसने फिल्म उद्योग के विकास को आगे बढ़ाने में सहायता** प्रदान की हो।

8.2.3. त्रुटि सुधार (Errata)

- **जून, 2024 मासिक समसामयिकी पत्रिका में,**
    - **आर्टिकल 8.1 "देवी अहिल्याबाई होल्कर"** में यह गलत उल्लेख किया गया था कि **'तुकोजी राव होल्कर'** उनके दत्तक पुत्र थे। सही जानकारी यह है कि **'तुकोजी राव होल्कर' 'मल्हार राव होल्कर'** के दत्तक पुत्र थे।

- **आर्टिकल 8.2 'नालंदा विश्वविद्यालय'** में यह गलत उल्लेख किया गया था कि 'इस परियोजना में **17 भागीदार** देश शामिल हैं।' सही जानकारी यह है कि **'भारत सहित, इस परियोजना में 17 भागीदार देश शामिल हैं।'**

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

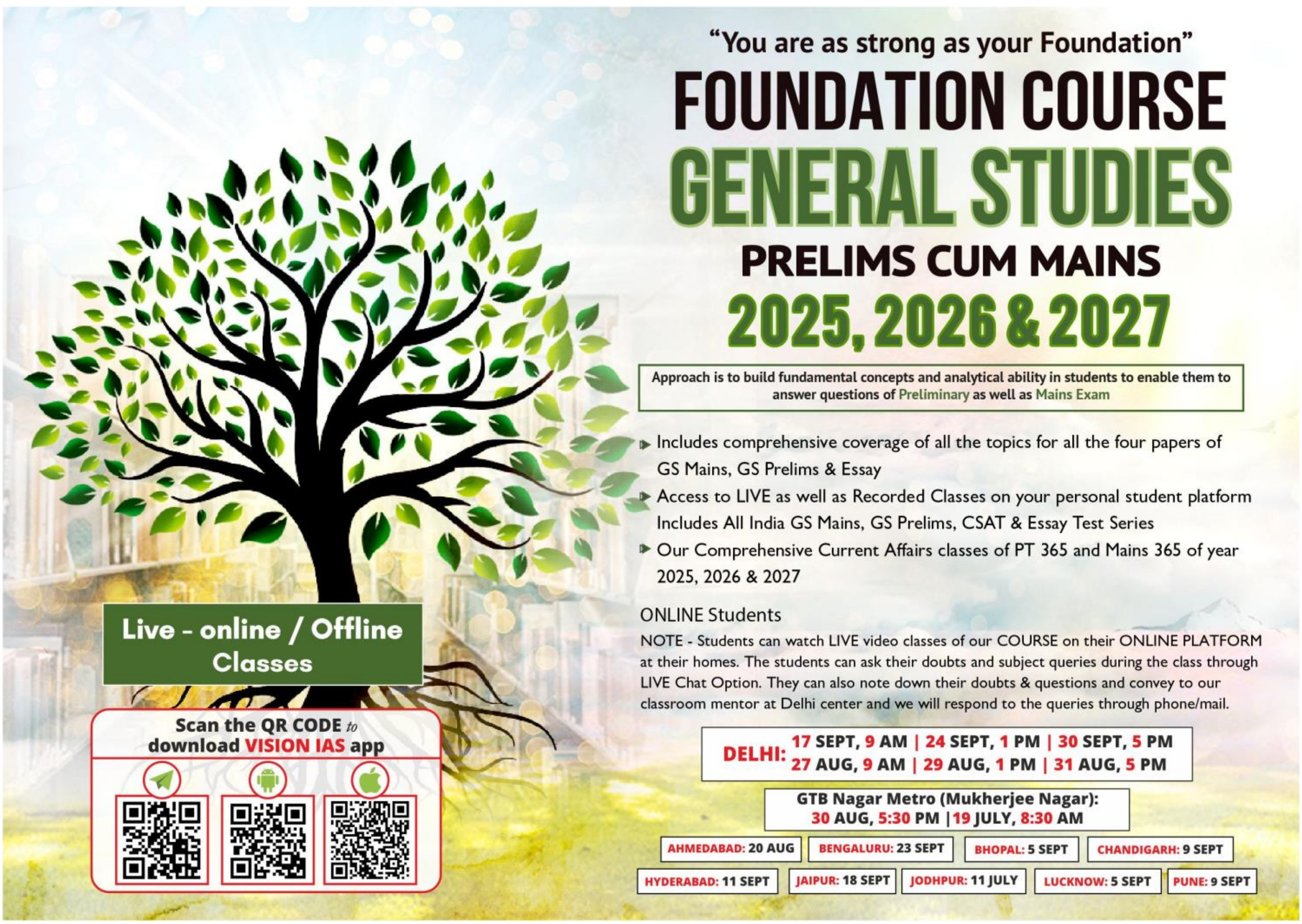

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

करेंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कैसे करें?

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। परीक्षा के प्रश्न डायनेमिक स्रोतों से तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रश्न सीधे वर्तमान की घटनाओं से जुड़े होते हैं या स्टैटिक कंटेंट तथा वर्तमान की घटनाओं, दोनों से जुड़े होते हैं। इस संदर्भ में, करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना

न्यूज़पेपर पढ़ना: फाउंडेशन

वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाओं की व्यापक समझ हेतु न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रतिदिन एक घंटा समर्पित करना चाहिए।

न्यूज़ टुडे: संदर्भ की सरल प्रस्तुति

न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ-साथ, न्यूज़ टुडे भी पढ़िए, जिसमें लगभग 200 या 90 शब्दों में करेंट अफेयर्स का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। यह रिसोर्स अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण न्यूज़ की पहचान करने, तकनीकी शब्दों और घटनाओं को समझने में मदद करता है।

मासिक समसामयिकी मैगजीन: गहन विश्लेषण

व्यापक कवरेज और घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के लिए मासिक समसामयिकी मैगजीन आपकी जरूरत पूरी कर सकती है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के संदर्भ, महत्त्व और निहितार्थ को समझने में सुविधा होती है।

तैयारी और रिविजन में महारत हासिल करना

वीकली फोकस: फाउंडेशन को मजबूत करना

किसी टॉपिक के बारे में अपनी समझ को मजबूत करने के लिए वीकली फोकस का संदर्भ लीजिए। इसमें किसी प्रमुख मुद्दे के विभिन्न पहलुओं और आयामों के साथ-साथ स्टेटिक तथा डायनेमिक घटकों को शामिल किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के हाईलाइट्स तथा सारांश

इसमें आसानी से समझ के लिए जटिल जानकारी को एक कॉम्पैक्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट के सारांश डाक्यूमेंट्स से आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

PT 365 और Mains 365: परीक्षा में प्रदर्शन बढ़ाना

पूरे वर्ष के करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए PT 365 और Mains 365 का उपयोग कीजिए। इससे प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों के लिए रिविजन में भी मदद मिलेगी।

Vision IAS का **त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट** उन छात्रों के लिए उपयोगी रिसोर्स है, जो 2-3 महीनों से मंथली अपडेट पढ़ने से चूक गए हैं। यह प्रमुख घटनाक्रमों का सारांश प्रदान करके लर्निंग में निरंतर सहायता प्रदान करता है।

ब्रोशर पढ़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

"याद रखिए, करेंट अफेयर्स को केवल याद ही नहीं रखना होता है, बल्कि घटनाओं के व्यापक निहितार्थों और अंतर्संबंधों को समझना भी होता है। जिज्ञासा के साथ आगे बढ़िए; समय के साथ, यह बोझ कम होता जाएगा और यह एक ज्ञानवर्धक अनुभव बन जाएगा।"

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence)

परिचय

परंपरागत रूप से, शिक्षा मुख्यतः **संज्ञानात्मक कौशल** (Cognitive skills) के विकास पर केंद्रित थी और **बुद्धिमत्ता** को शैक्षिक उपलब्धि के **प्राथमिक चालक के रूप में** देखा जाता था। हालांकि, एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि **गैर-संज्ञानात्मक कौशल** और **भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI)** किसी स्टूडेंट की शैक्षणिक उपलब्धियों को आकार देने में मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता जितनी ही महत्वपूर्ण है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में

- **अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं** को **पहचानने, समझने, प्रबंधित करने तथा प्रभावित करने की क्षमता** भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाती है।
- इस शब्दावली का पहली बार उल्लेख 1990 में शोधकर्ता **जॉन मेयर** और **पीटर सलोवी** ने किया था। हालांकि बाद में **मनोवैज्ञानिक डैनियल गोलमैन** ने इसे अत्यधिक लोकप्रिय बनाया।
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) का उच्च स्तर **पारस्परिकता से संबंधित कौशल को मजबूत करने** में सहायता करता है। यह विशेष रूप से **संघर्ष प्रबंधन** और **संप्रेषण** से संबंधित मामलों में तथा गैर-संज्ञानात्मक कौशल विकसित करके **व्यक्तित्व का समग्र विकास** करने में भी सहायता करता है।
    - उदाहरण के लिए- **गैर-संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि धैर्य, दृढ़ता, शैक्षणिक रुचि और लर्निंग से संबंधित मूल्य आदि।**

EQ और IQ के मध्य अंतर

भावनात्मक लब्धि (Emotional Quotient: EQ)	बौद्धिक लब्धि (Intelligence Quotient: IQ)
• इसमें पांच डोमेन के जरिए **भावनाओं की पहचान, अनुभव और विनियमन करना** शामिल होता है: आत्म-जागरूकता, आत्म-नियमन, परानुभूति, **सामाजिक कौशल** और प्रेरणा। • उदाहरण के लिए- **तनावपूर्ण** स्थितियों में शांत रहना और **वस्तुनिष्ठता के साथ निर्णय लेना।**	• इसमें **तार्किक क्षमता, संज्ञानात्मक क्षमता,** स्मृति, शब्द की समझ, गणनात्मक कौशल, अमूर्त और स्थानिक सोच, **मानसिक क्षमता** , आदि शामिल हैं। • उदाहरण के लिए- एकेडेमिक्स में **अच्छे अंक प्राप्त करना।**
• यह **परिवेश और सामाजिक प्रभावों** के अधीन है, इसलिए इसे समय के साथ सक्रिय रूप से प्रशिक्षित और विकसित किया जा सकता है।	• इसे **आनुवंशिकी** से प्रभावित एक स्थायी विशेषता माना जाता है।
• इसके लिए कोई **सार्वभौमिक रूप से मानकीकृत परीक्षण नहीं** है। इसके परीक्षण में किसी व्यक्ति के अपने विशिष्ट व्यवहार का योग्यता परीक्षण और स्वतः रिपोर्ट किए गए विश्लेषण शामिल हो सकते हैं।	• आयु समूह में औसत प्रदर्शन की तुलना करके **मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों (IQ परीक्षणों)** के जरिए मूल्यांकन किया जाता है।

• आम जन के कल्याण में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के **मानसिक स्वास्थ्य** और **रिश्तों की गुणवत्ता को बढ़ावा** देता है। **IQ औसत होने के बावजूद व्यक्ति EQ के कारण पारस्परिक सफलता** प्राप्त कर सकता है।	• **यह बेहतर शैक्षणिक उपलब्धि और रोजगार में बेहतर प्रदर्शन** में योगदान दे सकता है।

शिक्षा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्त्व

- **बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन:** भावनात्मक रूप से बुद्धिमान स्टूडेंट्स **तनाव व असफलताओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित** कर सकते हैं और **चुनौतियों के बावजूद दृढ़** रह सकते हैं।
  - वे **बेहतर फ़ोकस और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमताओं को प्रदर्शित** करते हैं, जिससे वे सीखने की प्रक्रिया में अधिक प्रभावी ढंग से शामिल हो सकते हैं।
- **सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य:** भावनात्मक रूप से बुद्धिमान स्टूडेंट्स में **उच्च आत्म-सम्मान, चिंता और अवसाद का निम्न स्तर** और **बेहतर समग्र मानसिक स्वास्थ्य प्रदर्शित करने** की अधिक संभावना होती है।
- **परानुभूति और करुणा का विकास:** स्वयं एवं दूसरों की भावनाओं को समझने और पहचानने से, स्टूडेंट्स अपने साथियों के प्रति परानुभूति तथा करुणा विकसित कर सकते हैं।
  - यह **एक सहायक और समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने** में मदद करता है, **जहां स्टूडेंट्स को सम्मान मिलता है और उन्हें समझा जाता है।**
  - उदाहरण के लिए- **स्टूडेंट्स को लैंगिक-संवेदनशीलता, अनुभवात्मक शिक्षण के जरिए विचारों को साझा करना आदि सिखाया जाता है।**
- **प्रभावी संप्रेषण के जरिए संबंधों को प्रगाढ़ बनाना:** EI स्टूडेंट्स को अपने विचारों, जरूरतों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, **वाद-विवाद और भाषण प्रतियोगिताओं के जरिए।**
  - **इससे वे सक्रिय रूप से सुनना, परानुभूतिपूर्वक उत्तर देना तथा संघर्षों को रचनात्मक रूप से हल करना** सीखते हैं। ये कौशल **साथियों, शिक्षकों और अन्य सदस्यों के साथ सकारात्मक संबंधों** में योगदान करते हैं।
  - उदाहरण के लिए- **अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखना।**
- **दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करना:** नियोक्ता और संगठन EI को अत्यधिक महत्त्व देते हैं क्योंकि यह भावनाओं को प्रबंधित करने, प्रभावी ढंग से सहयोग करने और मजबूत पारस्परिक कौशल प्रदर्शित करने में मदद करता है, जो कार्यस्थल के लिए महत्वपूर्ण होता है।
  - उदाहरण के लिए- **सहकर्मियों के साथ समन्वय, काम के दबाव को संभालना।**
- **प्रभावी नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता:** EI से युक्त स्टूडेंट्स **अपने सबल और दुर्बल पक्षों के बारे में समझते** हैं, उनमें **आत्मविश्वास होता है और वे दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित** कर सकते हैं।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करने के तरीके

- **सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा (SEL) कार्यक्रम:** इसे स्टूडेंट्स को **अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने**, **सकारात्मक लक्ष्य** निर्धारित करने तथा उन्हें प्राप्त करने, **परानुभूति महसूस करने** और उसे **प्रदर्शित करने**, **सकारात्मक संबंध स्थापित करने** तथा उसे बनाए रखने एवं **जिम्मेदारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए आवश्यक कौशल सिखाने** हेतु डिज़ाइन किया गया है।
  - उदाहरण के लिए- **गुजरात के वडनगर** में **प्रेरणा एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्कूल** एक सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम है जो **अनुभवात्मक और प्रेरणादायक शिक्षण** प्रदान करता है।
- **सहयोगात्मक शिक्षण: ग्रुप प्रोजेक्ट्स, सहकर्मी से सीखना** और **टीम आधारित गतिविधियां** स्टूडेंट्स को **एक साथ काम करने, विचारों को साझा करने और सामाजिक कौशल विकसित करने** के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जो **टीमवर्क, संप्रेषण और संघर्ष समाधान कौशल को बेहतर बनाने** में सहायता करती हैं।
  - उदाहरण के लिए- **हैप्पीनेस करिकुलम, दिल्ली।**
- **चिंतन और आत्म-जागरूकता अभ्यास:** ध्यान, डायरी लेखन आदि स्टूडेंट्स को आत्म-जागरूकता और आत्म-संयम विकसित करने में मदद करता है।

- **शिक्षकों और कर्मचारियों को सशक्त बनाना: EI शिक्षकों को भावनात्मक जरूरतों को पहचानने और उनका जवाब देने में मदद करता है।** साथ ही, यह **भावनात्मक रूप से सुरक्षित कक्षाएं सुनिश्चित करने में मदद** करता है और **दंडात्मक उपायों के बजाय सुधारात्मक प्रथाओं को लागू करने में भी मदद** करता है आदि।
- **माता-पिता और समुदायों को शामिल करना:** घर और समाज के स्तर पर अभ्यासों को अपनाकर EI को समग्र रूप से बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **फीडबैक सिस्टम: छात्र सर्वेक्षण, अकादमिक प्रदर्शन पर प्रभाव और सहकर्मी के साथ संबंध, अनुशासन रेफरल जैसे व्यवहार संकेतकों** के माध्यम से उठाए गए कदमों के प्रभाव को मापना।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020** में मूलभूत और संज्ञानात्मक क्षमताओं के साथ-साथ **सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक** स्वभाव पर ध्यान केंद्रित करके प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता को विकसित करने पर जोर दिया गया है।
  - उदाहरण के लिए- विषयों को चुनने की स्वतंत्रता के साथ **बहु-विषयक शिक्षा**, पेशेवर अकादमिक और कैरियर परामर्श आदि।

प्रशासनिक कार्यों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के उपयोग

- **आत्म-मूल्यांकन और आत्म-जागरूकता:** यह किसी की शक्तियों और कमजोरियों को समझने, प्रभावी भावनात्मक प्रबंधन में मदद करता है।
  - यह उन्हें **दबाव की स्थिति में शांत रहने** तथा **आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने के बजाय रणनीतिक रूप से जवाब देने** में सक्षम बनाता है।
- **प्रभावी संघर्ष समाधान:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी स्थिति का **समग्र और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण** प्रस्तुत करने में सहायता करती है। इससे परानुभूतिपूर्ण संप्रेषण और **पारस्परिक कौशल के जरिए प्रभावी संघर्ष समाधान** में मदद मिलती है।
  - **उदाहरण के लिए- सांप्रदायिक दंगों जैसे मुद्दों को संभालते समय सामाजिक जागरूकता एक संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करती है।**
- **हितों के टकराव का समाधान करना:** प्रशासकों को विभिन्न हितों के मध्य टकरावों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भावनात्मक बुद्धिमत्ता **कर्तव्यनिष्ठ कार्यों का मार्गदर्शन करके निर्णय लेने में मदद करती है।**
- **जरूरतों का अनुमान लगाना और सहायता प्रदान करना:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक ऐसे **नेतृत्व का निर्माण** करने में मदद करती है, जो **समावेशी और विचारशील** हो। यह टीम भावना को बनाए रखने में मदद करती है और **टीम की दक्षता तथा समन्वय** में सुधार करती है।
  - उदाहरण के लिए- यह **ऊपर से निर्णय थोपने के बजाय पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान खोजने में मदद** करती है।
- **विश्वास का माहौल बनाना:** सहकर्मियों के साथ-साथ नागरिक भी महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है और उनका समर्थन किया जा रहा है, क्योंकि **सामाजिक प्रबंधन कौशल** EI द्वारा विकसित किए जाते हैं।
  - उदाहरण के लिए- **IAS फैज अहमद मुमताज शिक्षा और पुस्तकालयों** का उपयोग करके **साइबर अपराध के केंद्र रहे जामताड़ा** में बदलाव ला रहे हैं।

अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए

आप एक डिस्ट्रिक्ट स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। नियमित निरीक्षण के दौरान आप देखते हैं कि जाति के आधार पर कुछ छात्रों का अनौपचारिक अलगाव मौजूद है। छात्रों ने समान जाति के छात्रों के साथ समूह बना लिए हैं और अक्सर लड़ाई करते हैं, जिससे अनौपचारिक मेल-मिलाप में जातिगत भेदभाव को बल मिलता है। शिक्षकों के साथ चर्चा करने पर इस अवलोकन की पुष्टि होती है।

छात्र आस-पास के गांवों से आते हैं जहां सामाजिक मेल-मिलाप में जातिगत भेदभाव प्रचलित है।

1. इस स्थिति को सुधारने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे तथा अपने कदम का तार्किक कारण भी बताइए।
2. भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? क्या इसे सीखा जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे?

9.2. सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स के समय में सामाजिक प्रभाव और अनुनय (Social Influence and Persuasion in Times of Social Media and Influencers)

परिचय

वर्तमान डिजिटल दुनिया में "सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स" के प्रभाव में तेज वृद्धि देखने को मिल रही है। इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया पर अपनी डिजिटल कंटेंट के जरिए प्रसिद्धि पाते हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स हमारी राय, उपभोक्ता की रुचियों और खरीदारी के निर्णयों को आकार देने और फैशन, स्वास्थ्य तथा संगीत की हमारी धारणा को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

सामाजिक प्रभाव/ इन्फ्लुएंस और अनुनय (Social Influence and Persuasion) क्या है?

- **सामाजिक प्रभाव** वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा **कोई व्यक्ति दूसरों के साथ सामाजिक संपर्क के जरिए उन्हें अपनी राय के अनुकूल व्यवहार करने के लिए राजी करता है।** इसके परिणामस्वरूप प्रभावित व्यक्ति **अपनी मान्यताओं को संशोधित करते हैं या अपने व्यवहार को बदलते हैं।**
  - एक इन्फ्लुएंसर वह व्यक्ति होता है जिसके पास दर्शकों का एक समूह होता है तथा वह एक चैनल के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन करता है। इन्फ्लुएंसर दर्शकों को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया पर ब्लॉग, पोस्ट, ट्वीट और अन्य तरीकों का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं जो अक्सर कुछ उत्पादों या सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बढ़ावा देने के लिए अपने दर्शकों को उसका उपयोग करने हेतु प्रेरित करते हैं।
  - **विशेषताएं:** यह व्यापक सामाजिक मानदंडों, अक्सर अनजाने और निहित, गैर-मौखिक, शक्ति, स्थिति, प्रतिष्ठा, संसाधनों पर आधारित होता है।
  - **सामाजिक प्रभाव/ इन्फ्लुएंस के प्रमुख प्रकार:**
    - **अनुकूलता (Conformity):** दूसरों के कार्यों से मेल खाने के लिए डिज़ाइन किया गया व्यवहार परिवर्तन। उदाहरण के लिए- दूसरे लोग जो पहन रहे हैं, उससे मेल खाने वाले कपड़े चुनना।
    - **अनुपालन (Compliance):** ऐसा व्यवहार परिवर्तन जो सीधे अनुरोध के परिणामस्वरूप होता है। उदाहरण के लिए, माता-पिता के अनुरोध पर एक बच्चा अपने कमरे की सफाई करता है।
    - **आज्ञाकारिता (Obedience):** किसी पदाधिकारी के सीधे आदेश के कारण व्यवहार में बदलाव। उदाहरण के लिए- शिक्षक के कहने पर पत्र पर हस्ताक्षर करना।
- दूसरी ओर **अनुनय** का तात्पर्य संप्रेषक द्वारा **जानबूझकर किए गए प्रयासों के अनुरूप रिसीवर में किसी अन्य व्यक्ति की मान्यताओं, दृष्टिकोण, व्यवहार या वरीयताओं को बदलने के प्रयासों** से है।
  - **विशेषताएं:** ज्यादातर जानबूझकर, स्पष्ट और मौखिक, भाषा और रुचियों में समानता के जरिए कथित दोस्ती के विचारों पर आधारित।
  - **सिद्धांत:** पारस्परिकता, स्थिरता, सामाजिक प्रमाण, प्राधिकार, पसंद, अनूठापन और एकता।
  - **इस्तेमाल की गई तकनीकें:** आकर्षक फ़ोटो और वीडियो, दिलचस्प कहानियां, सामाजिक प्रमाण और सकारात्मक सामाजिक मानदंडों को बढ़ावा देना।

हितधारक	भूमिका/ रुचियां
नागरिक	आभासी सामाजिक संपर्क, गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सेवाएं, मनोरंजन, आत्म-अभिव्यक्ति, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता, नौकरी के अवसर (जैसे- कंटेंट निर्माण)।
समाज	सामाजिक सामंजस्य, लोकतांत्रिक सार्वजनिक चर्चा, गलत सूचना और दुष्प्रचार का समाधान।
बाजार	निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, डिजिटल अर्थव्यवस्था द्वारा आर्थिक विकास, डेटा-संचालित व्यावसायिक अंतर्दृष्टि।
सरकार	रचनात्मकता और व्यवसाय में बाधा डाले बिना उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, समान अवसर, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना, गलत सूचना और दुष्प्रचार का समाधान करना।
सोशल मीडिया	गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण, ग्राहक आधार में वृद्धि, उपयोगकर्ता जुड़ाव और उन्हें बरकरार रखना।
इन्फ्लुएंसर्स	रचनात्मक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत ब्रांड का मुद्रीकरण, सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा का प्रबंधन, विज्ञापनदाताओं और ब्रांडों के साथ साझेदारी का लाभ उठाना।

सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स किस तरह प्रगतिशील सामाजिक प्रभाव और अनुनय की शुरुआत कर रहे हैं?

- **प्रगतिशील सामाजिक मानदंड:** सोशल मीडिया के जरिए इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट डालते रहते हैं जिनसे व्यक्ति की हिम्मत बढ़ती है और वह खुद को सशक्त महसूस करता है। साथ ही, ये हाशिए पर पड़े समुदायों की आवाज़ को भी बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए- ब्लैक लाइव्स मैटर, मी-टू अभियान।

- **एक नए मार्केटिंग चैनल के रूप में इन्फ्लुएंसर्स:** ये ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ाते हैं, सहयोग और क्रॉस-प्रमोशन के जरिए खरीद के इरादे में मदद करते हैं।
- **समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देना:** इन्फ्लुएंसर्स अक्सर विविध समुदायों का प्रतिनिधित्व करके और रूढ़ियों को चुनौती देकर समावेशिता को बढ़ावा देते हैं।
- **सूचना का लोकतंत्रीकरण:** उदाहरण के लिए- क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार, सरकारी अधिकारियों और नेताओं द्वारा ट्विटर पर अपडेट देना।
    - **कर्नाटक डिजिटल विज्ञापन दिशा-निर्देश, 2024** और **उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति, 2024** सरकारी नीतियों और योजनाओं की जानकारी प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को विज्ञापन देने की अनुमति देती है।

सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स का हानिकारक प्रभाव

- **गलत सूचना और दुष्प्रचार का प्रसार:** इन्फ्लुएंसर्स जानबूझकर/ अनजाने में अक्सर गलत सूचना फैलाते हैं। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है और चुनाव जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे:** अवास्तविक सौंदर्य मानकों के साथ खुद की तुलना करने और वास्तविकता के संबंध में विकृत दृष्टिकोण होने से अवसाद और चिंता जैसे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे उत्पन्न होते हैं।
    - इसके अलावा, **इंस्टाग्राम और यूट्यूब रील्स की संस्कृति** ध्यान केंद्रित करने की अवधि और उत्पादकता में कमी ला रही है, जिससे आत्म-सम्मान में कमी आ रही है।
- **बच्चों पर प्रभाव:** सोशल मीडिया की लत, विशेष रूप से किशोरों में, उत्पादकता, शारीरिक स्वास्थ्य और आपसी संबंधों के विकास में बाधा डालती है।
- **कट्टरपंथ:** चरमपंथी अक्सर कमजोर व्यक्तियों के बीच कट्टरपंथी विचारधाराओं का प्रचार करने के लिए **बड़े पैमाने पर** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग **अनुनय के हथियार** के रूप में करते हैं। **उदाहरण के लिए- इस्लामिक स्टेट द्वारा ऑनलाइन कट्टरपंथ।**
- **ब्रांडिंग के लिए खतरा:** इन्फ्लुएंसर्स, अप्रासंगिक या दोषपूर्ण उत्पादों को बेचने के लिए भयभीत करने वाली अपील और भ्रामक कंटेंट का उपयोग कर सकते हैं। ये प्रतिष्ठित ब्रांडों के लिए खतरा पैदा करते हुए संभवतः नकारात्मक ग्राहक दृष्टिकोण और प्रतिष्ठा की क्षति का कारण बनते हैं।

डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले मनोवैज्ञानिक उपाय

- **पारस्परिक संबंध और पारस्परिकता पूर्वाग्रह:** हमें इन्फ्लुएंसर्स को उनकी सेवाओं के बदले लाइक, फॉलो, शेयर देकर उनका समर्थन करने की आवश्यकता महसूस होती है।
- **प्राधिकरण पूर्वाग्रह:** यह लाइव परिणामों या साक्ष्यों के आधार पर लोगों पर भरोसा करने की प्रवृत्ति है।
- **मेल-जोल आधारित प्रभाव और पुनरावृत्ति पूर्वाग्रह:** यह प्रभाव बताता है कि जब कोई चीज़ बार-बार प्रस्तुत की जाती है, तो लोग उसे अधिक पसंद करने लगते हैं। परिचित जानकारी को लोग नवीन जानकारी की तुलना में ज्यादा प्राथमिकता देते हैं।
- **सामाजिक प्रमाण:** लोग अक्सर दूसरों के व्यवहार की नकल करते हैं, यह सोचकर कि अगर हर कोई किसी उत्पाद का उपयोग कर रहा है, तो उसमें अवश्य गुण होंगे।
- **हेलो प्रभाव:** एक अनुकूल विशेषता वाला व्यक्ति समग्र रूप से मूल्यवान माना जाता है। उदाहरण के लिए- हम अनजाने में मान सकते हैं कि एक आकर्षक इन्फ्लुएंसर में बुद्धिमत्ता और ईमानदारी जैसे अन्य सकारात्मक गुण भी होंगे।
- **कमी की स्थिति:** कमी की स्थिति में, लोगों द्वारा तत्काल खरीदारी करने, साइन अप करने या ट्यून इन करने की अधिक संभावना होती है।
- **सामाजिक जुड़ाव और सांस्कृतिक अनुरूपता:** हमें यह जानकर सुरक्षा महसूस होती है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं/ खरीद रहे हैं जो लोकप्रिय है और जिसे बहुत से लोग पसंद करते हैं।

उठाए जा सकने वाले कदम

- **डिजिटल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग गाइडलाइंस:** इन्फ्लुएंसर्स के लिए स्पष्ट एंडोर्समेंट दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए, जिसमें "विज्ञापन," "स्पॉन्सर्ड," "कोलैबोरेशन" या "पेड प्रमोशन" जैसे शब्दों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।
- **जागरूकता और शिक्षा में वृद्धि:** इन्फ्लुएंसर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मनोवैज्ञानिक युक्तियों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि वे सूचना पर आधारित निर्णय ले सकें।
    - यह सवाल एक आलोचनात्मक सोच प्रक्रिया के माध्यम से उठाया जाना चाहिए कि **"क्या इन्फ्लुएंसर वास्तव में विशेषज्ञ हैं?"**
- **कट्टरपंथ विरोधी चर्चाएँ:** चरमपंथी चर्चाओं को चुनौती देने की रणनीतियों में काउंटर-कंटेंट तैयार करना, चरमपंथी सामग्री को ब्लॉक या सेंसर करना, सूचना प्रवाह को नियंत्रित करना और कट्टरपंथ तथा चरमपंथ को नियंत्रित करने के लिए सर्च इंजन रिजल्ट को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है।
- **बच्चों और किशोरों के लिए सीमित स्क्रीन टाइम:** उदाहरण के लिए- स्वीडिश स्वास्थ्य अधिकारियों ने बच्चों और किशोरों के लिए स्क्रीन समय को प्रतिबंधित करने के लिए नई सिफारिशें जारी की हैं।

भारत के नियम और जिम्मेदारियां

- **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)** ने भ्रामक विज्ञापनों और एंडोर्समेंट से बचाव के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग** ने स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों, इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)** ने वित्त के क्षेत्र में सक्रिय इनफ्लुएंसर या "फिनफ्लुएंसर" को विनियमित करने के लिए नए मानदंड जारी किए हैं, जो इसकी विनियमित संस्थाओं को अपंजीकृत व्यक्तियों के साथ साझेदारी करने से रोकते हैं।
- **भारतीय विज्ञापन मानक परिषद** ने "डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर विज्ञापन के लिए दिशा-निर्देश" जारी किए हैं।
- **सूचना और प्रसारण मंत्रालय** ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ऑफशोर ऑनलाइन सट्टेबाजी और बेटिंग प्लेटफॉर्म्स का समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी जारी की थी।

अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए

हाल के वर्षों में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तीव्र उभार ने सार्वजनिक हस्तियों की एक नई श्रेणी को जन्म दिया है, जिन्हें "सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स" के रूप में जाना जाता है। इन लोगों ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी डिजिटल सामग्री के ज़रिए काफ़ी फ़ॉलोअर्स हासिल किए हैं। उनका इनफ्लुएंस फैशन, स्वास्थ्य और संगीत सहित विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक राय, उपभोक्ता हितों और खरीदारी के फ़ैसलों को प्रभावित करने तक विस्तृत है। उपर्युक्त के प्रकाश में:

a. समाज पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। (150 शब्द)

b. उन नैतिक विचारों पर चर्चा कीजिए जिनका प्रयोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के विनियमन का मार्गदर्शन करने के लिए किए जाने चाहिए। (150 शब्द)

समाज पर सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

वीकली फोकस #22 (अंग्रेजी में): सोशल मीडिया और समाज

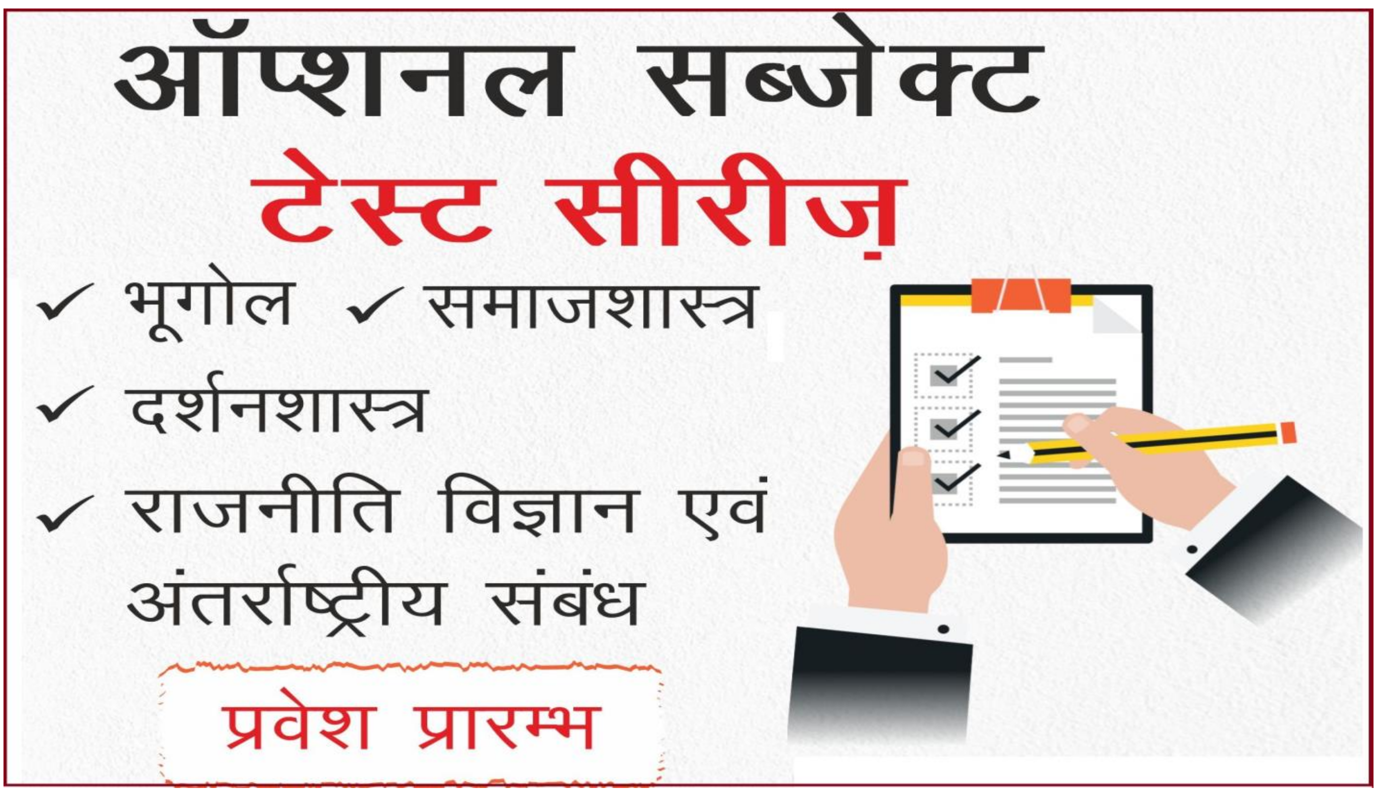

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

10.1. एग्रीश्योर (स्टार्ट-अप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष) योजना {AgrisurE (AGRI Fund For Start-UPS & Rural Enterprises) Scheme}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री ने एग्रीश्योर (स्टार्ट-अप्स एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष) योजना शुरू की है।

उद्देश्य	विशेषताएं

• विभिन्न वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs)[120] में योगदान देकर **कृषि और ग्रामीण स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में अधिक निवेश आकर्षित करना।**
• **मौजूदा कृषि और कृषि-तकनीक/ एग्री-टेक स्टार्टअप्स को तरलता प्रदान करना** जो इक्विटी, ऋण स्रोतों जैसे विभिन्न प्रकार के वित्त-पोषण साधनों तक पहुंच की कमी के कारण अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में असमर्थ हैं।
• **युवा उद्यमियों को** कृषि और कृषि-तकनीक में उच्च जोखिम वाली, परन्तु उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए **प्रोत्साहित करना।**
• कृषि उपज मूल्य श्रृंखला प्रणाली को मजबूत बनाने और कृषि-व्यवसाय के क्षेत्र में नए उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए **लाभदायक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रणालियों के अवसरों को बढ़ावा देना।**
• **कृषि संबंधी इकोसिस्टम में अधिक-से-अधिक भागीदारों को शामिल करना।** इससे किसान उत्पादक संगठनों (FPOs)/ किसान उत्पादक कंपनियों (FPCs)/ प्राथमिक सहकारी समितियों को कृषि तकनीक स्टार्ट-अप्स के जरिए नवीनतम स्वचालित कृषि प्रक्रियाओं और मशीनरी तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।
• कृषि को व्यवसाय के रूप में देखने वाले तकनीकी रूप से योग्य ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए **अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना।**
	• **पृष्ठभूमि:** इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी।
	• **उद्देश्य:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवीन, प्रौद्योगिकी आधारित, उच्च जोखिम वाले, उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों का समर्थन करना।
	• **प्रायोजक एजेंसियां:** भारत सरकार और नाबार्ड।
	• **कुल निधि:** 750 करोड़ रुपये (यह निधि SEBI के तहत श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत है।)
	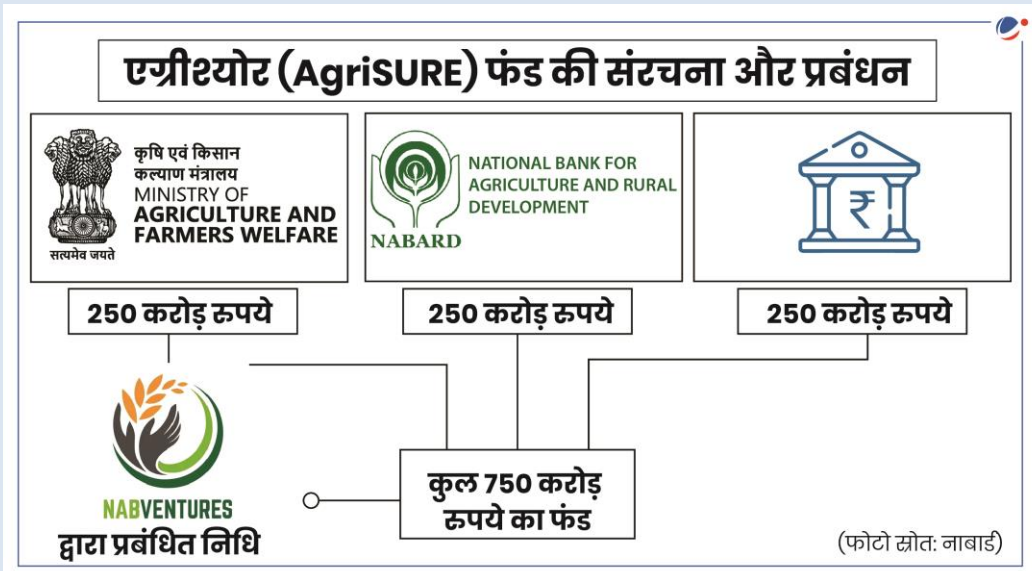
	
	• **निधि की दो योजनाएं हैं:**
	  ○ **एग्रीश्योर - FAO योजना:**
	    ▪ **उद्देश्य:-श्रेणी I और श्रेणी II के ऐसे वैकल्पिक निवेश कोषों (AIFs)** का वित्त-पोषण करना जो आगे स्टार्ट-अप्स में निवेश करते हैं। यह योजना SEBI-पंजीकृत सेक्टर-एग्नॉस्टिक, सेक्टर-विशिष्ट और ऋण AIFs में निवेश करेगी।
	    ▪ **कुल निधि:-** 450 करोड़ रुपये
	    ▪ **किसी एक AIF में निवेश की अधिकतम सीमा:** AIF के कोष का 5 प्रतिशत या 25 करोड़ रुपये, दोनों में से जो भी कम हो।
	  ○ **एग्रीश्योर- प्रत्यक्ष योजना:**
	    ▪ **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य प्रारंभिक चरण के स्टार्ट-अप्स में प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश करना है। यह निवेश उन स्टार्ट-अप्स के लिए होगा जिन्हें उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त है और जो भारत में निगमित हैं।

120 Alternative Investment Funds

• मौजूदा ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्रक में बनाए रखना और समय-समय पर **नवीन तकनीकें, विधियां और उपकरण उपलब्ध कराकर युवा पीढ़ी को कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।**	▪ **कोष**: 300 करोड़ रुपये ▪ **किसी एक स्टार्ट-अप में निवेश की अधिकतम सीमा:** AIF विनियमों के अधीन 25 करोड़ रुपये। • **निधि की अवधि:** इसकी अवधि उद्योग शुरू करने की तिथि से 10 वर्ष तक होगी, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। • **लक्षित लाभार्थी** ○ **इस कोष की अवधि समाप्त होने तक लगभग 85 स्टार्ट-अप्स को समर्थन प्रदान की जाएगी।** ○ कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रक में कार्य करने वाले स्टार्ट-अप्स में फिलहाल निम्नलिखित शामिल हैं:- ▪ कृषि-तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, कृषि मशीनीकरण, जैव प्रौद्योगिकी, अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, प्राथमिक सहकारी समितियों के विकास सहित कृषि मूल्य श्रृंखला, FPOs के लिए सहायता, खेत स्तर पर प्रौद्योगिकी सहायता और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना।

10.2. प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम.-कुसुम) {Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, 30.06.2024 तक **प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम.-कुसुम) योजना** के तहत लाभान्वित होने वाले किसानों की कुल संख्या लगभग 4.1 लाख है।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• किसानों की सिंचाई पद्धतियों में नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल करना। • महंगे डीजल के स्थान पर सस्ती सौर ऊर्जा का उपयोग करना। • राज्यों पर कृषि बिजली सब्सिडी का बोझ कम करना और डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति में सुधार करना। • किसानों की सब्सिडी वाली दरों पर सौर जल-पंपों तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता करना। • किसानों को उनकी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सहायता करना।	• **मंत्रालय:** नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय • यह योजना वर्ष 2019 में **शुरू** की गई थी। • **योजना का लक्ष्य:** मार्च 2026 तक लगभग 34,800 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता का सृजन करना। • **योजना का प्रकार:** यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। • **पात्रता:** ○ एक व्यक्तिगत किसान ○ किसानों का एक समूह ○ किसान उत्पादक संगठन ○ पंचायत ○ सहकारी समितियां ○ जल उपयोगकर्ता संघ **योजना के 3 घटक हैं:** • **घटक A:** इस घटक का उद्देश्य किसानों द्वारा अपनी भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्राउंड/ स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना करना है। ○ किसान **अपनी जमीन पर व्यक्तिगत रूप से या समूहों/ सहकारी समितियों के साथ मिलकर 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र स्थापित कर सकते हैं।** ▪ सौर पैनल कृषि योग्य भूमि पर लगाए जा सकते हैं और उनके नीचे फसलें उगाई जा सकती हैं। ○ डिस्कॉम्स राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERC)[121] द्वारा निर्धारित फीड-इन-टैरिफ (FiT) पर किसानों से सौर ऊर्जा को खरीदेंगे। ○ योजना के तहत आगामी पांच वर्षों के लिए MNRE द्वारा डिस्कॉम्स को प्रोक्योरमेंट बेस्ड इंसेंटिव (PBI) प्रदान किया जाएगा। यह इंसेंटिव 40 पैसे/ किलोवाट-घंटा या ₹6.60 लाख/ मेगावाट/ वर्ष, जो भी कम हो, के रूप में होगा। यह सहायता किसानों या डेवलपर्स से सौर ऊर्जा खरीदने के लिए दी जाएगी।

[121] State Electricity Regulatory Commission

	○ प्रोजेक्ट स्थल **निकटतम सब-स्टेशन से 5 किलोमीटर के भीतर** होना चाहिए। • **घटक B:** 14 लाख स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना करना। ○ व्यक्तिगत किसानों को ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में, जहां ग्रिड आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, वहां पर 15 हॉर्स पावर (HP) तक की क्षमता वाले स्टैंडअलोन सौर कृषि पंपों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। ○ केंद्र और राज्य सरकार पंप की लागत का 30-30 प्रतिशत हिस्सा साझा करेंगे; लागत का शेष 40 प्रतिशत किसान वहन करेंगे। यद्यपि, किसान लागत के 30 प्रतिशत तक हेतु बैंक से ऋण ले सकते हैं। ▪ पूर्वोत्तर क्षेत्र/ पहाड़ी क्षेत्र और द्वीप समूह में लागत का 50 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) द्वारा; 30 प्रतिशत राज्य सरकार की सब्सिडी द्वारा; और शेष 20 प्रतिशत लागत किसान द्वारा वहन की जाएगी। ▪ यदि राज्य सरकार अपनी 30% सब्सिडी प्रदान करने की स्थिति में नहीं है, तो **किसान केवल केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ भी सौर पंप स्थापित कर सकते हैं।** • **घटक C:** फीडर स्तर पर सौरीकरण सहित ग्रिड से जुड़े 35 लाख कृषि पंपों का सौरीकरण। ○ **व्यक्तिगत पंप सौरीकरण (IPS)**[122] ▪ **ग्रिड से जुड़े कृषि पंप वाले व्यक्तिगत किसानों को उनके पंपों का सौरीकरण करने में सहायता प्रदान की जाएगी।** इस योजना के तहत पंप क्षमता के दो गुना तक की सौर फोटोवोल्टिक क्षमता की अनुमति है। ▪ किसान उत्पादित सौर ऊर्जा का उपयोग सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं और **अतिरिक्त सौर ऊर्जा को डिस्कॉम्स को बेच सकते हैं।** ▪ केंद्र और राज्य सरकारें पंप की लागत का 30-30 प्रतिशत हिस्सा साझा करेंगी; लागत का शेष 40 प्रतिशत किसान वहन करेंगे। यद्यपि, किसान लागत के 30 प्रतिशत तक हेतु बैंक से ऋण ले सकते हैं। ○ **फीडर स्तर पर सौरीकरण (FLS)**[123] ▪ व्यक्तिगत सौर पंपों के बजाय राज्य कृषि फीडरों को सौरीकरण कर सकते हैं। ▪ **जहां कृषि फीडरों को अलग नहीं किया गया हैं,** वहां NABARD या PFC/ REC से ऋण लेकर फीडर सेपरेशन किया जा सकता है। ▪ इसके अलावा, फीडर सेपरेशन के लिए विद्युत मंत्रालय की रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) से सहायता ली जा सकती है। हालांकि, मिश्रित फीडरों का भी सौरीकरण किया जा सकता है। ▪ सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की लागत पर 30 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) प्रदान की जाएगी। यह सहायता सामान्य राज्यों के लिए 1.05 करोड़ रुपये/ मेगावाट तक और पूर्वोत्तर क्षेत्र/ पहाड़ी क्षेत्र और द्वीपीय राज्यों के लिए 1.75 करोड़ रुपये/ मेगावाट तक प्रदान की जाएगी। ▪ हालांकि, पूर्वोत्तर क्षेत्र/ पहाड़ी क्षेत्र और द्वीप समूहों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध है।

[122] Individual Pump Solarisation

[123] Feeder Level Solarisation

11. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News)

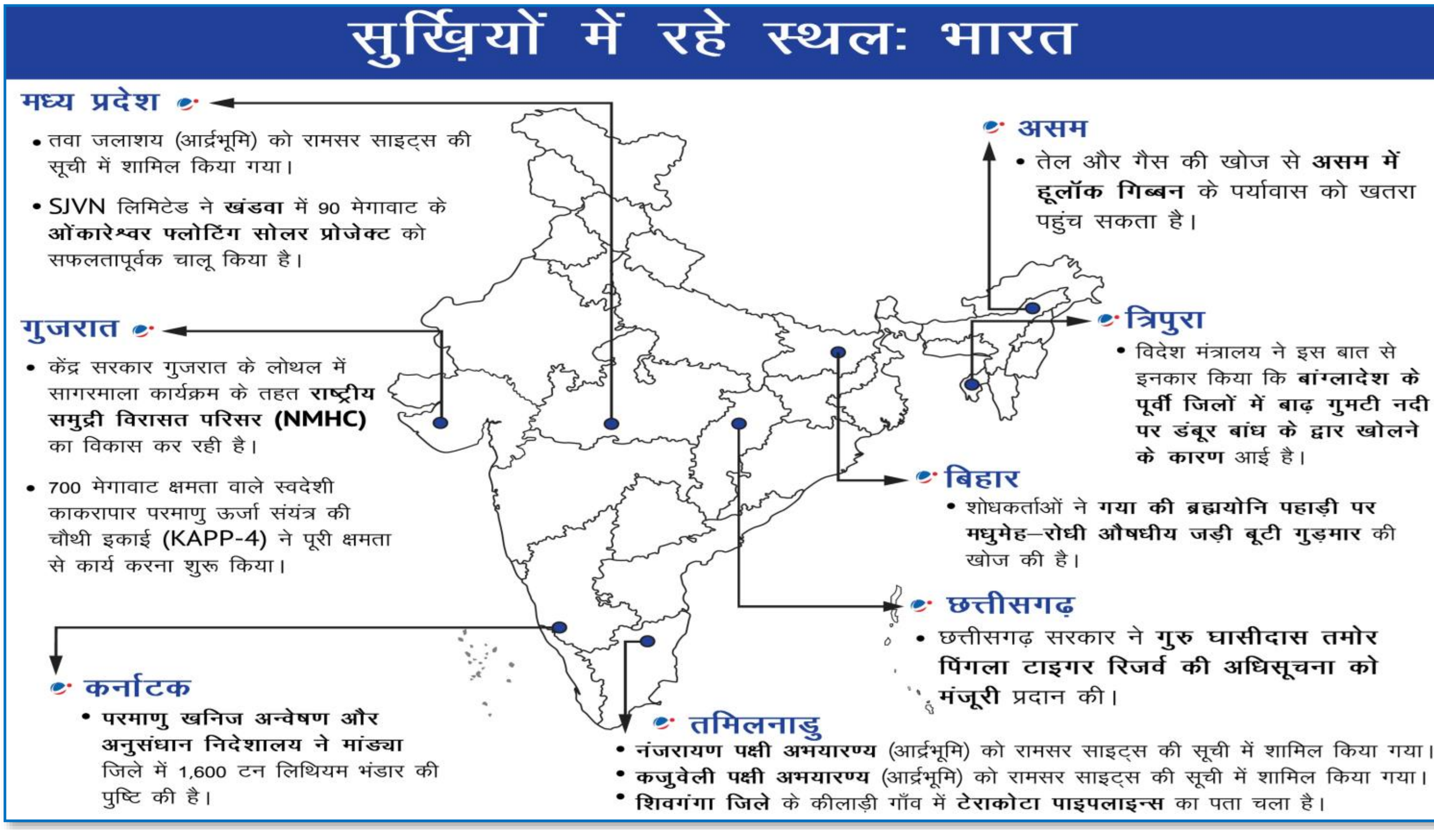

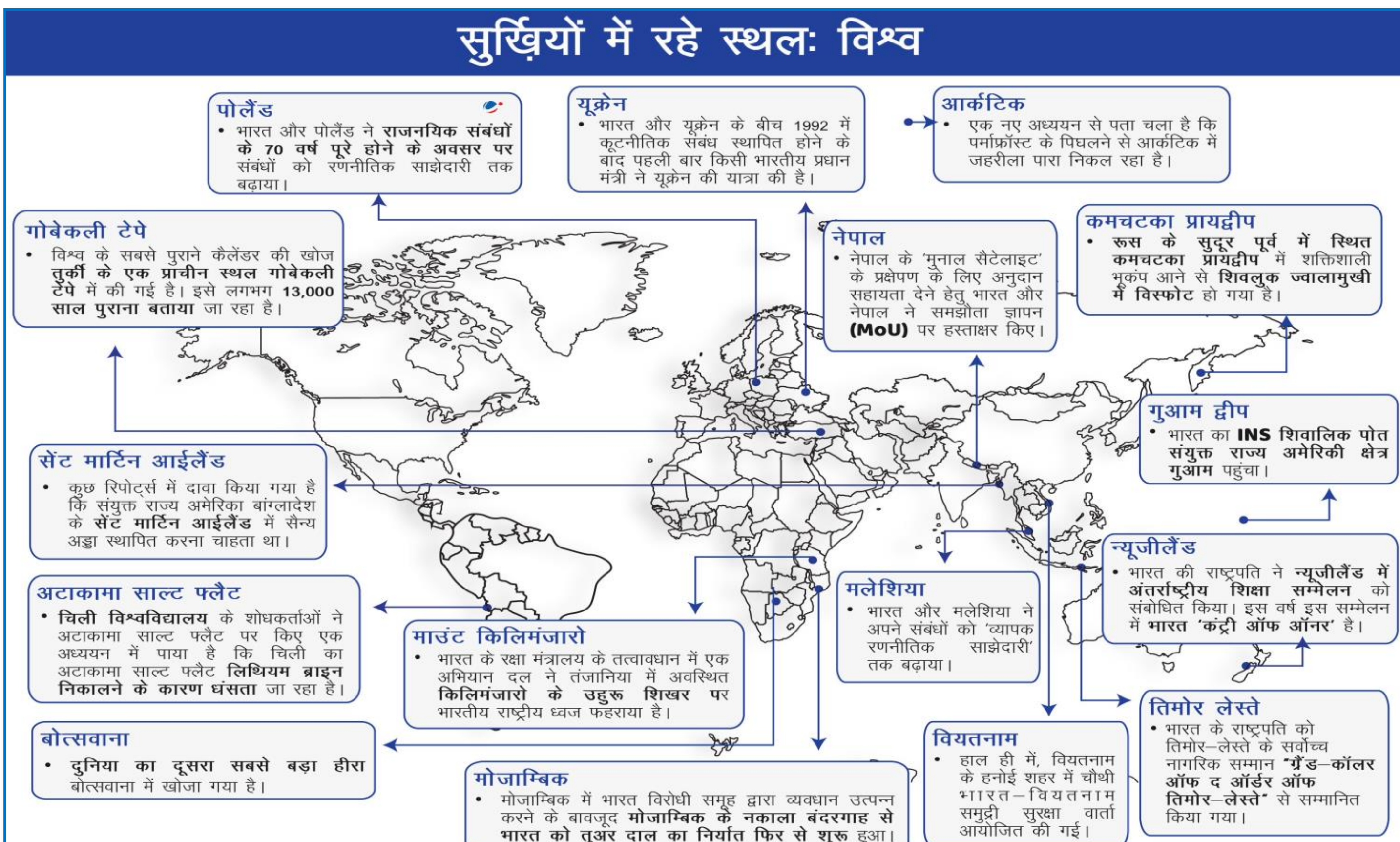

12. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व (Personalities in News)

व्यक्तित्व	के बारे में	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 सिद्धू मुर्मू	• हाल ही में, देशवासियों ने सिद्धू मुर्मू और उनके भाई कान्हू मुर्मू को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। • **सिद्धू मुर्मू के बारे में:** ▸ सिद्धू और कान्हू मुर्मू दरअसल **संथाल जनजाति** के नेता थे। ▸ **योगदान:** ▪ **संथाल विद्रोह (1855–56):** इसे भारत का पहला **किसान आंदोलन** माना जाता है। इसका नेतृत्व चांद और बैरब के साथ–साथ **सिद्धू और कान्हू** ने किया था। ◆ संथाल विद्रोह का उद्देश्य दमनकारी **'दिकुओं' यानी बाहरी लोगों जैसे कि अंग्रेज, साहूकार आदि से** संथाल क्षेत्र को मुक्त कराना था। ▪ **संथाल परगना टेनेंसी एक्ट:** यह कानून संथाल विद्रोह के बाद पारित किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से, संथालों की भूमि को बाहरी समुदायों के लोगों द्वारा खरीदने या हड़पने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ▸ **उपलब्धि:** ▪ झारखंड में सिद्धू–कान्हू के बलिदान को याद करने के लिए **हूल दिवस (30 जून) मनाया** जाता है।	**बहादुरी और न्यायप्रियता** • उन्होंने स्वतंत्रता और अपने समुदाय के लोगों की सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण को भी खतरे में डाल दिया। • संथालों की भूमि पर उनके परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए उनके संघर्ष में निष्पक्षता/ न्याय सुनिश्चित करने की उनकी प्रतिबद्धता की झलक मिलती है।
 राघोजी भांगरे	• **जनजातीय कार्य मंत्रालय** ने राघोजी भांगरे को श्रद्धांजलि अर्पित की। **राघोजी भांगरे के बारे में** • वे **आदिवासी क्रांतिकारी सेनानी** थे। उनका जन्म **महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवगांव में कोली समुदाय** में हुआ था। • उनके पिता **रामजी राव भांगरे** ने साहूकारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। इसे कोली **विद्रोह (1822–29)** के नाम से जाना जाता है। ▸ रामजी राव भांगरे को बाद में **सेलुलर जेल में फांसी** दे दी गई थी। • **मुख्य योगदान:** ▸ राघोजी भांगरे ने शोषक साहूकारों और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ कोली समुदाय का नेतृत्व किया था। ▸ उन्हें **1847** में लेफ्टिनेंट गेल ने **पंढरपुर** में पकड़ लिया था। बाद में उन्हें फांसी दे दी गई थी।	**संघर्षशीलता और साहस** • उन्होंने शोषणकारी साहूकारों और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अभियान चलाकर औपनिवेशिक उत्पीड़न का कड़ा विरोध किया। वे सदैव अपने समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए के लिए तत्पर रहे। • खतरे की आशंका के बावजूद उन्होंने ब्रिटिश शोषण के खिलाफ लड़ाई जारी रखते हुए बहादुरी का परिचय दिया। अंततः उन्होंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

©Vision IAS

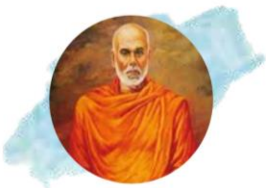 **श्री नारायण गुरु**	केरल के महान समाज सुधारक **श्री नारायण गुरु को उनकी 170वीं जयंती पर देशभर में याद** किया गया। **श्री नारायण गुरु के बारे में** • उनका जन्म वर्तमान **तिरुवनंतपुरम के नजदीक स्थित चेम्पाआंती में एझवा परिवार** में हुआ था। • वे एक संत, द्रष्टा, दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने **जाति प्रथा और उसके दुष्परिणामों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व** किया था। **प्रमुख योगदान** • **"सभी मनुष्यों के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर"** के सिद्धांत पर बल देते हुए **सामाजिक समानता** का समर्थन किया था। • **अरविपुरम आंदोलन (1888):** उन्होंने अरविपुरम में भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापित की थी। ▸ इस कदम ने सामाजिक अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में कार्य किया। ऐसा इस कारण, क्योंकि पारंपरिक रूप से उच्च जाति के लोग ही मंदिर में प्रवेश कर सकते थे। • उनके निर्देशन में **डॉ. पल्पू पद्मनाभन ने 'श्री नारायण धर्म प्रतिपालन योगम (SNDP)'** की स्थापना की थी। • **साहित्यिक कृतियां:** अद्वैत दीपिका, आत्मविलासम, दैव दशकम, ब्रह्मविद्या पंचकम आदि।	**समतावाद और बहुलतावाद** • वे 20वीं सदी के केरल में निम्न जाति के उत्पीड़ित समाज के अधिकारों के नायक थे। उन्होंने नैतिक लेखन और सामाजिक लामबंदी के सरल साधनों का प्रयोग करते हुए केरल की सामाजिक व्यवस्था में व्यापक बदलावों को प्रेरित किया। • उन्होंने समानता और स्वतंत्रता के अपने बहुलतावादी दृष्टिकोण को मुखर रूप देते हुए समाज सुधार की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक	**लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में** • तिलक जी का जन्म **महाराष्ट्र के रत्नागिरी** में हुआ था। • वे विद्वान, दार्शनिक व राष्ट्रवादी थे। **प्रमुख योगदान** • उन्होंने **स्वराज (स्व–शासन) का समर्थन** किया था। वे ब्रिटिश शासन से **पूर्ण स्वतंत्रता की मांग** करने वाले पहले नेताओं में से एक थे। • उन्होंने **अप्रैल 1916 में बेलगावी में होमरूल लीग** की स्थापना की थी। ▸ एनी बेसेंट ने भी अपनी एक अलग होमरूल लीग स्थापित की थी। • उन्होंने दो समाचार पत्रों– **"केसरी" (मराठी में) और "द मराठा" (अंग्रेजी में)** का संपादन किया। • उन्होंने **'गीता रहस्य'** की रचना की थी।	**देशभक्ति और लचीलापन** • स्वतंत्रता संघर्ष के समय उनका अपना पूरा जीवन एक राष्ट्र के रूप में भारत के आत्मनिर्णय के अधिकार और स्वतंत्रता के उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। • उन्हें अपने लेखन में ब्रिटिश हुकूमत की आलोचना करने के कारण कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इससे उनके राजनीतिक विचारों में कोई बदलाव नहीं आया और उन्होंने अपना राजनीतिक लेखन कार्य जारी रखा।

 मैडम भीकाजी कामा	प्रख्यात क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी मैडम भीकाजी कामा को उनकी पुण्यतिथि (13 अगस्त) पर देशभर में याद किया गया। **मैडम भीकाजी कामा के बारे में** • वे एक आदर्श क्रांतिकारी थीं। उनका संबंध **गुजरात राज्य के नवसारी जिले** से था। • वे **विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता की प्रबल समर्थक** थीं। वे **"भारतीय क्रांति की जननी"** के रूप में लोकप्रिय हैं। **प्रमुख योगदान** • स्वतंत्रता आंदोलन के प्रचार–प्रसार के लिए **'वंदे मातरम' पत्रिका का पेरिस में संस्करण शुरू** किया था तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन हासिल किया था। • **1905** में, उन्होंने **पेरिस इंडियन सोसाइटी** की सह–स्थापना की थी। इस संगठन को **भारत मंडल** के नाम से भी जाना जाता था। • **22 अगस्त, 1907 को उन्होंने स्टटगार्ट (जर्मनी) में पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराया था।** ▸ **फहराया गया झंडा कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन** किया गया था।	**देशभक्ति और अदम्य साहस** • राष्ट्रवादी भीकाजी का मानना था कि अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए भारत का क्रूरतापूर्वक शोषण किया है। • ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई यातनाओं के बावजूद, उन्होंने भारतीय, आयरिश और मिस्र के क्रांतिकारियों के साथ–साथ फ्रांसीसी समाजवादियों और रूसी नेताओं के साथ सक्रिय संपर्क बनाए रखा तथा स्वतंत्रता संग्राम के लिए कुशल नेतृत्व प्रदान किया।
 श्री अरबिंदो घोष	प्रधान मंत्री ने **श्री अरबिंदो** को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। **अरबिंदो घोष के बारे में:** • उनका जन्म **कोलकाता** में हुआ था। • वे **भारतीय राष्ट्रवादी, कवि, दार्शनिक और योगी** व्यक्ति थे। **उनका योगदान:** • वह **युवा क्लब अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्यों** में से एक थे। • उन्हें **अलीपुर बम केस (1908)** के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। • उनका संबंध **जुगांतर, बंदे मातरम और कर्मयोगी** जैसी पत्रिकाओं से था। • उन्होंने **1926 में पांडिचेरी में श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना** की। • उन्होंने **आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की अवधारणा पर बल दिया और एकात्म योग प्रणाली की संकल्पना** प्रस्तुत की।	**तर्क बुद्धिवाद और दृढ़ संकल्प** • उनका दर्शन प्रमाण, अनुभव और व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित है। आध्यात्मिकता को लेकर उनके विचार तर्क के साथ अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। • उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता और पृथ्वी पर मानव जीवन की उन्नति के लिए समर्पित कर दिया।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स

2025 प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली	अवधि
23 सितंबर | 1 PM	12 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

नि:शुल्क काउंसिलिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन
अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित
विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन
इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़
प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें
प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी
अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
अपनी तैयारी से जुड़े रहिए
सोशल मीडिया पर फॉलो करें
http://bit.ly/3ueP7T7
VisionIASHindi
/VisionIAS_UPSC
vision_ias_hindi
/Vision_IAS
/visionias.upsc
www.visionias.in

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates
79 in TOP 100 Selections in CSE 2023
from various programs of Vision IAS
1 AIR
Aditya Srivastava
2 AIR Animesh Pradhan
5 AIR Ruhani
6 AIR Srishti Dabas
7 AIR Anmol Rathore
9 AIR Nausheen
10 AIR Aishwaryam Prajapati
हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में
हिंदी माध्यम टॉपर
53 AIR मोहन लाल
136 AIR अर्पित कुमार
238 AIR विपिन दुबे
257 AIR मनीषा धार्वे
313 AIR मयंक दुबे
517 AIR देवेश पाराशर
UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें
53 AIR मोहन लाल
TOPPERS' TALK
AIR 136 अर्पित कुमार
TOPPERS' TALK
विगत वर्षों में UPSC मेन्स में पूछे गए प्रश्न
मुखर्जी नगर ऑफलाइन सेंटर
DELHI
HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station
MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar
GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009
FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066
enquiry@visionias.in
/@visioniashindi
/visionias.upsc
/vision_ias_hindi/
/hindi_visionias
अहमदाबाद
बेंगलूरु
भोपाल
चंडीगढ
दिल्ली
गुवाहाटी
हैदराबाद
जयपुर
जोधपुर
लखनऊ
प्रयागराज
पुणे
रांची